1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या 12

बुधवार,

11 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

किशनगंज व शाहबाद में बाल विकास परियोजना अधिकारी का रिक्त पद

280. **श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)** : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगंज व शाहबाद में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद कब से रिक्त हैं ? इनको भरने की विभाग की क्या योजना है ?

(2) क्या महिला पर्यवेक्षकों के भी पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इनको भरने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह महिला मंत्री कब से हो गये साहब ?

श्री अध्यक्ष : वह लिख कर दे गये होंगे। मंत्री जी लिख कर दे गये, वह जवाब देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : महिला मंत्री लिख कर दे गये हैं। अब इस विभाग को तो आप ज्यादा पसन्द करते हैं प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे तो मालूम नहीं साहब, मैं महिला मंत्री के नाम से था इसमें....

श्री केदारनाथ शर्मा : बैचलर का यह अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : यह महिला व पुरुष दोनों हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों हैं, तो यह सदन के सदस्य नहीं रह सकते।

श्री अध्यक्ष : या फिर दोनों ही नहीं है। यह भी ठीक है। या फिर दोनों ही नहीं हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) (डा. रतनलाल जाट के स्थान पर) :

(1) किशनगंज व शाहबाद परियोजना में बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद क्रमशः दिनांक 7-8-91 व 14-9-91 से रिक्त था। उन पदों पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों का पदस्थापन किया जा चुका है।

(2) जी हां, पदों को अतिशीघ्र भरने हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये हैं जिन पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी हां। विभाग में इन पदों को भरने हेतु विशेष चयन नियम बने हुए हैं। जिसके तहत पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि सी.डी.पी.ओ. के पद पर आर.ए.एस. और आर.टी.एस. अधिकारियों को लगाया जाता है लेकिन आर.ए.एस. और आर.टी.एस. अधिकारी जब से लगते हैं, दो-तीन माह में वह ट्रांसफर कराने के प्रयास में लग जाते हैं और यह पद हमेशा खाली बने रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या विभागीय पदोन्नति के आधार पर इन पदों को भरा जायेगा या नहीं? दूसरा मेरा सवाल यह है, महिला पर्यवेक्षकों की जो एप्लीकेशन्स हमने ली थी, कब तक भर्ती की जायेगी या कब तक उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा ताकि वह जगह भर सकें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक और इससे रिलेटेड सवाल है....

श्री अध्यक्ष : वह दूसरे में पूछ लेना आप। नेक्स्ट, दूसरे सप्लीमेंट्री में आ जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो स्थिति रखी है वह सत्य है और इसीलिए हम अब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो विशेष नियम बने हैं उनमें समाज कल्याण सेवा, शिक्षा सेवा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों में से हम यह परियोजना अधिकारी चयन करेंगे। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचित कर दूं कि विभाग के हम अपने नियम बना रहे हैं और जब यह अपने नियम अंतिम रूप ले लेंगे उसके बाद पदोन्नति के द्वारा या सीधी भर्ती के द्वारा भी इनको भरा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो स्वीकार करते हैं आप, ठीक है।

श्री कैलाश मेघवाल : दूसरा जो महिला पर्यवेक्षक के बारे में पूछा है, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूं कि महिला पर्यवेक्षकों की आखिरी तारीख 7-8-1991 थी तब तक हमारे पास 11013 प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 11013 प्रार्थना-पत्रों

(श्री कैलाश मेघवाल)

पर विचार करके चयन करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा और है। सी.डी.पी.ओ. के ट्रांसफर होने के बाद में रिक्त पदों का चार्ज कोटा और छबड़ा के अधिकारियों को दिया जाता है जो किशनगंज और शाहबाद से कम से कम दो सौ-ढ़ाई सौ किलोमीटर की दूरी पर है। क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि रिक्त स्थान होने पर सी.डी.पी.ओ. के लिए वहां के स्थानीय अधिकारी, जो किशनगंज-शाहबाद के हैं, को इन्चार्ज बनायें जिससे विभाग का कार्य ठीक-ठीक प्रकार से चल सके?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सुझावात्मक पूरक प्रश्न पूछा गया है, इसका औचित्य है और राज्य सरकार इसी दिशा में कार्य करेगी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। नेक्स्ट, श्री हीरालाल आर्य।

अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगार

281. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपलदा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने व्यक्ति हैं?

(2) बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री बाबूलाल खाण्डा) :

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31-12-91 को 85478 शिक्षित एवं 12526 प्रशिक्षित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति पंजीकृत थे।

(2) राज्य सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को अपनाने के लिए विशेष जोर दे रही है।

श्री अध्यक्ष : यह जीवित पंजिका क्या है?

श्री बाबूलाल खाण्डा : यह रजिस्टर है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष जीवित, जीवित...

श्री बाबूलाल खाण्डा : लाइव...

श्री अध्यक्ष : लाइव रजिस्टर, अच्छा। उसकी हिन्दी की है, जीवित की।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्रत्येक सरकारी विभाग में अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों की भारी संख्या में बैकलॉग रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो उनके भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है? दूसरा मेरा प्रश्न है...

(५)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। दूसरा नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष : दूसरा, दूसरा पूछ लें। सैकण्ड सप्लीमेंटी पूछ लें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : सैकण्ड सप्लीमेंट्री पूछना आप।

श्री हीरालाल आर्य : महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण तो सभी हैं, दो सप्लीमेंट्री है ना आपके।

श्री बाबूलाल खण्डा : अध्यक्ष महोदय, नियोजन विभाग के मुख्य काम तीन है। एक तो नाम दर्ज करना....

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग का नहीं है न यह, आपका तो केवल दर्ज करना है, भर्ती करने का काम आपका नहीं है, नहीं है न आपका यह।

श्री बाबूलाल खण्डा : हां, तो वही कह रहा हूं। वह कार्मिक विभाग देखता है।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है तो, बैठिये आप। हो गया। आप बैठिये। इनके सम्बन्ध का नहीं है सवाल यह।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पिछली चार और पांच अक्टूबर, 1991 को जो मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ था, उस कान्फ्रेंस में, कि अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों के विभिन्न विभागों में रिक्त बैकलॉग को 31 मार्च तक निश्चित रूप से भरने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो राजस्थान में उसकी पालना हेतु क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : यह सम्बन्ध, किसी और को पूछते यह प्रश्न। कार्मिक विभाग को पूछते। अब यह तो केवल पंजीकृत करते हैं?

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, पंजीकृत नहीं, मैंने यह पूछा था कि....

श्री अध्यक्ष : और क्या करते हैं?

श्री हीरालाल आर्य : रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूछा है मैंने।

श्री अध्यक्ष : यह रोजगार थोड़े देते हैं। यह तो पंजीकृत करते हैं, सूचना देते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा दूसरा है कि यह करते हैं तो मुझे तो सरकार से जवाब चाहिए कि जो बेरोजगार लोग हैं....

श्री अध्यक्ष : सरकार कौन सी? आपने सम्बन्धित विभाग से सवाल नहीं पूछा।

श्री हीरालाल आर्य : बैकलाग को पूरा करने के लिए ...

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को पोस्टपोन्ड करिए और फिर बाद में लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : सवाल दूसरे विभाग को, सम्बन्धित विभाग से पूछना चाहिए....

श्री हीरालाल आर्य : रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष : इनसे जवाब नहीं मिलेगा यह इनके सम्बन्ध का नहीं है, बिराजिए आप। नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल। (व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। बैठिये। श्री प्रभुलाल।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, बैकलाग पड़ा हुआ है, मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में तय हुआ है....

श्री बालचन्द आर्यवीर : प्रश्न में मेरा नाम भी है उसमें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवाल ही नहीं है इस सम्बन्ध में।

श्री बालचन्द आर्यवीर : एक प्रश्न पूछना है सर, मेरा नाम है साहब।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बैठिये। मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये। बैठिये। आप बैठिये, बैठिये।

श्री शांतिलाल (राजसमंद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन जाति का प्रश्न है, इस प्रश्न को पोस्टपोण्ड करवाइये, इस प्रश्न का जवाब आये... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति और जन जाति का प्रश्न है, बैकलॉग पूरा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है...

श्री बालचन्द आर्यवीर : यह अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों का शोषण है साहब, अध्यक्ष महोदय....

श्री शांतिलाल : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगित करें साहब।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति का सवाल है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पोस्टपोण्ड करके सम्बन्धित मंत्री से जवाब दिलवायें।

श्री निर्मलाल जाटव : अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों के प्रति देखिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ लें।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सारे सदस्य गलत जगह बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप, बालचन्दजी, बालचन्द आर्यवीर का नाम है। इनको पूछने दीजिए।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं पूछ लूं, मैं....

श्री अध्यक्ष : बालचन्द आर्यवीर है क्या आपका नाम ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों का जो बैकलॉग खाली पड़ा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से और राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उनका बैकलॉग कब तक भर दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब-जब स्थान खाली होंगे उस समय बैकलॉग भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान)

श्री निर्भयलाल जाटव : स्थान कब खाली होंगे साहब....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय महोदय, स्थान खाली हुए पड़े हैं...

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, स्थान खाली पड़े हैं.. (व्यवधान)

श्री निर्भयलाल जाटव : यह बेरोजगारी का मामला है और बैकलाग पड़ा है।....(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये.... आप बैठिये प्लीज....अब आप कृपया बैठे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और स्पष्टीकरण कर दूं। जो स्थान खाली हैं और जैसे माननीय सदस्यों ने कहा मैं सारे राजस्थान में कौन कौन से स्थान खाली हैं और कितनी-कितनी रिजर्वेशन में वह सीट आती हैं 3 महीने के अन्दर अन्दर भर दूंगा।

मुन्सिफ न्यायालय करौली में विचाराधीन मामले

282. **श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा क्षेत्र के कितने मामले मुन्सिफ कोर्ट करौली में चल रहे हैं ?

(2) सुलभ व सस्ता न्याय दिलवाने के लिये क्या सरकार सपोटरा में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) सपोटरा क्षेत्र के कुल 235 वाद मुन्सिफ कोर्ट करौली में चल रहे हैं।

(2) जी नहीं, लम्बित वादों की अल्प संख्या को देखते हुए सपोटरा में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का औचित्य अभी नहीं बनता है।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मुन्सिफ कोर्ट खोलने के क्या क्राइटेरिया हैं वह बतायें ? दूसरा....

श्री अध्यक्ष : दूसरा दूसरी बार पूछ लेना। माननीय मंत्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं है पर वादों की संख्या जरूर देखी जाती है दो हजार, तीन हजार तक हो और उसमें भी हाईकोर्ट की सहमति आवश्यक है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सरकार जनहित के अन्दर और जनता की सहूलियत के लिए शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले इसलिए आपका कर्तव्य नहीं होता है कि जहां लोगों को सौ-सौ किलोमीटर न्याय के लिए जाना पड़ता है वहां आप सपोटरा में जनहित में कोर्ट खोलने की सिफारिश करें? अगर नही तो फिर लोकहित की बात करना छोड दे।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनहित को ध्यान में रखकर पिछली शताब्दी में जितने कोर्ट थे उसके 1/3 एक साल में हमने खोलकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सारे हिन्दुस्तान में आज मेरा चैलेन्ज है कि आज तक इतने कोर्ट एक वर्ष में कभी भी नहीं खोले गये हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि 28 मुन्सिफ कोर्ट्स, 11 ए. डी. जे., 18 को अपग्रेड किया, 13 को केम्प कोर्ट ए. डी. जे. के किये, 2 फ़ैमिली कोर्ट, 2 लेबर कोर्ट और 2 पानी चोरी के कोर्ट, 1 पाल्यूशन और 2 राइट्स के बारे में और कन्ज्यूमर्स कोर्ट्स तो खैर दूसरों ने किये हैं इतने कोर्ट हमने एक साथ स्थापित किये हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार के कोर्ट किये हैं और इस तरह से सारा ब्लॉक-अप करके 92 कोर्ट्स एक साथ खोले हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जुबेर खां.... (व्यवधान) ... बैठिये आप.... श्री रमज़ान खां उत्तर दें....

(To Dr. Chandrabhan) It is not necessary for you to intervene every time. It is not necessary. It is not necessary at all. you have not right to do that.

खड़े हो जाते हैं चाहे आपका मतलब हो या नहीं है।

वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

283. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वक्फ बार्ड की जायदाद को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु एवं भविष्य में अतिक्रमण ना हो इसके लिए सरकार क्या विचार एवं उपाय रखती है ?

(2) क्या सरकार ने सभी जिलों में वक्फ बोर्ड की समितियां गठित कर दी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री रमजान खान) : (1) राजस्थान में वक्फ सम्पदाओं पर अतिक्रमण हटाने एवं रोकने हेतु राजस्थान भूगृहादि (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1994 वर्ष 1982 में संशोधन कर वक्फ सम्पति

(राज्य मंत्री, वक्फ)

को सरकारी स्थान की परिभाषा में शामिल किया गया है। जिसके अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सम्पदा अधिकारी (वक्फ) सरसरी कार्यवाही कर वक्फ सम्पदाओं पर अतिक्रमण हटा सकता है।

(2) जी नहीं। वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 16 के अन्तर्गत वक्फ कमेटियों राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ द्वारा ही गठित की जाती है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के ऊपर अभी तक आपके पास कितनी शिकायतें आई हैं अतिक्रमण की और आपने कितनों का अतिक्रमण हटवा दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रमजान खां : मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। 372 शिकायतें अभी तक हमारे पास प्राप्त हुई हैं जिनमें अधिकतर शिकायतों का निपटारा हो रहा है और कई न्यायालयों में यह प्रकरण चल रहे हैं जिनका निपटारा शीघ्र होने की आशा है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि झुंझुनू की की कमरुद्दीन साहब की दरगाह पर जो अतिक्रमण हो रहा है और आपके नोटिस में भी आया है और आप एक बार निर्देश दे चुके हैं क्या आप सदन में कह सकते हैं कि वह अतिक्रमण रोक दिया गया है ?

श्री रमजान खां : उसकी जांच करवाई जा रही है और जांच होते ही उस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जामा मस्जिद शिवगंज के खसरा नं. 83 और 84 की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है तथा वहां की जनता एवं मुतवल्ली द्वारा निरन्तर शिकायत करने के बावजूद भी वक्फ सम्पत्ति को खाली नहीं कराया गया है बल्कि उस पर नगरपालिका ने तामीर की इजाजत और दे दी है ?

श्री रमजान खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है उसके तहत इन्क्वायरी करवा रहे हैं और जैसे ही इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ जायेगी माननीय सदस्या को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि आपने शिवगंज की जामा मस्जिद की जमीन की आप इन्क्वायरी करवा रहे है और इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव यहां रखा हुआ हैं। मैं अपको ध्यान यह दिलाना चाहता हूं कि आपने 25 सितम्बर, 1991 को जिला कलक्टर, सिरोही को खुद ने पत्र लिखा और उसमें

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आपने यह लिखा है कि उक्त जामा मस्जिद की भूमि पर गफूर नाम के व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और वह उस पर निमार्ण कार्य कराने जा रहा है और उसके बावजूद नगरपालिका सिरोही ने उस अतिक्रमणी को जो कि अवैध रूप से निर्माण कराना चाहता है, नगरपालिका शिवगंज ने उसको इजाजत कैसे दे दी ? क्या आप उस इजाजत को रद्द करवाने के संबंध में भी कोई प्रयास कर रहे हैं और आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि आप वक्फ मंत्री हैं राजस्थान सरकार ने वक्फ की कितनी सम्पत्तियों पर किरायेदार के रूप में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और पिछले दस ग्यारह वर्षों से उसका एक भी पैसा किराया का अदा नहीं कर रहे हैं उसकी वसूली के संबंध में आप क्या करेंगे ?

श्री रमजान खां : वसूली वाला तो अध्यक्ष महोदय प्रश्न से संबंधित नहीं है। जहां तक सिरोही का मसला है और माननीय सदस्या ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिक्रमण हुआ है वक्फ सम्पत्ति पर उसका रीजन यह है कि एक तो एन्ट्रीज नहीं की जो कि रेवेन्यु रिकार्ड में थी और रेवेन्यु रिकार्ड में एन्ट्री वक्फ बोर्ड के गजट के मुताबिक नहीं की तो वह कब तक कर देंगे। दूसरा यह है....

श्री अध्यक्ष : एक ही सवाल .... परम्परा हो रही है एक ही सवाल ... इसी में मिला दो।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : दूसरा इम्पोरटेन्ट है। ईदगाह और कब्रिस्तान की चारदीवारियां हैं उसके लिए दस, पन्द्रह वर्ष से कलेक्टर के यहां एप्लीकेशन पड़ी हैं तो आप निश्चित कर दें कि एप्लीकेशन पहुंचने या पेश होने के बाद में 3 महीने में कलेक्टर इजाजत दे दें।

श्री रमजान खां : जहां तक राजस्व रिकार्ड में एन्ट्री का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सदन में कहा है कि इस तरह के अगर कोई मामले आयेंगे तो निश्चित रूप से इसकी कार्यवाही कर के वक्फ बोर्ड में और राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपनी तरफ से करवा लीजिए ताकि झगड़ा खत्म हो जाय। नेक्स्ट। श्री अचला राम।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब, कब्रिस्तान की इजाजत दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : वह भी करवा देंगे। आप अपनी तरफ से कहेंगे तब करवा देंगे ...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो नहीं बताया कि नगरपालिका से उसकी इजाजत रद्द करवायेंगे या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, वह तो वैलिड हो गया।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : झगड़े इसी बात से होते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अचला राम । आप सुन तो लीजिए । एक मिनट मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं । .. (व्यवधान) ...

श्री अचला राम (देसूरी) : प्रश्न संख्या 284

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब, आप कह रहे थे, मैं बैठ गया ।

श्री अध्यक्ष : दे दिया जवाब । आप बैठ गये, सुन नहीं रहे थे ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सुना नहीं साहब, कुछ दिया ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करूं, दे दिया । मैं इशारा कर रहा हूं बैठिये । आप बैठ ही नहीं रहे । मुख्य मंत्रीजी बोल चुके हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अवैध कब्जे को जब म्यूनिसिपैलिटी ने इजाजत दे दी तो वह तो कानूनी हो गया । .... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : 10 सवाल लेने हैं कि नहीं ? अब आप बैठिये ।

राज्य में चर्म उत्पादन कार्य

284. **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में चर्म उत्पादन के कार्य कहां-कहां चल रहे हैं एवं चर्म उत्पादन के नये कारखाने और कहां-कहां लगाने की योजना है ?

(2) टौंक में चर्म उत्पादन का कारखाना कब से बन्द है एवं क्यों ?

(3) रास रेगर चर्म रंगाई उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रास (पाली) को अब तक क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ? कितनी राशि किस-किस रूप में उक्त समिति को मिल चुकी है और आगामी किस्त कब तक देंगे ?

(4) इस समिति द्वारा उत्पादन कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये मंत्रीजी ।

खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहन मेघवाल) : (1) राजस्थान में चर्म उत्पादन के कार्य जिन-जिन जिलों में चल रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । वर्तमान में ग्रामोद्योग क्षेत्र में चर्म उद्योग के नये कारखाने लगाने की राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की कोई योजना नहीं है ।

(2) टौंक में चर्म उत्पादन का कारखाना स्थापना से लगातार घाटे में रहने के कारण दिनांक 1-4-1988 से बंद है ।

(3) रास चर्म रेगर चर्म रंगाई उत्पादन सहकारी समिति लि. रास, पाली को बोर्ड द्वारा वर्ष 1991-92 में ग्रामीण चर्मालय हेतु 7.89 लाख रुपए ऋण स्वीकृत किया गया है तथा प्रथम किस्त के रूप में भवन निर्माण हेतु 1.75 लाख रुपए

(श्री मोहन मेघवाल)

की राशि का भुगतान किया गया है। इस राशि की उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त होने पर मशीनरी एवं उपकरण हेतु 1.40 लाख रुपए तथा 4.75 लाख रुपए कार्यकारी पूंजी ऋण का भुगतान किया जावेगा।

(4) समिति का उत्पादन कार्य वर्ष 1992-93 तक प्रारम्भ होने की संभावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री अचला रामजी।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, सुर सागर चर्म उत्पादन समिति को जो कार्यशील पूंजी दी जा रही है 4.75 लाख रुपए और उस समिति के सदस्य 90 हैं। 90 के हिसाब से एक-एक सदस्य 5-5 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी का अंदाजन है जो उनको मिलता है। इससे उनकी उदर पूर्ति या उनके व्यवसाय ठीक तरीके से नहीं चल पायेंगे। क्या इस हेतु कार्यशील पूंजी को बढ़ाने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्रीजी।

श्री अचला राम : दूसरा प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : दूसरा बाद में पूछ लेना।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो व्यक्तिगत किसी को नहीं देते हैं यदि ऐसी मांग आयेगी तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री अचला राम : व्यक्तिगत कहां है यह तो समिति को देना है? व्यक्तिगत कहां है?

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : आपने तो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से बताये हैं कि पांच-पांच हजार दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब ठीक है, बिराजिये। श्री अचला रामजी, आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं?....(व्यवधान).... मेरे पास 4 नाम आ गये हैं।

श्री अचला राम : समिति को 7.89 लाख की पूंजी कब और कितनी किस्तों में दी जायेगी? जो मशीनरी के उपकरण के लिए 1.40 लाख की राशि दी जा रही है, क्या इस महंगाई के जमाने में यह पर्याप्त है?

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जायेगा उसके बाद में ही उपकरण के लिए और कार्यकारी पूंजी के रूप में दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : और दे देंगे। श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नीतिगत सवाल है....

श्री अध्यक्ष : नीतिगत सवाल प्रश्न-काल में नहीं पूछे जा सकते, बिराजिये श्री सुरेन्द्र गोयल ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो इन्होंने ऋण स्वीकृत किया है 7.89 लाख रुपए, तो इसके ऊपर कितनी सबसीडी है यह बताने की कृपा करें और एण्ट्री क्या है ? यह भी बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इस ऋण के अलावा 6 हजार अनुदान में राशि स्वीकृत की गयी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह राज पुरोहित ।

श्री सुरेन्द्र गोयल : इन्ट्रेस्ट तो बताया ही नहीं मंत्री महोदय ने ।

श्री गुलाब सिंह राज पुरोहित (सुमेरपुर) : ... इकाइयां बन्द बताई, इनके बन्द होने के क्या कारण हैं ? इन्हें कब तक शुरू करवा दिये जाने का विचार रखते हैं ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, 4 आ चुके हैं । बिराजिये । जिन्होंने किए, मैंने तुरन्त लिख लिये । अब आप सोच-सोचकर करते हो ।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कारण यह है कि किन्हीं मामलों....

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, दीजिए । गुलाब सिंहजी का जवाब दे रहे हैं ।

श्री मोहन मेघवाल : कारण यह है कि किन्हीं मामलों में राशि का सदुपयोग नहीं होने पर अन्य कार्यों में उपयोग लेने के कारण यह पूंजी का अभाव रहता है इसलिए यूनिटें बन्द हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री गुलाब सिंह राज पुरोहित : तो उनकी जांच करवाई गयी ?

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा नहीं पूछ सकते । बैठिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :.... चर्म उत्पादन का यह कारखाना बन्द है । आपने 4 साल में कब-कब इसको वापस चालू करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री): इस प्रश्न का सम्बन्ध खादी बोर्ड से नहीं है लेकिन क्योंकि माननीय सदस्यों ने प्रश्न इसमें किया है इसलिए मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में गत सरकार के समय एक समझौता हो गया था इस कारखाने को बेचने के लिए । मिस्टर कृष्ण कौशल हैं एन.आर.आई से उनसे अनुबन्ध हो गया था और 50 हजार रुपए की सिक्योरिटी भी इस सम्बन्ध में ली गयी थी लेकिन इम्पलिमेंटेशन के अन्दर यह कार्यवाही थी कि श्रमिक क्षेत्र के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गये और काफी विलम्ब हो गया । वह डिस्प्यूट निपटा इसके पहले ही मिस्टर कौशल बैक आउट

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

कर गये और उसके आधार पर उनकी स्वीकृति फोर फिट कर ली लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अब एन.आर. आई. ने इस टेनेरी को लेने के लिए काफी इन्ट्रेस्ट शो किया है। कुछ पर्टिकूलर पार्टी आई भी थी लेकिन किसी पर्टिक्यूलर पार्टी को पुराने हैं उसके आधार पर दे दिया जाय, हमने उचित नहीं समझा। हमने इसके आधार पर टेन्डर्स इनवाइट किये हैं। टेन्डर आये हैं उनका परीक्षण हो रहा है। जैसे ही परीक्षण होगा उस पार्टी को दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हीरालाल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तय किया है कि 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेंगे।

बामनवास क्षेत्र के ग्रामों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन

285. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बामनवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सांचोली, गूंगडोद, बरियारा, चक उदयरामपुरा, रामसिंहपुरा आदि गांवों में कृषि कनेक्शन नहीं दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई): बामनवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम चक उदयरामपुरा एवं रामसिंहपुरा में कृषि हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कृषि कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। शेष ग्राम सांचोली, गूंगडोद एवं बरियारा में कृषि हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं, उनमें नियमानुसार तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने वाले आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

श्री हीरालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि ...

श्री अध्यक्ष : जरा जोर से बोलिये। सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हीरालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र की तहसील बोली में कितने ऐसे गांव हैं जिनको विद्युतीकृत घोषित किया गया है परन्तु कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : बोली का पूछ रहे हैं.... (व्यवधान)... देखिये इस

श्री परसादीलाल मीणा : बोली–बामनवास एक ही विधान सभा क्षेत्र हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए इस सवाल में इन्होंने अपने क्षेत्र के गांव उल्लेख किये हैं। सांचोली, गूंगडोद, बरियारा, उदयरामपुरा, रामसिंहपुरा, इसमें बोली नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : बोली की कैसे नहीं है साहब (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : बोली व बामनवास दोनों मिला हुआ है....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप समझे नहीं मेरी बात। आप बिराजिये। विधान सभा क्षेत्र में ही इन्होंने स्पेसिफिकली 5 गांवों के बारे में पूछा है तो 5 गांवों में बता दिया है। इसमें बोली नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : बोली तहसील का पूछा है गांव का नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पढ़िये। निर्वाचन क्षेत्र के गांव सांचोली, गूंगडोद....

श्री परसादीलाल मीणा : गूंगडोद, बरियारा, बोली तहसील के गांव हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इन गांवों का जवाब दे दिया है। नेक्स्ट। श्री बुलाकीदास कल्ला।....(व्यवधान) ...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इन्हीं गांव से सम्बन्धित पूछा गया है।

श्री मोतीलाल मीणा : यही गांव हैं जिनको विद्युतीकृत घोषित कर रखा है। कहीं नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है इनका नाम है। आप क्यों बोल रहे हैं? बिराजिये आप।

श्री मोतीलाल मीणा : जिले का मामला है आप मना क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : राजस्थान का मामला है यह जिले का ही नहीं है। पूरे राजस्थान का है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि आवेदन पर विद्युतिकरण कर दिया, पर आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जिन गांवों का पहली बार विद्युतिकरण किया जाता है उनमें आवेदन-पत्र लेने की क्या प्रक्रिया है? क्या आपके विभाग ने उस प्रक्रिया को अपनाया....

श्री अध्यक्ष : कृषि कनेक्शन की बात कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : कृषि कनेक्शन की बात है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने आवेदन मांगे ही नहीं। पहली बार जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जाना है उसमें....

श्री अध्यक्ष : आवेदन मांगे जाते हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : आवेदन मांगे जाते हैं इन्होंने आवेदन नहीं मांगे, कागजों में विद्युतिकरण कर दिया।

श्री अध्यक्ष : अब आप जोर से क्यों बोल रहे हैं? बिराजिये आप। जोर से क्यों बोल रहे हैं?

अब आप बताइये, आवेदन मांगे जाते हैं क्या?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन मांगने के लिये

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है, स्वेच्छा से जो आवेदन देते हैं उनके आवेदन लिये जाते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। आवेदन पत्र मांगे जाते हैं, तारीख तय की जाती है उसके बाद एक गांव में सौ आवेदन हों तो उस...

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से जवाब है कि नहीं मांगे जाते।

श्री परसादीलाल मीणा : मांगे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी को ज्ञान ही नहीं है इस बात का।

श्री अध्यक्ष : अब इसका इलाज क्या है?

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं मांगे जाते हैं?

श्री अध्यक्ष : अब मैं खड़ा हूं, आप बैठिये। रामेश्वरजी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री से जानना चाहूंगा, आपने एक गांव के बारे में तो यह कहा कि प्रार्थना पत्र नहीं है और बाकी तीन गांवों के लिए यह कहा कि तकनीकी आधार पर जो फिजीबल हुआ उसको हमने कनेक्शन दिया। मैं यह जानना चाहता हूं, इन तीनों गांवों में विचाराधीन प्रार्थना पत्र किस तारीख से किस तारीख तक के लम्बित हैं? मार्च, 82 तक के कितने लम्बित हैं?

श्री अध्यक्ष : हां, यह सवाल हुआ कुछ। यहीं से निकलता है। बताइये आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सवाल पूछा है और उसका जवाब यह है कि ग्राम सांचौली में सामान्य श्रेणी के दस आवेदन पत्र कृषि कनेक्शन हेतु वर्ष 89 में प्राप्त हुए थे। एक आवेदन पत्र जनवरी, 92 में प्राप्त हुआ है। 1991-92 की घोषित नीति के मुताबिक दो कनेक्शन, जो लोकेलिटीज हैं उनको दिये जाते थे। उन कनेक्शनों हेतु दो आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं और मांग पत्र की राशि एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात् ही उनको कृषि कनेक्शन देने की प्रक्रिया की जायेगी। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, ग्राम वरियारा में चार कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र वर्ष 90 में प्राप्त हुए जिनको मण्डल नियमानुसार आवेदन की राशि एक हजार रुपये जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये लेकिन आवेदकों द्वारा समय पर वांछित राशि नहीं जमा कराने के कारण उनकी पत्रावलियां निरस्त कर दी गयी हैं। वर्तमान में इस ग्राम में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। ग्राम गूंगडोद में 15 कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। एक आवेदक ने स्वयं ने अपनी इच्छा से अपनी पत्रावली निरस्त करवा ली, बाकी 14 में से 12 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये,

(श्री रामनारायण विश्नोई)

गया था लेकिन 11 की मांग पत्र की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी पत्रावलियां निरस्त कर दी गयी हैं, एक आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि तो जमा करा दी गयी लेकिन एक फार्म जमा नहीं कराने के कारण उसे कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। एल फार्म प्राप्त होने के पश्चात् कनेक्शन दिया जाना सम्भव हो सकेगा। शेष दो आवेदकों को दिनांक 14-2-92 को मांग पत्र जारी किया जा चुका है। मांगपत्र की राशि एवं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही उनको कनेक्शन दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 286 श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री हीरालाल इन्दौरा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

नेक्स्ट श्री हरिसिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 फरवरी, 1992)

तहसील महुआ के ग्रामों का विद्युतिकरण

61. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1990-91 तक महुआ तहसील के समस्त गांवों के विद्युतिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को विद्युतिकृत किया जा चुका है, कितने गांव शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील महुआ के ऐसे कितने गांव हैं जिनको विद्युतिकृत घोषित कर दिया गया है परन्तु वास्तविक रूप में वहां बिजली नहीं पहुंचायी गयी है? ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील महुआ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पीने के पानी के स्रोतों पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिये कितना पैसा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति में जमा कराया गया है?

(4) किस-किस पेयजल योजना पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिये कितनी-कितनी राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जमा करायी गयी है? क्या सभी पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई) : (1) महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1991 तक महुआ तहसील के समस्त गांवों का विद्युतिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 121 गांवों को विद्युतकृित किया जा चुका है। 31 गांव शेष हैं। जिनकी सूची संलग्न है। परिशिष्ट "अ"।

(2) महुआ तहसील के 13 गांव ऐसे हैं जिनको विद्युतिकृत घोषित कर दिया है। वास्तविक रूप से वहां बिजली नहीं पहुंच पायी है। ऐसे गांवों की सूची संलग्न

(श्री रामनारायण विश्नोई)

है। परिशिष्ट "ब"

(3) तहसील महुआ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पानी के स्रोतों पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए राशि 8,50,127 रुपया जमा कराया गया है।

(4) पेयजल योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जमा करायी गयी राशि की सूची संलग्न है। उनमें से पांच पेयजल योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। परिशिष्ट "स"।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि जो ग्रामीण विद्युत सेवा सहकारी समिति महुआ ने 1990-91 तक समस्त गांवों को विद्युतिकृत करने का अपना लक्ष्य घोषित किया उस लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? साथ ही ऐसे गांव जिनको विद्युतिकृत घोषित कर दिया गया है। आपने 13 बतायें हैं, मंत्री महोदय, आपकी सूचनार्थ यह 20 गांव हैं जहां पर खम्भे भी खड़े नहीं किये, बिजली के तार भी खींचे नहीं और गांव को विद्युतिकृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे गांवों को कब तक विद्युतिकृत, वास्तव में बिजली पहुंचा दी जायेगी? साथ ही मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि पेयजल की विकट समस्या है, पी. एच. ई. डी. विभाग ने 8,50,127 रुपये आपके यहां जमा करा दिये हैं उस जमा कराने का मतलब यह है कि आपका जो डिमाण्ड नोटिस निकलता है पी. एच. ई. डी. पर उसमें आप अपने खम्भे, कण्डक्टर, इन्सुलेटर वगैरह सबका चार्जेज, ट्रांसफार्मर तक का चार्ज ले लेते हैं फिर आपने जवाब दिया है कि वहां पर सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां कनेक्शन नहीं दिये गये हैं तो सामान के पैसे, मंत्री महोदय, आपके विभाग द्वारा ले लिये गये हैं फिर सामान अनुपलब्धता की बात क्यों आयी? और मैं यह पूछना चाहता हूं, गर्मी में जो विकट संकट पैदा होने वाला है पेयजल का उसकी आपूर्ति के लिये क्या अतिशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि आपकी सोसायटी का दिवाला निकल चुका है, आप बोर्ड से सामान उधार लाकर कब तक इन पी. एच. ई. डी. के जो पानी के स्रोत हैं उनको विद्युतिकृत करके उस संकट का निवारण करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा है कि महुआ विद्युत ग्रामीण सहकारी समिति वास्तव में बहुत ही घाटे की स्थिति में चल रही है। जैसा कि पिछली विधान सभा के टाइम में घोषणा की गयी थी इस सहकारी समिति का लाइसेंस, जो कि विद्युत विभाग द्वारा दिया गया था, को

(श्री रामनारायण विश्नोई)

केन्सिल करने की कार्यवाही चालू है और हम भविष्य में बहुत जल्दी ही इसका लाइसेंस केन्सिल करने जा रहे हैं। यह बात सही है कि जलदाय विभाग ने 17 योजनाओं के लिये 8,50,127 रुपये जमा करवाये थे उनमें से 12 जलदाय विभाग के ट्यूब वैल पर बिजली विभाग की तरफ से कनेक्शन दिया जा चुका है, केवल 5 स्थान रहे हैं जहां सामान की कमी की वजह से कनेक्शन नहीं दिया गया हैं जो बहुत जल्दी ही दिये जाने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल। वह दूसरा पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल रह गया, वह पूछ रहे हैं।

श्री हरिसिंह : मेरा अनुरोध, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह है कि पिछली विधान सभा सत्र में भी आपने यह तीन विद्युत सहकारी समितियों, टोडाभीम, महुआ एवं कोटपूतली को समाप्त कर इनकी स्कीम आर. एस. ई. बी. को देने की घोषणा की थी, साल भर हो गया और साल भर से आज तक पेयजल योजनाओं को विद्युत कनेक्शन नहीं मिला, गांवों को फर्जी विद्युतिकरण हो गया। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, मंत्रीजी स्पेसिफिक टाइम बता दें जब तक इन पेयजल योजनाओं को तो कम से कम कनेक्शन दे दिया जायेगा और ऐसे गांव जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है उनको कितने टाइम पीरियड में आप वास्तव में बिजली पहुंचा देंगे। पेयजल का संकट आप खुद महसूस कर रहे हैं राजस्थान में कितना है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ठीक है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, जहां तक पेयजल योजनाओं को विद्युत कनेक्शन देने का प्रश्न है, यह मानवीय प्रश्न है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रेल के अन्दर-अन्दर इन तमाम योजनाओं को कनेक्शन दे दिया जायेगा। जहां तक कुछ गांव जो विद्युतिकृत करने से बचे हुए हैं उन गांवों को भी जल्दी ही सामान उपलब्ध होने पर कृषि कनेक्शन दे दिये जायेंगे। प्रश्न एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि पिछली दफा यह घोषणा की गयी थी। यह बात बिल्कुल सही है पर माननीय सदस्य यह जानते हैं कि किसी सोसायटी रजिस्टर्ड को लाइसेंस देने के बाद उस लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसके लिए हमने एक कमेटी नियुक्त करके चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की तरफ से नोटिस दे दिया है और उनको यह कहा गया है कि आप अपने काम को सुधारें वरना आपका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर दिया जाय। मुझे उम्मीद है, हम एक महीने के अन्दर इसका भी निर्णय ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री कालीचरण।....(व्यवधान) अब हो गया आपका। अब हो गया आपका। अब नहीं। मैं परम्परा नहीं तोड़ूंगा। फिर सबको करना पड़ेगा। माफ करिये, नो प्लीज। मैं परम्परा नहीं तोड़ूंगा। फिर सबको मौका देना पड़ेगा। आप बोलिये। प्लीज, आप मेरे से सहयोग करिये। नहीं-नहीं, सहयोग करिये। यह नहीं करूंगा। आपने

(श्री अध्यक्ष)

जो परम्परा स्वीकार की उसको चालू रखिये। आपके हित में है, दस सवाल आ जायं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से जानना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : आप लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसकी कि दस सवाल आ रहे हैं। अच्छा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्वीकार नहीं की, आपने स्वीकार हमसे करवा ली।

श्री अध्यक्ष : करवा ली, अच्छा चलिये, करवा ली और आपने करली।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने स्वीकार नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : प्रद्युम्न सिंहजी, आप बहुत सीधे-सादे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने स्वीकार नहीं की है, न हम करेंगे इसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करा लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आयेगा तो हम निश्चित रूप से इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, उस पर करिये आप। वह मैंने छूट दे रखी है पहले से ही। हो गया इनके जो चाहते थे मिल गया, टाइम दे दिया। आप पूछिये। (व्यवधान) आप ही परसादीलालजी सारा ठेका मत लीजिए वह भी बहुत होशियार हैं, वह कर लेंगे। उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपने यह कहा कि 13 गांवों को हम विद्युतिकृत नहीं कर पाये। राज्य सरकार की नीति के अनुसार जहां पर एक भी कनेक्शन नहीं हुआ तो चालू वित्तीय वर्ष में दो कनेक्शन एक गांव के हो जाने चाहिए थे तो 26 कनेक्शन इन गांवों को नहीं दिये तो क्या 31 मार्च से पहले इन 13 गांवों में 26 कनेक्शन देने की राज्य सरकार घोषणा करेगी। नम्बर एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : बस नम्बर एक ही। बस एक ही सप्लीमेंट्री होगी। माननीय मंत्री जी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को प्रश्न तो पूरा करने दीजिए। राज्य सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सहकारी समितियों को जो विद्युत दी जाती है वह 14 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है और आम किसान को 37 पैसे दी जाती है। इतने घाटे का सौदा होते हुए भी आप इन सहकारी समितियों को तुरन्त प्रभाव से विद्युत मण्डल में क्यों नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो कह चुके हैं। उनको लेने की कार्यवाही कर रहे हैं। आपने सुना नहीं। मंत्री जी।

(20).

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि 13 गांवों को जो विद्युतिकृत घोषित किया था। उनमें से क्यों नहीं प्रत्येक गांव को दो कनेक्शन दिये गये। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन 13 गांवों के अन्दर जो भी काश्तकार पहले और दूसरे नम्बर पर एप्लाई करेंगे उनको कनेक्शन देने की व्यवस्था कर दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एप्लाई है। यह मिस गाइड किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कन्हैया लाल मीणा और, पूछ रहे हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आलरेडी पैसे जमा हैं तो पहले दूसरे नम्बर वाले को कनेक्शन क्यों नहीं देते हैं। यह टालने की बात कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अभी लाइन नहीं खींची। एप्लाई क्या करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट कन्हैयालाल जी और पूछ लेते हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन गांवों को 10 वर्ष पहले विद्युतिकृत किया जा चुका है और उनकी विद्युतीकृत लाइनें जिन गांवों के रेवेन्यु क्षेत्र में से गयी हैं तथा उन गांवों को विद्युतकृित नहीं किया और जिनमें तुरन्त योजना के तहत 100 से ज्यादा काश्तकारों ने कृषि कनेक्शन के लिए फार्म भर दिये हैं तो क्या उनको विद्युतिकृत करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछ लें। (व्यवधान)

इस सवाल ने 15 मिनिट ले लिये हैं। यह छठा सवाल है। चार सवाल और नहीं आ पायेंगे।

I will allow all of you. I am not going to take any further question.

आप पूछते जाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि जब इन विद्युतिकृत.... (व्यवधान) नाराज नहीं हुए मेरा नाम तो पुकार दिया था। क्यों अध्यक्ष महोदय, आप नाराज हैं क्या ? नाराज हैं तो मैं नहीं पूछूंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप से कौन नाराज होगा ?

श्री अध्यक्ष : जब तय हो गया है कि हम को 10 सवाल लेने हैं और मैं छठा सवाल ले रहा हूं तो आप 15 मिनट एक सवाल को ले चुके हैं। जिसका एक लोकेलाइज सवाल था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, टाइम दे दिया कि मार्च में विद्युत कनेक्शन मार्च में दे रहे हैं। पी.एच.ई.डी के कनेक्शन टाइम दे दिया कि अप्रेल में हो

(श्री अध्यक्ष)

जायेंगे। 13 कनेक्शन दे रहे हैं। उसके बावजूद आगे प्रश्न पूछ रहे हैं।

You are continuing with the questions.

जो प्रश्न पूछने वाले के तीन मेन सवाल थे तीनों का जवाब सन्तोषप्रद आ चुका है फिर भी आप पूछे जा रहे हैं तो पूछिए। मुझे क्या आपत्ति है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने मेरा नाम पुकारा था, इसलिए कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : उनकी तीन क्वेरीज थी उसमें उन्होंने अपने–आपको बाउण्ड कर लिया टाइम दे दिया। इतने समय तक हो जायेगा। उसके बावजूद पूछा जा रहा है। पूछिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर। प्रश्न संख्या 287.

सिलेगढ़ (डग) का होम्योपैथिक चिकित्सालय

287. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र की सिलेगढ़ पंचायत में होम्योपैथिक खोलने के आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या अभी तक वहां कोई स्टाफ नहीं पहुंचा और अस्पताल प्रारम्भ नहीं हुआ ?

(2) क्या सरकार ग्रामीण जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तुरन्त प्रभाव से स्टाफ भेजकर अस्पताल प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) :

(1) जी हां। स्टाफ का पदस्थापन अभी नहीं किया जा सकता था इसी कारण औषधालय आरम्भ नहीं हो सका है।

(2) जी हां। चिकित्सक का पद जून तक भर दिया जायेगा। कम्पाउण्डर का पद दिनांक 3.3.92 को नवीन नियुक्ति से भर दिया गया है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जो औषधालय के आदेश हुए उसमें क्या डग विधान सभा क्षेत्र में वह आरम्भ हो चुका है। यदि हुआ तो किस तारीख से मुझे आपने बताया कि जो कम्पाउण्डर्स की नियुक्ति की है वह पहुंच चुका है तो क्या वह कार्य करने लग गया ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, औषधालय दिनांक 17-8-91 को स्वीकृत और कम्पाउण्डर श्री सुरेश चन्द शर्मा की नियुक्ति 3.3.92 को की जा चुकी है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : क्या औषधालय आरम्भ हो चुका है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है और अभी तक न तो कर्मचारी पहुंचा है न औषधालय आरम्भ हुआ है इसलिए मैं चाहता हूं कि यह कौन सी तारीख को वहां शुरु होगा यह बताया जाय।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया 3-3-92 को कम्पाउण्डर की नियुक्ति की गयी है और चिकित्सक का पद जून तक भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मतलब की बात यह है औषधालय अभी तक चालू नहीं हुआ है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं चाहता हूं कि यह कब तक आरम्भ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जून तक सारा स्टाफ आने पर।

श्रीमती विद्या पाठक : जून तक सारा स्टाफ भरकर चालू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

स्टेशन रोड़ (जैसलमेर) की सड़क पर व्यय

288. **डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे रेल्वे स्टेशन रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग अब तीसरी बार सड़क के लेबल को ऊंचा कर रहा है ताकि गन्दा पानी एकत्रित होने की दिक्कत को मिटा सकें ?

(2) उपरोक्त कार्य को तीसरी बार क्यों करवाया जा रहा है ?

(3) उपरोक्त कार्य में अब तक कितना खर्चा किया गया है और भविष्य में और कितना खर्चा किया जाना है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य में न तो कंकरीट डाली गयी और न ही पत्थर वरन् केवल रेत भरकर सड़क ऊंची उठायी जा रही है ? इसके लिए दोषी कौन है ? क्या सरकार दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां, । परन्तु कार्य तीन बार नहीं केवल एक बार ही करवाया गया है।

(2) सड़क को ऊंचा करने का कार्य तीन बार नहीं केवल एक बार ही करवाया गया है।

(3) उपरोक्त कार्य पर जनवरी, 1992 तक रुपये 1,86,717/- व्यय किये जा चुके हैं तथा रुपये 75,000/- का डामर की कीमत का समायोजन एवं अन्तिम भुगतान करना शेष है।

(4) जी नहीं। सड़क कार्य को ऊंचा उठाने के लिए क्वारी रबिश, रोड़ी, पत्थर आदि कार्य में प्रयोग कर ऊंचा उठाया गया है अतः दोषी कोई नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मान्यवर, मन्त्री महोदय के कथन से सहमत नहीं हूं और इस संदर्भ में निम्न जानकारी चाहता हूं —

इस सड़क का सर्व प्रथम निर्माण कब किया गया तथा आज तक इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी। इसके उपरान्त अब जो सड़क पर कार्य करवाया गया है, उसकी स्वीकृति किस दिन हुई, किस दिन

(डा. जितेन्द्र सिंह)

कार्य आरम्भ हुआ तथा किस तिथि को कार्य समाप्त हुआ। ठेकेदार को क्या स्टीपुलेटेड टाइम दिया था। उसने निश्चित समयावधि में कार्य समाप्त किया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वालिटी कण्ट्रोल सैल ने इस सड़क की जांच करवायी या उन्होंने इसका निरीक्षण किया तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार और अनुकूल इस सड़क को पाया गया। इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि कितनी लम्बाई में सड़क पर काम हुआ और उसको कितना ऊंचा उठाया गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 10.9.90 को शुरू कर दिनांक 9.11.90 को पूर्ण कर लेना चाहिये था परन्तु ठेकेदार ने दिनांक 9.11.90 तक कार्य शुरू नहीं किया था। अतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5986 दिनांक 19.11.90 द्वारा प्रोविजनल मियाद 31.12.90 तक बढ़ाया गया और इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6670 दिनांक 20.12.90 के द्वारा सो कॉज नोटिस के अण्डर क्लाज दो दिया और कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7341 दिनांक 15.1.91 के द्वारा एक प्रतिशत क्षतिपूर्ति लगायी गयी और इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7338 दिनांक 15.1.91 के द्वारा प्रोविजनल समयावधि 31.1.91 तक बढ़ायी गयी। ठेकेदार 19.1.91 तक मात्र 1521 रुपये का कार्य किया जिसमें कुछ कम्पनी का भुगतान प्रथम रनिंग बिल के द्वारा किया गया है। कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं होने से कार्यालय पत्रांक 8627 दिनांक 31.3.91 द्वारा सो कॉज नोटिस अण्डर क्लाज दो पुनः दिया व पत्र क्रमांक 8624 दिनांक 21.3.91 के द्वारा समयावधि 30.4.91 के जरिये एवं इसके उपरान्त भी कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं होने से क्रमांक 180 दिनांक 11.4.91 के द्वारा 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति रुपये 15862 लगायी गयी। तत्पश्चात् पत्र क्रमांक 846 व दिनांक 21.5.91 के द्वारा क्लाज तीन के अनुसार शेष कार्य ठेकेदार की रिस्क के ऊपर करवाने के आदेश दिये गये। ठेकेदार ने 5.7.1991 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार बीमार होने से कार्य नहीं कर सका। एक माह में कार्य पूर्ण होने का आश्वासन दिया।

तत्पश्चात् ठेकेदार ने 26.9.1991 तक कुल रुपये 28 हजार 460 का कार्य किया। जिसमें सड़क को ऊंचा उठाने हेतु कंकरीट बिछाई और कुछ मात्रा में कंकरीट इकट्ठी की। इसका भुगतान सैकण्ड रनिंग बिल द्वारा किया गया। तत्पश्चात् 12.10.1991 तक 43 हजार 332 रुपये का कार्य किया गया जिसको उपरोक्त कार्य की कंकरीट की आपूर्ति जिसका भुगतान थर्ड रनिंग बिल द्वारा किया गया। दिनांक 30.10.91 को ठेकेदार ने 77 हजार 628 रुपये का कार्य किया। जिसमें उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त कंकरीट कुटाई का कार्य पूर्ण किया जिसका भुगतान फोर्थ रनिंग बिल द्वारा किया गया। दिनांक 23.11.91 तक कुल कार्य 1 लाख 41 हजार 540 रु. का पूर्ण किया जिसमें उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त 312 मिलियन मीटर में 11 मीटर चौड़ाई में 30 एम.एम.पी.ए.सी. डामरी-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :

करण किया गया, मैटल सड़क पर डामरीकरण किया गया। इसका भुगतान 5वें रनिंग बिल द्वारा किया गया। कार्य का पूर्ण नाप करना शेष है। शेष भुगतान बाकी है। इसलिये अण्डर टू क्लोज करने के पश्चात् भी काम पूरा हो गया है। मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका जो क्वालिटी कन्ट्रोल है उससे जजमेण्ट किया गया किन्तु सिच्युएशन यह आ गयी कि पानी भरता था उस गर्ल्स स्कूल के सामने....

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, यह कुछ कथा सुनना नहीं चाहते। उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है। यह सड़क पहली बार कब बनी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कह दिया ना मैंने।

श्री अध्यक्ष : पहली बार आपकी सड़क बनी। इसकी मरम्मत आपने कितनी बार करायी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मरम्मत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने सवाल पूछा। अब इससे कोई मतलब नहीं निकलता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वही तो बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तीन बातें पूछी हैं कि कितना काम हुआ, कितनी रोड़ी लगी। देखिये, एक तरफ तो आप उसको नोटिस दे रहे हैं और एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि दोषी नहीं हैं, दूसरी तरफ आप इसमें रबिश क्वारी, यह बताइयें आपके एग्रीमेण्ट में गिटी कितनी नहीं थी रबिश क्वारी थी अगर एग्रीमेण्ट में कितनी गिटी थी और रबिश क्वारी थी? यह सवाल था उनका जवाब दीजिए। आपके डिपार्टमेण्ट ने किया, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एग्रीमेण्ट के अनुसार पूरी कंकरीट रबिश लगायी है, नम्बर, एक। क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा इसकी जांच करायी है, नम्बर-दो। डिफिकल्टी यह आ रही है शायद सवाल के पीछे क्यों कि अभी बाजू में नाली खोदने का काम और किया गया नगर पालिका के द्वारा इसलिए मिट्टी उस पर आयी है उस मिट्टी को हटाने के कारण ऐसा लगता है कि काम पूरा नहीं हुआ, जो पूरा किया जायेगा। इसके बाद अगर माननीय सदस्य इसमें किसी प्रकार की कमी बतायेंगे तो निश्चित रूप से जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा यह मेरा कहना है।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह सड़क सर्वप्रथम कब निर्मित हुई और जिस दिन से निर्माण हुआ अब तक उस पर व्यय क्यों नहीं हुआ क्योंकि मेरे प्रश्न के उत्तर में प्रत्युत्तर यह आया है कि तीसरी बार कार्य नहीं हुआ है पहली बार हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसलमेर में सड़क का पहली बार निर्माण भूतपूर्व

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महाराजा दरबार सिंहजी के समय हुआ था।

डा. जितेन्द्र सिंह : यह गलत है। सन् 1957 में सबसे पहले निर्माण हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

जोधपुर की सड़कों की मरम्मत पर व्यय

289. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में पिछले दो वर्षों में कौन-कौन सी सड़कों पर पीवर अथवा पूर्ण कारपेन्टिंग का कार्य किया गया? प्रत्येक सड़क पर व्यय की गई राशि अंकित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर की विभिन्न सड़कों की मरम्मत व पीवर कारपेन्टिंग आदि का कार्य किस-किस विभाग द्वारा कराया जाता है?

(3) जोधपुर शहर, नगर परिषद् की सीमा में कुल कितने वार्ड शहर के भीतरी भागों में व कितने वार्ड परकोटे के बाहर है? भीतरी भागों में पिछले दो वर्षों में कितनी राशि सड़क मरम्मत, रख-रखाव पर व्यय की गई? नगर परिषद् व नगर सुधार न्यास द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि अलग-अलग विभाग की दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में पिछले दो वर्षों में जिन सड़कों पर पीवर अथवा पूर्ण कारपेटिंग कार्य किया गया है, उनकी सूची मय व्यय राशि के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जोधपुर शहर की विभिन्न सड़कों की मरम्मत व पीवर कारपेटिंग आदि कार्य नगरपरिषद, जोधपुर, नगर सुधार न्यास जोधपुर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से करवाया जाता है।

(3) जोधपुर शहर में 50 वार्ड हैं, इनमें से शहर के भीतरी भाग में 13 व बाहरी भाग में 37 वार्ड है। भीतरी भाग में सड़क मरम्मत एवं रख-रखाव पर नगरपरिषद् द्वारा निम्नानुसार राशि व्यय की गई :—

वर्ष 1989-90 — 18,21,775.00

वर्ष 1990-91 — 15 लाख 34 हजार नगर सुधार न्यास द्वारा बाहरी भाग में सड़कों की मरम्मत व रख-रखाव किया जाता है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, उसके अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दो सड़कें की हैं वह है त्रिपोलिया बाजार व कबूतरों का चौक।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय मंत्री महोदय नगर परिषद् का हवाला दे रहे हैं कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़कें बनायी हैं । मैं नगर परिषद् के बारे में पूछना चाहती हूं कि नगर परिषद् में कितना खर्च हुआ वह माननीय मंत्री महोदय बतायें ? दूसरा, सवाल मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : दूसरा बाद में पूछ लेना । पहले इसका जवाब सुन लीजिये । वह केवल नगर परिषद् का ही पूछ रही है ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सारी सूची अंग्रेजी में दी गयी है । राज भाषा हिन्दी में काम होता है । यह अंग्रेजी में इतनी लम्बी सूची दे दी गयी, इसको कैसे पढ़ें माननीय सदस्य ।

श्री अध्यक्ष : यह बात सही है । माननीय मंत्रीजी कृपया यह ध्यान रखें, हिन्दी में ही दीजिये । यह सही बात है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपत्ति की बात है । माननीय सदस्या ने जो आपत्ति की है वह समझती है कि वही अंग्रेजी जानती हैं, सूर्यकान्ताजी नहीं जानती ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है उस आधार पर मैंने निवेदन किया है कि यह कार्य नगर परिषद् द्वारा किया गया है जिसकी राशि 18 लाख 21 हजार 775 रुपये है और 1990-91 में 15 लाख 34 हजार है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि इसमें अलग-अलग इनके पास नहीं है ।.... (व्यवधान) ...

श्री भंवरलाल शर्मा : पी. डब्ल्यू. डी. ने किया तो क्या आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट । मैं एक बात और पूछना चाहूंगी । क्या राज्य सरकार द्वारा सड़क व नाली निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा दो करोड़ रुपये स्वायत्त शासन विभाग को दिये गये थे उसमें से जोधपुर शहर के अन्दर कितना पैसा खर्च हुआ ? माननीय मंत्री महोदय जरा बता दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सारा पैसा खर्च हुआ है ।

श्रीमती सूर्यकान्त व्यास : अध्यक्ष महोदय, तब तो हमें कोई शिकायत ही नहीं रहती । आज जोधपुर शहर के अन्दर....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी अगर ऐसी जानकारी है, यह पैसा जहां खर्च होना था वहां नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिये । मेरी जानकारी के अनुसार वहीं खर्च हुआ है ।

श्री अध्यक्ष - नैक्स्ट ।

जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित महिला व बाल विकास योजनायें

290. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1989-90 व 1990-91 में चित्तौड़गढ़ जिले में महिला व बाल विकास की कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की गई ?

(2) पिछले दो वर्षों में विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया ?

(3) चित्तौड़गढ़ जिले के किन-किन केन्द्रों पर घटिया गुड़, दूध व अन्य सामग्री खरीद की शिकायतें लम्बित हैं ? इन शिकायतों पर की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

अकाल राहत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, (1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में दो परियोजनाएं प्रारम्भ की गई है :—(1) चित्तौड़गढ़, (2) राशिम

(2) दो वर्षों में किये गये मदवार व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया हैं।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में राशिम परियोजना में गुड़ सप्लाई किये जाने की शिकायत निदेशालय को प्राप्त हुई थी। निदेशालय द्वारा गठित समिति ने सप्लाई किये गये गुड़ के नमूने की जांच की थी। सप्लाई किया गया गुड़ नमूने से हल्का पाया जाने पर समिति ने फर्म के भुगतान में से 30 प्रतिशत राशि काट ली है। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नमूने से हल्का गुड़ स्वीकार किये जाने पर उसके विरुद्ध भी कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के खिलाफ कौन सी तारीख को जांच हुई और किस स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं ? साथ ही जांच की कोई तारीख आपने निश्चित की है ? यदि हां तो यह बताइयें। साथ ही मैं यह जानना चाहूंगा, क्या राजस्थान में सभी पंचायत समितियों में यह परियोजना लागू है ? यदि नहीं है तो किन-किन पंचायत समितियों में यह परियोजना लागू नहीं है तथा कब तक करने का विचार है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में किस-किस पंचायत समिति में यह परियोजना लागू है, यह जानकारी देने में मैं अभी असमर्थ रहूंगा क्योंकि यह एकत्रित नहीं की गई है, इस सवाल की परिधि में वह नहीं आती। जहां तक परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का सवाल है, वह सारा प्रकरण और पत्रावली विचाराधीन है और चूंकि एक दंड तो दिया जा चुका है जो सप्लायर था, उस सप्लायर को 30 प्रतिशत कम के हिसाब से चुकाया

(श्री कैलाश मेघवाल)

गया है; जो एक व्यवस्था है नियमों में और जो परियोजना अधिकारी ने गलती की है, सारे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभी जांच अधिकारी के आदेश नहीं दिये गये हैं। जांच प्रकरण की सारी कार्यवाही....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कार्यवाही कौन करेगा साहब ?

श्री कैलाश मेघवाल : जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा ना। अभी तो नहीं किया गया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : काफी टाइम हो गया।

श्री कैलाश मेघवाल : हां यही तो मैं कह रहा हूं, काफी टाइम नहीं हुआ है, बहुत है तो जांच के अंतिम आदेश देने के साथ ही जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तरांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बस स्टैण्ड, बीकानेर

286. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर बस स्टैण्ड का निर्माण अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? कौन-कौन से निर्माण कार्य अभी तक होने बाकी है ? अनावश्यक विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(2) क्या यह सही है कि नये बस स्टैण्ड को प्रारम्भ करने से पूर्व बीकानेर की जनता एवम् जन प्रतिनिधियों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के तत्कालीन अध्यक्ष एवम् अन्य अधिकारियों ने जूनागढ़ के पास स्थित पुराने बस स्टैण्ड पर यात्रियों के उतरने चढ़ने की सुविधाएं बरकरार रखने का वायदा किया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) बीकानेर शहर के अन्य किन-किन स्थानों पर यात्रियों को बसों में उतरने व चढ़ने हेतु बस उप स्टैण्ड कहां-कहां बनायें जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) जी नहीं।

(3) बीकानेर से निम्न मार्गों पर से जाने/आने वाले वाहनों हेतु प्रत्येक के

(यातायात मंत्री)

सामने अंकित स्थानों पर उप स्टैण्ड घोषित किये हुये हैं :—

क्र. सं.	मार्ग	उप स्टैण्ड का स्थान
1.	बीकानेर से जयपुर व देहली साईड	व्यास कॉलोनी व सर्किट हाउस के पास
2.	बीकानेर से जोधपुर, अजमेर व नोखा साइड	गोगामेट व मीना-सर बस स्टेण्ड
3.	बीकानेर से अनूपगढ़ जैसलमेर-फलोदि, कोलायत रावलां व खाजूवाला साईड	जस्सूसर गेट
4.	बीकानेर से गंगानगर हनुमानगढ़ साईड	आर. सी. पी. कॉलोनी बीकानेर ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका बांदीकुई की रिक्त भूमि

414. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नगरपालिका बांदीकुई के पास वर्तमान में स्वयं के स्वामित्व की कितनी रिक्त भूमि है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) नगर पालिका बांदीकुई के विभिन्न अदालतों में कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नगरपालिका, बांदीकुई के पास वर्तमान में स्वयं के स्वामित्व की भूमि रिक्त नहीं है ।

(2) विभिन्न अदालतों में 49 मुकदमें विचाराधीन हैं । विवरण सदन की मेज पर रख दिया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें ।)

नगरपालिका/नगर परिषदों में गबन व अनियमितता की जांच

415. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नगरपालिका/नगर परिषदों में वर्ष 1980 से 1985 तक किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध गबन व अनियमितता के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही हुई है तथा उनके परिणाम क्या निकले ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच परिणाम के पश्चात दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । यदि हां तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जोधपुर नगर परिषद में शराब तथा डरबी टेक्सटाइल्स की चुंगी सम्बन्धी चोरी का मामला पकड़ में आया है ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्य-

(श्री राजेन्द्र गहलोत) -

वाही की गई ? क्या यह भी सही है कि उक्त चुंगी सम्बन्धी आय से सरकार को राजस्व की हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की ?

उत्तर

(1) नगरपालिका/नगर परिषद में वर्ष 1980 से 1985 तक जिन-जिन अधिकारियों के विरुद्ध गबन व अनियमितता के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही हुई है उसकी सूची मय जांच परिणाम के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जांच परिणाम के पश्चात् अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विवरण प्रश्न के भाग एक में अंकित सूची में सम्मिलित है।

(3) जी हां, नगर परिषद, जोधपुर द्वारा 27-11-91 को 600 बोतल बीयर बगैर चुंगी दिये जाने का मामला पकड़ा गया। इसमें चुंगी राशि एवं दस गुणा समझौता शुल्क वसूल किया गया। अन्य प्रकरण डरबी टेक्सटाईल्स द्वारा आयतित मशीनरी का पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस थाना में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इससे नगर परिषद जोधपुर को 1,33,351.20 पैसे की राजस्व हानि अनुमानित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिकाओं को भंग करने हेतु कमेटी का गठन

416. **श्री लक्ष्मी लाल** (आसीन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान की कुछ नगर पालिकाओं को भंग करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर पालिकाओं को भंग करने के सुझाव देने हेतु सरकार ने किसी कमेटी का गठन किया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

सोजत सिटी में गाड़िया लुहारों को भूमि का आवंटन

417. **श्री लक्ष्मी नारायण दवे** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1956 में गाड़िया लुहारों को बसाने हेतु सोजत सिटी के पुराने खसरा नम्बर 387 रकबा 341/1 की भूमि का आवंटन किया था ? यदि हां, तो उक्त आवंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि के खसरा नम्बर सैटलमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही से गलत इन्द्राज किये जाने से गाडिया लुहारों को जमीन

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

नहीं मिली ? यदि हां, तो क्या सरकार रिकार्ड में आवश्यक संशोधन कराकर गाड़िया लुहारों को जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(3) राज्य सरकार गाड़िया लुहारों हेतु क्या विकास की योजना लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। गाडिया लुहारों को बसाने हेतु भूमि सुरक्षित रखने सम्बन्धी राजकीय स्वीकृति दिनांक 22-8-56 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि सेटलमेंट के समय भूमि वर्गीकरण में स्थल की स्थिति के अनुसार अंकन किया गया है। 38 गाड़िया लुहारों को अब तक निःशुल्क पट्टे दिये जा चुके हैं। इसलिये यह कहना कि गाड़िया लुहारों को भूमि नहीं मिली, सही नहीं है। गाड़िया लुहारों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नगर पालिका द्वारा नियमानुसार आवंटन किया जावेगा।

(3) ऐसी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जामरोली आगरा रोड, जयपुर पर बूचड़खाने का निर्माण

418. **श्री गुलाम मुस्तफा खान** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 7, 8 वर्ष पूर्व जयपुर के आगरा रोड जामरोली नामक स्थान पर बूचड़खाना बनाना शुरू किया गया था तथा 17-18 लाख रुपये नगर परिषद् द्वारा खर्च किये गये थे ? यदि हां, उस स्थान पर बूचड़खाना क्यों नहीं बनाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पवित्र गलता जी से आधा किलोमीटर दूर नगर परिषद् जयपुर ने प्रस्तावित बूचड़खाना बनाना रद्द कर दिया है ? नगर परिषद् के इस पर अब तक कितने रुपये खर्च हुए ? अब यह बूचड़खाना कहां पर बनाया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में नगरपरिषद् ने आगरा रोड पर जामरोली नामक स्थान पर बूचड़खाना बनाने पर 1.65 लाख रुपये व्यय किये हैं। प्रस्तावित बूचड़खाना न्यायालय के हस्तक्षेप एवं कुष्ठ रोग चिकित्सालय के निकट होने के कारण बन्द हैं।

(2) जी हां। नगरपरिषद् ने गलता जी के समीपस्थ मंडी खटीकान में बूचड़खाना के निर्माण पर 2,96,850/ रुपये व्यय किये हैं। अब यह बूचड़खाना जयपुर विकास प्राधिकरण/जिलाधीश, जयपुर से उपयुक्त एवं अविवादित भूमि ली जा कर भारत सरकार से योजना को स्वीकृत करा बनाया जाना सम्भव हो सकेगा।

बनीपार्क क्षेत्र की कच्ची बस्तियों का नियमन

419. **श्री राजपाल सिंह शेखावत** (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं

(श्री राजेंपाल सिंह शेखावत)

आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बनीपार्क क्षेत्र की कच्ची बस्तियों के नियमन की राज्य सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 8 (78) नविआ/4/79 दिनांक 21 जनवरी, 1982 के अनुसरण में कच्ची बस्ती के सर्वेधारी निवासियों को जिनमें विवाद नहीं था, नियमन कर दिया है। चूंकि 1981 के बाद कच्ची बस्तियों का सर्वे नहीं किया गया है। नवीन सर्वे के उपरान्त ही शेष बस्तियों के नियमन की कार्यवाही की जावेगी।

असत्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पर परिवाद की प्रस्तुति

420. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/10 के खातेदार घोषित होने हेतु श्री नरपतसिंह इत्यादि का मामला उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9/3/1973 में उक्त भूमि को कृषि भूमि मान कर राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री नरपतसिंह इत्यादि ने उपरोक्त खसरा संख्या 513/10 के मालिकाना हक का मुन्सिफ जोधपुर सिटी के न्यायालय में वर्ष 1973 में न्यास के विरुद्ध एक अन्य वाद प्रस्तुत किया जो आज तक चल रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त श्री नरपतसिंह इत्यादि ने मार्च 1977 में उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यास से राजीनामा करने हेतु एक स्पेशल पावर आफ एटोर्नी निष्पादित की उसमें इस खसरे की भूमि को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि दर्शाया परन्तु इसी राजीनामे के अन्तर्गत 45 एक्सचेन्ज डीड न्यास अध्यक्ष के साथ जुलाई, 1983 में निष्पादित किये उनमें इस खसरा संख्या 513/10 की भूमि को अपनी आबादी की भूमि घोषित की और तत्पश्चात सिविल रिट संख्या 519/86 में, जिसमें न्यास भी एक रेस्पोन्डेन्ट है, श्री नरपतसिंह ने उक्त खसरे की भूमि को कृषि भूमि बताया।

(4) यदि हां, तो उपरोक्त विभिन्न न्यायालयों में असत्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपराध में श्री नरपतसिंह इत्यादि के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 192 के अन्तर्गत परिवाद कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त श्री नरपतसिंह इत्यादि ने मार्च, 1977 में उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध मे न्यास से

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राजीनामा करने हेतु एक स्पेशल पावर आफ एटार्नी निष्पादित की उसमें इस खसरे की भूमि को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि दर्शायी है। परन्तु इसी राजीनामा के अन्तर्गत 52 एक्सचेन्जेन्स न्यास अध्यक्ष के साथ जुलाई, 1993 में निष्पादित की उसमें खसरा सं. 513/10 की भूमि को आबादी में घोषित की और तत्पश्चात् सिविल रिट याचिका सं. 5–519/86 में जिसमें न्यास रेस्पोडेन्ट है। श्री नरतसिंह की उक्त खसरे की भूमि को कृषि भूमि बताया है।

(4) उपरोक्त विभिन्न न्यायालयों में असत्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपराध में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित न्यायालय ही सक्षम है।

सामान्य पंजीकरण योजना, 1982, जयपुर

421. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सामान्य पंजीकरण योजना, 1982 के अन्तर्गत चौमू (जयपुर) के लिए पंजीकरण किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस आय वर्ग में, कितने-कितने आवेदकों के द्वारा ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मण्डल ने उक्त आवेदकों के लिये कोई प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर आवेदकों को सूचित किया है ? यदि नहीं, तो उन्हें अब कब तक सूचित कर दिया जायेगा ?

(3) क्या उक्त योजना हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि अवाप्त कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब कब तक सरकार भवन निर्माण कर आवंटन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंजीकरण का वर्गवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

उच्च आय वर्ग	6
मध्यम आय वर्ग "ब"	26
मध्यम आय वर्ग "अ"	34
एल. आई. जी.	53
ई. डब्लू. एस.	40
कुल—	159

(2) अधिकांश आवेदकों को सूचित कर दिया गया है। शेष बचे आवेदकों को एक माह की अवधि में सूचित कर दिया जावेगा।

(3) जी हां। अवाप्ति कार्यवाही कर ली गई है, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण अग्रिम कार्यवाही स्थगित है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश पर निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

मालवीयनगर, जयपुर के सैक्टर 9, 10 एवं 13 में पानी की टंकी का निर्माण

422. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी

(श्री कालीचरण सराफ)

बाजार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर, जयपुर के सैक्टर 9, 10 एवं 13 में पानी की टंकी के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त टंकी के लिए आवासन मण्डल द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कुछ राशि जमा कराई हुई है ? यदि हां, तो कितनी राशि कब जमा कराई गई तथा कब तक टंकी के निर्माण का कार्य चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपा गया है।

(2) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मालवीय नगर की कम्पोजिट जल प्रदाय योजना जिसकी अनुमानित लागत 143.93 रुपये थी में अपने हिस्से के रुपये 58.13 लाख रुपयों की अग्रिम राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जमा करवा दी गयी है। टंकी का निर्माण कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ही करवाया जाना है।

जोगियों का मोहल्ला, झोटवाड़ा की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

423. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोगियों का मोहल्ला झोटवाड़ा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है ? क्या अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 30-10-1991 को आदेश दिए गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण के बारे में जयपुर विकास प्राधिकरण को पूर्व में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी क्रम 3 जयपुर नगर द्वारा यथा स्थिति कायम रखने के लिये दिनांक 17-5-91 को आदेश पारित किये थे, जो यथावत प्रभावशील है। अतः अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकती है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण के मापदण्ड

424. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की कुछ बस्तियों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डवलमेंट चार्जेज एवं कन्वर्शन चार्जेज जमा नहीं होने के पश्चात् भी सड़के बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो ऐसी बस्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल)

(2) क्या यह सही है कि खुदा बादी सोनार हाऊसिंग सोसायटी की भूमि में अभी तक सड़कें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार अब शीघ्र ही वहां सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बस्तियों में सेक्टर रोड्स के निर्माण कार्य मास्टर प्लान के अनुसार करवाये गये है। जिनका विकास शुल्क एवं कन्वर्जन चार्जेज से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। सोनार खुदा बाडी की सेक्टर 6 में स्थित विवेक बिहार में विकास कार्य करवाया गया है भविष्य में निर्माण आवश्यकता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर सम्पादित करवाया जावेगा।

गलता जी तथा खोले के हनुमान जी के मध्य मार्ग पर विद्युत व्यवस्था

425. **श्री नारायण लाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में गलता जी तथा खोले के हनुमान जी के मन्दिर धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं तथा दिल्ली बाई पास रोड़ पर इन दोनों स्थानों के मध्य की दूरी 2 अथवा 3 कि. मीटर की है ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों मन्दिरों के मध्य दिल्ली बाई पास रोड़ पर रात्रि में काफी अन्धेरा रहता है जिसके कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

(3) राज्य सरकार इन दोनों धार्मिक स्थलों के मध्य स्थित दिल्ली बाईपास रोड़ पर मरकरी अथवा ट्यूब लाईट्स लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ईदगाह से खोले के हनुमान जी के मन्दिर तक दिल्ली बाईपास रोड पर ट्यूब लाईट नहीं होने से अन्धेरा रहता है। दुर्घटनाओं की जानकारी प्राधिकरण को नहीं है।

(3) गलता गेट से ईदगाह, दिल्ली बाईपास रोड पर प्राधिकरण द्वारा हाल ही में ट्यूब लाईटें लगायी गयी हैं तथा कार्य प्रगति पर है। ईदगाह से खोले के हनुमान जी दिल्ली बाईपास तिराहा तक प्राधिकरण निकट भविष्य में लाईटें लगाने हेतु विचार रखती है।

पीपल्दा तहसील के कस्बों में पेयजल की आपूर्ति

426. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील जिला-कोटा के कस्बे अयाना, लुहावद, तलाब, बिनायका, नीमोल, ठीपरी (चम्बल) ककरावदा तथा बमूलियाकलां खुर्द में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बड़े कस्बे होने की वजह से यहां पर लगे हैण्ड-पम्पों से उक्त समस्या का समाधान नहीं हो पाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यहां पर हैण्डपम्प एण्ड टैंक स्कीम लागू करने हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित हेतु उक्त कस्बों में हैण्डपम्प एण्ड टैंक योजना लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्रामों में निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार संख्या में हैण्ड पम्प कार्य-रत हैं।

(2) वांछित संख्या में स्थापित हैण्ड पम्पों द्वारा मांग पूर्ति हो रही है।

(3) पम्प व टैंक योजनाएं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार क्रिया-न्वित की जानी प्रस्तावित है।

पोलोटैक्निक डिप्लोमाधारी सहायक ड्रीलर की पदोन्नति का मामला

427. **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पोलोटैक्निक डिप्लोमाधारी सहायक ड्रीलर को नियुक्ति तिथि से एक वर्ष पश्चात् नियमित ड्रीलर के पद पर पदोन्नति हेतु उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिकाओं में निर्णय दिए है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त (व्यय–3) विभाग ने उक्त निर्णयों की क्रियान्विति हेतु पत्र संख्या 2141 वित्त (व्यय–3) दिनांक 23-9-1989 द्वारा स्वीकृति दी है ?

(3) क्या उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सदर्भित मामले में याचिकाकर्त्ता यूनियन के सदस्यों को, जो सहायक ड्रीलर के पद पर नियुक्त किए गए हैं व योग्य हैं उन्हें पदोन्नति दिए जाने हेतु, निर्णय के दिनांक से 4 माह की अवधि में, विचार किये जाने सम्बन्धी आदेश दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

ग्राम पंचायत जसोता (दौसा) में पेयजल व्यवस्था

428. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत जसोता जिला-दौसा में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने कार्यरत हैं तथा कितने खराब हालत में हैं ? क्या सरकार खराब हैण्ड-पम्पों को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जसोता में जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाइप लाइन डाल दी गई है ? क्या मेन-लाइन में से गांव में चार टूंटियां लगा रखी हैं जो गांव की जनसंख्या को देखते हुए काफी कम हैं ? क्या सरकार और टूटियां जनहित को ध्यान में रखते हुए लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार गांव में टंकी बनवाकर घरों में कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों ने समय-समय पर विभाग को पेयजल लाइन को तोड़कर सिंचाई करने वाले किसानों की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम जसोता में चार हैण्डपम्प स्थापित हैं जिनमें से तीन कार्यरत तथा एक परित्यक्त है। परित्यक्त हैण्डपम्प के स्थान पर नया हैण्डपम्प धन की उपलब्धता के अनुसार लगाया जा सकेगा।

(2) बाणगंगा नदी पर एक नलकूप निर्मित किया जाकर ग्राम को चार सार्वजनिक नलों के माध्यम से भी जल वितरित किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पेयजल व्यवस्था होने के कारण और कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(3) वर्तमान नीति के अनुसार 5000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में घरेलू जल सम्बन्धों के माध्यम से वितरण सम्बन्धी योजनाएं क्रियान्वित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) इस सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अटरू (कोटा) में स्वीकृत हैण्ड पम्पस्

429. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू क्षेत्र में ऐसे कितने हैण्ड पम्प्स हैं जिनकी खुदाई हो चुकी परन्तु उपकरण नहीं लगाये गये ? ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन हैण्ड पम्प्स की खुदाई कब हुई तथा अभी तक चालू क्यों नहीं किये

(30)

(श्री मदन दिलावर)

गये ? सरकार इनको कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत सभी हैण्ड पम्प्स अब तक नहीं खुदवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब कब तक इन्हें खुदवाकर चालू कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में बोरिंग के पश्चात् हैण्ड पम्प उपकरण नहीं लगाये गये 13 स्थानों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" के कॉलम संख्या 5 व 6 में प्रदर्शित है। इन हैण्डपम्पों को शीघ्र चालू किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(3) आठ ग्रामों हेतु स्वीकृत 9 हैण्ड-पम्प लगाए जाने शेष हैं जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में लगाए जाने के प्रयास किए जायेंगे। एक अन्य ग्राम चैनपुरा में रिग न पहुंच पाने के कारण बोरिंग सम्भव नहीं हो रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन नीति

430. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत वर्ष राज्य में श्रमिकों के लिए कोई दैनिक वेतन नीति लागू की गई है ? यदि हां, तो कब से तथा न्यूनतम दैनिक वेतन में उससे पिछले वेतन की अपेक्षा कितनी वृद्धि की गई है ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देश के अन्य प्रान्तों विशेष कर हरियाणा, पंजाब की अपेक्षा राजस्थान में दैनिक न्यूनतम वेतन की दर कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का पुनः निर्धारण 2-7-90 को विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अन्तर्गत पिछले वेतन की अपेक्षा प्रत्येक श्रेणी के लिए 8/– की वेतत वृद्धि की गयी थी। वर्तमान में दिनांक 2-7-90 से न्यूनतम वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया हुआ है :—

अकुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल
22/-प्रति दिन	23.50 प्रति दिन	25/- प्रति दिन
572/-प्रति माह	611/-प्रति माह	650/-प्रति माह

इससे पूर्व अर्थात् 1-3-87 से निम्न दरें निर्धारित थी —

14/-प्रति दिन	15.50 प्रति दिन	17/-प्रति दिन

(श्रम राज्य मन्त्री)

विशिष्ट योजना संगठन द्वारा चलायी जा रही जवाहर रोजगार योजना के श्रमिकों के लिए भी उपरोक्त वेतन 23-11-90 से लागू किया गया।

(2) जी हां। प्रत्येक राज्य अपने वित्तीय साधनों के अनुसार श्रमिकों का वेतन निर्धारित करता है। यह भी उल्लेखित है कि देश के 25 राज्यों में से 16 राज्यों की तुलना में राज्य में दिये जाने वाला न्यूनतम वेतन अधिक है।

राज्य में न्यूनतम वेतन का निर्धारण/पुनः निर्धारण सामान्यतः 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात् किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को न्यूनतम वेतन का निर्धारण 20/- से कम न दिये जाने का सुझाव दिया है। जबकि राज्य में इससे अधिक न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।

लापता राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन

431. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग नगर खण्ड चतुर्थ उदयपुर ने कोई पत्र क्रमांक स.अ.वि./वि. 1/व्य. प./80-87/2778 दिनांक 15-1-1987 को जारी किया है ? यदि हां, तो यह पत्र किसे प्रेषित किया गया है ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विभाग को एक पत्र दिनांक 16-2-1987 को प्राप्त हुआ था जिसमें श्री शंकरलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लापता होने की सूचना देते हुए यह लिखा हुआ था कि उसके विरुद्ध स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जाय ? यदि हां, तो यह सूचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई ? प्राप्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त लापता कर्मचारी के आश्रितों को केन्द्रीय सरकार के परिपत्र क्रमांक 873 एस II/123-86 दिनांक 28-6-1989 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन एवं राज्य सेवा में प्राप्त लाभ प्रदान किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक उक्त लाभ देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र श्री शंकरलाल पालीवाल, तत्कालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रेषित किया गया था जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सूचना श्री घनश्याम पालीवाल नामक व्यक्ति के संदर्भित पत्र दिनांक 16-2-87 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) लापता कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन तथा अन्य लाभ दिये जाने का राज्य सरकार के नियमों में फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

(४०)

सब-डिवीजन बीदासर (चूरू) की स्वीकृत पेयजल योजना से गांवों को जलापूर्ति

432. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) :—क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सब-डिवीजन बीदासर जिला चूरू की योजना बालेरा-सूरवास की समस्त स्वीकृतियां काफी अर्से पहले हो चुकी थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सूरवास, बालेरा, सपेली में पाइप लाइन डाले हुए काफी समय बीत चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि इन गांवों को आज तक भी बीदासर से पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है ? यदि नहीं, तो आज तक पानी सप्लाई नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(5) अब कब तक ग्राम सूरवास, सपेली, बालेरा को बीदासर से पानी सप्लाई करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1989 में तथा तकनीकी स्वीकृति 1990 में जारी की गयी थी ?

(2) संदर्भित ग्रामों को अप्रेल 1991 में (स्वीकृत योजनान्तर्गत) पाइप लाइन द्वारा जोड़ा गया था ।

(3) योजनान्तर्गत ग्राम बालेरा एवं डुंकुर को नियमित रूप से बीदासर स्त्रोत से जल उपलब्ध हो रहा है । ग्राम रूपेली व सूरवास को बीदासर से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

(4) बीदासर स्थित पम्प गृह में वांछित क्षमता के पम्प सैट नहीं लगे होने के कारण, उपरोक्त दो ग्रामों में पानी नहीं पहुंच रहा है, परन्तु ग्राम रूपेली को स्थानीय स्त्रोत से तथा सूरवास को लाडनूं स्थित स्त्रोत से जल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(5) पम्प सैटों की आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी किये जा चुके हैं, जिनके प्राप्त होते ही सूरवास व रूपेली को योजना से जल सुलभ होने लगेगा । बालेरा को बीदासर से जल उपलब्ध हो रहा है ।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इटावा कस्बे में विभाग का सब-डिवीजन कार्यालय

433. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जनहित में पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के इटावा कस्बे में विभाग का सब-डिवीजन ऑफिस खोला गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ऑफिस को बाद में हटा दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) क्या सरकार जनहित में इटावा में सब-डिवीजन ऑफिस पुनः खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के इटावा कस्बे में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की सड़कों के निर्माण हेतु विभाग का सब-डिविजनल ऑफिस 1974 में खोला गया था।

(2) जी हां। चम्बल कमाण्ड के सड़क कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उक्त ऑफिस इटावा से तोड़ दिया गया था।

(3) कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में इटावा में सब-डिविजन ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं है।

बांसवाड़ा जिले के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना एवं डामरीकरण

434. श्री सोमा (बागीडोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कौन-कौन से गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की सरकार की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार की किन-किन सड़कों को दुबारा डामरीकरण करने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्तमान में स्वीकृत सड़क कार्यों के तहत 24 गांव डामर की सड़क से जुड़ेंगे। सूची संलग्न है (अ)।

(2) बांसवाड़ा जिले में एस. आर. प्रोग्राम में स्वीकृत कार्यों के तहत विभिन्न सड़कों पर 36.5 कि मी पर दुबारा डामरीकरण करने की योजना है। सूची संलग्न है (ब)।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 435

(स्थगित)

ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के मानदण्ड

436. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार की पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की नीति के तहत अभी तक कुम्हेर पंचायत समिति के बाबेन ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक सड़क से जोड़ने का इरादा है ?

उत्तर

जी नहीं, सभी पंचायत मुख्यालयों को

(५२)

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

इसी वर्ष सड़कों से जोड़ने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं थी। सन् 1971 की जनगणनानुसार 1500 या अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों तथा विद्यमान सड़क से एक किलोमीटर तक दूरी वाले पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम है।

जी हां। राज्य सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य की स्वीकृति दे दी है।

हनुमानगढ़ टाउन, राष्ट्रीय राज-मार्ग

437. **श्री भैरूंलाल बैरवा** (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. एस. एच. 7 ए हनुमानगढ़ टाउन की चौड़ाई कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री बगड़ावत सिंह एडवोकेट (अग्रवाल धर्मशाला के पास) के आवास के आगे की भूमि जो कि राष्ट्रिय राज मार्ग नं. एस. एच. 7 ए का हिस्सा है, को नगर परिषद् हनुमानगढ़ ने राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 23 के तहत विक्रय कर दी है ? यदि हां, तो नगर परिषद् ने कितनी भूमि कब विक्रय की है ?

(3) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग इस विक्रय को उचित मानता है ? यदि नहीं, तो क्या विभाग नगर परिषद् हनुमानगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य मार्ग स्टेट हाइवे नं. 7 ए की हनुमानगढ़ टाउन में डामर चौड़ाई 5. 5 मीटर से 9. 0 मीटर तक की है।

(2) जी हां प्रशासक नगर पालिका हनुमानगढ़ टाऊन ने 83 फीट × 10 फीट की भूमि 15-2-90 को विक्रय की है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस प्रकरण की जांच के आदेश दिनांक 8-3-92 को उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को जारी कर दिये हैं तथा जांच के बाद दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

बन्धघाटी (जल महल) जयपुर पर दुर्घटनाएं

438. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि (जल महल) बन्ध घाटी, जयपुर में सीधी चढ़ाई के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को चौड़ा व समतल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जयपुर शहर एवं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उसके उत्तर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उक्त सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग) को तिराहा चुंगी नाका से लेकर घाटी तक समतल कर उक्त सीधी चढ़ाई को कम कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग नं. 8 पर जयसिंहपुरा खोर जयपुर से जलमहल बांध की घाटी से सीधी पहाड़ी चढ़ाई है। पहाड़ी चढ़ाई को काटकर सड़क को सीधा करने का तकमीना 44.85 लाख का भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया गया है। मगर तकमीने की स्वीकृति भूतल एवं परिवहन मंत्रालय से अपेक्षित है। इनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य को शुरू करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) तिराहा चुंगी नाका से लेकर घाटी तक की सीधी चढ़ाई को कम करने के कार्य का प्रावधान भी इस तकमीने में में लिया गया है।

न्यू सांगानेर हाई-वे रोड, जयपुर

439. श्री मोहनलाल (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि न्यू सांगानेर रोड एक हाई-वे रोड है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोड पर रात दिन अधिक संख्या में ट्रक आते जाते रहते है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मानसरोवर कालोनी की आबादी दिन प्रति दिन बढ़ने से लोगों का आवागमन बढ़ गया है ?

(4) क्या इस बढ़ी हुई आबादी के कारण यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार उक्त हाई-वे को यहां से तुरन्त हटाकर अन्यत्र ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। इस लिंक रोड को हटाकर अन्यत्र बनाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान में संभव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 440

(स्थगित)

राज्य में स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पद

441. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

(श्रीमती तारा भण्डारी)

में स्वास्थ्य निरीक्षकों के कितने पद खाली हैं ?

(2) ये पद कब से व किस कारण से खाली पड़े हैं ?

(3) प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या इन पदों पर शीघ्र भर्ती की जावेगी ?

उत्तर

(1) विभाग में 753 पद स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त हैं।

(2) यह पद वर्ष 1987-88 से रिक्त हैं। स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों की सार्थकता के पुनः निरीक्षण करने हेतु एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के पास विचाराधीन है।

(3) इन पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट पर निर्णय के उपरान्त ही भर्ती के बारे में निर्णय लिया जावेगा।

पृथ्वीगंज कालोनी (बांसवाड़ा) की सिटी डिस्पेन्सरी

442. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा नगर की पृथ्वीगंज कालोनी में खोली गई सिटी डिस्पेन्सरी माही कालोनी में चल रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या उक्त सिटी डिस्पेन्सरी को वापस पृथ्वीगंज मोहल्ले में स्थानान्तरण करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में पृथ्वीगंज में डिस्पेन्सरी खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु स्थानीय निवासियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने में असमर्थ होने पर माही योजना के कर्मचारियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से माही कालोनी में वर्ष 1979-80 में डिस्पेन्सरी चालू की गई।

(2) नहीं, उक्त डिस्पेन्सरी को पृथ्वीगंज मोहल्ले में स्थानान्तरित करने की योजना नहीं है क्योंकि माही कालोनी में उक्त डिस्पेन्सरी पिछले 12 वर्ष से चल रही है और अब उसको स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं है।

गंगानगर के चिकित्सालयों की एक्स-रे मशीनें

443. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में किन-किन शहरों के चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीनें लगी हुई हैं ? ये किस वर्ष में लगाई गई थी वर्तमान में कार्यरत तकनीशियनों के नाम, उस मशीन पर काम करने के समय व

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कितने समय से कर रहे हैं, का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किस-किस चिकित्सालय में एक्स-रे मशीनें कब-कब से खराब पड़ी हैं तथा गत दो वर्षों में मरम्मत पर कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में वर्तमान में कुल 18 एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं। एक्सरे मशीनें लगाने का वर्ष, कार्यरत टेक्नीशियन व कितने समय से कार्य कर रहे हैं। सूचना संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। गत दो वर्षों में हनुमानगढ़, भादरा और गंगानगर की एक्सरे की मशीन की मरम्मत पर कुल 20786.00 रुपये खर्च हुये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

टोंक जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद

444. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक शहर में सआदत अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्ष 1990-91 से अब तक किस-किस पद पर कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न पदों पर लम्बे समय तक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत नहीं रहे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिये किसी का उत्तरदायित्व तय किया गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टोंक शहर तथा जिले में इस विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(2) रिक्त पदों का विवरण संलग्न सूची में अंकित है। विभिन्न पदों पर काफी समय तक अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत नहीं रहने के मुख्य कारण, प्रशिक्षित कर्मचारियों का समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होना व एक से छः तक वेतन शृंखला में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध होना आदि है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रशिक्षित नेत्र सहायक

445. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी), श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) एवं श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र सहायक के पदों हेतु बेरोजगार युवकों को रोजगार की शर्त रख कर नेत्र सहायक प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1987 से वर्ष 1991 तक कितने-कितने लोगों को किस-किस प्रशिक्षण संस्थान पर प्रशिक्षण दिया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशिक्षणावधि से नेत्र सहायक प्रशिक्षणार्थियों से राज्य सरकार के अधीन नेत्र सहायक पद पर चार साल तक सेवा करने बाबत बन्धक-पत्र भरवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार प्रशिक्षण प्राप्त नेत्र सहायकों को बन्धक-पत्र की शर्तानुसार रोजगार देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विधान सभा के पूर्व सत्र में 15 मार्च, 1991 को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य में प्रशिक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं होने पर अफसोस जाहिर किया गया था ? यदि हां, तो राज्य में प्रशिक्षित पैरा मेडिकल नेत्र सहायक वर्ष 1989 से अब तक बेरोजगार क्यों बैठे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रशिक्षण के लिये चयन करते समय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को बन्धक पत्र भर कर देना होता है कि यदि प्रशिक्षण समाप्ति के छः माह के भीतर उन्हें राजकीय सेवा के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें चार वर्ष तक राजकीय सेवा में रहना जरूरी होगा।

वर्ष 1987 से 1991 तक सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर से 35 व एस.एन. मेडिकल कालेज, जयपुर से 36 नेत्र सहायक प्रशिक्षित किये गये।

वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

नेत्र सहायक

वर्ष	जयपुर प्रशिक्षण संस्थान	जोधपुर प्रशिक्षण संस्थान	कुल प्रशिक्षित
1978	9	12	21
1988	11	8	19
1989	7	8	15
1990-91	8	8	16
	35	36	71

(2) जी हां, यदि उन्हें छः माह के भीतर राज्य सेवा के लिये बुलावा जावे तो चार साल तक सेवा करने का बन्धक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

पत्र भरा जाता है। नेत्र सहायक पदों पर नियुक्ति पर निर्णय उनकी उपयोगिता का अध्ययन करने के पश्चात् संभव होगा।

(3) जी हां, किन्तु राज्य सरकार नेत्र सहायकों की उपयोगिता का अध्ययन करने के पश्चात् ही पद भरने के विषय में निर्णय करेगी।

नागौर जिला के कृषि पर्यवेक्षकों को भवन निर्माण स्वीकृति

446. **श्री मोहनलाल** (परबतसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कितने कृषि पर्यवेक्षकों के भवन निर्माण को स्वीकृति जारी की गई है ? पंचायत समितिवार मय धनराशि के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने भवन पूर्ण हो गये हैं और कितने अपूर्ण हैं। यदि अपूर्ण है, तो क्यों ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन कार्यों में मूल्यांकन के अनुसार ग्राम पंचायतों को भुगतान किया गया है या स्वीकृति के आधार पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कार्यों के मूल्यांकन के अनुसार ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान करना है ? इस राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 90-91 व 91-92 में जिला नागौर में कृषि पर्यवेक्षकों के भवन निर्माण की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

सपोटरा में कृषकों को बीज व खाद का मुफ्त वितरण

447. **श्री प्रभूलाल** (सपोटरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1985 से अब तक किसानों को कृषि विभाग द्वारा सपोटरा क्षेत्र में मुफ्त कितना खाद व बीज दिया गया ? मुफ्त में दिया गया बीज व खाद का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इसकी मात्रा बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बाजरा डब्लू. सी. सी. 75 किस्म का बीज 34.29 क्विंटल फ्री में दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1985 से 1991-92 तक कृषि

(48)

(कृषि मंत्री)

अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विकसित नई किस्मों के खेतों पर प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय दलहन विकाय योजना एवं माडा योजना के अन्तर्गत प्रचार हेतु मिनीकिटों के विभिन्न किस्मों के बीजों का वितरण संलग्न परिशिष्टों के अनुसार फ्री में वितरण किये गये हैं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार केवल 20/- रुपये तक की कीमत के मिनिकिट पर एक रुपया तथा 20/- रुपये अधिक कीमत के मिनिकिट पर 3 रु. टोकन मनी लिया गया है।

वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) वित्तीय कमी को देखते हुए इसकी मात्रा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य की बीहड़ सुधार योजना

448. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भारत सरकार द्वारा बीहड़ सुधार योजना क्रियान्वयन हेतु राजस्थान को भी राशि उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में उपलब्ध करवाई गई राशि का वर्षवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत अब तक किन-किन जिलों में कार्य करवाया गया है ? गत 5 वर्षों का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बून्दी जिले में भी उक्त योजनान्तर्गत कार्य करवाये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि के कार्य करवाये जा चुके हैं ? किये गये कार्यों की वर्षवार, स्थलवार, लागतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों एवं मैटेरियल बाबत कोई मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं ? यदि हां, तो मापदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त योजनान्तर्गत बून्दी जिले में करवाए गए कार्यों तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत 5 वर्षों में उपलब्ध करवाई गई राशि का वर्षवार ब्योरा परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) इस योजनान्तर्गत अब तक जिला कोटा, बून्दी, सवाई माधोपुर, भरतपुर व धौलपुर में कार्य करवाया गया है। गत 5 वर्षों का वर्षवार एवं जिलावार विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। अब तक बून्दी जिले में 218 लाख राशि के कार्य कराये जा चुके है। किये गये कार्यों की वर्षवार, स्थलवार,

(कृषि मन्त्री)

लागतवार सूची परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां, मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध है।

(5) सहायक अभियन्ता बीहड़ सुधार कार्यक्रम उपखण्ड केशोरायपाटन में वर्ष 1990 में सीमेण्ट खुले बाजार में बेचने की शिकायत के क्रम में जांच विचाराधीन है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मुख्य मण्डी प्रांगण, सीकर में गोदामों का निर्माण

449. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मण्डी प्रांगण सीकर के 'सी' ब्लाक की पांच दुकानों के पीछे गोदाम बनाये गये हैं। यदि हां, तो क्या "एफ" ब्लाक की दस दुकानों के पीछे एक ही वस्तुस्थिति होने पर व्यापारियों के बार-बार मांग करने पर भी आज तक पीछे गोदाम नहीं बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार "एफ" ब्लाक की दस दुकानों के पीछे गोदाम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मण्डी प्रांगण सीकर में "ए" एवं "बी" ब्लाकों में कृषि जिन्सें ज्यादा बिकने आती हैं? यदि हां, तो क्या दुकानों के आगे प्लेटफार्म पर सीमेन्टेड चद्दरों के शैड नहीं होने से वर्षा ऋतु में किसानों की कृषि जिन्सें भीगने से खराब होती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित के लिए अविलम्ब दुकानों के आगे प्लेटफार्म पर सीमेन्टेड चद्दरों का शैड लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एफ ब्लाक की दुकानें फुटकर दुकानें हैं? फुटकर दुकानों के पीछे गोदाम निर्माण का प्रावधान नहीं है। अतः गोदाम निर्माण का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी हां। जी नहीं। स्थानीय व्यापारियों एवं 'क' वर्ग दलालों के द्वारा मांग किये जाने पर वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदन के पश्चात् व्यापारी स्वयं के खर्च पर दुकानों के आगे टिन शैड लगा सकते हैं।

लालसोट में कृषि कनेक्शन

450. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट द्वारा कृषि कनेक्शन के आवेदकों द्वारा डिमान्ड नोटिस की राशि जमा कराने तथा "एल" फार्म देने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसादी लाल मीणा)

(2) क्या सरकार ऐसे मामलों में शीघ्र कृषि कनेक्शन देने हेतु निर्देश देने का इरादा रखती है।

उत्तर

(1) जी हां। सहायक अभियन्ता, लालसोट के कार्यालय में 235 कृषि आवेदकों द्वारा मांग-पत्र की राशि एवं "एल" फार्म जमा कराये जा चुके हैं जिनको कनेक्शन देना विचाराधीन है। आवेदकों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विचाराधीन आवेदकों को कृषि कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राज्य में विद्युत की मांग व खपत

451. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में बिजली की मांग व खपत में 40 प्रतिशत से अधिक का अन्तर है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस अन्तर को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ तापघरों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन को, कब-कब और अब तक उनमें क्या प्रगति हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल समाप्त होने तक इस अन्तर को दूर करने हेतु विद्युत आपूर्ति की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह अंतर वर्ष 1991-92 में 24.2 प्रतिशत है (14 वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार)।

(2) जी हां। इस अन्तर को दूर करने हेतु राजस्थान सरकार ने अप्रेल, 1988 में मै. सेंचुरी टेक्सटाइल एवं इण्डस्ट्रीज बम्बई को राज्य में एक ताप बिजलीघर स्थापित करने हेतु लाइसेंस मंजूर कर दिया है। इस परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को तकनीकी एवं आर्थिक अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के मार्फत हाल ही में भेज दी गई है।

(3) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल समाप्त होने तक इस अन्तर को दूर करने हेतु निम्न परियोजनाओं के आने की संभावना है :-

1. सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह
   2 × 250 मेगावाट।
2. कोटा तापीय विद्युत गृह (यूनिट-5)
   210 मेगावाट।
3. रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह
   3 मेगावाट।

पीसांगन (अजमेर) में सहायक अभियन्ता कार्यालय

452. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम पीसांगन जिला अजमेर में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में सहायक अभियन्ता (प. व. स.) नसीराबाद में निरन्तर बढ़ते हुए उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए अधीक्षण अभियन्ता अजमेर वृत द्वारा इस उपखण्ड को दो उपखण्डों में विभक्त करने हेतु एक प्रस्ताव दिनांक 30-1-1992 को मुख्य अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक दृष्टि से जांच जारी है। जांच के बाद ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। अतः निश्चित समयावधि बता पाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

जिला बाड़मेर के विभिन्न इलाकों में होने वाली तस्करी की रोकथाम के उपाय

453. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के ग्राम—बिजाबा, नरसींगाकर—सवडाला—द्राभा—पांचली—जैसिन्घर अरीकापार—खडीण—तामलोर—रायसर—कलनोर में प्रायः तस्करी होती है ? यदि हां, तो तस्करी रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या ग्राम बिजाबा में करीब 55 किलो सोना बी. एस. एफ. ने पकड़ा व 7 किलो सोना श्री मोखर सिंह के पास रह गया जो बाद में पंचायती से तस्करों ने वसूल किया ?

(3) क्या यह सही है कि तारीख 20-12-1991 कोलखासर में एक घर से गडरा रोड़ थाना के सिपाही श्री गोपाल सिंह को दो लाख रुपये तलाशी में मिले ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जिला बाड़मेर के गांव बिजाबा, नरसिंगासर, सवडाला, गिराब, पांचला, जैसिंघर, अमीकापार, खडीण, तामलोर, रामसर, इत्यादि के पाक सीमा पर स्थित होने के कारण उपरोक्त सीमावर्ती गांव में चोरी छिपे तस्करी होती है। उपरोक्त गांव में हो रही तस्करी को रोकने के लिए सम्बन्धित थानाधिकारियों व वृत्ताधिकारियों द्वारा लगातार नाकेबंदी व गश्त की जा रही है तथा इसके अलावा तस्करी को रोकने के लिए दो विशेष दल गठित किए गए हैं जिनके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार वाहनों से व पैदल गश्त व नाकेबंदी की जाकर तस्करी रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) यह सही नहीं है। बी. एस. एफ. की 19वीं बटालियन द्वारा दिनांक 4-7-91

(गृह मन्त्री)

को ग्राम बिजावा में नहीं, ग्राम रोहिड़ा की सरहद में स्थित सीमा पीलर संख्या 805/1 व 805/2 के बीच से 58.500 किलोग्राम सोना व 106.855 किलोग्राम चांदी पकड़ी गई थी। श्री मालरसिंह नामक व्यक्ति के पास सात किलो सोना रह जाने तथा उसको बाद में तस्करों द्वारा पंचायती कर वसूल करने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

(3) दिनांक 19-12-91 को ग्राम लखासर में नहीं, ग्राम सेहला में तस्करी बाबत रुपए गडरा रोड थाने के सिपाही श्री गोपालसिंह को मिलने की सूचना गुप्त-सूत्रों द्वारा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त सूचना की जांच वृत्ताधिकारी चोहटन द्वारा करवाई जा रही है। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

थाना सांचौर (जालौर) में दर्ज प्रकरण

454. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) जालौर जिले के सांचौर पुलिस थाना, सांचौर में 1 जनवरी, 1989 से आज तक कितने मुकदमें दर्ज हुये व उनमें से कितने मुकदमों में नतीजा दे दिया गया और अब कितने मुकदमे गैर तजवीज हैं?

(2) क्या यह सही है कि सी. आर. नं. 15/89 पूर्व सरपंच हेमाराम साकड़ के खिलाफ गैर तजवीज है? यदि हां, तो अभी तक उसमें नतीजा क्यों नहीं दिया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच जांच में दोषी पाया गया मगर अभी तक अदालत में चालान पेश नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक चालान पेश कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पुलिस थाना सांचौर में 1 जनवरी, 1989 से अब तक (22-2-92) कुल 595 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं जिनमें से 451 अभियोगों में चालान व 130 अपराधों में एफ. आर. दी गई तथा 14 अभियोग अन्वेषणाधीन है।

(2) जी हां, इस अभियोग में अन्वेषण के पश्चात् अभियोजन स्वीकृति हेतु अभियोग पत्रावली राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट, जालौर के मार्फत प्रस्तुत की गई थी जिस पर कलक्टर जालौर द्वारा कुछ बिन्दुओं पर टिप्पणी चाही है जिसकी पूर्ति की जाकर नतीजा शीघ्र दिया जाएगा।

(3) जी हां, पूर्व सरपंच हेमाराम साकड़ अभियोग संख्या: 15/89 में दोषी पाया गया है। अभियोग में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद चालान शीघ्र पेश किया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 455

(स्थगित)

सांभर-फुलेरा मार्ग पर निगम की बसों में अभिवृद्धि

456. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांभर से फुलेरा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की दो बस चलाने का परमिट प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या दो गाड़ियां वर्तमान में चल रही हैं।

(2) क्या सरकार सांभर से फुलेरा के लिए और बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सांभर से फुलेरा वाया कालेज बाईपास मार्ग, जो राष्ट्रीयकृत नहीं है, पर संचालन हेतु, दो बस सेवाओं के परमिट प्राप्त किये हुये हैं और तदनुसार वर्तमान में दो बस सेवायें ही संचालित की जा रही हैं।

(2) जी नहीं, वर्तमान में सांभर से फुलेरा वाया कालेज बाई पास अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालित वाहनों को सांभर से फुलेरा के मध्य औसतन 20 प्रतिशत यात्री भार ही उपलब्ध हो रहा है अतः इस मार्ग पर बस सेवाओं में और वृद्धि किये जाने का औचित्य नहीं है।

परिवहन निगम द्वारा स्टाफ कार/जीपों का क्रय

457. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निगम में गत पांच वर्षों में कितनी कारें/जीपें खरीदी गईं व किस-किस स्तर के अधिकारी को आवंटित की गई हैं ? क्या विभाग में इस स्तर के अधिकारी को वाहन उपभोग करने का अधिकार है ?

(2) निगम द्वारा किन-किन अधिकारियों के कार्यालय तथा निवास पर एस. टी. डी. की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उससे निगम को पिछले तीन वर्षों में कितना व्यय भार वहन करना पड़ा है ? कार्यालय व निवास का पृथक् से विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में क्रय की गई स्टाफ कारें/जीपों का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	जिप्सी	जीपें	कारें	योग
86–87	—	—	2	2
87–88	2	5	1	8
88–89	20	10	—	30
89–90	24	—	5	29
90–91	—	—	—	—

स्टाफ कार निम्न अधिकारियों को आवंटित की हुई है—

क्रम सं.	पद	आवंटित वाहनों की संख्या
1.	अध्यक्ष	1
2.	प्रबन्ध निदेशक	1

(परिवहन मंत्री)

3.	कार्य. निदेशक (प्रशासन)	1
4.	कार्य. निदेशक (यातायात)	1
5.	मुख्य लेखाधिकारी	1
6.	महा प्रबन्धक (संचालन-प्रथम)	1
7.	महा प्रबन्धक (संचालन-द्वितीय)	1
8.	महा प्रबन्धक (संचालन-तृतीय)	1
9.	महा प्रबन्धक (सु. एवं सतं.)	1

निगम कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु इन अधिकारियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाना आवश्यक है। शेष स्टाफ कारें/जीपों का उपयोग फ्लाईंग स्केवेड एवं निगम के विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों के स्तर पर निरीक्षण कार्य आदि के लिये किया जाता है। जी हां। राज्य-शासन के अधिकारियों को देय सुविधा के अधीन हैं।

(2) विववण (परिशिष्ट 1 और 2) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

निगम में प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर व्यय

458. श्री गोविन्द सिह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए किस-किस अधिकारी पर पिछले तीन वर्षों में कितना-कितना खर्चा किया गया है? मदवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निगम में एक पद के विरुद्ध दो जन सम्पर्क अधिकारी कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

(3) क्या यह भी सही है कि निगम सेवा के 25 वर्ष के अनुभवी जन सम्पर्क अधिकारी की सेवाओं का उपयोग नहीं लिया जाकर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी को बुलाकर निगम पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ा रखा है? प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गये अधिकारी का वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं पर निगम कितनी राशि प्रति वर्ष व्यय कर रहा है?

उत्तर

(1) निगम में गत तीन वर्ष की अवधि में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारियों पर हुये खर्चे का मदवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा-गंगापुर मार्ग पर संचालित निजी बसें

459. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा से गंगापुर सिटी रूट नेशनलाइज्ड रूट है? यदि हां, तो फिर दौसा-गंगापुर रोड पर कितनी प्राइवेट बसेज को परमिट दे रखा

(श्री गोविन्द सहाय)

है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गंगापुर से हिण्डौन तथा गंगापुर से करौली अनुबन्धित मार्ग हैं ? यदि हां, तो गंगापुर से हिण्डौन एवं गंगापुर से करौली कितनी अवैध बसें चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। दौसा से गंगापुर नेशनलाइज्ड (राष्ट्रीयकृत) मार्ग नहीं है। दौसा से गंगापुर निम्नांकित अलग-अलग मार्गों द्वारा बस सेवा उपलब्ध है, जिन पर कुल 32 बसों को परमिट दिये हुए हैं :—

1. दौसा से गंगापुर वाया बामनवास, लालसोट

2. दौसा से गंगापुर वाया लालसोट

उक्त मार्गों पर जिन बसों को परमिट दिये हुए हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। मार्ग अनुबन्धित नहीं होते। मार्ग राष्ट्रीयकृत अथवा अराष्ट्रीयकृत (प्राइवेट बस मार्ग) होते हैं। गंगापुर से हिण्डौन एवं गंगापुर से करौली राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। इन मार्गों पर जब कभी अवैध बसें चलती पाई जाती हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अवैध बसों की सूची दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इन बसों का कोई निश्चित मार्ग अथवा समय नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी/खादी पर्यवेक्षक की भर्ती हेतु विज्ञापन

460. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 1990-91 में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों/खादी पर्यवेक्षकों के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था ? यदि हां, तो कितने युवकों ने इस पद के लिए आवेदन किया है ?

(2) आवेदन पत्रों के साथ कितनी राशि शुल्क के बतौर प्राप्त की गई एवं यह राशि किस प्रकार बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर अथवा नकद से प्राप्त की गई ?

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों पर कब तक विचार कर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 90-91 में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी/पर्यवेक्षकों के पदों की भर्ती हेतु जब कोई विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया तो किसी भी प्रार्थी द्वारा किसी पद के लिए आवेदन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जब विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया तो राशि प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

(3) जब विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया न कोई आवेदन ही प्राप्त हुए तो उन पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विभिन्न जिलों में न्यायालयों की स्थापना

461. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में सन् 1990 से अब तक किस-किस स्तर के न्यायालय किन-किन जिलों में किन-किन स्थानों पर खोले गये तथा अप्रेल माह 1992 तक और कितने स्थानों पर कौन-कौन से स्तर के न्यायालय किन-किन जिलों में किन-किन स्थानों पर खोलने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अग्रिम अप्रेल माह 1992 तक अभी और न्यायालय खोलने की कोई योजना नहीं है। हाईकोर्ट से परामर्श किये जाने के पश्चात् ही विचार किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला बांसवाड़ा में महिला बाल विकास अधिकारियों के कार्यालय

462. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में महिला बाल विकास अधिकारियों के कार्यालय कितने व कहां-कहां पर स्थापित हैं ? उन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में कुल कितने सुपरवाइजर कार्यरत हैं ? प्रत्येक सुपरवाइजर के अधीन कितनी आंगनबाड़ियां हैं ? उक्त आंगनवाड़ियों में बालक बालिकाओं व गर्भवती महिलाओं की सूची आंगनबाड़ीवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में क्षेत्रीय उप-निदेशक-एक, महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के 8 कार्यालय कार्यरत है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला बांसवाड़ा में महिला सुपरवाईजर 57 कार्यरत है। समस्त 8 परियोजनायें जन जाति क्षेत्र की है तथा एक सुपरवाइजर के अधीन 16 से लेकर 18 तक आंगनबाड़ी केन्द्र होते हैं। बालक/बालिकाओं/गर्भवती/धात्री/महिला की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 फरवरी, 1992)

पाडवा (प्रतापपुर) में सड़के निर्माण कार्य

64. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा):

(श्रीमती कमला भील)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आसपुर क्षेत्र में पाड़वा ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? इस सड़क पर डामरीकरण के लिए कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) क्या यह सही है कि यह डामरीकरण इतना घटिया किस्म का था कि उसमें एक माह में ही खड्डे पड़ गये ?

(3) क्या सरकार से शिकायत करने पर इसकी जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) चाड़ोली से भैंसरा ग्राम की सड़क कब स्वीकृत हुई ? क्या उक्त सड़क को पूर्ण कराने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। आसपुर क्षेत्र में पाड़वा ग्राम पंचायत में निम्नलिखित चार सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी तथा उन पर डामरीकरण हेतु खर्च की गई राशि निम्नानुसार थी :—

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि लाखों में	कुल व्यय रू. लाखों में	डामरीकरण हेतु किया गया व्यय रू. लाखों में
1.	पाड़वा से मौसोर सड़क	28-8-87	3.00	5.00	5.45	2.20
2.	पाड़वा से कराड़	22-1-90	4.00	6.00	2.83	—
3.	मासोर से पाड़वा	22-1-90	2.50	3.00	0.40	—
4.	सामलिया से पाड़वा	22-1-90	5.00	7.00	0.38	—

(2) जी नहीं। सड़क तालाब के नीचे से निकलने के कारण नमी होने से कहीं-कहीं डामर उखड़ गई है।

(3) जी नहीं। क्योंकि इस कार्य के लिए कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(4) भैंसरा से चाडोली सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 14-8-89 को

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

4 कि.मी. लम्बाई में रुपये 4.00 लाख की प्रदान की गई। स्वीकृत राशि में 1.8 कि. मी. ग्रेवल सड़क तथा दो सी.डी. वर्क्स पूर्ण हो सकेंगे। शेष कार्य पूर्ण करने के लिए रुपये 8 लाख की आवश्यकता होगी। इस कार्य को पूर्ण करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

लाखन वाया बासड़ी (फागी) सड़क निर्माण

67. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व सरकार ने फागी तहसील, जिला जयपुर में ग्राम पहाड़िया से लाखन वाया बासड़ी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी ?

(2) क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) क्या सरकार इस सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्पर्क सड़क पहाडिया से लाखना वाया बासड़ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वर्ष 1984-85 में स्वीकृत हुई थी तथा बाद में अकाल सहायता के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो गई।

(2) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सरकार द्वारा बंद कर देने एवं अकाल सहायता से पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण सड़क निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया।

(3) जी नहीं। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा भूमि की जमाबन्दी

72. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) एवं **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के भूतपूर्व गैर सरकारी अध्यक्ष ने जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/1, 513/3 व 513/10 की कृषि भूमि के सम्बन्ध में जुलाई 1982, में एक राजीनामा निष्पादित किया था ? यदि हां, तो इस राजीनामे को प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर ग्राम के रेवेन्यु मैप में लगभग 600 बीघे का मात्र एक ही खसरा संख्या 513 ही दर्शाया गया है परन्तु इस खसरे के टुकड़ों का जो अन्तिम जमाबन्दी के अनुसार अनुमानित पच्चीस है, का कहीं भी तरमीम नहीं हुआ है जिसके अभाव में यह बताया नहीं जा सकता कि खसरा संख्या 513/1, 513/3 व 513/10 मूल खसरे 513 में कहां स्थित है ? यदि हां, तो उपरोक्त रेवेन्यू मैप एवं उक्त अन्तिम जमाबन्दी की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(श्री अब्दुल हादी)

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरे की जमाबन्दी में तरमीम न होने के अभाव में यह समझौता अवैधानिक हो जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने मौजा जोधपुर के ख सं. 513/1, 513/3 व 513/10 की कृषि भूमि के सम्बन्ध में जुलाई, 1982 में एक राजीनामा निष्पादित किया था, सम्बन्धित राजीनामे की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी है।

(2) खसरा नं. 513 एवं 513 मिन से सम्बन्धित राजकीय भूमि एवं अनियमित तौर पर राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि से सम्बन्धित जमाबन्दी संवत् 2044 से 2046 के खाता सं. 1,80,85 व 291 की प्रति परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी है। इस अनुसार खसरा नं. 513 का कुल रकबा 553.10 बीघा तथा 26 मिन नं. दर्ज है राजस्व नक्शे में खसरा नं. 513 में मिन नं. अंकित नहीं है एवं न ही खसरा सं. 513/1, 513/3 व 513/10 मूल ख.सं. 513 में मीन सं. दर्शाया गया है। नक्शे की प्रति परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी है। इसके बारे में मौके की रिपोर्ट तहसीलदार, जोधपुर ने दिनांक 25-9-90 को तैयार की है। इसी क्रम में भारसाधक पदाधिकारी, शास्त्रीनगर, के यहां जो नक्शा एक अन्य मुकदमें में पेश किया गया है उस अनुसार भी जानकारी चाही गई जिससे इन तीन मिन नं. की भूमि का पता नहीं चलता है। तहसीलदार, जोधपुर ने दिनांक 11-9-91 को यह भी बताया कि ख.स. 513 में सड़कें, विभिन्न व्यक्तियों की बनी इमारतें, बरकतुल्ला खां स्टेडियम, कल्पतरु सिनेमा, विद्युत मण्डल का कार्यालय, रावण का चबूतरा आदि बन चुके हैं। ख.नं. 513 के चारों तरफ भी आबादी एवं विभिन्न प्रकार के निर्माण आदि हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में अब तरमीम करवाया जाना सम्भव नहीं होना बताया। सम्बन्धित पत्र दि. 11-9-91 एवं 4-2-92 की प्रति संलग्न है।

(3) न्यायिक प्रक्रिया के तहत विभिन्न मामले अदालतों में राजीनामा को लेकर चल रहे हैं तथा एक रिट याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय में 2098/83 विजय मेहता बनाम सरकार व नगर सुधार न्यास, जोधपुर विचाराधीन है। जिसमें राजीनामा दिनांक 2-7-82 स्थगित किया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 फरवरी, 1992)

जोधपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा निर्मित आवासीय कालोनियां

123. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में, कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों ने कितनी आवासीय कालोनी की योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) जोधपुर नगर विकास न्यास ने उक्त सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत कितनी योजनायों को स्वीकृति प्रदान की और शेष पर क्या कार्यवाही की तथा उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में 22 गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवासीय कालोनी की योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

(2) उक्त सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत 10 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। 3 मामलों में सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण, 4 अस्वीकृत एवं 2 मामलों में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के नियमितीकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अंतिम निर्णय के पश्चात् ही कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

आयुर्वेद विभाग में वैद्यों/उपवैद्यों के स्थानान्तरण की नीति

147. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991–92 में आयुर्वेद विभाग में वैद्यों, उप वैद्यों के कितने स्थानान्तरण सरकार या विभाग द्वारा किये गये ? स्थानान्तरित वैद्य, उपवैद्य का नाम, कितने समय में स्थानान्तरण किया गया ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त किये गये स्थानान्तरणों के कारण सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ा है ?

(3) क्या सरकार आयुर्वेद विभाग में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति बनाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में दिनांक 24-2-92 तक आयुर्वेद विभागान्तर्गत 1072 आयुर्वेद चिकित्सकों के तथा 894 नर्स/कम्पाउण्डरों के स्थानान्तरण हुए हैं। स्थानान्तरित व्यक्तियों की सूची (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दी गयी है। जिनके स्थानान्तरण दो वर्ष पूर्व किये गये हैं, उसका अंकन सूची में कर दिया गया है, शेष स्थानान्तरण दो वर्ष की अवधि के बाद किये गये हैं। उपवैद्य का कोई पद विभाग में नहीं है।

स्थानान्तरण निम्न कारणों से किये गये हैं—

(अ) प्रशासनिक/व्यवस्था की दृष्टि से

(ब) शिकायत के आधार पर

(स) पारस्परिक आधार पर

(द) स्वेच्छा/प्रार्थना पर

(घ) रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु

(2) रु. 2,17,850/- का भार पड़ा।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक सामान्य स्थानान्तरण नीति की पालना आयुर्वेद विभाग में की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

संदेश

राज्यपाल द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 3 मार्च, 1992 को सदन द्वारा पारित अभिभाषण के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है।

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक प/15(8) रा.म./87–88/1425/9 मार्च, 1992

"प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपका अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या एफ 10(3) सदन/वि.स./18339 दिनांक 3 मार्च, 1992 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आप से निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ, एम. चेन्नारेड्डी।"

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की मुझे सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री बिरधाराम चौधरी, श्री मोहनलाल (जायल), श्री घासीलाल और श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर सहकारी बैंक के व्यवस्थापकों को बैंक प्रशासन द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहन लाल (जायल), श्री मोहन लाल (परबतसर), श्री दयाराम परमार और श्री रामकरण, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तहसील जायल के ग्राम रोटू में रामदेवरा नामक स्थान पर जी.एल.आर. योजना को शीघ्र क्रियान्वित कराने के सम्बन्ध में।

(3) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी को राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि देना बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नेनवां में अकाल व गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य

(62)

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि नैनवां विधान सभा में हैण्डपम्पों से लाभान्वित 221 ग्रामों में अब तक कुल 856 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। विभाग द्वारा चलाये जा रहे 18वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में 29 फरवरी तक 553 हैण्डपम्पों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से 186 हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब एवं 52 हैण्डपम्प परित्यक्त योग्य पाये गये हैं। अस्थायी रूप से खराब 34 हैण्डपम्प ठीक किये जा चुके हैं एवं समस्त हैण्डपम्पों का सर्वेक्षण कर मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को ठीक किये जाने का कार्य प्रगति में हैं। एक प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत हैण्डपम्पों के स्थायी रूप से खराब होने की सम्भावना है। शेष मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को ठीक किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। नैनवां विधान सभा क्षेत्र में कोई पेयजल योजना स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है। इस क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजना रायथल ऐबरा के कार्य प्रगति पर हैं जिनके आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। नैनवां विधान सभा क्षेत्र हेतु वर्ष 91-92 में 52 हैण्डपम्प विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 45 हैण्डपम्पों को लगाकर चालू कर दिया गया है। शेष हैण्डपम्पों को लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(2) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के राजापार्क क्षेत्र की गली नं. 3 में नव विवाहिता श्रीमती आशा मेहता की कथित दहेज के कारण की गई हत्या के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि अपराध संख्या 25/92 अन्तर्गत धारा 498ए, 304-बी भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण करने पर मृतका को उसके ससुराल पक्ष द्वारा शारीरिक व मानसिक यातनायें देने तथा दहेज के लिए परेशान करने व 50,000/- रुपये की मांग की। मौखिक साक्ष्य आने पर मृतका के पति अनिल मेहता, सास कैलाश देवी, ससुर एम. एल. मेहता व जेठ राकेश मेहता को दिनांक 3-2-92 को गिरफ्तार कर लिया गया जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत ए.सी.एम. मुख्यालय, जयपुर ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट दिनांक 7-2-92 को प्राप्त हो गई। ए.सी.एम. महोदय ने अपनी जांच में पाया है कि यह मामला मृतका द्वारा आत्महत्या करने का प्रतीत होता है। प्रकरण में पुलिस द्वारा गहन अन्वेषण कराया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही अपराध पंजीबद्ध हो चुका था। इस प्रकरण में वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से सत्यता जानने के लिए अन्वेषण अधिकारी ने गले के उस भाग की चमड़ी को जिस पर फंदे के निशान आये हुए थे पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड से सुरक्षित करवा कर परीक्षण हेतु विशेषज्ञों को भेज दिया है। अब तक के अन्वेषण के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता साबित हुआ है। अन्वेषण विचाराधीन है।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 29 फरवरी, 1992 को रात्रि 11.30 बजे ग्राम गम्भीरा थाना झलारवाड़ग, जिला सवाई माधोपुर में अज्ञात बदमाशों व लुटेरों द्वारा गोलियां चलाकर रामस्वरूप अग्रवाल के यहां कथित लूट करने वाले लुटेरों को पकड़ने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि थानाधिकारी ने मौके का सूक्ष्म निरीक्षण कर बदमाशान द्वारा फायर किये गये 11 कारतूसों के खोखे प्राप्त किये। घटनाक्रम में केवल दो व्यक्तियों के चोट आई थी। परन्तु घमण्डी सरपंच के कोई चोट नहीं आई थी। घायल श्री अब्दुल सत्तार व रामजी लाल का मेडिकल करवाया गया। बदमाशान द्वारा किये गये फायरों के कारण उनके दीवारों पर निशान बन गये थे। उक्त अभियोग का अनुसंधान वृत्ताधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्देशन में थानाधिकारी मलारना डूंगर द्वारा किया जा रहा है तथा पतारसी माल मुलजिमान हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम दुबीबनांस जो कि थाना मान टाऊन के अन्तर्गत आता है जिसमें वर्ष 1989 से 1991 तक की समयावधि में किसी अम्बालाल मीणा नामक व्यक्ति की हत्या करने की घटना घटित होने की जानकारी नहीं आई है। पिछले 3 वर्षों में जिला सवाई माधोपुर में लूट, हत्या व नकबजनी के अपराधों में आंशिक वृद्धि जरूर हुई है। वर्ष 1991 में डकैती के अपराधों में वर्ष 1990 की तुलना में कमी हुई है। जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामस्वरूप मीणा व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन सिटी व कैमला ग्राम की धुनी के मन्दिरों में डकैती पड़ने व पुजारी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती कमला भील एवं 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सागवाड़ा समीपवर्ती गांव पारड़ा हांडलिया की एक आदिवासी युवती के साथ कथित बलात्कार करने से आदिवासी लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(3) श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर के कतिपय ग्रामों में आर. ई. सी. स्कीम के तहत विद्युतीकृत घोषित किये

(64)

(श्री अध्यक्ष)

जाने के उपरान्त भी विद्युत लाइन नहीं डाले जाने से वहां की जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्या को 2 मि. बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़), सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरु) में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चूरु जलदाय विभाग के लिए बनवाये गये जी. एल. आर., सी. डब्ल्यू. टी., पी. एस. पी. खेल कोठा, आदि को पाइप लाइनों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

2. श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में परिवहन निगम की बसों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

3. श्री हबीबुर रहमान, सदस्य, विधान सभा की ओर से मारवाड़ मुण्डवा के अनुदान प्राप्त श्री सनातन धर्म उपाध्यक्ष संस्कृत विद्यालय को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से फूलवारी की नाल अभ्यारण में निवास करने वाले आदिवासियों को तेन्दु पत्ता एवं लघु वन उपज एकत्रित न करने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री प्रभुलाल गरासिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले के गांव निचलागढ के ग्रामदानी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष श्री अजीज खान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में हैण्ड पम्पों की दुर्दशा तथा पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में।

7. श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर में स्थित मन्डोर उद्यान के विकास व सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

8. श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सिंचाई की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

9. श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील किशनगंज बारां में बांग्लादेश के विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

10. श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर में मध्यम आय वर्ग (ब) के 169 मकानों के आवंटन में कथित घोटालों के सम्बन्ध में।

11. श्री मोहनलाल बारुपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति

(श्री अध्यक्ष)

जायल, जिला नागौर की कतिपय सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में।

12. श्री गोपाल सिंह (32) : सदस्य, विधान सभा की ओर से आहोर क्षेत्र की कतिपय सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में।

13. श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के प्राथमिक विद्यालयों में अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

14. डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डावा विधान सभा क्षेत्र की असलीसर पंचायत समिति के 54 गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

15. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों के चयन में बरती जा रही अनियमितताएं तथा शिक्षा का स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय सदस्य श्री केदार जी का मेरे पास नोटिस आया है आप बोलना चाहें तो बोलें।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

रावी-व्यास से राजस्थान को पानी का हिस्सा

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष जी, मैं आज एक ऐसे प्रश्न के बारे में आपकी माफ्र्त माननीय मुख्य मन्त्री जी को और माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने अभी दो दिन पहले राजीव लोंगोवाल एवार्ड जो 1985 में हुआ था उसको लागू करने का तय कर दिया है। उसके साथ-साथ जो इन्टर स्टेट स्ट्रक्चरल और बाउंडरीज के बारे में जो ईश्यूज है हरियाणा पंजाब और राजस्थान उसके बारे में भी तय कर दिया है कि दो रोज में हम तय कर देंगे। अध्यक्ष जी, हमारा कोई टैरेटरी का झगड़ा नहीं है, हमारा कोई बाउंडरी का झगड़ा नहीं है। राजीव-लोंगोवाल जो 1985 में एकार्ड हुआ था उसमें बिना किसी जस्टीफिकेशन के राजस्थान को पार्टी बना दिया गया था। हमारा पानी का हिस्सा रावी-व्यास में 1955 में तय हो गया, 1981 में तय हो गया। 1955 में 8 और 1981 में 8.6 मिलियन एकड़ फिट तय हो गया। हमारा हरियाणा पंजाब से पानी का कोई झगड़ा नहीं है मगर 1985 में हमें पार्टी बना दिया गया और यह फैसला किया गया कि 1 जुलाई, 1985 में जो स्टेट इन रिवर्स के पानी का शेयर इस्तेमाल कर रही है उससे कम नहीं मिलेगा और अगर फैसला नहीं होता तो ज्युडिशियल कमीशन नियुक्त कर देंगे। अध्यक्ष जी इराडी कमीशन नियुक्त हुआ। झगड़ा हरियाणा-पंजाब का था। हमारा कोई झगड़ा उस शेयर में नहीं था। उनका 1956 से जब से री-आर्गनाइजेशन एक्ट बना है तब से डिस्पयूट चलता आया है। इन्दिरा जी ने भी एवार्ड दिया सैन्ट्रल कमीशन भी बैठी, मगर पानी के बारे में आपस में फैसला नहीं हो पाया। इराडी कमीशन ने अपहेल्ड कर दिया कि राज-

(श्री केदारनाथ शर्मा)

स्थान का शेयर 8.6 इसमें कोई झगड़ा नहीं सिवाय रिम-स्टेशन के पानी के बारे में वह भी अलाट कर दिया गया मगर .8 को अलाट नहीं करेंगे । अध्यक्ष जी, हम अगर ज्यूडिशियल कमीशन में पार्टी बन जाते हैं जो आज हमारा पानी 8.6 मिलियन फीट एकड़ जो पंजाब के पास है आज राजस्थान में आई.जी.पी.एन. की कैपेसिटी है हमारे पास ऐसा कमाण्ड एरिया है कि हम .6 मिलियन एकड़ फीट अपना पानी पंजाब से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं । हमारा पानी जो हरियाणा में है सिद्धमुख नहर के लिए अगर यह कमीशन में आकर पैन्डिंग हो गया तो दोनों पानी तो हम युटीलाईज नहीं कर पायेंगे तो राजस्थान की खुशहाली का सवाल है, हमारे खुद की बहबूदी का सवाल है । इसमें हम पार्टी न बनें । क्योंकि फर्स्ट राउंड तय हो गया, सैकण्ड राउंड तय होने वाला है । इसलिए माननीय मुख्य-मन्त्री जी आप अपने रीएक्शन जब भी आये, पार्टी न बनें । हमारे हिस्से के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं हैं आप इस बात के लिए राजस्थान की ओर से पैरवी करोगे पहले पैरवी नहीं हो पाई हमें नुकसान भुगतना पड़ा । इस लिए मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय पर चर्चा उठाई है उस विषय पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई है । राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था उस पर भी यहां चर्चा हुई । 1981 में समझौता हुआ था उस पर भी यहां चर्चा हुई है और उस चर्चा के आधार पर हम सब लोगों का यह प्रयत्न रहा कि 1955 के एग्रीमेंट को मान्यता मिले जो 1955 के समझौते से राजस्थान को जितना पानी मिलने वाला है उतना पानी अक्षुण्ण रहे उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है । उसके बाद 1981 में समझौता किया उस समझौते के अनुसार जितना पानी 0.6 मिलियन एकड़ फिट पानी जो हमको मिलने वाला था, दुर्भाग्य से उस समझौते की ही कमजोरी रही है जिस कमजोरी की कारण पंजाब ने अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की और अभी तक कितना अनुचित लाभ उठा पाया है मैं कह नहीं सकता लेकिन हमारी पानी की मात्रा जो 55 के एग्रीमेंट के हिसाब से जितना पर्सेण्टेज रहना चाहिए था वह .6 के कारण से वह पर्सेण्टेज गिर गया जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि वह पर्सेण्टेज बढ़े । अध्यक्ष महोदय, जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ उस समझौते में दो बातों का खास तौर से उल्लेख है कि राजस्थान और पंजाब के बीच में और फर्स्ट पार्ट में तो यह है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जितना पानी है उस पानी का बंटवारा किस प्रकार से किया जाये और दूसरा यह कि जो कुछ पानी अब तक दे दिया गया है उसमें रिमेनिंग वाटर के सम्बन्ध में एराडी कमीशन उसके ऊपर फैसला करे । जैसे केदार जी कह रहे हैं 25 जुलाई 1985 को जिस राज्य को जितना पानी मिलने वाला था, कमीशन के सामने यह क्वेस्चन था कि एक तो उसको डिटरमिन करे कि 25 जुलाई, 85 को कौन-कौन राज्य के किसान, कितने-कितने पानी का प्रयोग कर रहे थे पर फार्मर यूज किया गया है जहां तक मेरी स्मरण शक्ति है । इसका असेसमेंट हुआ और असेसमेंट होने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद पंजाब कितने पानी का उपयोग करता था, राजस्थान कितने पानी का उपयोग करता था और हरियाणा कितने पानी का उपयोग करता था, यह उन्होंने निर्धारण कर दिया। उसके बाद हमारी तरफ से यह क्वेश्चन रेज किया गया कि 1955 का समझौता, यह समझौता इनटैक्ट है इसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं हरियाणा ने भी यही बात कही। पंजाब वालों का आग्रह यह था कि 1955 का समझौता खोला जाये और उस पर पुनर्विचार किया जाये। एराडी कमीशन ने इस बात को मान लिया कि 1955 का समझौता, और 1981 का समझौता इन दोनों ही समझौतों को न तो खोला जा सकता है और न इन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। जो राजस्थान का हिस्सा डिटरमिन हो चुका उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। पंजाब ने इस बात को माना नहीं। उन्होंने ईराडी कमीशन के अवार्ड को रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन दे दी। राजस्थान ने भी एक मामले पर रिव्यू करने की एप्लीकेशन दी हुई है कि राजस्थान का हिस्सा तो इनटैक्ट रख दिया लेकिन रावी का पानी जो पाकिस्तान की ओर जाता है, रिम स्टेशन के आगे जितना पानी जाता है वह शायद 1.85 है। 1.85 में से जितना पानी उन्होंने समझा कि यह पानी बेकार का जायेगा उसको माइनस करने के बाद में जितना पानी रखा है उतना पंजाब को हिस्सा दे दिया। हमारी सरकार की ओर से इस पर आपत्ति की गई कि रावी के पानी में हमारा हिस्सा 1955 और 1961 के एग्रीमेन्ट के हिसाब से जितना पानी बनता है वह बीयांड रिम स्टेशन के जितना पानी है उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिये हमने उसका भी रिव्यू कर रखा है। यह रिव्यू अभी इराडी कमीशन के सामने विचाराधीन है। मैं समझता हूं यह मामला पिछले तीन वर्षों से विचाराधीन पड़ा है। हमारी तरफ से यह प्रयत्न हो रहा है कि इस रिव्यू पर जल्दी से जल्दी फैसला हो। मैं इतना ही सदन को विश्वास दे सकता हूं कि मेरी तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जायेगी कि 1955 का एग्रीमेन्ट या 1961 का एग्रीमेन्ट या इराडी कमीशन के एवार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन भारत सरकार कर सके.... भारत सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के सैटल्ड इश्यूज को रीओपन नहीं करें। इस प्रकार के इश्यूज को रीओपन करने से अनिश्चितता पैदा होती है और अनावश्यक रूप से आपस में विवाद खड़े होते हैं। जो मामले सैटल हो गये वे सैटल हो गये। इराडी कमीशन के सामने रिव्यू में मैटर्स पड़े हैं कि रीम स्टेशन के बीयाण्ड जितना पानी है, जितना राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए वह हिस्सा नहीं दिया। उतना राजस्थान को मिल जाय, मैं इतना ही गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं। वे अलर्ट हैं, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन राज्य सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके बोलने के बाद कोई पानी मिला है क्या? 10 साल से बोल रहे हैं आप, 10 साल से मांग

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हो रही है राजस्थान की। यहां पहाड़िया जी बोले उस समय भी आपने एतराज किया, शिवचरण जी के टाइम भी आप बोले और हरिदेव जी के टाइम भी बोले। आपने इसमें क्या नई बात बतायी, आप बता दीजिए, इन दो सालों के अन्दर आपने क्या उपलब्धि की समय और निकल जाएगा, फिर आप यहां आकर फिर बोलने शुरू हो जाएंगे। आपने क्या-क्या प्रयास किये, यह बता दीजिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिये, आपको इधर नहीं आने दूंगा। आप वहीं बैठे-बैठे बोलने का अभ्यास करिये। यह चिन्ता तो आप छोड़िये कि आप इधर आने वाले हैं। इस चिन्ता के बोझ से आप दबें नहीं।

डा. हरिसिंह : आपको भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि आप उधर ही रहने वाले हैं। आपके हाथ में फैसला नहीं है, जनता ही फैसला देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं फैसला करने वाला हूं। मेरा भी फैसला जनता ही करेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता, महोदय, इधर आने उधर आने की बात नहीं, आप वहीं बैठे रहें, हमें उसमें नहीं पड़ता है। जो बात पूछी उसका जवाब दिया नहीं आपने और इधर आने उधर आने की बात कर दी। बात तो पानी की है कि राजस्थान को आप पानी दिलाने में सक्षम हैं कि नहीं। आज क्या स्थिति है ? आज प्रधान मंत्री जी से भी आपके अच्छे सम्बन्ध आप बता रहे हैं। पिछले दस वर्षों से बराबर आपने यह मांग की है कि हमारे हिस्से की पैरवी राजस्थान की सरकार नहीं कर सकी। पहले तीन साल तक आप मुख्य मंत्री रहे, 2-3 साल अब हो गये आपको। अब कौनसी ऐसी तकलीफ आ रही है आपको जिसकी वजह से पानी लेने में आप नाकामयाब हो रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सवाल पोलिटिकल है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर बहस शुरू कर दोगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : बहस नहीं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, एक बात सामान्य हो रही थी, बहस शुरू कर दी आपने। श्री रामस्वरूप मीणा, आप बोलिये। बीच-बीच में नहीं, आपको भी बुला लूंगा।

श्री हरदेव मन्दिर, हिण्डौन में चोरी

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर मामले के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। हिण्डौन सिटी में, जहां पुलिस के बड़े अफसर और सारे लोग बैठते हैं उनकी नाक के सामने, 6 लाख की एक बहुत बड़ी डकैती श्री हरदेव जी के मन्दिर में, जो चार सौ साल पुराना मन्दिर था, चार सौ साल पुरानी मूर्ति थी, हो गयी। शहर के बीच बना हुआ यह मन्दिर है जहां हजारों भक्त रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं। उसमें रात्रि को जाकर डकैतों ने मूर्ति का एक अमूल्य हीरा जो चोटी के अन्दर

(श्री रामस्वरूप मीणा)

था और जिसकी कीमत लगाना आज बड़ा मुश्किल है उस अमूल्य हीरे को, उसके साथ जितने आभूषण थे मूर्ति के उन सारों को चुरा लिया और लेकर खुले आम लेकर चले गये। तब वहां की पब्लिक में जागृति आयी और भक्तों को बहुत दुःख हुआ। लोगों ने घरों में खाना तक नहीं खाया, रोने तक लग गये। वे सीधे पुलिस स्टेशन गये और जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस के अधिकारी, डी.एस.पी. वगैरह, साढ़े तीन घण्टे लेट पहुंचे। तब तक डकैत बहुत दूर जा चुके थे। यह सारी डकैती पुलिस की लापरवाही के कारण हुई थी। अगर पुलिस उसी समय घेराबन्दी कर लेती तो वह अमुल्य हीरा और 6 लाख के आभूषण जो हरिदेव जी महाराज की मूर्ति पर बिराजमान थे, मिल जाते। इसका परिणाम हुआ कि वहां पर बाजार बन्द रहा तीन दिन तक लगातार और भूख हड़ताल और धरने चल रहे हैं। सारे अखबारों में बड़े-बड़े अक्षरों में गहनों के बारे में न्यूज आयी है। उनका डेपुटेशन आकर माननीय गृह मंत्रीजी से मिला, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को पुलिस ने इस डकैती में जब कोई कार्यवाही नहीं की उसी का परिणाम हुआ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम केवला के धूनी वाले मन्दिर पर रात्रि को डकैत गये। उन्होंने जाकर मन्दिर के पुजारी और महन्त की हत्या कर दी और लाखों रुपए के सामान को लूटकर ले गये। अगर पुलिस इस तरह अकर्मण्यता नहीं दिखाती, इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरतती हरिदेव जी के मन्दिर में.... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी).... तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के केवला गांव में जो डकैती पड़ी और महन्त की हत्या कर दी गयी, वह नहीं होती। जिला सवाईमाधोपुर के मुख्य शहरों के अन्दर इस प्रकार सरे आम भगवान की मूर्ति के, मूर्ति तो बच गयी, अमूल्य हीरा चोरी चला जाय, डकैत छः लाख का माल ले जायं, केवला के महन्त की हत्या कर जायं, माल को लूट ले जायं और आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की जाय... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) .. बड़े दुःख की बात है। जनता में रोष है। अगर इस प्रकार चोरी और डकैतों का पता नहीं लगा....

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। श्रीमती कमला भील। (अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा आर्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : यहां पर भूख हड़ताल और आमरण अनशन करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी इस बारे में जवाब दें कि उन डकैतों का कब तक पता लगाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ने मेरे को जवाब दे दिया है, आप जवाब पढ़ लेना। आपको तो अपनी बात कहने के लिए कहा है। बैठिये जवाब आ गया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनका पता तो लगाएं, साहब।

श्री अध्यक्ष : पता लग रहा है।

(श्री अध्यक्ष)

आपको अपनी बात कहनी थी इसलिए आपकी बात कह दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या डकैत पकड़े जा रहे हैं, सामान वापिस मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : डकैत पकड़े जा रहे हैं, पता लग रहा है, पुलिस देरी से क्यों पहुंची, यह सारा जवाब आ गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : हत्यारों को पकड़ा जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर वही बात कर रहे हो। उसका सुराग मिला है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : गृह मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी नहीं, मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्री जी ने ही तो आपको जवाब दिया था। आप कह रहे हो उस बात का विश्वास करता हूं मैं तो, माननीय गृह मंत्री जी का नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय गृह मत्री जी का जवाब सुना रहा हूं, मेरा नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपका कहना सही है। पता लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मामले का, हत्यारों का पता लगना चाहिए जरूर।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

नोहर के 13 गांवों का विद्युतिकरण

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र नोहर के अन्दर आर. ई. सी. स्कीम के 13 गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतिकरण कागजों में तो कर दिया गया लेकिन मौके पर कोई विद्युतिकरण नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इन गांवों को जो 1989 के अन्दर कागजों में विद्युतिकरण हो गया किन्तु मौके पर नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी विद्युतिकरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)। आ गयीं क्या ? कमला जी को बोलने दीजिए।

महिला के साथ बलात्कार

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी को एक युवती को जोर जबर्दस्ती से गाड़ी में बैठाकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया और उसके जितने भी गहने थे वे सब ले लिये गये। महिला जिसका नाम मंजुला था उसका पति बम्बई में काम कर रहा है। वह पीहर जा रही थी। वहां वेणेश्वर का मेला लग रहा था उसमें जाने के लिए खड़ी थी। इतने में एक मिनी बस आयी जो अंग्रेजी शराब सागवाड़ा ले जा रही थी। वह जब रिटर्न हुई तो बीच में टामटिया के पास एक गांव है वहां उसको ले लिया गया। वहां जो गाड़ियां चलती हैं उसमें आम तौर पर महिलाएं और आदमी आने जाने के लिए बैठ जाते हैं। वह महिला अन्दर गयी। उसने देखा कि उस मिनी बस के अन्दर बहुत सारे ऐसे आदमी बैठे हैं। चाकू की नोक पर उससे जबर्दस्ती करने की कोशिश

(श्रीमती कमला भील)

की गयी। वह भयभीत हुई और वहीं की वहीं खड़ी रही। इतने में टामटिया एक जगह है जहां बेरियर आता है, वहां पर गाड़ी धीमी होती है। धीमी होने पर वह कूद गयी। कूद जाने पर हालांकि वह बच गयी पर घायल इतनी हुई कि हर तरफ चोटें आयी हैं। उसके थैले में कई तरह के चांदी के गहने थे वे भी रह गये उसी में। इसके बाद कोई एस.एच.ओ. हैं वरदा में, हमारे टामटिया के सरपंच ने उनको वायरलैस किया और उनको सागवाड़ा के अन्दर पकड़वाया। एस.एच.ओ. ने वहां जाकर बात की, क्या किया, मालूम नहीं और सांठ-गांठ करके उनको छोड़ दिया। छोड़ देने के कारण आदिवासियों में आक्रोश भर गया। अभियुक्तों को इस तरह छोड़ना उपयुक्त नहीं था। आप स्वयं जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि भारतीय दण्ड संहिता और एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोगों को अपने बचाव के लिए, अपने हकों के लिए लड़ने के अधिकार हैं। परन्तु पुलिस के लोगों ने इस पर कार्यवाही नहीं की। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से दिग्विजय सिंह जी, होम मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अभियुक्तों को जल्दी से जल्दी पकड़ें और जो जेवरात इस महिला के गये हैं वे वापस दिलवाये जायं। अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दें जिससे कि वहां के आदिवासियों में जन-आक्रोश बना हुआ है वह ठीक हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल मेघवाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वहां के एस.पी. को आज ही निर्देश दे रहे हैं कि एस.पी. स्वयं ही इस सारे मामले की तफतीश करें और जल्द से जल्द मुलजिमानों की गिरफ्तारी कर माल की बरामदगी का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल जी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उल्लेख

सुजानगढ़ (चूरु) में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा निर्मित योजनाओं को पाइप लाइन से जोड़े जाने के संबंध में

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत पंचायत समिति सुजानगढ़ (चूरु) में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चूरु द्वारा जलदाय विभाग के लिए बनवाए गए जी.एल.आर., सी.डब्ल्यू.टी., पी.एस.पी. खेल एवं कोठा आदि को पाइप लाइन से आज तक नहीं जोड़े जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति सुजानगढ़ में डी.आर.डी.ए. द्वारा स्वीकृत जलदाय विभाग एवं पंचायतों द्वारा निर्मित खेल-कोठा, पी.एस.पी. एवं जी.एल.आर. जो 1985 में बनाए गए हैं उन्हें आज तक भी पानी की पाइप लाइनों से नहीं जोड़ा गया है। जलदाय विभाग द्वारा बनवाये गए इन जी.एल.आर. में से कुछ को तो जोड़ा जा चुका है मगर ग्राम पंचायतों द्वारा बनवाये गए खेल-कोठों को पानी की पाइप लाइनों से एक को भी नहीं जोड़ा गया है जिससे वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

हो चुके हैं। खेल-कोठा काफी अर्से से यों ही पड़े रहने एवं उनमें पानी नहीं डालने से उनमें दरारें पड़ गई हैं, टूट-फूट हो रही है। मगर बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि जलदाय विभाग के लिए बनवाये इन शेष पानी के साधनों को आज तक भी पाइप लाइनों से नहीं जोड़ा जाना दुःख की बात है।

डी.आर.डी.ए.उक्त पानी के साधनों को बनवाने के लिए तो धनराशि उपलब्ध करवाता है लेकिन पाइप लाइनों से जोड़ने के लिए कोई धनराशि नहीं उपलब्ध करवाई जाती है और ना ही जलदाय विभाग अपने बजट से इनको जोड़ रहा है।

अतः निवेदन है कि चाहे डी.आर.डी.ए. या पी.एच.ई.डी. धनराशि उपलब्ध करवाये मगर इनको पानी की पाइप लाइनों से जोड़ा जाना निहायत जरुरी है ताकि इनका सदुपयोग हो सके तथा इन्हें टूट-फूट से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर भी बैठे हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूरु जिले के अन्दर डी.आर.डी.ए. द्वारा जी.एल.आर., खेल-कोठा, पी.एस.पी. एवं सी.डब्ल्यू.टी. बनाई जा रही है और पिछले 4-5 सालों से ग्रामीण पंचायतों द्वारा जो बनाए गए हैं उनको भी पी.एच.ई.डी. के जरिए से एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है और डी.आर.डी.ए. उनके लिए कोई धन का प्रावधान नहीं कर रहा है इसलिए यह बड़ी-विचित्र स्थिति है। वह खेल-कोठे खाली छोड़ दिए गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पी.एच.ई.डी. इसकी व्यवस्था करें, क्योंकि पी.एच.ई.डी. के लिए ही बनाए गए हैं। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 9 तारीख को 295 का प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : यह आप बाद में पूछना। चेम्बर में पूछना।

श्री बालचन्द आर्यवीर।

झालावाड़ जिले में निगम बसों की बिगड़ती व्यवस्था

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत झालावाड़ जिले में परिवहन निगम की बसों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के परिवहन बस डिपो में भारी अव्यवस्था हो रही है। डिपो से कोई भी बस समय पर नहीं निकलती और निकल भी जाती है तो रास्ते में ही जंगल में मंगल करने लगती हैं और जनता परेशान हो जाती है। डिपो से ही बसें खराब हालत में निकाल दी जाती हैं, डिपो की देख-भाल के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी कभी भी मौजूद नहीं रहते हैं। झालावाड़ डिपो से डग, भवानी मंडी, चौमेला, सुनेल, पिड़ावा, मनोहर

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

थाना, अकलेरा,

(12.35 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

खानपुर के रुटों पर चलने वाली अधिकांश बसें खराब हैं उनके अन्दर सीटें नहीं होती हैं, कांच टूटे हुए होते हैं, टायर खराब हालत में होते हैं जिसके कारण से बसें निकलते ही खड़ी हो जाती हैं। ड्राइवर उपलब्ध नहीं होते हैं, ड्राइवर उपलब्ध होते हैं तो परिचालक नहीं होते हैं और अधिकारियों द्वारा रुटों पर चलने के लिए परिचालकों से सौदेबाजी की जाती है। बसें कई घण्टे विलम्ब हो जाती हैं, जनता समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाती। अधिकारियों की मिली भगत से राष्ट्रीयकृत रुटों पर झालावाड़ से भवानी मण्डी, भवानी मण्डी से डग, डग से चौमेला, भवानी मण्डी से पिड़ावा, झालरापाटन से अकलेरा, झालावाड़ से खानपुर, झालरापाटन से पिड़ावा, झालरापाटन से सुनेल आदि रुटों पर भारी मात्रा में अवैध बसों का संचालन हो रहा है। मैं यातायात मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अवैध वाहनों के चलने से सरकार की रेवेन्यू भी मारी जा रही है। इसलिए कड़ी कार्यवाही कर उनको बन्द किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डग से नन्दपुर-लहुरिया, पिड़ावा से अन्य जिलों में ऐसे कई रुट हैं, जिनको सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है लेकिन वहां पर बसों का संचालन नहीं होने से ग्रामीण जनता को आवागमन के लिए भारी असुविधा हो रही है। भवानी मण्डी से सांवलिया, भवानी मण्डी से जयपुर बसों की घोषणा पूर्व में की गई थी लेकिन अभी तक प्रारम्भ नहीं होने से काफी असुविधा हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्रीजी से मांग करता हूं कि झालावाड़ जिले के डिपो की हालत में सुधार किया जाय ताकि समय पर बसों का संचालन हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हबीबुर रहमान (अनुपस्थित)। श्री दयाराम जी परमार।

तेंदू पत्ता एवं लघु वन उपज एकत्रित न करने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत में फुलवारी की माल अभ्यारण्य में निवास करने वाले आदिवासियों को तेंदू पत्ता एवं लघु वन उपज एकत्रित न करने देने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि फुलवारी की माल नामक वन्य अभ्यारण्य की घोषणा 1983 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में कोटड़ा एवं झाड़ोल के करीब 72 राजस्व गांव आते हैं। इन गांवों में सैकड़ों वर्षों से आदिवासी अपना निवास करते आ रहे हैं। और वन्य उपज में तेंदू पत्ता, मूसली, महुआ एवं गोंद एकत्र करके अपना गुजारा भी करते

(श्री दयाराम परमार)

आ रहे हैं लेकिन 1989-90 से तेंदू पत्ता व अन्य वन्य उपज लेने पर रोक लगा दी गई है जिससे अभ्यारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले तीन हजार आदिवासियों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यही नहीं इन पिछले सालों में जितने भी अकाल पड़े हैं उन दिनों में वहां के लोग तेंदू एवं बिलों के फल खाकर तीन-तीन महिनों का समय गुजारा है। किन्तु आज उस वन में खाने के फल लेना तो दूर रहा लेकिन प्रवेश भी कानूनी रूप से अपराध बन गया है। हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि आदिवासियों का जीवन पालतू पशुओं के जीवन से अधिक अच्छा नहीं है। फुलवारी की माल के वन्य अभ्यारण्य बन जाने के बाद उक्त वन में प्रवेश पर रोक लग जाने के पश्चात् तो हम यह महसूस करने लगे हैं कि आदिवासियों का जीवन वन्य पशुओं से भी गया बीता है। क्योंकि सरकार ने वन्य अभ्यारण्य केवल इसलिए बनाया है कि वन्य पशुओं को देखकर लोग आनन्द ले सकें जबकि वहां रहने वाले आदिवासियों की आजीविका के साथ-साथ उनके पशुओं को चराने का प्रश्न भी अलग खड़ा हो गया है।

आज उक्त अभ्यारण्य क्षेत्र के वनों में लाखों रुपये के तेंदू पत्ता, सफेद मूसली व महुआ प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु इस पर रोक लगाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, उद्देश्य है यह हमारी समझ से परे है। क्योंकि पड़ौस के राज्य गुजरात में जो भी वन्य अभ्यारण्य हैं उनमें से तेंदू पत्ता एवं अन्य लघु उपज लेने की छूट है।

राजस्थान सरकार का यह तर्क कि छूट देने से जंगल बर्बाद होंगे यह बात सत्यता से परे है। क्योंकि सदियों से वहां पर रहने वाले लोगों ने जंगल को काटा नहीं बल्कि हमेशा उसकी रक्षा की है। इसलिए आज वहां जंगल मौजूद है। अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि फुलवारी की माल वन्य अभ्यारण्य से वहां के आदिवासियों को तेंदू पत्ता व अन्य लघु वन उपज को एकत्र करने की छूट दी जाय जिससे वहां के लोगों को आजीविका साधन उपलब्ध हो सके और साथ-साथ राज्य सरकार को भी लाखों रुपयों की राजस्व आय प्राप्त हो सके। वहां पर एक तथ्यात्मक सत्यता और है कि वन कर्मचारी एवं ठेकेदार आपसी सांठ-गांठ करके तेंदू पत्ते वन्य अभ्यारण्य से तुड़वा कर अवैध रूप से बेच देते हैं जिससे सरकार को बहुत बड़ी राजस्व की हानि होती है।

आशा है कि सरकार इस लोक महत्व के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी अन्यथा सरकार के अमानवीय दृष्टिकोण एवं व्यवहार का विरोध करने के लिए उतारू होना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुराम गरासिया।

सिरोही जिले के गांव निचलागढ़ के ग्रामदानी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष अजीज खान द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के क्रम में।

(श्री प्रभुराम गरासिया)

आचार्य विनोबा भावे के आव्हान पर और प्रदेय गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही जिले की जनता ने कई गांव ग्रामदान योजना में अर्पित किये। उनमें से एक गांव निचलागढ़ मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। इस ग्रामदानी गांव के अन्तर्गत मुख्य गांव के अतिरिक्त छोटे बड़े अन्य गांव भी आते हैं। इन सबको मिलाकर एक ग्रामदानी बोर्ड बनाया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अजीज खान चुने गये। इन अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने पद का घोर दुरूपयोग करते हुये अनेक गबन एवं घोटाले किये गये हैं, जिसकी एक बानगी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं :—

1. ग्रामदानी कानून के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम संख्या 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। यानि कोई भी व्यक्ति अधिकतम छः वर्ष से अधिक समय के लिये अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता। किन्तु अचम्भे की बात है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर श्री अजीज खान गत 20 वर्षों से अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाये हुये हैं और नियमों का पालन करवाने के लिये उत्तरदायी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

2. पंचायत समिति आबू रोड द्वारा साठ हजार रुपये 50 सुलभ शौचालय बनाने हेतु प्रदान किये गये थे। किन्तु शौचालय आज तक नहीं बने।

3. बेरांफली में एक कुआ बनवाने हेतु रुपये पच्चीस हजार प्राप्त हुये और सब खर्च बता दिये गये। जबकि वहें कुआ गांव वालों द्वारा पहले ही खोद दिया गया था।

4. निचलागढ़ में एक विद्यालय भवन बनवाने हेतु रुपये साठ हजार से अधिक राशि प्राप्त हुई। उसके बावजूद वह भवन अधूरा है।

5. जवाहर रोजगार योजना में श्री अजीज खान लगभग पचास हजार रुपये प्राप्त कर चुके हैं किन्तु उक्त राशि कहां खर्च की गई यह मालूम नहीं।

6. निचला खेजड़ा गांव में एक विद्यालय भवन बनाने हेतु श्री अजीज खान ने पंचायत समिति आबूरोड से लगभग एक लाख रुपये प्राप्त किये किन्तु न तो विद्यालय भवन बनाकर सौंपा गया और न ही उक्त रकम लौटायी गई।

7. सुलभ शौचालय बनवाने हेतु जो पच्चीस हजार रुपये सन् 1988 में प्राप्त हुए थे वे श्री अजीज खान द्वारा दिनांक 19-11-91 को पुनः जमा करवाये गये। इस पौने चार साल की अवधि के लिये उक्त राशि का ब्याज 12 प्रतिशत की दर से जमा करवाने हेतु पंचायत समिति द्वारा श्री अजीज खान को नोटिस दिया गया किन्तु तीन माह व्यतीत होने के बावजूद वह 11250/- रुपये की राशि श्री अजीज खान द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाई गयी है। पंचायत समिति द्वारा नोटिस जारी किया जाना यह दर्शाता है, कि उक्त 25000/- रुपये जनहित में उपयोग हुये बिना ही श्री अजीज खान के पास पड़ा रहा। इससे कई नये प्रश्न पैदा होते हैं।

(श्री प्रभुराम गरासिया)

श्री खान ने बकाये पैसे किसी बैंक में रख कर इस पर कोई ब्याज लगाया था ? क्या वर्ष 1987-88 से लेकर आज तक ग्रामदानी गांव निचलागढ़ की आडिट नहीं हुई ? यदि हुई तो यह तथ्य उनकी पकड़ में क्यों नहीं आया ? यदि आडिट रिपोर्ट में यह तथ्य आ चुका था तो उस पर कार्यवाही इतनी देर बाद क्यों हुई ? इस सब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

8. आंगनबाड़ी भवन के लिये रुपये 66 हजार स्वीकृत हुये थे, किन्तु भवन अभी तक अधूरा है।

9. उपरोक्त सब को मिलाकर श्री अजीज खान का गत सात वर्षों में लगभग साढ़े आठ लाख रुपये गरीब एवं भोले-भाले आदिवासियों के उत्थान हेतु सौंपे गये। सरकार के लाखों रुपये तो खर्च हो गये किन्तु उन आदिवासी भाइयों की हालत अब भी वही है।

अतः मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान गरीब आदिवासियों के इस शोषण की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करता हूं कि श्री अजीज खान अध्यक्ष ग्रामदानी गांव निचलागढ़ के विरुद्ध जांच करवायें और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें। जांच प्रारम्भ करने से पूर्व यदि श्री अजीज खान को अध्यक्ष पद से निलम्बित कर दिया जाय तो जांच कार्य अधिक प्रभावी एवं फलदायी हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में हैण्ड पम्पों की दुर्दशा तथा पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य के जलदाय एवं अभियांत्रिक मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सरकारी एवं सार्वजनिक हैण्डपम्पों की दुर्दशा ठीक कराकर इस अकाल की घड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता को पेयजल सुलभ कराने का अनुरोध करता हूं। अधिकारियों का अनगिनत बार ध्यान दिलाने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे क्षेत्र में 24 टंकियां टी. एस. एस. के माध्यम से बनी हुई हैं जो अभी सूखी पड़ी हुई हैं। उदाहरणार्थ बस्सी आगरा रोड़ की एक ढाणी पटेलान के सरकारी हैण्ड पम्प के सामान को खोलकर छिपा लेने व उसमें कंकर पत्थर डालकर खराब करने वालों को मना करने पर मास्टर मूलचन्द शर्मा के साथ रामगोपाल, केदार, रूपनारायण आदि ने गिरोह बनाकर कातिलाना हमला किया। हमलावारों के विरुद्ध एफ. आई. आर. 213/89 पुलिस थाना बस्सी से अभियोग दर्ज हुआ किन्तु जलदाय विभाग के लोगों ने अपराधियों से मिलकर रामगोपाल से सरकारी हैण्डपम्प का कुछ सामान जमा कर उसे दण्डित नहीं होने दिया और न अप्राप्त सामान को दिलाने हेतु आज तक पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज हुई। अभियुक्तों को दण्डित नहीं होने दिया जबकि अपराधियों ने सरकारी हैण्डपम्प के सामान को अपने हैण्डपम्प में लगाकर सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया है।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

इस सार्वजनिक हैण्डपम्प के दो वर्ष से बन्द रहने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को आगरा रोड क्रास करके बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पिछली जुलाई में सड़क पास कर पानी लेकर आते हुये बालिका आशा ट्रक के नीचे कुचली जाकर प्राण गंवा चुकी है किन्तु पानी की किल्लत दूर करने हेतु न तो इस हैण्डपम्प को चालू करवाया गया और न ही दूसरा हैण्डपम्प लगाने की कार्यवाही की गई। इसकी शिकायत माननीय श्री जिलाधीश जिला सतर्कता एवं अभाव एवं अभियोग समिति, जयपुर में मेरे द्वारा कई बार की गई।

मेरी राज्य के जलदाय विभाग के मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में करीब 40 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब पड़े हैं उनको ठीक करवायें तथा हैण्डपम्प का सामान चुराकर छिपाने वालों के खिलाफ अभियोग दर्ज करवा कर सामान बरामद करवाया जावे। तथा इन्हें दण्डित करवाकर जनहित में हैण्डपम्प को दूसरे स्थान पर लगवाने हेतु कठोर कार्यवाही करवा कर अनुगृहित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल धाकड़।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम, प्रक्रिया 295 के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान बेगूं विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की धरती बड़ी उपजाऊ है किन्तु सिंचाई सुविधाओं के अभाव में दोनों फसलें बराबर पैदा नहीं होती। इस कमी को निम्नलिखित बांधों को बांध कर पूरा किया जा सकता है :—

1. मेनाली बांध : यह बांध मेनाली नदी पर सामरिया से पूर्व की ओर बनना प्रस्तावित है इसका अधूरा सर्वे बहुत पहले हो चुका है। इस बांध की विशेषता यह है कि इस की डूब में किसी भी व्यक्ति का खेत, कुआ, मकान या जमीन नहीं आती। जिसे कि हटाना पड़े या मुआवजा देना पड़े। मेनाली नदी में पानी की आवक भी अच्छी है। बांध के पूर्ण हो जाने पर इससे ग्राम पंचायत सादी, ठकराई, रायता, सामरिया और आंवलहेड़ा के गांवों की जमीन सिंचित की जा सकेगी।

2. रूपारेल बांध : यह बांध रूपारेल नदी पर गांव नाल के पास प्रस्तावित है। सर्वे आदि हो चुका है इसका कार्य आरम्भ भी हो चुका है। लाखों रुपये खर्च भी हो चुके हैं। कभी अकाल राहत में तो कभी किसी अन्य मद में किन्तु अभी तक योजना में नहीं लिया जा सकने से अधरझूल में अटका हुआ है। इसके बंध जाने पर ग्राम पंचायत खेड़ी, भीचोर, खेरपुरा, कांटून्दा एवं परिसोली के गांवों की जमीन सिंचित हो सकेगी।

3. करेना बांध : इस बांध के बंध

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

जाने पर ग्राम पंचायत गोपालपुरा एवं बोराव के गांवों की जमीन सिंचित की जा सकेगी। महोदय, किसान के पास अगर जमीन है, मेहनत है, खाद-बीज है किन्तु जमीन पर पानी नहीं है तो सब बेकार है। अतः इन सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

तहसील किशनगंज बारां में बांग्ला देश के विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन कराने के सम्बन्ध में।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत तहसील किशनगंज बारां में बांग्ला देश के विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन।

राजस्थान सरकार ने बांग्लादेश के शरणार्थियों को पुनर्वास हेतु तहसील किशनगंज के पांच गांव में राजस्व सचिव के पत्र क्रमांक 24972 एवं 15 "204" राजस्व दिनांक 6-11-56 एवं अतिरिक्त सचिव राजस्व के आदेश संख्या 6 "15" 204/राजस्व/ए 56/ से. वन विभाग से राजस्व विभाग में हस्तान्तरण की गयी थी। जो पुनर्वास विभाग को प्राप्त हुई थी। इस भूमि में से 1976 में 51 बांग्ला देश के विस्थापित परिवारों को दस-दस बीघा भूमि प्रत्येक परिवार को कृषि कार्य हेतु आवंटित की गयी थी। यह भूमि पथरीली, ऊबड़-खाबड़ बजर नाकाबिल काश्त भूमि थी। जिस पर इन आवंटित परिवारों ने काफी लगन एवं मेहनत से कार्य किया, किन्तु यह भूमि खेती योग्य नहीं हो पाई और यह भूमि आज भी बंजर व नाकाबिल काश्त है जिससे इन विस्थापित परिवारों के सामने शुरू से ही जीविकोपार्जन की समस्या बनी हुई है। राज्य सरकार से व उच्च अधिकारियों से इन विस्थापित परिवारों ने इस बंजर भूमि की जगह दूसरी भूमि आवंटित करने हेतु निवेदन किया, किन्तु इन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की गयी। और भूमि नहीं होने का बहाना बनाया गया। राज्य सरकार ने किशनगंज तहसील की पांच गांवों की भूमि पुनर्वास विभाग को इन विस्थापित परिवारों को आवंटन हेतु दी थी, जिसकी समस्त पत्रावलियां राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। सरकार ने पुनर्वास विभाग को इन पांचों ग्रामों में 26497 बीघा भूमि हस्तान्तरण की थी जो सिर्फ विस्थापितों के लिए सुरक्षित थी। ग्राम परानिया की 17820 बीघा भूमि में से 7258 बीघा भूमि आदिवासी एवं विस्थापित परिवारों को आवंटन हेतु वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित की थी। इस भूमि में से 4383 बीघा भूमि आदिवासी एवं विस्थापित परिवारों को आवंटित कर दी गयी थी। जिस पर वह काबिज एवं काश्त कर रहे हैं। शेष 2915 बीघा भूमि अभी तक भी वन विभाग के कब्जे में है जो राजस्व रिकार्ड में राजस्व की भूमि है। मेरी सरकार से मांग है कि राजस्व विभाग की इस भूमि को जो सिर्फ विस्थापित व आदिवासी परिवारों के लिये आरक्षित है वन विभाग से मौके पर पुनर्वास विभाग को दिलवाकर उन विस्थापित परिवारों को आवंटित करवाई जाये जिन्हें पूर्व में नाकाबिल काश्त

(श्री हेमराज मीणा)

बंजर भूमि आवंटित कर दी गयी थी। ताकि उन विस्थापित परिवारों की जीविकोपार्जन का समाधान हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

बीकानेर में मुक्ता प्रसाद नगर में मध्यम आय वर्ग (ब) के 169 मकानों के आवंटन में कथित घोटालों के सम्बन्ध में।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में दिनांक 30-1-91 को आवंटित मध्यम आय वर्ग (ब) के 169 मकानों में 23,66,000 रुपये का सरकार के चूना लगाने के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर नगर में 30-1-91 को मुक्ता प्रसाद नगर के मध्यम आय वर्ग (ब) के 169 मकानों की लाटरी खोली गई थी। उक्त मकानों के आवंटियों को प्रथम बार आरक्षण पत्र जारी किये गये। उन आवंटियों से प्रथम किश्त के रूप में 12000/- रुपये द्वितीय किश्त के रूप में 12000/- व तृतीय किश्त के रूप में 6400/- रुपये की राशि अर्थात 30400/- जमा कराने हेतु सूचित किया गया था।

परन्तु इसके पश्चात् इन्हीं आवेदक को पुनः संशोधित पत्र जारी करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 6000/- रुपये, द्वितीय किश्त के रूप में 6000/- रुपये व तृतीय किश्त के रूप में 4400/- इस प्रकार कुल 16400 जमा कराने हेतु सूचित किया गया। जिससे आवेदक ने इन्हीं संशोधन पत्रों के आधार पर पूर्वग्रहण राशि जमा करवा दी जबकि नियमानुसार 12000+12000+6400 इस प्रकार कुल 30400 रुपये जमा होने थे। इससे मण्डल को 23,66,000/- रुपये की आर्थिक हानि हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उक्त अधिकारी ने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। सारे कानून कायदे तोड़ कर बहुत बड़ी रकम हड़पी है। अतः जिसने मण्डल को हानि पहुंचाई। उसे दण्ड मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल। माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं। मोहन लालजी आप बैठ जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह बात सही है कि यह ध्यान में आया कि उनके पास जमीन ज्यादा है और पैसे कम दिये है इसलिए हमने यह कर दिया है कि जो रकम बाकी रह गयी है वह वसूल करने के बाद ही, कार्यवाही करेंगे इसलिए यह चूना लगाने वाली बात अब सम्भव नहीं है। बिल्कुल पूरी रकम वसूल करने के बाद ही उनको लाभ पहुंचेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी।

पंचायत समिति जायल, जिला नागौर की कतिपय सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 295 के तहत ऐसा निवेदन कर रहा हूं कि पंचायत समिति जायल जिला नागौर में सड़क का डामरीकरण बाबत विशेष उल्लेख।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जायल जिला नागौर में कुछ मुख्य सड़कें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

डामरीकरण नहीं होने से ग्राम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ग्राम बूरडी से हुडास 15 कि.मी. तक की सड़क के डामरी करण हो जाने से नागौर से दिल्ली डायरेक्ट बस का रूट हो जायेगा। तथा सोमणा से माताजी तक 9 कि.मी. डामरीकरण हो जाने से जायल पंचायत समिति मुख्यालय जुड़ जायेगा और माताजी से तरनाऊ 9 कि.मी. के डामरीकरण से मुख्य सड़क से जुड़ जायेगी इसी प्रकार दुगोली से खाबड़ियाना 9 कि.मी. डामरीकरण हो जाने से सुजानगढ़ से जुड़ जायेगी। तो इसलिए मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह 2-3 साल पहले, एक दो बार मैं उनके मकान पर जाकर भी मिला था और कहा था, वह कैसे कर देंगे। वह सुनवाई तो करते नहीं हैं। मैं आपको छोटी सी कविता सुना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : 295 में कविता नहीं आती है बारूपाल साहब।

एक माननीय सदस्य : आ जायेगी साहब मैं निवेदन करता हूं कि यह भगवान के नाम की कविता है।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर उनके कथन में कविता नहीं आयेगी तो भाषण निराधार हो जायेगा।

श्री मोहनलाल बारूपाल : मैं कविता सुना दूं : कह दास सगराम रामरस का ले गटका ओ अवसर मत चूक चार दिन का है चटका, अ चटका चूक्या पाछे भी लेणा दूजी बार लख चौरासी जूण में, दुख को अन्त न पार दुख को अन्तनपार घणा मारो ला, भटका। कह दास सगराम, रामरस का ले गटका। देख पराई चोट क्यों दुखी तरसावे जीव। लूखा पटाकू का ठण्डो पानी पीव। मनुष्य जनमने पाय के शुक्रकरणी जोय। अन्त समय में जाय गातो याद करेगा तोय। तो वो आगे सवाई माधोपुर चली गई। वहां आगे मंगती ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है, उसने कहा कि मेरा नाम है धनुड़ी। वह भीख मांग रही थी और जब वह जयपुर वापस आ गई तो सहेलियों ने पूछा कि तू वापस कैसे आ गई तो वो बोली मैं वापस इसलिए आ गई कि लक्ष्मी तो छाना चुगे, धनुड़ी मांगे भीख। आगे से पीछा भला, ठन-ठन गोपाल ठीक।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया आपका। बिराजिये। श्री गोपाल सिंह जी।

(1.00 म.प.)

आहोर क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत आहोर क्षेत्र की तीन मुख्य सड़कों के डामरीकरण की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, आहोर क्षेत्र की तीन मुख्य सडकों के डामरीकरण की सरकार से मांग करूंगा। ये सड़कें निम्न हैं :—

(1) सांडेराव से मोकलसर वाया गुड़िया, कवराड़ा, चांदराई, शंखवाली, जिसकी लम्बाई करीब 25 किलोमीटर है

(श्री गोपाल सिंह)

का डामरीकरण बहुत ही आवश्यक है। इस सड़क के बन जाने से आहोर क्षेत्र के करीब 50 गांवों के किसानों, व्यापारियों एवं जनता को बहुत ही राहत पहुंचेगी। इस सड़क को आहोर क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाय तो कोई बड़ी बात न होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(2) मांद्राजून से मोकलसर वाया रामा मोरड़ा नीलकंठ होती हुई जालौर की सरहद तक डामरीकरण कराना भी बहुत ही आवश्यक है। इस इलाके के ग्रामों के किसानों, व्यापारियों एवं जनता को किसी भी कार्य के लिए बड़े शहरों की तरफ जाने के लिए कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां उन्हें पक्की सड़क का सहारा मिल सके। यह सड़क बन जाने से जयपुर से बाड़मेर का रास्ता बहुत ही छोटा हो जायेगा जो सुरक्षा के आधार पर भी बहुत ही आवश्यक है। अतः इस सड़क का डामरीकरण अवश्य ही कराया जावे।

(3) जालौर हरजी डोडियाली सड़क वाया कालीवाड़ा हरजी डोडियाली होती हुई सुमेरपुर (पाली) की सरहद तक, का डामरीकरण निहायत जरूरी है। जालौर एक बहुत अच्छे और मेहनती काश्तकारों का जिला है और इनकी सारी उपज सुमेरपुर मण्डी में जाती है और यह सड़क इनके लिए बहुत ही उपयोगी और कम दूरी वाली उपयोगी सड़क सिद्ध होगी।

उपरोक्त तीन सड़कों को अवश्य डामरीकरण के लिए लिया जावे, यह मेरा सरकार एवं सार्वजनिक मन्त्री महोदय को निवेदन है ताकि आहोर क्षेत्र की ज्यादातर जनता को राहत पहुंचाई जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लाल जी चौहान।

पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिये पंचायत राज मन्त्री जी का सदन में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला नागौर में 11 पंचायत समितियां हैं। इन पंचायत समितियों के अन्तर्गत एक हजार से अधिक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के पद एक वर्ष से रिक्त चले आ रहे हैं। ग्रामीण अंचल के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के पद नहीं भरे जाने से विद्यालयों में शिक्षा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। ग्रामीण अंचल के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जिला नागौर में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने का मुख्य कारण जिला परिषद द्वारा चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करना है। इस कारण से जिला परिषद अध्यापकों के चयन नहीं कर पाया है तथा जिला नागौर में ट्रेंड अध्यापक मारे-मारे फिर रहे हैं।

इस प्रकार एक वर्ष से जिला नागौर में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने से यह एक लोक महत्व का गम्भीर मामला है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय पंचायत राज मन्त्रीजी से मांग

(श्री मोहनलाल चौहान)...

करता हूं कि जिला नागौर में प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अस्थाई अध्यापकों की नियुक्ति हेतु पंचायत समितियों के प्रशासकों को आदेश अथवा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र तत्काल जारी कराने के आदेश प्रदान कराये जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नागौर जिले का गम्भीर मामला है। अध्यापकों के 1000 पद खाली पड़े हैं और एक वर्ष से भरे नहीं जा रहे हैं। मैं आसन के मार्फत यह निर्देश चाहूंगा कि एन.ओ.सी. देकर टेम्परेरी अध्यापक तो लगा सकते हैं। पंचायत समितियों में बी.डी.ओ. काम करते हैं उनको आप टेम्परेरी नियुक्ति के लिए एन.ओ.सी. तो जारी करवा दें। एक-एक साल से पद नहीं भर रहे हैं। यह हाईकोर्ट के चक्कर में उलझा हुआ है। नागौर जिले के सारे अध्यापकों का मामला है, आप पंचायत राज मंत्रीजी को बुलाकर हमें आश्वासन दिलाओ। ये अध्यापकों का मामला है, एक हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं। ये क्यों खाली पड़े हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपने 295 में जो विशेष उल्लेख दिया है, वह सरकार के पास जायेगा। आपने जो बात कही है, वह भी सुन ली गई है। बिराजिये आप। डा. चन्द्रभान।

मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में व्यापक पेयजल संकट

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में व्यापक पेयजल संकट के सम्बन्ध में एवं उसके समाधान के लिए माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा विधान सभा क्षेत्र की अलसीसर पंचायत समिति के 54 गांवों में भूजल खारा है और वह पीने योग्य नहीं है। इन गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से लूट्टू जल प्रदाय योजना एवं गांगियासर जल प्रदाय योजना मुख्य रूप से कार्यरत है। लूट्टू जल प्रदाय योजना लम्बे समय से कार्यरत है लेकिन जनसंख्या के बढ़ते दवाब तथा पानी की खपत बढ़ने के बावजूद इस योजना का सरकार ने न तो विस्तार किया है और न ही सुदृढ़ीकरण। लूट्टू गांव में इस योजना के अन्तर्गत कुल 19 कुए हैं और उनमें से आम तौर पर 14 कुए ही कार्य करते हैं और वे भी बिजली के अभाव तथा कई बार ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पूरे समय काम नहीं करते हैं। लूट्टू ने विभिन्न गांवों को पाइप लाइन के द्वारा जोड़ा हुआ है। ये पाइप लाइनें बहुत पुरानी और क्षतिग्रस्त हैं। इन लाइनों को परिवर्तित करने हेतु विभाग ने निर्णय लिया था और कई बड़े गांवों, क्याली, बाडेर, टमकोर, जाबासर आदि को सीधी पाइप लाइनों से जोड़ने का कार्य दो वर्ष पूर्व शुरू भी हुआ था लेकिन इस वर्ष अभी तक पाइपें नहीं जाने से कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। गांगियासर जल प्रदाय योजना को भी सफल बनाने में पाइप नहीं होना एक बड़ी वजह है। इन दोनों

(डा. चन्द्रभान)

परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी भी आवश्यकतानुसार नहीं हैं तथा वे संवेदनशील भी नहीं है। बार-बार विभाग से मांग करने के बावजूद लूट्टू एवं गांगियासर परियोजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक भी जीप नहीं उपलब्ध कराई गई है। खारे पानी के गांवों में पानी को मीठा करने वाले डिसेलीनेशन व डिफ्लोरेशन प्लांट भी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। जिससे इस गर्मी के मौसम में ग्रामीणों के सामने पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है।

महोदय, मण्डावा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी लम्बा है तथा रेगिस्तानी इलाका है जिनमें मण्डावा, बिसाऊ एवं मलसीसर कस्बों सहित करीब 250 गांव व ढाणी हैं। मण्डावा व बिसाऊ कस्बे में भी गर्मी के मौसम में पेयजल संकट गहराता है। 2 वर्ष पूर्व में बिसाऊ में स्वीकृत "ओवर हैड टैंक" का कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ हैं तथा ऊंचे मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचता है। क्षेत्र में करीब 70 ढाणियां, मजरे और नये राजस्व गांव हैं वहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि इनमें से 40 ढाणी, मजरे और गांवों में भूजल मीठा है तथा विद्युतिकृत भी है। इन गांवों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और बिजली विभाग के आपसी झगड़े विवाद के कारण पानी की कोई व्यवस्था नहीं बनी है। क्षेत्र में 32 जी.एल आर. की टंकियां हैं लेकिन उन्हें अभी कुओं से नहीं जोड़ा गया है। क्षेत्र में स्वीकृत हैण्डपम्प नहीं खोदे गए हैं और पुराने हैण्डपम्प खराब पड़े हैं।

अतः महोदय, मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को सरकार गम्भीरता से ले और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे प्राथमिकता के आधार पर इस मानवीय समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री हीरालाल आर्य।

अध्यापकों की नियुक्ति

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षित अध्यापकों की वरिष्ठता सूची बनाने, स्थायी वरिष्ठता सूची बनाने तथा बोनस अंक दिए जाने तथा प्रान्त के बाहर के डिग्रीधारी व्यक्तियों को नियुक्ति न दिए जाने बाबत मैं नियम 295 के तहत शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में बहुत पीछे है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। अतः राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन प्रान्त के विभिन्न विद्यालयों में भारी संख्या में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों से यह कार्य नहीं हो पा रहा है।

यद्यपि राज्य सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास कर रही है

(श्री हीरालाल आर्य)

लेकिन शिक्षकों के चयन में बरती जा रही अनियमितता तथा विसंगतियों के कारण हर जिले में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तथा शिक्षकों का चयन नहीं हो पा रहा है। कई स्थानों पर चयनित सूची तैयार है लेकिन निकल नहीं पा रही है। एक तरफ शिक्षकों के चयन में बरती जा रही अनियमितता तथा विसंगतियों से प्रशिक्षित शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है तथा दूसरी ओर विद्यालयों में शिक्षकों के भारी संख्या में पड़े रिक्त पदों के कारण शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है जबकि शिक्षा सत्र समाप्त होने जा रहा है जिससे विद्यार्थियों तथा अभिभावकों में भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है जिसको जनहित में अविलम्ब दूर किया जाना अति आवश्यक है।

क्योंकि वर्तमान में भारी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं। केवल चयन में बरती जा रही अनियमितता तथा विसंगतियों को दूर किया जाना अति आवश्यक है, यह विसंगति है। प्रतिवर्ष भारी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनकी स्थायी वरिष्ठता सूची बनी होने के कारण हर वर्ष ऊंचे अंकों से पास प्रार्थी चयनित हो जाते हैं तथा हर वर्ष भारी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक धरे रह जाते हैं। अतः सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति मिले इस हेतु आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की स्थायी वरिष्ठता सूची तैयार की जानी चाहिए तथा वरियता के आधार पर ही स्थायी वरिष्ठता सूची में से ही चयन किया जाना चाहिए या फिर बोनस अंक निर्धारित किये जावे।

इसी प्रकार राजस्थान के बाहर से बिना अध्ययन किये प्राप्त ऊंचे अंकों की फर्जी अंकतालिकाओं की तुलना में प्रांत के डिग्रीधारी पिछड़ जाते हैं। अतः यह व्यवस्था भी की जाय कि राजस्थान प्रान्त के अन्दर शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को ही अवसर दिया जाय। ऐसा करने से शिक्षकों के चयन में उत्पन्न हो गया गतिरोध निश्चित रूप से दूर होगा। इस हेतु इस समस्या के समाधान के लिए निर्णय करने बाबत मैं माननीय शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। क्या कल्ला साहब आप बोलना चाहेंगे? माननीय श्री बुलाकी दास कल्ला।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : मैं, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम और राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ, उदयपुर के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पढ़ रहा हूं।

देश की आजादी के बाद यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जाति एव जनजाति के लोगो का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जाति निगम एवं जनजातियों के लिए अनुसूचित जन जाति विकास संघ तथा समाज कल्याण विभाग आदि सरकारी और स्वायत्तशासी एजेंसियां स्थापित की गई। इन सरकारी एजेंसियों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, एवं ऐशो-आराम पर कई करोड़ों रुपए सालाना खर्च किए जाते रहे हैं लेकिन उन गरीब तबकों के लिए क्या किया? सरकार इसकी जानकारी जबसे इन संघों की स्थापना हुई है तब से अब तक वर्षवाइज दे। प्रशासन एवं मेण्टिनेंस पर कितना-कितना, कब-कब, विकास पर कितना-कितना, वेतन भत्तों एवं अन्यों पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया है, इसकी जानकारी दें। साथ ही गरीब, कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने की योजना को सरकार के चन्द अफसरों ने प्रदेश के विकास का एक तरीके से सत्यानाश कर दिया है। वर्ष 89 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना इसी क्रम में भारत सरकार ने की जिसका मूल उद्देश्य भी इन गरीब वर्गों का आर्थिक विकास किया जाना था। ये वित्त निगम जो 6 प्रतिशत सस्ते ब्याज दर पर 10 वर्ष में ऋण भुगतान करने को देते हैं। हम सरकार से यह जानकारी चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना के बाद राज्य सरकार की इन एजेंसियों में अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने लोगों को कितना-कितना ऋण व अनुदान दिलाया? मैं दोनों चैनेलाइजिंग एजेंसी, अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम एवं राजस्थान क्षेत्रीय जनजाति विकास सहकारी संघ वाइज विस्तृत जानकारी जानना चाहता हूं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, नई दिल्ली किसके लिए है, उसने राजस्थान प्रदेश में कब-कब किसको, क्या-क्या पत्र लिखे, उनमें क्या-क्या चाहा गया और क्या-क्या उत्तर पत्रवार दिया? पत्र क्रमांक 1405 दिनांक 1 जुलाई, 1990 में क्या चाहा व क्या उत्तर गया? अब तक इस वित्त निगम में किस-किस स्टेज में कितना-कितना रुपया स्वीकृत किया गया व कितना वास्तविक रूप से दिया तथा इस स्टेट को, यानि राजस्थान राज्य को कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई, अन्य राज्य सरकारों ने कितने रुपयों की गारण्टी दी? इस प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष में कितनी गारण्टी दी और नहीं तो क्यों नहीं? अन्य प्रदेश सरकारों ने कितने ऋण के केस तैयार किए और इस सरकार ने इतने ही क्यों तैयार किए? इस एजेंसी के प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए, सरकार क्या करना चाहती है जिसमें कुछ प्रस्ताव नहीं भेजे उनके प्रति क्या नीति है? क्या राज्य को वित्त निगम पैसा कम देना चाहती है या सरकार लेना ही नहीं चाहती? सितम्बर 90 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम ने कार्यशील पूंजी, मार्जिन मनी, सीड केपिटल, राज्य सरकार की गारण्टी, बैंक गारण्टी, राजस्थान वित्त निगम और उद्योग निगम के सौजन्य से क्या मिली-जुली योजनाए तैयार की हैं और नहीं तो क्यों नहीं? नॉन पी एस पी. एरिया के जनजाति के चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए निरन्तर प्रदेश सरकार को क्या लिखती रही है? इसके लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या व्यवस्था, कैसे-कैसे की? तथा इसकी क्रियान्विति की क्या प्रक्रिया रही? क्या सरकार इससे संतुष्ट

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

है या इसे बदलना चाहती है ? क्या समाज कल्याण विभाग से सीधी पत्रावली निगम, राजस संघ को अग्रेषित नहीं की जा सकती अभिक्रम से ही क्यों ? क्या यह अवरोधक या देरी का स्रोत नहीं है ? समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आर्थिक विकास के कार्य करती है तो क्यों नहीं अनुसूचित जाति निगम व राजस संघ दोनों के बजाय इसे चैनेलाइजिंग एजेंसी बनाया जावे ? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भूमिका क्या रखी जा सकती है ? समाज कल्याण विभाग ही सीधा क्यों नहीं यह कार्य करता ? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली की योजना वर्ष 89 से अब तक प्रदेश में किस-किस प्रकार की और किस-किस मद की एवं कितने-कितने रुपए की व कितनी-कितनी पत्रावलियां, किस-किस एजेंसी के पास कबसे, कितने-कितने प्रस्ताव कहां-कहां से आए ? वे अभी तक लंबित क्यों पड़े हैं और कितनी-कितनी योजनाएं निगम को भेजी गई ? क्या किसी का ऋण स्वीकृत हुआ है ? चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने इसके लिए क्या किया ? बैंक गारण्टी एवं कार्यशील पूंजी तथा मार्जिन मनी के लिए स्टेट बैंकर्स कमेटी से प्रस्ताव पास करवाये या नहीं ?

दो वर्ष से इन एजेन्सियों व सरकार ने इस योजना के लिए क्या-क्या किया तथा बैंक गारण्टी का भी क्या किया ? उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास के लिए इस योजना में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि का लाभ क्यों नहीं उठाया गया ? स्टेट गारण्टी नहीं दिये जाने व ऋण पत्रावलियों की मंजूरी अन्य की तरह दूसरों को क्यों नहीं भेजी तथा रकम उठाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? स्टेट गारण्टी समय पर नहीं दिये जाने व ऋण कमजोर वर्ग को शीघ्र नहीं दिलवाने के पीछे किस-किस का हाथ है ? कौन अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य में कार्यरत हैं ? क्या इस प्रगति से सरकार सन्तुष्ट है और नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यह योजना कब से आई ? इस अवधि में उन्होंने क्या प्रगति की ? तथा इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है, स्पष्ट करें। क्या राजस संघ में अनुसूचित जाति, जन जाति के वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी नहीं हैं ? इस प्रकार से यह कब से इन पदों पर हैं, किस-किस विभाग से आये हैं ? क्या इनके पूर्व में स्थानान्तरण किये तो इन्हें रिलीव कर दिया गया या नहीं ? इन्हीं से विकास योजनाओं को वह क्रियान्वित कर-वाना चाहते हैं अथवा इन एजेंसियों के प्रबन्ध निदेशक का व इन अधिकारियों का मिला-जुला सरकार की राय से कोई गहन षडयंत्र तो नहीं है ? सदन के ध्यान में यह लाया जाय। दो वर्ष से सरकार सोती रही या लोरियां गा-गा कर सुलाती रही। किन-किन लोगों ने कितने-कितने पत्र किस-किस को इस सम्बन्ध में लिखे ? उसमें क्या-क्या लिखा ? क्या सुनवाई की गई ? कब तक सुनवाई होगी ? प्राप्त पत्रावलियों पर देरी से जो दरों की वृद्धि योजना में हो गई उनका क्या होगा, उस घाटे को कौन भरेगा ? क्या राज्य सरकार नई दर से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इकजाई योजना, प्रस्ताव तैयार कर इसी वित्तीय वर्ष में पैसा आवंटित करायेगी और कब तक इन अधिकारियों व कर्मचारियों से काम लेती रहेगी ? क्या इस निगम के अनुसूचित जाति और जन जाति के वरिष्ठ कर्मचारियों का कार्य कराने में सहयोग नहीं लिया जायेगा ? नहीं, तो इन दोनों एजेन्सियों ने बैंक गारण्टी की पत्रावलियां कब-कब प्राप्त की और कब-कब कितनी उन्होंने भेज दी ? इनको भेजने में क्या दिक्कत थी ? क्या यह गारण्टी सरकार या इन एजेन्सियों के प्रयत्नों से प्राप्त हुई है ? नहीं, तो इन आला अफसरों ने दो वर्ष से एक भी बैंक गारण्टी के लिए केस तैयार नहीं किया, उनकी भूमिका व कार्य की प्रगति का जायजा लिया जाय ।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय वित्त निगम ऋण देना नहीं चाहता है या सरकार लेना नहीं चाहती है, यह स्पष्ट होना चाहिए । नाममात्र लेकर उदारता दिखाना चाहती है । इस सम्बन्ध में अधिक गारण्टी प्रदान कर अधिक ऋण क्यों नहीं दिलाना चाहती ? अपनी नीति स्पष्ट करें । एजेन्सियों की धीमी गति व नहीं करने की नीती स्वरूप प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिला जबकि भारत के मात्र उत्तरी जोनल के प्रदेशों में, उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा को 772.10 लाख रुपये मिले, पंजाब को 11 करोड़ 94 लाख 60 हजार रुपये मिले और उत्तर प्रदेश को 49 करोड़ 4 लाख 51 हजार रुपये मिले, दिल्ली प्रदेश को 1 करोड़ 34 लाख 83 हजार रुपये स्वीकृत हुए, वित्त निगम से लिये गये । परन्तु प्रदेश सरकार ने जान-बूझकर इस योजना में क्यों शिथिलता बरती ? क्यों इन सरकार के आला अफसरों ने और मंत्रियों ने एनएसएफ डीसी, नई दिल्ली के पत्रों का उत्तर नहीं दिया ? पत्र संख्या 1405 दिनांक 1 जुलाई, 1991 में एनएसएफ डीसी द्वारा यह लिखे जाने पर कि यदि इस प्रदेश के लिए आरक्षित कोटे की राशि को आवंटित नहीं कराया गया तो अन्य प्रदेशों को यह राशि स्थानांतरित कर दी जायेगी, क्या इस पत्र की जानकारी सरकार के ध्यान में लाई गई, सरकार ने क्या कार्यवाही की और यदि कार्यवाही करने का विचार रखती है तो क्या इस राशि को आप उपयोग में लेने का विचार रखते हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय महोदय, पांइट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : वाट इज पाइंट आफ आर्डर ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है उपाध्यक्ष महोदय, 295 के औचित्य का जो सवाल है, उसमें....

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो लाइनें बाकी रही हैं । इनको तो कोई पता तो है नहीं, यह चार-चार पेज खुद पढ़ चुके हैं, मेरा तो डेढ़ पेज में है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्योंकि आसन ने व्यवस्था दी है इसलिए मैं उसका आब्जेक्शन तो नहीं करना चाहता पर मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार के....

88

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता है, इसमें काफी शब्दों को मैंने छोड़ा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मतलब यह 295 के उसमें आता नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। माननीय कल्ला साहब, सुनिये। इतना लम्बा 295....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इस प्रकार के सवाल, मैं माननीय पूनमचन्दजी ने जो इस आसन से कई बार व्यवस्था दी है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कोई पाइंट आफ आर्डर है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि आप आसन पर होते तो क्या आप यह स्वीकृत दे देते ?

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सही कह रहा हूं कि यह किसी प्रक्रिया में नहीं आता है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इतनी देर में तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ देता। यह सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो कुछ यह पढ़ रहे हैं वह अन्य माध्यम से आना चाहिये। यह मेरा सुझाव है माननीय सदस्य को।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : काफी वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए सुझाव देना चाहता हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको नियमों की जानकारी नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, ठीक कह रहे हैं आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापतियों के पैनल में इनका नाम आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आ जायेगा। निकट भविष्य में आ रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या इस पत्र की जानकारी सरकार के ध्यान में लाई गई तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार की हरिजनों व आदिवासियों का भला करने की नीति के अनुरूप यह कृत्य है ? सरकार इनके विकास का इससे बड़ा सबूत और क्या देने जा रही है, इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करें क्योंकि यह मामला विशेष जनहित का है....

श्री हीरालाल आर्य : माननीय कल्ला जी, 45 साल में तो याद आया क्या अनुसूचित्त जाति, जन जाति के उत्थान का ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, 49 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश ने ले लिये और आप बैठे रहे....

श्री हीरालाल आर्य : आपने क्या

(श्री हीरालाल आर्य)

किया 45 सालों तक, यह तो बता दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने एक पैसा नहीं लिया। हम लोगों ने तो हमारे वक्त में....

श्री हीरालाल आर्य : इनकी स्थिति देखिये। यह किस सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : 14-14 करोड़ रुपये लिये हैं। दो साल से एक पैसा नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आर्य साहब, बिराजिये।

श्री हीरालाल आर्य : उनके नाम का सारा पैसा आप लूटते रहे....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यान महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री हीरालाल आर्य : आपको दोषपूर्ण नीतियों के कारण हुआ सारा....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ ऑर्डर है कल्ला साहब, प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने पाइंट आफ आर्डर रेज नहीं किया, यह कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो वह किस पर बोले थे ? एक साथ दो पाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकते, आपकी व्यवस्था दी हुई है पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले की तो व्यवस्था करिये पाइंट आफ आर्डर की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकते। मैं बोल लूं, उसके बाद कोई पाइंट आफ आर्डर हो तो उस पर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लीजिए, पूरा करिये आप। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, बिराजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्योंकि यह मामला विशेष जनहित का है.. (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : यह कहा है इनको घोल नहीं है कि अब आप घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं इसी पर पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति, जन जाति के....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, और कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आर्थिक कल्याण, महत्व का है, उन पर चुपचाप किये जा रहे अत्याचारों का मामला है, जो अधिकारी और कर्मचारी इससे सम्बन्धित

हैं वह जान-बूजकर रूचि नहीं ले रहे हैं, क्या सरकार का इशारा है। यहां तक कि माननीय मुख्य सचिव महोदय व माननीय मुख्य मंत्री महोदय को लिखे गये पत्रों पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं जिससे प्रदेश का विकास रूक रहा है। भारत सरकार करोड़ों रुपये इस प्रदेश को देना चाहती है और यह सरकार लेना नहीं चाहती। अतः सरकार की सक्रिय व सजग करने हेतु सदन में इस विषय पर विशेष चर्चा करने हेतु यह मैंने मामला उठाया है। मुझे आशा है कि बात को सुन कर. ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आपने एक भी पाइंट नहीं छोड़ा गवर्नमेंट को पूछने के लिए, अब आप बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार बैंक गारण्टी देकर पैसा उधार दिलवायेगी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं जानता हूं यह सरकार बाकी तो कुछ करेगी नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा साहब, पढ़िये।

श्री रामनारायण वर्मा : इसको सुनाया तो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा हुआ नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : इनको याचिका सदस्य घोषित कर दें।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, बूंदी जिले के ग्राम धानुगांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण करवाये जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं दूसरी, जिला बूंदी के पटवार सर्किल मुख्यालय धानुगांव में पटवार भवन निर्माण करवाये जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। बिराजिए। श्री मनीराम जी।

श्री रामनारायण वर्मा : इसके साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार इन दोनों कामों को जल्दी ..

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिराजिए। यह तो प्रस्तावना करनी है, प्रस्तावना कर चुके हैं आप। बिराजिए।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कालेज खोले जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

तहसील फलौदी में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के निमय 131 के अन्तर्गत श्री

(श्री उपाध्यक्ष)

पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा जोधपुर जिले की तहसील फलौदी में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय विश्नोई साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फलौदी क्षेत्र का हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में पेयजल की दृष्टि से सबसे विकट स्थान है। पांच सौ फीट गहरे कुएं हैं, एक कुएं के निर्माण में दस साल लगते हैं और पन्द्रह लाख रुपये खर्च आता है। उसको यदि आप चालू करना चाहें तो गांव वालों को पचास हजार रुपये, दो तो ऊंट चाहिये, लाव चाहिये साढ़े पांच सौ फीट लम्बा और दूसरा सामान....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। अब थोड़ा माननीय मंत्रीजी को आने दीजिये। फिर आप तो बोलेंगे ही। जैसी पूर्व की परम्परा है, जैसी कि स्थापित कर रखी है उसको अगर....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं ऐसा अर्ज करता हूं, यह गम्भीर विषय है और मैं कोई इसको उठाने के लिए कि चर्चा में आऊं, इसलिए नहीं लाया, इसके लिए वाकई दिक्कतें हैं। मैं तो मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने तो, जब कभी मैं समस्या सामने लाया, हमेशा मदद करने की कोशिश की है। लेकिन कठिनाई इतनी जबरदस्त है कि हाहाकार मचा हुआ है इसलिए मैं पहले मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर दिला दूं क्योंकि मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तौर से प्रारूप भी नहीं किया लेकिन क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने 50 की जगह 131 में कर दिया...

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक निवेदन कर दूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप उसके बाद लम्बा बोल जाइये लेकिन जैसी सदन में परम्परा बना रखी है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : परम्परा तो यह है कि हम पहले बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो स्वयं स्वीकार करता हूं लेकिन समय-समय पर परम्परायें बदलती रही हैं। पिछले साल से यही चल रही है....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य आप पहले सुनें, एक मिनट। आप ठीक फरमा रहे हैं मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप पहले बोल लें। बात यह है कि मेरे पास आपका जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में मैंने कुछ सूचना एकत्रित की है और उसका कुछ समाधान भी ढूंढा है। अगर आप पहले मेरी बात सुन लें और फिर सुझाव दें तो ठीक रहेगा वरना आप बोल लें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सुझाव मेरे दो-तीन ही हैं, संक्षेप में कह दूंगा। मैं दो मिनट में अर्ज कर दूं जो बात है। मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। दो तीन बात ही कहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह विरोध ही नहीं है। आप बोले तो मुझे लाभ ही होगा। आप निश्चित बोलें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि दुबारा दिक्कत ही नहीं होगी ...

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के लिए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप जितना समय लेंगे उतना दिया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। आप मेरी बात सुन लें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप बोलें मुझे उसका लाभ ही होगा। आप पहले बोल लें मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो कि विभाग ने दिये हैं। अगर मैं उनको आपके सामने रख दूं और आप उसमें कुछ संशोधन करें तो मुझे लाभ होगा। आप चाहे पहले बोल लें या बाद में बोल लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले बोल लें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो मिनट में बोल लेता हूं। पढ़ूंगा ही नहीं मैं। ऐसा है कि मैं मंत्री महोदय के पास 26 जनवरी को गया 6 नल योजनाओं के नलकूप बन्द थे कोई महीने से, कोई सवा महीने से और कोई 25 दिन से। 18 तारीख को सब के सब, जब शिकायत गयी तो 18 तारीख को सब के सब एक साथ चालू हो गए। तो इसके माने यह हुए कि या तो वास्तव में कोई कठिनाई थी ही नहीं। इसलिए कृपया आप यह जांच कर लीजिए की इतने दिन तक बन्द क्यों रहे? पहली बात,

दूसरी बात, आपने जो आज एक उत्तर दिया है उसमें आया है कि यह जो वाटर पम्प होते हैं आज शाम को डाला कल खराब हो गया, कल फिर डाला और खराब हो गया, और गांव वाले यह कहते हैं कि वास्तव में यह इसकी रिपेयर करवाते ही नहीं हैं और मुझे भी यही लगता है कि जब 18 तारीख को आपने हुक्म दिया उसके बाद में अभी चल रहे हैं, नहीं तो आप देखें आज जो उत्तर आया वह आप पढ़ लीजिए दो दिन चला खराब हो गया, 3 दिन चला खराब हो गया। इसीलिए तीसरा उदाहरण दे रहा हूं कि नोखणा चारणा गांव में ट्यूबवैल है उससे 5 गांवों को पानी जाने का प्रावधान है। वह 3 हजार लीटर प्रतिमाह साल डेढ़ साल तक डीजल खर्च करते रहे। चार गांवों को बिलकुल पानी नहीं गया। आप इन्क्वायरी कर लीजिए। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर महोदय को मैं मौके पर ले गया हूं उन्होंने उसको डांटा, सिर्फ 60 घरों को पानी देते थे और 3 हजार लीटर डीजल महावारी उड़ाते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इसकी जांच कराइये। एक पाइन्ट तो यह है। आपके पास रिजर्व में कोई वाटर पम्प रहता नहीं है और नतीजा यह है कि 25 दिन बन्द हो जाये, मेरे वहां पर न तो हैंडपम्प हो सकते हैं, न तालाबों में पानी है, टांकों में पानी आया नहीं और 10 मील से नजदीक ढाणीयों में रहते हैं जो कि पेयजल का कोई श्रोत नहीं है। इसका आप बन्दोबस्त कर दीजिए, यही मेरी अर्ज है और इसकी इन्क्वायरी करा लीजिए कि यह इतने दिनों तक बन्द क्यों रहे और 18 तारीख को आपके कहने के बाद सब चालू हो गए और अभी तक चल रहे

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हैं। इसका मतलब यह है कि शरारत की गई।

दूसरे एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर 6 महीने तक नहीं लगा। अब तो आपने कर दिया है मैं तो इस कदम का स्वागत करता हूं। हैडक्वार्टर आपने वहां पर रखा है दबाव बहुत आयेंगे, लेकिन उसका हैडक्वार्टर वहीं रखना। एक साल में 5 ए. ई. एन. का ट्रान्सफर हुआ है वहां महीना 1½ महीना हो, तो कोई सुनने वाला नहीं है। नीचे वाले लापरवाही जब होती है, उपर से अंकुश नहीं होता है, आफिसर नहीं होता है तो वह मनमानी करते रहते हैं। जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। यही मेरा निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रकार की स्थिति मेरे सामने रखी है। मैं सहमत हूं आपसे कि वास्तव में फलौदी के क्षेत्र में बड़ी कठिनाई है। आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि पानी बहुत गहरा है, कहीं है तो खारा है और पाइप लाइन भी बहुत लम्बी-लम्बी दूर तक जाती हैं। यह समस्या कोई आज की नहीं है और यकायक इसका समाधान हो ऐसा भी लगता नहीं है कि बहुत जल्दी समाधान हो जायेगा। जब लिफ्ट आ जायेगी उससे कुछ गांवों को लाभ हो रहा है शायद उससे कुछ अधिक लाभ हो सकेगा। उसमें हम लग रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी पूरी हो। एक बात जो आपने ठीक फरमाई की कभी-कभी यह जो पम्प हैं इनकी कमी के कारण भी यह तकलीफ होती है। यह व्यवहारिक भी है क्योंकि फलौदी ऐसी जगह नहीं है कि जहां तुरन्त पहुंचा जा सके। साधनों का अभाव है, आवागमन के रास्ते भी ठीक नहीं हैं और उसकी सूचना आने में भी टाइम लगता है। तो मैंने इसकी विभाग से चर्चा की है कि जो स्टेण्ड बाई इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए वह पूरी नहीं है, मैं इसको मानता हूं। और बरसों से ही नहीं है। इसमें कुछ सुधार करने का प्रयत्न करेंगे तो यह ठीक हो जायेगी।

दूसरी, जो आप शिकायत कर रहे थे कि कर्मचारी ध्यान से काम नहीं करते हैं उसकी अधिक चर्चा किये बिना ही अभी पिछले दिनों में जिस अधिकारी को ठीक समझा जा सकता था कि यह अच्छा काम करेगा उसको आपके वहां भेजा है। मुझे आशा है कि प्रशासनिक आधार पर जो कमी रहती है वह उसके जाने के बाद ठीक हो जायेगी। बाकी, विश्नोई साहब, आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। यह समस्या भगवान की कृपा ही समझिये या पानी का अकाल समझिये। इस एरिया में तो बरसात होती भी नहीं हैं और होती भी है तो बहुत कम होती हैं, तो यह समस्या खड़ी होती है। आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा इस तरफ ध्यान दिलाया है और चर्चा में भी आपने मुझे जानकारी दी है और भविष्य में भी मैं समझता हूं कि आपके सुझाव और मार्गदर्शन मिलते रहे और मुझे जानकारी देते रहें तो विभाग को भी लाभ होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप तो उनकी जांच करा दो 3 हजार लीटर 12 महीने तक उठाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : ....मैं प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक करने के लिए प्रबन्ध कर रहा हूं और स्टेण्ड बाई पम्प्स अगर मिल जायेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी समस्या का समाधान हो जायेगा । आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपके क्षेत्र में राजस्व गांव 66 के करीब बने हैं उसमें से 21 गांवों को हमने स्वीकृति दी है जोड़ने की और 5 ढाणियों को भी हमने सेंक्शन दी है । ....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह मेरे पास आया हुआ है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए जो प्रयत्न हम कर रहे हैं उसमें आपके सुझाव आवश्यक हैं । और आपने जो सराहा इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं । इससे हमारे अधिकारी भी एनकरेज होते हैं और हम भी होते हैं, धन्यवाद,

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री प्रद्युम्नसिंह, सदस्य, विधान सभा धौलपुर जिले एवं तहसील राजाखेड़ा के कई गांवों में बरसात की कमी के कारण भूमिगत जलस्तर नीचे चले जाने एवं हैंडपम्पों के खराब होने के कारण पेयजल का भारी संकट उत्पन्न हो जाने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी की ओर जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मंत्री जी, अब आप वही कहेंगे । पहले यह कुछ कह लें या मैं कह लूं, आप कुछ तय कर दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : समस्या का कोई समाधान हो तो बता दीजिए उसमें क्या दिक्कत है । यह कोई राजनैतिक चर्चा तो नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल राजनैतिक नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जो भी सुझाव हों बता दीजिए । 'आई वैलकम इट'

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री पूनमचन्द जी विश्नोई से कहा । मैंने आपका ध्यान आकर्षित कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन के सामने यह समस्या है । कल से इस प्रकार का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जो भी प्रोसीजर चाहें अपना लीजिए । पानी की समस्या है । जब आप भी जानते हैं इसलिए कह लेने दीजिए अगर आप मुनासिब समझें तो ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एज एन एक्सेप्शनल केस लिया जा सकता है वरना जो प्रक्रिया है वह तो सभी के ऊपर लागू है । मैं भी और कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय भी यह चाहेंगे ही कि प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य हो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें प्रक्रिया क्या टूट रही है ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप नये नये आये हैं हाउस में। आपको ज्यादा ज्ञान तो है नहीं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जानकारी पूरी है और मैं आपको बता सकता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय से पूछ लें कि क्या प्रक्रिया रही है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप मेरे पास आइये मैं पढ़ा दूंगा।

धौलपुर जिले में वर्षा की कमी से जल स्तर नीचे जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब यह सदन का समय व्यर्थ में बरबाद करने से कोई लाभ नहीं है। लेट अस कम टू दी पॉइण्ट स्ट्रेट वे। माननीय मन्त्री महोदय, आपने स्वयं ने फर्माया, मैं बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मेरे और मंत्री जी के बीच में कृपया नहीं आवें।

मैं माननीय मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है ना कोई पॉइण्ट्स स्कोर करने वाली बात है न ही कोई प्रशासन को ग्रिल करने का सवाल है क्योंकि यह 3 मूलभूत चीजें हैं, पानी, जल और रोशनी। इसका प्रबन्ध आपको किसी न किसी रूप में और वह भी पीने के पानी का, अब फलौदी की बात तो समझ में आती है। सदियों की समस्या है, लेकिन धौलपुर जिले में यह पिछले 3 साल से समस्या खड़ी हो गयी है और धीरे-धीरे यह बहुत विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। पीने के पानी की कमी की वजह से धौलपुर जिले के कई गांवों के लोग खास तौर से डाग के इलाके के लोग तो अपनी मवेशी लेकर बाहर निकल जाते हैं। घरों में ताले लगा-लगाकर के जा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। यह तो वहां बहुत सालों से है अब इसके साथ-साथ राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में भी, धौलपुर जिले में पूरे में ही धीरे-धीरे पानी की समस्या बहुत विकराल हो रही है। सोचते थे कि मुख्य मन्त्रीजी का जिला है। मुख्य मन्त्रीजी वहां से चुनकर आते हैं तो शायद इस समस्या का निदान वहां हो जाय लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और मैंने इसीलिए यहां पर यह ध्यानाकर्षण लगाया है। माननीय मन्त्री महोदय, आप ध्यान दें, जो मेरे पास सूचना आयी है अगर आप देखेंगे तो अधिकतर गांव, 538 में से 514 गांव आप सिर्फ हैण्डपम्प से कवर करते हैं। ढाणियां उनकी अलग हैं। यह तो आपके 538 राजस्व गांव हैं जिसमें से 514 गांव आपने हैण्डपम्प से कवर कर रखे हैं और आपके हैण्डपम्पों की हालत, माननीय मंत्री महोदय, यह है कि, यहां मैं न कोई चुनौती दे रहा हूं और न कोई शर्त लगा रहा हूं, आपके 60-70 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। दो कारण से खराब पड़े हैं आपके हैण्डपम्प। एक तो मेजर रिपेयर की वजह से। मेजर रिपेयर्स की हैड के तहत आपने जितने अभियान चलाये, एक पैसे का आपने आवंटन नहीं किया मेजर हैड में। किया हो तो बता दीजिए। एक पैसे का नहीं किया। आप अभियान शुरू कर देते हैं मेजर हैड के तहत एक पैसा किसी को देते नहीं हैं। माइनर रिपेयर्स में हालत यह हो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रही है और नाम माइनर रिपेयर है, पानी नीचे चला गया। अब क्या रिपेयर करोगे आप? बारिश कम हुई है। पहले हाथों से खुदवाये आपने, एक बात निवेदन कर दूं आउट ऑफ कांटेक्स्ट, उपाध्यक्ष महोदय, हाथ से तो हैण्डपम्प कहीं बनवाये ही नहीं हैं अब, इस पर तो बैन लगा दो आप। यह तो स्केण्डल है-हाथ से हैण्डपम्प बनाना। इससे बड़ा फ्रॉड राजस्थान की जनता और राजस्थान का प्रशासन के साथ आज दिन तक नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कहीं पाइप की गिनती नहीं, नापन हो नहीं सकती है और लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है इसमें। यह तो एक अलग कांटेक्स्ट की बात हो गयी। एक तो पैसा आपने नहीं दिया अब आप खुद कह रहे हैं 538 ग्राम, ढाणियों का क्या होगा? यहां लोग प्यासे हैं। जलस्तर नीचे जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए आप कुछ करें, आपको कुछ करना पड़ेगा।

रिग जाती है। एक तो आप परमानेण्टली मेजर रिपेयर के लिए पैसा दे दीजिए, मेरा आपसे यह सुझाव है। नम्बर दो, एक या दो रिग्स वहां परमानेण्टली इंस्टालेशन कर दीजिए और अगर कर देंगे तो वहां पर, क्योंकि जो थोड़े-बहुत हैण्डपम्पों की आपने सेंशन भेजी है अब अप्रेल, मार्च में काम शुरू होगा क्योंकि नॉर्मली एक रिग जो है चार दिन, पांच दिन एक हैण्डपम्प के लिए लेती है तो कहां से आपके हैण्डपम्प लगेंगे मई-जून में? अब आज समस्या है तो अप्रेल में, मई-जून में आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या समस्या होगी।

आपसे एक निवेदन और है कि हमारे लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि चम्बल नदी जिसमें पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है, वहां के जिले के लोग प्यासे रहें और जिलों की समस्या समझ में आ सकती है कि पानी का अभाव है, कोई नदी नहीं है। चम्बल में तो 12 महीनों पानी रहता है और उसके बाद धौलपुर जिले और राजाखेड़ा तहसील के लोग प्यासे मरें, यह बहुत ही चिन्ता की बात है। दुख और खेद की बात है।

दूसरी बात, मेरा आपसे एक निवेदन यह है, माननीय मन्त्री महोदय, कि मुझे ऐसा आभास होता है मुख्य मन्त्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में, स्वाभाविक है मुख्य मन्त्री हैं, आप मन्त्री हैं तो आपके निर्वाचन क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना आवश्यक है, होना चाहिए इसमें बुराई नहीं है। स्वाभाविक है, आप नहीं भी कहते हों तो अफसर खुशामद में लगे रहते हैं। आप नहीं भी कहते हो पर मैं भी सरकार में रहा हूं, तो यह होता है लेकिन आप यह डाइरेक्शन दे दें कि थोड़ा-बहुत भेदभाव करलें अधिक तो नहीं करें। जीती मक्खी तो नहीं निगलें। मेरा यह आपसे निवेदन है कि अधिकारी इसमें ऐसे लगायें, क्योंकि मुख्य मन्त्री जी की वजह से वहां पर कोई टिकना नहीं चाहता। पहले आपने एक एक्स. ई. एन. साहब लगाये थे, महीने में 20 दिन जयपुर में रहते थे (व्यवधान). खैर अब नये भेजे हैं भगवान करे वह टिक जाएं। हमारे लिए तो आप पुष्ट कार्यवाही करें और धौलपुर जिले और राजाखेड़ा तहसील की क्षेत्रीय जनता को आप पानी मुहैय्या

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करा दें, यह आपसे हाथ जोड़कर के विनती है, माननीय मंत्री महोदय। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नत्थीसिंह : ऐसे मत गिड़गिड़ाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो क्या करें? लोग प्यासे मर रहे हैं। लड़ाई लड़ें, क्या करें? त्राहि-त्राहि मची हुई है। क्या करें? आप बताओ।

डा. चन्द्रभान : आज तो आपसे सब पानी मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी, एक बार सब को पानी पिला ही दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे वह विभाग मिला है जिससे मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं और कोशिश यही है कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं उसको पूरा करूं और जो एक संकट राजस्थान में सभी जगह है उसको हम सब मिलकर के किस तरह से निवारण कर सकते हैं, इसके लिए मैंने माननीय सदस्यों की जिले अनुसार बैठकें बुलाई हैं। समाधान भी निकले हैं और विधान सभा चलते-चलते मेरा ऐसा सोच है कि सभी जिले के माननीय सदस्यों से और अधिकारियों के साथ बैठकर के चर्चा करेंगे तो आगे आने वाली गर्मी में हम कुछ समाधान निकाल सकेंगे।

मैं इसको न तो कोई राजनीति का प्रश्न मानता हूं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : झुन्झुनू की भी बुलाई है....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मानवीय समस्या है और हम इसके लिए चिंतित हैं। भगवान की कोई कुकृपा है अकाल पड़ता रहता है। पानी का स्तर नीचे चला जाता है। इसको न तो आप और न मैं रोक सकता हूं लेकिन जो कुछ भी विपदायें हैं उनके समाधान के लिए उपाय ढूंढे जा सकते हैं, उन पर तत्परता से काम किया जा सकता है, इस पर लगन से काम किया जा सकता है, यह प्रयत्न अपना हो सकता है।

धौलपुर जिले के सम्बन्ध में आपने जो समस्या रखी है वह निश्चित रूप से ठीक रखी है इसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर जिले में 1981 की जनगणना के अनुसार कुल 538 आबाद ग्राम हैं। जिले में 22 नये राजस्व ग्राम और घोषित हो चुके हैं इस प्रकार जिले में कुल 560 ग्राम हैं। 1981 की जनगणना पर आधारित समस्त 538 ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से निम्नानुसार लाभान्वित किया हुआ है :—पाइप जलप्रदाय योजना से लाभान्वित ग्राम 23। क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं से लाभान्वित ग्राम एक। हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित ग्राम 514। जिले के 22 नव-सृजित राजस्व ग्रामों में से 7 में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। शेष ग्रामों में....

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्‌जी, यह मेरे पास है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं हाउस के लिए पढ़ रहा हूं। राजाखेड़ा तहसील के कुल, तो आपके पास है तो मैं कुछ संक्षेप में अपनी बात कह देता हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे आपने हैण्डपम्प के बारे में कहा है, बाकी योजनाओं के बारे में कहा है, जो आपने योजनाएं, सुविधायें वहां पर मुहैय्या करा रखी है वह कितनी सार्थक है वहां पर ? कितनी वर्किंग में है ? कृपया यह ब्यौरा सदन के सामने थोड़ा-सा रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब, बिराजिये। मामला ही धौलपुर का चल रहा है... यह जनरल डिबेट नहीं है। बिराजिये आप .. (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पूरे हाउस को यह जानकारी...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। व्यवधान पैदा मत करिये। बता रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : हैण्डपम्प इन्होंने उपलब्ध करा दिये और वे वहां खराब पड़े हुए हैं फिर इसकी उपयोगिता क्या हुई ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हैण्डपम्प ठीक कराने का काम पंचायतों के साथ रहता है। यह जब फरवरी आती है... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने आदेश दे दिया कि पंचायतों से....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंहजी, सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : भाई, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस अभियान के दौरान हम ही ठीक कर रहे हैं, इज इट आवर रिस्पोंसिबिलिटी। मैं इसको मना नहीं कर रहा। धौलपुर जिले में भू-जल का स्तर लगभग 203 मीटर प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है। जिले में वर्षा कुछ वर्षों से अपर्याप्त हुई है एवं कृषि हेतु बढ़ते हुए भूजल के उपयोग के कारण इसके स्तर में गिरावट हो रही है। समस्या के दूरगामी उपायों की दृष्टि से चम्बल नदी को स्रोत लिया जाकर प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाये गये हैं एवं धौलपुर जिले के 101 गांव सम्मिलित हैं। इस योजना को भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। धौलपुर जिले में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु एक परियोजना चम्बल बीहड़ क्षेत्र हेतु भी बनायी गयी है जिसमें कुल पांच जिले सम्मिलित हैं।

यह परियोजना जिसकी अनुमानित राशि 34.95 करोड़ रुपये हैं, भारत सरकार को भेजी जा चुकी है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु बी.ई.सी. से वित्तीय सहायता प्राप्त किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस योजना में राजाखेड़ा तहसील

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के 26 ग्राम भी सम्मिलित हैं। राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों में 38 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं। इन हैण्डपम्पों के लगाने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में तीन कलेक्स मशीनें इस क्षेत्र में हैं एवं हैण्डपम्प खोदने का कार्य कर रही हैं। कार्य को गति देने के लिए और कलेक्स मशीनें इस क्षेत्र में भेजी जा रही हैं। वर्तमान में हैण्डपम्प रिपेयर का अभियान चल रहा है। सभी सम्भावित ठीक होने योग्य हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया जायेगा। ढाणी और मजरों में जो हैण्डपम्प लगे हैं, जो स्वीकृत हैं वह इस प्रकार हैं :—

ढाणी मजरों में 6, एस. सी., एस. टी. में 18 नये राजस्व गांवों में 12 और पुराने राजस्व गांवों में 12 इस प्रकार 48 की यह संख्या है। वर्तमान हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान ऐसे गांवों का पता लगाया जायेगा जहां हैण्डपम्प सफल नहीं हो रहे हैं। अगर वहां हैण्डपम्प सफल नहीं होते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था के हिसाब से नलकूप खोदने का भी प्रोविजन करेंगे।

(1.55 म. प.)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं समझता हूं इस आधार पर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके अलावा भी जब कभी आपको ऐसा कोई लगे कि जो विभाग को करना चाहिये, हमको करना चाहिये, मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि इस प्रकार के सुझाव समय-समय पर आप देते रहें तो इस समस्या के लिये जितना हम कर सकते हैं वह करेंगे। यह जो आप अधिकारी की बात करते हैं वह ठीक बात है। अब वर्तमान में एक अधिकारी एक्स. ईएन हमने लगाया है, मैं समझता हूं आप उससे संतुष्ट हैं। यह जो आप कहते हैं, अधिकारी हमारे कहने से काम इधर-उधर करते हैं, हम तो यह समझकर लगाते हैं कि आप पुराने हैं, मंत्री रहे हो, आपका पुराना परिचय होगा तो सारे अधिकारी आपके कहने से काम करते होंगे। हम तो यह समझ कर लगाते हैं। हम तो यह समझ रहे थे कि सारे अधिकारी आपके कहने में चलते होंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं मैं यह नहीं कह रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका पुराना प्रभाव, पुराना परिचय, पुराना सम्पर्क....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे चाहिये भी नहीं ऐसे अधिकारी जो मेरे कहने में चलें।

श्री नत्थीसिंह : यह खतरा आप महसूस क्यों करते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : खतरा नहीं है यह। यह खतरा काहे का है। अगर हमारे विधायक के कहने से अधिकारी काम करें, अच्छा काम करें तो उसमें खतरा क्या है। अच्छी बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप फिर पुनः बोलने के लिये, माननीय मंत्री महोदय, मजबूर कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यहां पर जिसको चाहें उसको लगा दें।

I am not interested in any Particular officer.

मैंने भेदभाव के ऊपर एक इशारा किया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह नहीं करते हम। कोई भेदभाव नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय, मैंने कहा कि मुख्य मंत्री हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल नहीं हो तो उन से पूछवा लें एकाध सवाल। एक-दो सवाल और पूछने वाले हैं आपकी तरफ से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां पूछलें, साहब, मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो ही बात करूंगा। मेरा तो आपसे निवेदन इतना ही है कि एक तो मेजर रिपेयर्स के लिये आप कुछ कहना यहां पर भूल गये, मेजर रिपेयर के लिये आप कोई धनराशि आवंटित कर दें अन्यथा आपका यह अभियान निरर्थक जायेगा, नम्बर एक। क्योंकि मेजर रिपेयर के तहत वहां बहुत बड़ी संख्या हैण्डपम्प की है पूरे जिले के अन्दर, धन के अभाव में जिनकी रिपेयर आज वर्षों से नहीं हुई है, नम्बर एक। नम्बर दो, मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने आवंटित किये हैं हैण्डपम्प, वहां कि समस्या को देखते हुए उनकी संख्या, बहुत नगण्य है। आज धौलपुर जैसे जिले के अन्दर पानी की समस्या हो गयी, यह बहुत ही गम्भीर मामला हो गया। अन्यथा वहां कभी पानी की समस्या थी ही नहीं। आज दिन तक हमने कभी पानी के लिये यहां कुछ कहा सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय, लोग दो-दो, तीन-तीन मील से पानी ला रहे हैं। स्थिति क्या बन रही है, किसी के ट्यूब वैल जल रहे हैं गांवों के अन्दर। अब तो पानी लगना खेतों में बन्द हो गया, अब कोई किसी के लिये चलायेगा नहीं। वह दो मिनट अपना चला कर भर लेगा। कहां से लायेंगे लोग पानी? कितना लम्बा जाना पड़ेगा लोगों को? मेरा आपसे अभिप्राय है कि खास तौर से ढाणी के लिये और मजरों के लिये मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ अधिक संख्या में हैण्डपम्प का आवंटन कर दें और मेजर रिपेयर के तहत यह कर दें। रिग्स जाती नहीं हैं आपकी वहां पर। सात दिन रही, पांच दिन रही, रिग्स वापस आ जाती हैं वहां से। तो कृपया एक या दो रिग वहां पर परमानेन्टली स्टेशन कर दें, यह मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय। मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आप जिले की चिन्ता के प्रति चिन्तित हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उन्होंने जिक्र किया है कि 23 नलकूप योजनाएं धौलपुर के अन्दर हैं। इन 23 में से मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में

(श्री दलजीत सिंह)

केवल तीन हैं। जब कि बाड़ी विधान सभा क्षेत्र सौ प्रतिशत पहाड़ी इलाका है। सबसे ज्यादा पानी का अभाव बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में है। इसके अलावा बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में बाड़ी तहसील के अन्दर एक भी नलकूप योजना सिवाय बाड़ी शहर को छोड़कर कहीं नहीं है। बाकी दो जो बचते हैं वह बसेड़ी तहसील में पड़ते हैं। बाकी जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया है सौ प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र जो धौलपुर के अन्दर है वह बाड़ी क्षेत्र में है जहां पर सबसे ज्यादा पानी का अभाव है। जैसा आपसे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो माइग्रेशन होता है हमारे यहां से कैटल का भी और इंसान का भी, सबसे ज्यादा बाड़ी में से होता है जिसमें कम से कम दस या बीस या पचास गांव खाली हो जाते हैं गर्मियों के समय पर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप नलकूप योजना के बारे में और धौलपुर के पानी के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले बाड़ी विधान सभा क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे ताकि यह जो इम्बैलेंस हैं राजाखेड़ा से और धौलपुर में और बाड़ी में, यह पूरे हों। पहले राजाखेड़ा के सदस्य से मैं माफी चाहता हूं यह भी मंत्री रहे है, धौलपुर में पहले भी भूतपूर्व एम. एल. ए. एक मंत्री रहे हैं और मुख्य मंत्री रहे हैं हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर कोई मंत्री तो रहा ही नहीं है जो यह सारे काम करा सके। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय। क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का अभाव वहीं पर है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आधा घंटे की चर्चा, श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकिण्ड। जो आपने मेजर रिपेयर की बात की, हैण्ड पम्प चालू करने में चाहे माइनर रिपेयर के सामान हो या बड़े के हो उसमें धन की कमी नहीं आने देंगे, और ध्यान रखेंगे कि वह पूरा हो जाय। उसके लिये खर्चा किया जायगा। रिग्स के बारे में यह है कि रिग्स आलरेडी आपके कई काम कर रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक है, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : तीन बतायी ना मैंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह किराये से आयी हैं मध्य प्रदेश से। दो किराये से आयी हैं मध्य प्रदेश से। वह रिग्स नहीं है, वह तो एक तरह का वह है, वह क्या कहते हैं, इंजीनियर मामले की तरकीब है वह तो। देट इज नाट ए रिग।

श्री भंवरलाल शर्मा : एनी वे।....
(व्यवधान) ....।

श्री अध्यक्ष : हर जगह पूछने की कोशिश मत करिये। आप बैठिये, आपसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। जब तो आप खड़े नहीं होते हैं। अब हो गया, आप पूछिये। मन चलता ही रहता है ना।

आधा घण्टे की चर्चा

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हूं, आपने ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे इजाजत दी है। एक दूसरा आवासन मंडल का आपने वो लिया था, हजारों लोग मेरे पास जयपुर के आये, एक ऐसी समस्या थी जिसके लिये उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय को भी, एक-एक व्यक्ति को पचास-पचास हजार रुपये ज्यादा लग रहे थे उसके लिये शासन को और मंत्रीजी को मैं बधाई देता हूं, लोगों ने आभार प्रकट किया उसका ट्रांसफर कर रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : बढ़ाई उनकी करते, कुछ मिलता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यदि वह करेंगे तो उनकी भी करूंगा। मैंने वह इसलिये किया कि....

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये। सवाल पूछिये अब आप तो। यह आधे घण्टे का मतलब आधे घण्टे की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा लेने के पीछे जो उद्देश्य है ...

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल यह है कि जो प्रश्न का गलत जवाब, घुमा-फिरा कर जवाब देने की जो प्रथा बन गयी है वह शायद अधिकारियों को और मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं है....

श्री अध्यक्ष : जहां तक मुझे खयाल है, आप केवल 33 के. वी. की लाइन की बात....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सदन का बहुत अधिकार है....

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात पर है आपका, वही पूछ लीजिये।

2.00 म. प.

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जैसे पहले वित्तीय साधनों का बहाना जनरली बनाया जाता है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं यह आपका जो आय--व्ययक अनुमान 92-93 को मैं पढ़ रहा था, स्पष्टीकरण जो यह है, इसमें यदि आप यह देखेंगे कि 82--83 में, 83--84 और 89-90 में ऋण लिया गया था ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड से, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 82-83 में जो ऋण लिया गया था, 84.900 लाख का, उसके बाद 89-90 में जो 28 गांवों को जोड़ने का उन्होंने ऋण ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 89-90 में स्कीम बनायी उस समय उन्होंने विद्युतिकरण के लिए विद्युत बोर्ड को एक बात कही थी कि- इसके जस्टिफिकेशन में जो लिखा है वह पढ़कर सुनना चाहता हूं

"for catering to scheme load on 33 K. V./11 K. V. 1.6 MUA, an additional transformer of 33 K. V. has been proposed at Ghirana during first year of the scheme period."

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब 89-90 में 28 गांवों की स्वीकृति जारी हुई उस समय आपने कहा था कि एक ट्रान्सफार्मर और लगायेंगे ? घिराना में, इसके लिए लाइन टोंक से खींच कर 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाना था। उसके हिसाब से 33 के. वी. का सब स्टेशन तो बन गया लेकिन आज तक भी उस स्कीम के अनुसार 83 में घिराना सब स्टेशन बन जाना चाहिए जिसका पैसा इन्होंने ग्रामीण विद्युतिकरण बोर्ड से ले लिया और इतना ही नहीं उन्होंने उस पैसे रा मैटेरियल भी खरीद लिया। एक तरफ हम वित्तीय प्रावधान करते और काम करने में इन्ट्रेस्ट नहीं लेते हैं। यह सारे पोल क्यों खरीदे गये, यदि काम में नहीं लिया जा रहा है ये। आज जो पोल विद्युत मण्डल बनाता था, ट्रान्सफार्मर की रिपेयर जो विद्युत बोर्ड करता था उसको तो बंद कर दिया। उनके निहित स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों की फर्म बनाकर पोल बनाकर सप्लाई किये, ट्रान्सफार्मर सप्लाई किये। आज बोर्ड के नुकसान का मूल कारण है वह यह है जो वित्तीय संसाधनों का बहाना बनाया जाता है उसका कारण यह है कि वह अपने हित सादन बोर्ड में करने लग गये हैं, पूरा बोर्ड घाटे में जा रहा। जगह जगह पोल पड़े हुए हैं, कण्डक्टर पड़े हुए हैं, खरीद लिये काम में नहीं आ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अधिनियम है उसका भी वायलेशन है। उपभोक्ता को कुछ गारण्टी दी है कि आप उसको वोल्टेज पूरा देंगे, वह पूरा नहीं मिल रहा है स्कीम में लोगों को कनेक्शन देने की बात कही है वह नहीं दे रहे हैं। न इण्डस्ट्रीज को दे रहे हैं न किसान को दे रहे हैं। इससे किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, बोर्ड को रेवेन्यू नहीं मिल रही है और एक सवाल और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मंत्री महोदय ने बहुत होशियारी से जवाब दिया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, 16 गांवों से ऊपर हैं। आप 236 में 220 नम्बर पर हैं। हर आदमी जो प्रगतिशील होता है वह ऊपर से चलता है और विद्युत मंत्रीजी हैं वह नीचे से चलना प्रारम्भ किया है और उन्होंने कहा कि 16 गांव से ऊपर हैं।

श्री अध्यक्ष : ऊपर से तो नीचे उतरते हैं पर नीचे से तो ऊपर ही चलते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बिलकुल नीचे जा चुके हैं, इनका किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है, इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको मैंने एप्रोच की, 18-5-90 को एक चिट्ठी लिखी, वर्ष 1991 में लिखी, 20-8-91 को इन सारी समस्याओं के बारे में फिर लिखी। राजस्थान विद्युत मण्डल के चेयरमैन ने मुख्य अभियंता को जो चिट्ठी लिखी वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : यह आपके सवाल में नहीं है। मैं आपके इस भाषण में यह नहीं समझ सका कि आप पूछ क्या रहे हैं ? क्या जवाब चाहते हैं ? यह हाफ एन आवर की चर्चा आपके प्रश्न के उत्तर में दी गयी

(श्री अध्यक्ष)

जानकारी के आधार पर है, उसमें क्या कमी है वह पूछो ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 33 के. वी. का स्टेशन नहीं बना उसके कारण मुझे बताने पड़ेंगे। मंत्रीजी को जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया। माननीय मंत्रीजी इनका एक सवाल है जब तक 133 के. वी. की लाइन नहीं बनेगी तब तक और गांवों का विद्युतिकरण नहीं होगा और आप बिजली नहीं दे पायेंगे। इसलिए रोज सवाल आता रहेगा। इसलिए 133 के. वी. की लाइन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं ताकि और गांवों का विद्युतिकरण हो जाय। कहीं से कहीं प्रायोरिटी में फिक्स कर दीजिए उसको।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता से बिल्कुल अवगत हूं। पर यह सही नहीं है कि टोंक से घिराना का जो विद्युत सब स्टेशन शुरू में प्रस्तावित था वह नहीं बनने से इनके गांवों का विद्युतिकरण नहीं हुआ। आज भी वहां पर मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विद्युत भार इतना नहीं बढ़ा है आज तक जितने भी गांव विद्युतिकृत हुए हैं उनके मुताबिक यह ग्रिड सब स्टेशन घिराना का बनाया जाय। पर इसको 90-91 की योजना के अन्दर लिया था और इस दफा जो 10-12 गांव अगले साल और विद्युतिकृत होने जा रहे हैं उसके अन्दर हम इस विद्युत सब स्टेशन को जो 23 किलोमीटर का है उसके बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने अपने जवाब के अन्दर कोई फैक्ट्र्स नहीं बताये जिससे यह कह सकें कि यह गलत फैक्ट्स है।

श्री अध्यक्ष : इस साल ले रहे हैं तो आपका काम हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरी कोशिश करेंगे। यह शब्द हैं। आप फिर से पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : अगले साल की योजना में ले रहे हैं। चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्रीजी ने यह कहा कि....

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं। उन्होंने आपकी मांग मान ली है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बड़ी सफाई से। न चेयरमैन की चलती है न इनकी चलती है, कोई मानता तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष : फिर क्या होता है इससे मतलब नहीं। उन्होंने मांग ली। अगले साल ले रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गोलमाल घुमाकर देते हैं।

व्यवस्था

अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर

(श्री अध्यक्ष)

विचार करने से पूर्व में माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुदान की मांगें जिस-जिस दिन, जो-जो विचारण एवं मतदान हेतु निर्धारित हैं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य का नाम पुकारा जावे वे मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का नाम पुकारा जावे वे मांगों के सम्बन्ध में अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। जिनका नाम पुकारा जाये वही, दूसरा नहीं। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहे वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध राज्य में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, राज्य सरकार द्वारा संबंधित माननीय सदस्य को सीधे ही लिखित उत्तर की एक प्रति भिजवायी जावे ऐसा मेरा राज्य सरकार से निवेदन है।

अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की सूची प्रतिदिन दलों के सचेतकों द्वारा दी जायेगी और वे माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग ले सकेंगे।

आज मेरे पास जो सूची आयी है उसमें 27 नाम आये हैं। इस समय 2 बजकर 10 मिनट हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि 6 बजे तक जवाब होकर पूरा हो जाये तो 5 बजे तक बहस चलेगी। पांच बजे तक की बहस का मतलब तीन घण्टे आपको मिलेंगे। तीन घण्टे में 180 मिनिट होते हैं। 27 आदमी बोलने वाले हैं। गुणा करके सब माननीय सदस्य हिसाब लगा लीजिए कितना समय मिलेगा। उसका ध्यान रखकर आप बोलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें बोल सकें। वर्ना कुछ लोग रह जायेंगे। वह न रहे इसके लिए पहले बोलने वाले लोग कृपया समय का ध्यान रखें।

माननीय मंत्रीजी।

आय व्ययक (बजट) 1992-93

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

मांगों की प्रस्तुति

मांग संख्या 42- उद्योग

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42- उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,36,31,000 (चौहत्तर करोड़ छत्तीस लाख इकतीस हजार) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।'

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय :—

श्री अमीन खां (शिव)

1. सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र की अनुसूचित जाति के गांव-राणासर-पनोली-जैसिन्धर स्टेशन-मांपुरी-पादरिया रतडेरी में ऊन कताई बुनाई प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा केन्द्र खोलने के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

2. सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

3. सिरोही जिले के उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

4. सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोट पूतली)

5. स्वदेशी सीमेंट का कारखाना बन्द होने से मजदूरों में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

6. कोटपूतली क्षेत्र में उद्योग लगाने की विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर चर्चा के लिये।

7. कोटपूतली क्षेत्र के पावटा एवं कोटपूतली में औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु 11 वर्ष पूर्व प्रति व्यक्ति 500 रु. जमा कराने के बाद भी अब तक भूखण्ड आवंटित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. सीमेंट मिनी प्लांट्स द्वारा फैलाये जाने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की शर्त का विभाग द्वारा कठोरता से पालन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. कोटपूतली क्षेत्र में कोट और प्रागपुरा में लुहारी कार्य से कृषि औजार और अन्य सामान बनाने वास्ते विभाग द्वारा कोई सुविधा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना)

10. मकराना स्थित मार्बल उद्योग को सुविधा देने एवं उद्योगों की रुग्ण इकाईयों को आवश्यक सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. मकराना स्थिति मार्बल उद्योगों को विद्युत कनेक्शन दिलवाने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

12. मकराना स्थित मार्बल उद्योग के उद्यमियों को आवश्यक सुविधायें दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

13. लाखेरी ए. सी. सी. सीमेण्ट उद्योग में वर्षों से कार्यरत दैनिक मजदूरों को नियमित नहीं करने से उसको दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को राहत देने एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने हेतु विभाग द्वारा ऋण सुविधा प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. लाखेरी ए. सी. सी. सीमेण्ट उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र लगाये जाने की शर्त का विभाग द्वारा पालन नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा न करने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर)

17. सांचौर औद्योगिक क्षेत्र में पानी की सप्लाई कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

18. सांचौर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को सब्सिडी समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

19. पचपदरा-साल्ट स्थित नमक उद्योग को निजी खान मालिकों को सुपर्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. रंगाई छपाई के उद्योगों हेतु विभाग द्वारा आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

21. बालोतरा स्थित वस्त्र रंगाई छपाई के कारखानों से उत्पन्न जल प्रदूषण के निवारणार्थ संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. वस्त्र रंगाई छपाई के प्रमुख लघु उद्योग में आयी मंदी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. जट-पट्टी (गोट हेयर) के बाल निर्यात होने से पट्टी एवं बोरे इत्यादि के

(श्री चम्पालाल बांठिया)

ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग में आयी गिरावट पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर)

24. चूरू जिले में नये उद्योग-धन्धे प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

25. कुशलगढ़ क्षेत्र में क्रेशर मशीन लगाकर गिट्टी तुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

26. जिला बांसवाड़ा में लघु उद्योग लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

27. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बन्द पड़ी पोटलिया बल्ब फैक्ट्री को उचित सहायता देकर चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आदिवासी मजदूरों की कोपरेटीव सोसायटी को ईट बनाने का ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तुवर की पैदावार अधिक होने के बावजूद दाल उद्योग लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

30. औद्योगिक क्षेत्र कुशलगढ़ में उद्योग खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

श्री अमृतलाल (बाली)

31. कुटीर उद्योगों को विकसीत करने एवं ऋण सुविधा प्रदान कराकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राहत देने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

32. सवाई माधोपुर में बन्द पड़ी सीमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर द्वारा दिनांक 21-1-92 को आग लगवाने व उसमें हो रही अनियमिताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

33. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को विशेष ऋण एवं अनुदान दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

34. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में उद्योग के लिए आवंटित भूमि पर पंजीकृत छोटे उद्योग शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में सीमेंट व अन्य छोटे उद्योगों को लगवाने में

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

36. राज्य में अनुसूचित जाति जन जाति के व्यक्तियों को छोटे उद्योग लगाने में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये।

37. राज्य में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. भवानी मंडी जिला-झालावाड़ में सन्तरे का जूस उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. प्रदेश में पुराने बड़े उद्योगों से हो रहे प्रदूषण को रोकने की बाध्यता पर चर्चा के लिये।

40. उद्योग विभाग में अनुसूचित जाति जन जाति के व्यक्तियों को नियुक्तियां देकर आरक्षण कोटा पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

41. जन जाति क्षेत्र खैरवाड़ा में उद्यमियों को विशेष सुविधायें देकर प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

42. गंगानगर जिले में कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा परमिट दिये जाने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

43. संगरिया में उद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाये जाने से उसमें किये जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिए।

44. श्री गंगानगर जिले में कोई बड़ा उद्योग लगाये जाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

45. सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को प्रारम्भ न करने से उत्पन्न असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

46. लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु भीलवाड़ा नगर में भूखण्ड दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. स्वरोजगार योजना का सरलीकरण कर इसे कारगर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. महिला उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विशेष कार्य योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. नये उद्योगों हेतु भीलवाड़ा नगर व जिलों में बिला नाम भूमि को सुरक्षित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. भीलवाड़ा जिले के बीगोद गांव के उद्यमियों को विभाग द्वारा दिये गये आयातीत माल के प्रकरण को तत्काल

110

(श्री बंशीलाल पटवा)

निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

51. सुमेरगंज मण्डी (बूंदी) के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. कोटा को उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण से बचाने हेतु विशेष विभागीय प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. मांगरोल (बांरा) में हैंडलूम उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु मजदूरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा सही कीमत पर बना माल खरीदने हेतु विभागीय डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. ग्रामीण दस्तकारों को उचित प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष योजनायें बनाने एवं उनको क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. खनिज आधारित तथा कृषि आधारित उद्योग अधिक संख्या में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर)

56. सवाई माधोपुर में खेरदा में लघु उद्योगों के नाम से भूखण्ड आवंटित करवाने तथा ऋण प्राप्त करने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर को पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

58. सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र में बीकानेर में वूलटोप्स, बुई आधारित कागज उद्योग एवं सिलिका आधारित कांच उद्योग लगाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

59. राज्य में ग्रोथ सेन्टर शुरू करने हेतु भूमि अधिग्रहित करने तथा तत्सम्बन्धित समस्याओं के हल करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

60. संयुक्त निदेशक, उद्योग एवं तत्सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार, बीकानेर द्वारा की जा रही तथाकथित अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

61. राजस्थान में कुटीर ईकाईयों को पनपाने हेतु राज्य सरकार की विशेष कार्य योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कुटीर उद्यमियों को दिये जाने वाले ऋण में अनुदान राशि समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द)

63. जिला मुख्यालय राजसमंद पर जिला उद्योग कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

64. राजसमंद की मार्बल फैक्ट्रीयों द्वारा सड़क मार्ग पर मलबा डालने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

65. सवाई माधोपुर स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री को पुनः चालू किये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

66. राजस्थान में ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योग, ग्रामोद्योग एवं हाथ करघा उद्योग को बढ़ावा दिये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

67. जिला सवाई माधोपुर स्थित खादी ग्रामोद्योग की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा सूती खादी तथा अन्य उत्पादन कम किये जाने/बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. जिला सवाई माधोपुर में प्राप्त खनिज आधारित उद्योग लगाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक)

69. टोंक औद्योगिक क्षेत्र में पानी बिजली सड़क की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को इन्सेंटिव देने की घोषणा कर बीच में ही बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

71. उद्योग को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर उद्योगों को बीमार उद्योग होने से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. प्रवासी राजस्थानियों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु वातावरण एवं विश्वास पैदा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश में उद्योग नीति की सफल क्रियान्विति के लिए प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

74. असम एवं अन्य क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों को विशेष सहायता एवं सहयोग देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राज्य में पड़ी रूग्ण औद्योगिक ईकाईयों को पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. झुंझुनू ज़िले के मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में ऊन एवं खनिज आधारित छोटे उद्योग धन्धे चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. चन्द्रभान)

77. शेखावाटी क्षेत्र (सीकर-झुंझुनू जिलों) को औद्योगिक विकास हेतु विशेष वित्तीय प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)

79. अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को मिले औद्योगिक प्लाटों को नाजायज ढंग से खारिज किये जाने पर भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

80. अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के उद्योगों को दी जाने वाली सहायता में पक्षपात बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)

81. जयपुर शहर के औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

82. उद्यमियों की आवश्यक सुविधाएं दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को राहत देने एवं उद्योगों को विकसित करने हेतु विभाग द्वारा ऋण सुविधायें प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द (नीमका थाना)

84. नीमकाथाना औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

85. नीमकाथाना उपखण्ड में चूना भट्टा उद्योग अवैधानिक तरीके से चलने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

86. नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र में काफी उद्योग बन्द पड़े होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

87. राजस्थान में कुटीर उद्योगों की कमी पर विभाग द्वारा कोई कारगर उपाय न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

88. एम. आई. क्षेत्र अलवर में रूग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

89. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये विशेष सुविधायें व रियायतें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

90. प्रदेश में भारी व छोटे उद्योगों के प्रति उद्यमियों को आकर्षित करने में सरकारी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बतरने एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराने

(श्री रामसिंह विश्नोई) –

आदि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) :

91. नये उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि अधिग्रहित करने की योजना तथा उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल की बिक्री व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

92. राजस्थान में उद्योगों को सब्सिडी प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

93. राज्य में बीमार एवं बन्द उद्योगों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने पर चर्चा के लिये ।

94. उद्योगों को बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा एक छत के नीचे दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

95. क्षेत्र टोडारायसिंह में नवीन उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

96. आर.एफ.सी. द्वारा उद्योगों से अधिक ब्याज की वसूली तथा कठोरता से वसूली से उद्योगों के बन्द हो जाने की समस्या होने पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

97. उदयपुर जिले में रीको द्वारा उद्योगों के लिए नए क्षेत्र नहीं तलाशने पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

98. मार्बल उद्योग में प्रयुक्त गेंगसा (चिराई की मशीन) मशीनों पर आये संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) :

99. अजमेर में औद्योगिक विस्तार हेतु मांखुपुरा व परबतपुरा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

100. राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृत प्रक्रिया में अनावश्यक करने पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

101. औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों को मशीन एवं कच्चे माल पर चुंगी समाप्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

102. अजमेर जिले में सिरेमिक उद्योग के विकास हेतु अजमेर में पाटरी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

103. किशनगढ़ में बढ़ते औद्योगिक व्यवसाय को मद्दे नजर रखते हुए जिला उद्योग अधिकारी, राजस्थान वित्त निगम व रीको के कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (खंडेला) :

104. खण्डेला नगर में हैण्डलूम उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

105. अजमेर जिले के विजयनगर औद्योगिक क्षेत्र में बंद उद्योग चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. अजमेर जिले के नसीराबाद शहर को नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. अजमेर जिले के ब्यावर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. अजमेर जिले के विजयनगर औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. अजमेर जिले की पंचायत समिति जवाजा की पंचायत सरमालिया में उद्योग लगाने के लिये सवाई चक जमीन अधिकरण की कार्यवाही हेतु पहल करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल जाट (भिनाय) :

110. भिनाय क्षेत्र के बान्दनवाड़ा एवं सराना को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) :

111. सीकर उद्योग केन्द्र द्वारा सब्सिडी देने से आना-कानी व टालम टोल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

112. उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

113. लवण आधारित उद्योगों को सब्सिडी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. स्वयं भू-धारी की रूपान्तरित भूमि की लीज रिन्युअल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

115. राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृति में उत्पन्न की जा रही कठिनाईयों के कारण उसमें किये जाने वाले विनियोजन पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

116. उद्योग विभाग को गवर्न किये जाने वाले अलग-अलग आदेशों को आबद्ध करके विधान सभा की स्वीकृति न लिये जाने से उद्योगों में हो रही मन मानी पर चर्चा के लिये।

117. रूग्ण ईकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों की कमी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तथा अन्तिम विकल्प पर ही विक्रय का विनिश्चय किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

118. राज्य में वृहद उद्योग व लघु उद्योगों के लगाने के लिये प्रवासी राजस्थानियों को सभी सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूराम गुर्जर ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं....

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : मांग के दिन मंत्रीजी यहां नहीं हैं यह आपत्तिजनक है ।

श्री अध्यक्ष : वह मांग प्रस्तुत नहीं होगी । मंत्री नहीं हैं मांग प्रस्तुत नहीं होगी । चलिये पटवाजी बोलिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : घोर आपत्ति है इस विषय पर ।

श्री अध्यक्ष : वह आपत्ति तो आप करते रहिये । अब मंत्री आयेंगे तब करेंगे । हां बोलिये आप ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था को मानते हैं हम,—

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, हम जो भी कटौती प्रस्ताव पर विचार हमारे रखेंगे, मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित नहीं रहेंगे....

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : उद्योग मंत्रीजी परमिशन मांग रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : उद्योग मंत्री जी परमीशन मांग रहे हैं कि उनको आप स्वीकृति दे दें तो वह इसको रख सकें ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्रीजी नहीं....

श्री अध्यक्ष : इनको सुन तो लेते । क्या कह रहे हैं ।....(व्यवधान)....आप इनकी तो सुनने दो । मैं जब कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा आर्डर्स दे रहे हैं क्या ? मैं आपका ही केस प्लीड कर रहा हूं । वह बोल रहे हैं । क्या कह रहे हैं मंत्रीजी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : विधान सभा के कार्यकाल में जब से मैं हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आप भी खड़ी क्यों हो गयी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह पहला मौका है कि मंत्री यहां नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं अब जो आपत्ति उठा

(श्री अध्यक्ष)

रहा हूं वही आपत्ति आपकी तरफ से उठा रहा हूं। हां, बोलिये, क्या कह रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मेरा निवेदन करना यह है कि दोनों मांगें प्रस्तुत करने के लिये उद्योग मंत्रीजी श्रीमान् से परमीशन चाह रहे हैं इतनी सी बात है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपकी अनुमति चाह रहा हूं उसके बाद ही रखूंगा मैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मांग के दिन मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं यह गलत परम्परा पड़ रही है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वह हैं यहां पर।

श्री अध्यक्ष : वह यहां हैं क्या ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हां, हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गैर जिम्मेदारी की बात है, उनकी....

श्री अध्यक्ष : आयेंगे तब उनकी मांग रखेंगे (व्यवधान) वह जब आयेंगे तब रखवा दूंगा मैं।

डा. चन्द्रभान : फिर हम काहे की डिस्कशन करेंगे। हम जो भी विचार रखेंगे उनको कौन सुनेगा अगर मंत्री महोदय नहीं रहेंगे यहां पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गैर जिम्मेदारी से निभाते हैं, यह नमूना है। यह नमूना है कि कितनी जिम्मेदारी से काम लेते हैं।... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही हूं कि माननीय मंत्रीगण कितनी जिम्मेदारी समझते हैं विधान सभा के प्रति। जिनकी डिमाण्ड है उन मंत्रीजी को यहां होना चाहिये था। क्या आसन की ओर से प्रताड़ित करेंगे आप उन्हें ?

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान। आप भी कुछ बोल रहे थे।

डा. चन्दभान : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन था कि अब इन डिमाण्ड्स पर विचार विमर्श होगा माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं रहेंगे, हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे फिर माननीय मंत्रीजी क्या जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं, बोलिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्रीजी के न होने के बारे में संकेत भी दिया। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि डिमाण्ड्स पर बहस चालू हो रही है और माननीय सदस्य दोनों डिमाण्ड्स के ऊपर बोलेंगे लेकिन सम्बन्धित मंत्री ने डिमाण्ड के बारे में अभी प्रस्ताव रखा नहीं है। क्या हम एक ही डिमाण्ड के ऊपर चर्चा करें या जो बंशीलाल जी पटवा साहब बोलेंगे क्या उसको दुबारा

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

बोलने की अनुमति होगी ? इस बारे में भी आप, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सम्बन्धित मंत्री ऐसे समय में भी डिमाण्ड रखने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह सदन के इतिहास में पहला टाइम है।

श्री अध्यक्ष : हेतरामजी आप बोल रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : आपने जैसी व्यवस्था हाऊस के अन्दर दी है बहस शुरू होने के सम्बन्ध में समय की बहुत ही चिन्ताजनक तरीके से यहां व्यवस्था दी। आज हालत यह है कि सत्ता पक्ष की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि इस समय को व्यर्थ में गंवाया जाय मंत्रीजी हाजिर नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनके आचरण के प्रति प्रताड़ना की जाय।

एक माननीय सदस्य : आ गये, मंत्रीजी आ गये।

श्री कालूराम गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : क्षमा चाहता हूं पहले मैं।

कई माननीय सदस्य : पहले प्रताड़ित तो कीजिये इनको। पहले प्रताड़ित करना पड़ेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हाऊस के 15 मिनट बरबाद किये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाऊस का इतनी देर समय बरबाद हुआ है। पहले आप इनसे क्षमा याचना करवायें।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मौन प्रताड़ना ज्यादा प्रभावी होती है। वह समझ गये। हां, बोलिये।

श्री कालूराम गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहता हूं।

मांग संख्या 43 की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,24,58,000 (छब्बीस करोड़ चौबीस लाख अठावन हजार) रुपए तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाये :—

श्री अमीन खां (शिव)

1. जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के ग्राम बीरमोणी-मंडाई से रोकफास्फेट व मुलतानी खनिज के परिवहन हेतु देवका से मंडाई डामर सड़क न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

2. सिरोही जिले के ग्रेनाइट, मार्बल एवं लाइम स्टोन, फेलसपार इत्यादि खनिज के उचित खनन एवं विकास पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

3. सवाईमाधोपुर जिले में खनन कार्यों के विकास पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना)

4. मकराना सहायक खनिज अभियन्ता के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत खानों में अवैध खनन पर चर्चा के लिये।

5. मकाराना क्षेत्र में स्थित खान मालिकों एवं खान मजदूरों को आवश्यक सुविधा न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

6. मकराना क्षेत्र की खानों से निकलने वाले मलवे को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन)

7. बूंदी जिले में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. केशवराय पाटन क्षेत्र में खनिज पत्थर, रेती एवं मिट्टी प्राप्ति हेतु कापरेन से वाया टाकरवाड़ा चम्बल नदी तक खनिज सड़क न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. खनिज विभाग द्वारा आवंटित खानों में मजदूरों अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हिस्सेदारी न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. केशवरायपाटन क्षेत्र के जाड़ला (पापड़ी) गांव से रेती (खनन) जाड़ला से बड़ाखेड़ा सड़क तक 2 कि. मी. की दूरी को सड़क द्वारा जोड़े जाने पर चर्चा के लिये।

11. खनिज विभाग में सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति-जन जाति के आरक्षित कोटे को पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर)

12. सांचौर रीकों औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्टरियों को मांग के अनुसार जिप्सम न मिलने व राजस्थान के बाहर भेजने से फैक्टरियां बन्द होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

13. बाड़मेर जिले के जिप्सम के विपुल भण्डार का सही उपयोग हेतु निजी क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. उपग्रह से मिली सूचना के अनुसार अरावली की पहाड़ियों में सोना एवं अन्य बहुमूल्य खनिजों के भण्डार होने पर भी उनको दोहन में असफलता पर चर्चा के लिये।

15. राज्य सरकार द्वारा छोटे खनन करने वालों पर ग्रेनाइड की युनिट लगाने की अनुमति के पूर्व मशीनें लगाने की शर्त लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. मोकलसर एवं पीपलूंद गोलिया में खनन कार्यों में विभागीय उदासीनता

(श्री चम्पालाल बांठिया)

के कारण रुकावट की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

17. केन्द्रीय सरकार की 9 जनवरी, 1992 एवं 29 जनवरी, 92 की अधिसूचना के कारण अनेक खानों के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर)

18. राज्य में हो रहे अवैध खनन् कार्य को रोकने पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

19. बांसवाड़ा में स्थानीय एस.टी/एस.सी. के व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर उन्हें खनन् पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

20. माइन्स में श्रमिकों की भागीदारी प्रथा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. राजकीय खान मजदूरों को आवश्यक वित्तीय सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

22. कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम चित्तौड़ा में चूना पाउडर की खदान होने के बावजूद उसका खनन् नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

23. कुशलगढ़ क्षेत्र के मांचा मोलन में सीमेंट के पत्थर होने के बावजूद उसका दोहन करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

24. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के अलावा बाहरी लोगों को मारबल खनिज के पट्टे देकर आदिवासी मजदूरों के साथ किये जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

25. बांसवाड़ा जिले में खनिज सम्पदा काफी मात्रा में होते हुए भी आदिवासियों को खनन् पट्टा देने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

26. ब्यावर क्षेत्र में अवैध खनन् रोकने के लिये ब्यावर में सहायक खनिज अभियन्ता की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृत लाल (बाली)

27. प्रदेश में अवैध खनन् रोकने हेतु विभाग को पुलिस की मदद दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

28. राज्य में अवैध खनन् के कारण राज्य सरकार को होने वाले राजस्व की हानि पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)

29. खनिज आय में वृद्धि एवं अवैध खनन् की रोकथाम हेतु प्रदेश में व्यापक खनन्

(श्री नन्द किशोर शर्मा)

सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. छबड़ा क्षेत्र के उचावद, मिशोली, अमलावदा खानों के नियमितीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. वन विभाग के अधीन की वन विहीन खनन् योग्य भूमि पर खनन् कार्य की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

32. कोटपूतली क्षेत्र में लाइम स्टोन की खानों से लाइम स्टोन की रायल्टी की चोरी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

33. बाड़ी क्षेत्र जिला धौलपुर में अवैध खनन से हो रही रायल्टी की चोरी पर चर्चा के लिये ।

34. कोटपूतली क्षेत्र में कृषि भूमि में अवैध खनन एवं रायल्टी की चोरी की रोकथाम में विभागीय असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

35. जयपुर जिले के खनिज अभियन्ता की मिली भगत से अवैध खनन को प्रोत्साहन एवं रिकार्ड में हेराफेरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

36. वन भूमि पर अवैध खनन को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

37. झालावाड़ जिले में आहूनदी पर अवैध खनन को रोकने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

38. राज्य में विकलांगों, विधवाओं को खान आवंटन में प्राथमिकता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. राज्य में अवैध खनन को रोकने में ठोस कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर खान आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

41. खैरवाड़ा तहसील के गांव ओडवास में मार्बल खनिज का क्षेत्र वन विभाग से निकलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में ग्रीन मार्बल का क्षेत्र देवस्थान विभाग से निकलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

43. भीलवाड़ा जिले के ऊपर माल मांडलगढ़ क्षेत्र के खनिज क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्व विभाग की मार्फत मौके पर भौतिक जांच

(श्री बंशीलाल पटवा)

कराई जाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. भीलवाड़ा जिले के ऊपर माला माण्डलगढ़ क्षेत्र के आरोली व सिगोली में मध्य भारत के खनन पट्टाधारियों द्वारा प्रदेश की सीमाओं का उल्लंघन कर अतिक्रमण कर लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये ।

45. राजसमंद व उदयपुर जिले के खनिज क्षेत्र में, खातेदारों की भूमि में हेराफेरी कर खनिज पट्टे देने में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

46. भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों के खनिज क्षेत्र के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

47. अजमेर जिले में एक ही परिवार द्वारा खानों पर गैर कानूनी अधिकार करने पर चर्चा के लिये ।

48. कांकरोली में राजनैतिक संरक्षण से अवैध खनन की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

49. अनाधिकृत भूमि से ईंट बनाने की मिट्टी निकालकर टैक्स बचाने की गम्भीर अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

50. खनिज विभाग द्वारा खान अलाटमेन्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

51. प्रदेश में अवैध खनन को अविलम्ब रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

52. प्रदेश के वन क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन कार्यों को अविलम्ब रोकने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. खनिज क्षेत्र में मजदूरों को आवश्यक सुविधायें दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

54. खनिज रायल्टी को वसूल करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर)

55. सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के गरीब लोगों को खनन पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. जिला सवाई माधोपुर में करौली एरिया में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

57. रॉक फास्फेट के बेनिफिशियेशन प्लान्ट को लगाने में राज्य सरकार

(22)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. प्रदेश के खनिज क्षेत्रों के दोहन में राज्य सरकार की विफलता के बारे में चर्चा के लिये।

59. प्रदेश में अवैध खनन से होने वाली राजस्व हानि तथा तकनीकि ज्ञान के अभाव में परम्परागत तरीके से खनन कार्य होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल (परबतसर)

60. राज्य में अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द)

61. खान क्षेत्र में सड़क निर्माण में 50 प्रतिशत खर्चा खान मालिकों से वसूल करने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. मार्बल पर वसूल किये जाने वाली रायल्टी स्लेव के स्थान पर ब्लाक पर वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. अवैध खनन कर्त्ताओं से 12 गुना के बराबर खनिज कीमत के स्थान पर 25 गुना प्रावधान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

64. करौली क्षेत्र में सैन्डस्टोन के अनेक ठेकेदारों की माइनिंग लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा खनिज कार्य नहीं रोके जाने पर चर्चा के लिये।

65. वन क्षेत्रों में आये हुये पर्वतों से खनिज सम्पदा के दोहन के लिये उदार नीति बनाये जाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

66. खातेदार कृषकों का निजी जोत की कृषि भूमि में प्राप्त खनिज सम्पदा के दोहन के सम्बन्ध में उदार नियम नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

67. खनिज विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की मिली भगत से राजस्व आय में होने वाली कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर एवं गरीब किसानों को उनके क्षेत्र में खनन पट्टे आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रभावी लोगों द्वारा अवैध खनन करने से करोड़ों रुपयों की राजकोष में, होने वाली हानि को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

70. खनन क्षेत्र में अवैधानिक रूप से

(श्री महावीर प्रसाद जैन) ....

खनन होने से ; राज्य-कोष पर होने वाले घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

71. खनिज रायल्टी की चोरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

72. खनिज कार्यों को बढ़ावा देकर प्रदेश के खनिज पदार्थों का सही उपयोग करने पर चर्चा के लिये ।

73. झुन्झुनू जिले में भारी मात्रा में उपलब्ध ग्रेनाईट के भण्डारों का सही तरीके में दोहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. स्व भूमि से प्राप्त खनिज पदार्थों पर जहां सरकार का मालिकाना हक है वही खेत मालिक किसानों को भी हक दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

75. प्रदेश में खनिज पदार्थों के अवैध दोहन एवं चोरी के कारण हो रही राजस्व की हानि की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

76. जैतारण से निम्बोल खान सड़क को खनिज विभाग द्वारा डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. निम्बोल, झिगरणी, खरोड़ी, बेड़कलां, सिठाला एवं सेवरिया में अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व की हो रही हानि पर चर्चा के लिये ।

78. ग्राम निम्बोल में काश्तकारों द्वारा अपने स्वयं की खातेदारी जमीन से घरेलु कार्य हेतु पत्थर निकालने पर विभाग द्वारा रायल्टी वसूल करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

79. ग्राम पंचायत सुमेल के ग्राम केसरपुरा में हो रहे अवैध खनन को रुकवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

80. सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को खनिज प्लाट देने में असफल रही है पर चर्चा के लिये ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क)

81. जयपुर जिले की खानों में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

82. जयपुर जिले में खनन कार्यों पर विकास पर चर्चा के लिये ।

83 राज्य में खनिज रायल्टी की दरों में एक रूपता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

84. जयपुर जिले के क्षेत्र में स्थित खानों के खान मालिकों को आवश्यक सुविधाऐं न दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

85. खनिज विभाग द्वारा आवंटित खानों में मजदूरों, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हिस्सेदारी न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

86. तहसील झाडोल व कोटड़ा में विभाग द्वारा सही सर्वे नहीं होने से वहां के लोगों को खानों के पट्टे मिलने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

87. उदयपुर डिवीजन में आदिवासी क्षेत्र में खानों के पट्टे आदिवासीयों को नहीं देने से लोगों में बढ़ते आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

88. सीकर, झुन्झुनू जिले में अवैध खनन से हो रही राजस्व हानि पर चर्चा के लिये ।

89. नीमकाथाना उप-खण्ड क्षेत्र में लीज धारियों को डोलोमाइट के नाम से स्वीकृत खानों को लाइम स्टोन के रूप में चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

90. नीमकाथाना क्षेत्र में खनन पट्टों हेतु लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय पर न होने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये ।

91. कोटपूतली क्षेत्र में एक बड़ा भाग चुना पत्थर का आर. एस. एम. डी. सी. को अविकृत होने के बावजूद खनन कार्य में शिथिलता व कार्य बार-बार रोकने से हो रही हानि पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

92. राजस्थान में खनिज कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. सरिस्का क्षेत्र में खनन पर पाबन्दी लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

94. अवैध खनन को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

95. विधान सभा क्षेत्र टोड़ारायसिंह में विभाग द्वारा खनिज कार्यों में अवरोध करने पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

96. एम. ई. (माईनिंग) खनिज विभाग राजसमन्द तथा उदयपुर द्वारा लीज

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

के रिन्युअल पर पांच हजार से पच्चीस हजार रुपया कथित रूप से रिश्वत लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. आर.एस.एम.एम. लि. उदयपुर के एम. डी. द्वारा यात्रा प्रवास के समय धन का दुरुपयोग करने पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. आर.एस.एम.एम. लि. उदयपुर के एम. डी. द्वारा एन्टरटेन्मेंट (आमोद-प्रमोद) के नाम पर 1986 से 1992 तक कम्पनी के लाखों रुपये खर्च करने पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

99. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा काम काज में आ रही निरन्तर प्रशासनिक शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

100. अजमेर में वन क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

101. अजमेर जिले में क्वार्ट्स और फैलस्फार खनिज के अवैध खनन को रोकने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

102. अजमेर में चुनाई पत्थर पट्टी, फर्सी की अवैध खानों को बन्द कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

103. ब्यावर क्षेत्र के रूपनगर पंचायत क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

104. अजमेर जिले के देवमाली पंचायत में ग्रेनाईट की खानों के आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. अजमेर जिले के भिनाय क्षेत्र के पंचायत रामालिया में खनिज भूखण्ड आवंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. अजमेर जिले के मसूदा पंचायत समिति के पंचायत दौलतपुरा में खान आवंटन में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

107. अजमेर जिले में खनिज पट्टों के आवंटन एवं खनन कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. राजस्थान में अवैध खनन रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा)

109. ग्राम गुडागोड़ जी की खदान से अवैध खनिज निकासी को रोकने में विभाग द्वारा कारगार कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

110. खनिज विभाग द्वारा जारी खनन पट्टों में निर्धारित शर्तों को तोड़कर आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

111. खनिज विभाग में अवैध खनन एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)
श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

112. आर.एस एम. लि. उदयपुर की झामर-कोटडा खदान पर जनरल मैनेजर की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं के कारण उसमें किये जा रहे विनियोजन पर चर्चा के लिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा ।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर विचार करने के बाद आज उद्योग और खनिज की डिमाण्ड पर सदन में विचार हो रहा है । जहां तक उद्योगों का सवाल है, राजस्थान वैसे अन्य प्रदेशों से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और इस सरकार ने अपनी ओर से विशेष प्रयत्न करते हुये औद्योगिक विकास हो, अधिकतम सुविधाएं औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों को मिल सके इसके लिये प्रयत्नशील है और जैसे गैर प्रवासी जो भारतीय हैं वह भी राजस्थान में आकर उद्योग लगाये, इस तरह के प्रयत्न किये जा रहे हैं । औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से तरक्की हो सकती है, खनिज क्षेत्र में किस तरह से तरक्की हो सकती है, इन दोनों डिमाण्ड्स पर विचार हो रहा है । मैं इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं ।

जहां तक राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र का सवाल है । तो औद्योगिक दृष्टि से दूसरे स्टेट्स की हम समीक्षा करते हुये अधिकतम सुविधायें दें ताकि उद्योग अधिक से अधिक राजस्थान में लग सकें । मेरे अपना क्षेत्र भीलवाड़ा है और भीलवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से काफी प्रगति हुयी है । सिन्थेटिक्स का धागा वहां पर बनता है, कपड़ा बनता है वह पूरे देश में प्रचलित हैं और ख्याति प्राप्त है लेकिन जो भीलवाड़ा क्षेत्र में मुख्यालय पर जो औद्योगिक क्षेत्र एक ही बैल्ट में पूर्व की तरफ अधिकतम बढ़ता जा रहा है और जिस तरह की गुंजाइश वहां पर लग रही है, तो इस दृष्टि से

(2.17 म.प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

मेरा अपना एक सुझाव, मान्यता है कि औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से, विस्तार की

(श्री बंशीलाल पटवा)

दृष्टि से सांगानेर और बड़ामुआ की तरफ, सोयनों स्टेट पर भी इस बेल्ट को यदि विकसित करने की दृष्टि से उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग प्रयत्न करेगा तो अच्छा रहेगा। राजस्थान में कई सिक यूनिट्स पड़ी हुयी हैं। मेरे अपने भीलवाड़ा जिले में काफी सिक यूनिट्स पड़ी हुयी हैं जिनको थोड़ा सा गम्भीरता से विचार करते हुये फाइनेंस कार्पोरेशन और बैंक से इस तरह से मिल-जुल कर कोई पैकेज बनाकर इनको सुविधा दी जाय और समय पर थोड़ा सा उनका निपटारा भी किया जाय तो सिक यूनिट भी चालू हो सकती है और उसके कारगार नतीजे मिल सकते हैं।

इसके साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में होजरी उद्योग का भी एक बहुत बड़ा महत्व है और होजरी उद्योग की दृष्टि से मोटे धागे की बनियान बनती है आम तौर पर उसका उपयोग गरीब लोग करते हैं। तो इस दृष्टि से होजरी उद्योग पनपे लेकिन राजस्थान में होजरी उद्योग है उनको जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिये वह कम हैं। दूसरे स्टेट का यदि हम विचार करें, एम. पी. का, गुजरात का और दूसरे अन्य राज्यों से तुलना कर विचार करेंगे तो मैं सोचता हूं कि यदि हम थोड़ी सी सुविधा उनको देंगे तो लाभ मिलेगा, होजरी उद्योग पनप सकेगा अन्यथा भीलवाड़ा जिले में होजरी उद्योग एक प्रकार से धीरे-धीरे ठप्प होता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त लघु उद्योग पर हम जितना अधिकतम जोर देंगे उसका लाभ अधिक होगा क्योंकि आज गांवों की बस्तियां, गांवों के व्यक्ति, गांवों की आबादी सड़कों के किनारे लगती जा रही है और धीरे-धीरे करके गांव उजड़ रहे हैं। एक तरह से शहरों में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो इस दृष्टि से यदि लघु उद्योग के नाते गांवों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग अपनी धरती के अनुरूप रचना करते हुये, व्यवस्था करते हुये यदि उनको लगायेंगे तो अधिकतम लाभ हो सकेगा। जैसे बिगोद में वहां पर कृषि के जो उपकरण बनाये जाते हैं और उनको लम्बी अवधि से आयातित माल मिलता था उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है और उसके प्रकरण भी चले, राज्य सरकार की ओर से जांच भी हुयी और वह प्रकरण आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जो भी जांच कार्यवाही हैं उसको नीतिगत आधार पर जिस तरह से भी निस्तारण कर सकते हैं, किया जाय ताकि कम से कम उन लोगों के ऊपर जो एक इस तरह का फंदा लटका हुआ है उससे राहत मिल सके।.... इसके अतिरिक्त.... माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

श्री सभापति : केवल 7 मिनट हैं, 5 मिनिट में घंटी बजेगी, दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री बंशीलाल पटवा : दो मिनट नहीं, पांच मिनट लूंगा मैं आपके। लघु उद्योग और सिक यूनिट्स की दृष्टि से मैंने अर्ज किया और इसके अतिरिक्त जो भी शहरों के आस-पास बिलाना भूमि है, जहां उद्योग

(श्री बंशीलाल पटवा)

लगे हुए हैं। उस बिलाना भूमि को भी हमको सुरक्षित करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से उद्योगों का विस्तार हो रहा है, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है। और जो मैंने बिगोद के लिए अर्ज किया था, उनके प्रकरण यथाशीघ्र निपटा दें तो इस दृष्टि से भी लाभ होगा और बिगोद में औद्योगिक दृष्टि से भी जो उन्होंने भूखण्डों की मांग कर रखी है, वह उनको मिल जाये, इस तरह की कार्यवाही जितनी जल्दी हो सके, करके उनको राहत देने की दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए।

रहा सवाल मेरा, स्वरोजगार के बारे में। स्वरोजगार की दृष्टि से लोगों को फार्म आदि बैंकों को स्पोन्सर करते हैं और छोटे-छोटे उद्योग लगें, तो इस दृष्टि से हमारी यह देखभाल बिल्कुल नहीं रही है और स्वरोजगार के नाम पर हालत बड़ी खराब है। लोन और कर्जा तो बैंकों से मिल जाता है लेकिन उसके बाद कई यूनिट्स चलते नहीं, लगते नहीं, तो इसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए और विशेषकर के राजस्थान में जो हमारी आबादी है, ग्रामीण इलाके में है। आज दिन तक महिला उद्यमियों की दृष्टि से कोई कारगर प्रयत्न नहीं किये तो मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि महिला उद्यमियों की दृष्टि से हम इस तरह के कारगर प्रयत्न करें। इसके अतिरिक्त खनिज वाले मामले में मेरा निवेदन है कि खनिज की दृष्टि से यदि हम कोम्पीटेंट व्यवस्थाएं करें तो राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है क्योंकि आज खनिज में कई प्रकार के घपले इस तरह से घर बैठे हो रहे हैं। ओपर माल क्षेत्र मेरे जिले में है, वहां पर सेंड स्टोन निकलता है और यदि यहां विधान सभा में चर्चा होती है, तो वह एक रटा रटाया उत्तर दे देते हैं कि हम कार्यवाही करेंगे, यदि कोई इस तरह की स्थिति सामने आयेगी, लेकिन ओपरमाल क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप चले जायें चप्पे-चप्पे पर बिलाना भूमि में अतिक्रमण करके सेंड स्टोन निकाला जा रहा है और वहां जो भी अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से यह हो रहा है। इसके साथ-साथ जो अधिकारी वहां पर बैठा हुआ है, वह अपनी छाती ठोक कर कहता है कि मैं अपनी मर्जी आये जैसा करूंगा तो मैं समझता हूं कि ओपर माल क्षेत्र एक बहुत उपयोगी क्षेत्र है खनिज की दृष्टि से, उसका उपयोग होना चाहिए और वहां पर सीमेंट कारखाना भी लग सकता है। लाइम स्टोन भी वहां पर मिलता है और यदि हम बिलाना जितनी भी जमीन....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : जहां पर अतिक्रमण हो रहा है, मैं अब समाप्त ही कर रहा हूं। कम्पलीट तो करने दीजिए। तो मेरा यह निवेदन है कि राजस्व विभाग से एक बार हम मौके पर भौतिक जांच करा लें कि कितनी जमीन पर खनिज पदार्थ निकल रहा है और चोरी छिपे सेंड स्टोन बेचा जा रहा है। वहां पर ओपरमाल में एक सहकारी समिति बनी हुई। आज एक ट्रक में यदि पट्टियां, सेंड स्टोन है तो 14 हजार का निकलता है और वह सहकारी समिति अपने नाम से बिल बनाती है और

(श्री बंशीलाल पटवा)

ढाई हजार रुपये का बिल बनाती है और टैक्स की चोरी सैल्स टैक्स की दृष्टि से भी करती है। राज्य सरकार को इस तरह से करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, केलक्यूट करके देख लें। तो यह सारी स्थितियां हैं। साढ़े सात सौ करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो मेरा यह निवेदन है कि आज यदि कोई सैंड स्टोन है, चाहे राजसमन्द में चले जायें, चाहे और जगह चले जायें, राज्य सरकार ने जो नीति तय की है उस नीति की पालना होनी चाहिये और जितने भी एम.ई. और एक्स. ई.एन. हैं, जो माइनिंग विभाग में बैठे हैं, यदि हम बराबर इनकी चौकसी नहीं करेंगे तो राजस्थान को यह बरबाद कर देंगे और माइनिंग की दृष्टि से हालात खराब हैं, इसको हम कारगर ढंग से देखें। चोरी छिपे जो माल ले जाया जाता है, वहां पर रायल्टी की चोरी होती है, सैल्स टैक्स की चोरी होती है और यहां तक कि जिनको भूखण्ड आवण्टन....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : एक मिनट, कम्पलीट कर रहा हूं। जहां पर जिन लोगों को भूखण्ड आवण्टित कर रखा है, वह लोग नदियों में से निकाल रहे हैं, नला की माताजी में से निकाल रहे हैं ओपरमाल में, नया नगर में निकाल रहे हैं। इस तरह के और भी बीसियों गांव हैं, जहां पर एनक्रोचमैण्ट किया जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या ओपरमाल में एक यह है कि एम. पी. और राजस्थान के बीच में एक सीमा है, जहां पर पिलर्स खड़े हुए हैं। लेकिन एम. पी में जिन खनिज पट्टाधारियों को जो जमीन अलाट की है वह पट्टाधारी राजस्थान की धरती में घुसकर के राजस्थान का सैंड स्टोन जो कोटा स्टोन के बराबर है, निकालकर करोड़ों रुपये का इस तरह से एम.पी. के लोग ले जा रहे हैं। सीमा विभाग में समय-समय पर माइनिंग डिपार्टमैण्ट के, राजस्व विभाग के और एम.पी. के अधिकारी सम्मिलित रूप से बैठे हैं और पहले उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को उन्होंने छिपाया है। बाद में उन्होंने कह दिया कि यह जमीन हमारी सीमा में नहीं है। तो यह हमारी सीमा का विवाद है दोनों राज्य सरकार के बीच में है और इस तरह से बहुत बड़े वन्य क्षेत्र में, अरावली के वन्य क्षेत्र में घुस गये हैं और वहां पर सैंड स्टोन निकाल रहे हैं।

(2.25 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो हम इसकी जांच करायें, अन्यथा राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। रायल्टी का नुकसान होगा, टैक्स का नुकसान होगा.... (व्यवधान) यह तीन साल से है। पिछली विधानसभा में भी मैंने लिखा और वहां पर बहुत बड़ी फाइल बनी हुई है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज दिन तक इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालात खराब हैं और इसी तरह से आज राजसमंद में चले जाइए। इसी तरह से ग्रेनाइट निकल रहा है, उसमें भी चोरी छिपे खातेदारी की जमीन में, बिलाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में इस तरह का हो रहा है तो मेरा यह निवे-

(श्री बंशीलाल पटवा)

दन है कि इस तरफ भी हम ध्यान दें और खनिज के क्षेत्र में हम किस तरह से सड़कें अच्छी बना सकते हैं, उनको आवागमन के साधन दे सकते हैं और इसके लिए मेरा एक निवेदन है कि यदि कलेक्टर को आथोराइज्ड कर दिया जाये तो सारी स्थितियां वह स्पष्ट कर डालेंगे और कलेक्टर अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन माइनिंग डिपार्टमैण्ट वाले चोरी छिपे जो इस तरह से काम करते हैं उनको निरन्तर प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो यह हम रोकें। क्योंकि राजस्थान के खजाने का नुकसान हो रहा है, जो पैसा हमारे राजस्थान के खजाने में आने वाला है। तो इस दृष्टि से मैंने अपनी बात संक्षेप में कही है....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

औद्योगिक क्षेत्र में हम जिस तरह के कारगर, अच्छे प्रयत्न कर सकें, दूसरी स्टेट से समीक्षा करें। खनिज के क्षेत्र में भी हम कोम्पीटेंट व्यवस्था करें और दोषियों को गले लगाने की बजाय हम उनको प्रताड़ित करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इस तरह का अगर हमने कारगर प्रयत्न किया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लाभ होगा। इतनी बात कहता हुआ दोनों डिमाण्डस का मैं अपनी ओर से समर्थन करता हुआ, अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : वाट इज पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सदन में यह परम्परा रही है कि जब जिस विभाग की डिमाण्ड होती है तो उसके अधिकारी आफिसर्स गैलेरीज में रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इण्डस्ट्रीज और माइनिंग डिपार्टमैण्ट के कोई आफिसर वहां गैलेरी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब आफिसर देंगे कि मन्त्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप क्या इस व्यवस्था को उचित मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है? यह हमेशा परम्परा रहती है। पूरा डिपार्टमैण्ट वहां रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई रहो चाहे जो डिपार्टमैण्ट में अयोग्य मंत्री होंगे उनको समर्थन करने के लिये अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, आपकी आदत यह पड़ी हुई है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : नहीं मेरी क्या आदत पड़ी हुई है? मैं तो आपको चेता रहा हूं कि सरकार की परवाह नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह महसूस तो होना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अधिकारियों से क्या मतलब है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सरकार का ध्यान....

श्री उपाध्यक्ष : भई ध्यान आकर्षित हो गया । बिराजिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : उसकी डिमाण्ड पर यहां अधिकारी होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरधा राम जी ।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 43 जो खनिज के सम्बन्ध में है, उन पर मेरे विचार रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था है और औद्योगिक विकास है उसमें खनिज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और खनिज सम्पदा के हिसाब से राजस्थान प्रान्त बहुत ही महत्वपूर्ण है । विशेष तौर से मैं जिस जिले से आता हूं, नागौर जिले के अन्दर 2-3 खनिज ऐसे हैं जिसमें मार्बल जो मकराना के अन्दर निकलता है, दूसरा जिप्सम और चूना बनाने का पत्थर जो नागौर के आस-पास निकलता है, इसके लिए नागौर जिला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उद्योग के लिहाज से जो अभी बजट पेश हुआ है उसके अन्दर यह बताया गया है कि औद्योगिकरण के हिसाब से इस बजट में बहुत ही प्रयास किये गये हैं । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो मार्बल उद्योग है और जो सीमेण्ट का, जिप्सम का उद्योग है, उसके बारे में तो कहीं पर भी मेरे को उसके अन्दर उत्साह बढ़ाने वाली बात कोई ऐसी हुई नहीं । जो बार-बार यह निवेदन किया जाता है कि अप्रवासी जो राजस्थानी हैं उनको राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाय और प्रोत्साहन दिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके जरिये उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि जो पहले से उद्योग लगे हुए हैं, जैसे मकराना के अन्दर मार्बल की और भी कई इकाइयां हैं, उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए प्रयास किये जाएं ।

गई बार पिछला बजट था और जो डिमाण्ड्स थीं उसमें भी मैंने निवेदन किया था लेकिन आज दो साल के अन्दर जो मार्बल की मकराना में औद्योगिक इकाइयां हैं उनको विकसित करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग मकराना में आकर मार्बल की इकाइयां लगायें, उद्योग लगायें इसके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गये हैं । विशेष तौर से जो मकराना का औद्योगिक क्षेत्र है उसमें उद्योग लगाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । पहली समस्या यह है कि उद्योग के लिए लीज कराने के लिए लीज फाइलें जाती है उसके अन्दर मकराना के अन्दर टाऊन प्लानिंग का रोड़ा अटकाने की बात है पहले टाऊन प्लानिंग डिपार्टमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि एक उद्योग में लग रहा है उसके तीन तरफ औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं और चारों तरफ कोई भी रिहायशी मकान नहीं है । उसके बावजूद भी टाऊन प्लानिंग का जो मसौदा बना है उसमें यह बताया गया कि यह ग्रीन बैल्ट है, यह आवासीय बस्ती है । इस प्रकार से उसको उद्योग लगाने के लिये लीज नहीं दी जा रही है । तो मेरा यह निवेदन है कि इस लीज के साथ-साथ उद्योग लगाने के साथ

(श्री बिरधाराम चौधरी)

दो-तीन महकमें हैं, टाऊन प्लानिंग का है, विद्युत का है इनको साथ बैठकर सामंजस्य करके इन औद्योगिक इकाइयों को पनपाना चाहिये। जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, 20 लाख रुपये लगाकर एक आदमी औद्योगिक इकाई कायम कर रहा है और उन्होंने काम शुरू कर दिया और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया दिया लेकिन बिजली के हिसाब से 6 महीने निकल जाते हैं। आज 20 लाख रुपये पर उसका कितना ब्याज लगता है। मेरा यह निवेदन है कि ज्यों ही उद्योग स्थापित हों, विद्युत विभाग को पाबन्द किया जाय कि साथ ही साथ उसको कनेक्शन देवें।

आज चार साल से छोटे-छोटे उद्योगों के अन्दर ऐसी इकाइयां पड़ी हैं जिनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से वहां कम से कम रोजाना 50 हजार मजदूर वहां पर काम करने के लिए आते हैं। कुछ खानों पर काम करते हैं, कुछ व्यापार करने के लिए आते हैं जो उद्योग हैं उनमें श्रमिक आते हैं लेकिन उनकी सुविधा के लिए मकराना में किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। हमने बार-बार यह निवेदन किया है कि मकराना के अन्दर मजदूरों के लिए रोड पर शैड बनाये जायें, पीने के पानी की व्यवस्था की जाय, सड़कों की व्यवस्था की जाय। विशेष कर मकराना के अन्दर क्या दिक्कत आ आती है जैसे अलग-अलग खानें हैं, अलग-अलग इकाइयां हैं, उनमें एक्सीडेंट होते रहते हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं। हमने यह निवेदन किया था कि लाखों रुपये की रायल्टी के तौर पर, सेल्स टैक्स के तौर पर सरकार को रोजना मकराना से आमदनी होती है लेकिन मकराना में उसका 10 प्रतिशत भी पैसा खर्च नहीं होता है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को पनपाने के लिए यह जरूरी है कि कम से कम जो आमदनी होती है उस क्षेत्र पर उसका 25 प्रतिशत पैसा तो वहां लगाना ही चाहिए। उसके लिए सड़कों का निर्माण बहुत आवश्यक है। सड़कों के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा भी बहुत जरूरी है। मेरा यह निवेदन है कि मकराना के अन्दर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं जैसे मूर्ति बनाना, तोरण द्वार बनाना। हस्तकला में सैल्स टैक्स को माफ किया गया है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हस्तकला के अन्दर टोम्ब, शिखर, द्वार, जाली, फव्वारे, मन्दिर के तौरण ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है।

मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिदों में लगने वाली अनेक वस्तुएं हैं उन पर 15 प्रतिशत जो कर लगाया जाता है, हस्तकला, पर आधारित छोटे-छोटे दस्तकार इससे प्रभावित होते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इन छोटे-छोटे हस्तकलाकारों को पनपाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इनको कर से मुक्त किया जाय।

जहां तक खानों का मामला है, मकराना में मार्बल खनिज है। देश में मार्बल

(श्री बिरधाराम चौधरी)

का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा मकराना में होता है। जगह-जगह नये खनिजों की खोज की जा रही हैं। मकराना में जो मार्बल निकलता है और मार्बल को निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है, खनिज मंत्री जी यहां बिराजें हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मकराना में मार्बल पत्थर निकालने के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए नई प्रक्रिया का सर्वे किया जाये और उनको प्रोत्साहन मिले कि पत्थर अन्दर से कैसे निकाला जाता है। आपको पता है कि कई खानों में पानी आ जाता है लेकिन पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये खानों में पानी आये तो पानी निकालने के लिए खनिज विभाग व्यवस्था करें और पानी कहां निकाला जायेगा, कहां व्यवस्था की जायेगी यह बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ-साथ जो खान से मलवा निकलता है, जो चिराई मशीन का मलवा निकलता है, अभी मंत्री महोदय ने, पहले 295 के तहत जो मैंने प्रश्न उठाया था उसमें आश्वासन दिया है कि हमने जिला कलक्टर को लिख दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई डम्प एरिया मिल जाये तो हम व्यवस्था करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मार्बल उद्योग को ज्यादा से ज्यादा पनपाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि इसके लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाये। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि 27 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और अध्यक्ष जी व्यवस्था देकर गये हैं और आप मकराना की सारी बात कह चुके हैं, अब समाप्त करें।

श्री बिरधाराम चौधरी : दो मिनट और कहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : हमारे मकराना के अन्दर खानों की वजह से और उद्योगों की वजह से ज्यादा लिटीगेशन हो रहे हैं। खानों की वजह से क्यों लिटीगेशन हो रहे हैं। आज करीब 30-35 साल हो गये, मार्बल खानों के एरिया का सर्वे नहीं हुआ और जो पहले सर्वे हुआ था और डिमार्केशन पाइंट थे वह कहीं पर भी मौजूद नहीं है उसकी वजह से रिश्वतखोरी बढ़ती है। एक माइनिंग इंजीनियर आता है वह एक खान को दूसरे की खान पर लगा देता है वह खान उसके ऊपर आ गई, लिटीगेशन बढ़ते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो सर्वे हो चुका है मार्बल का, उसका रीसर्वे किया जाये और एक नया नक्शा बनाया जाय और नक्शा खसरावाईज बनाया जाये ताकि कोई भी आदमी खान की एप्लीकेशन लगाये तो वह देखे कि वह मेरे आ सकती है, यह खान आवंटन हो चुकी है तो इससे लिटीगेशन से बचा जा सकता है। यह जो अभी बजट पेश हुआ है उसमें यह बताया गया है कि यदि 50 प्रतिशत पैसा खान ओनर देते हैं तो हम सड़क बनाने का प्रयास करेंगे।

(134)

(श्री बिरधा राम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह किसी भी तरह से सम्भव नहीं है कि खान मालिक पैसा देवे। खान मालिक यह कर सकता है कि जो दें खान की रेंज है उसके पास से अगर माइनिंग डिपार्टमेंट सड़क बना दे और उस सड़क से वह लिंक सड़क 50 मीटर है या 10 मीटर है वह खान मालिक 50 प्रतिशत अपना पैसा देकर बना सकता है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जो खानों की रेंज है जैसे हमारे यहां मातावर रेंज है, चक डूगंरी रेंज है, कोला डूगंरी रेंज है, मकराना के अन्दर जो यह तीन रेंज है जहां पर मार्बल की खाने जा रही हैं वहां तक तो सड़क बनाकर देवें फिर 50 प्रतिशत पैसा इकट्ठा करने वाली बात होवे तो यह खान मालिक पैसा दे सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजें आप। श्री सांवरलाल जी।

श्री बिरधा राम चौधरी : सिर्फ एक बात और कहूंगा। एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : एक--एक मिनट हर आदमी लेगा, इस एक मिनट का कोई एण्ड नहीं है....

श्री बिरधा राम चौधरी : हमारे मकराना के अन्दर जो औद्योगिक इकाईयां हैं जिनका लोड 50 हार्सपावर, 25 हार्सपावर है और ग्रामिणों के जो कूएं हैं उनका दोनों का एक ही हैं, विद्युत विभाग का एक 132 के. वी. का ग्रिड स्टेशन है औद्योगिक इकाईयों को बिजली दी जाती है तो कुए वाले को बिजली नहीं मिलती और कुए को बिजली दी जाती है तो औद्योगिक इकाई को बिजली नहीं मिलती है। इसलिए मकराना के अन्दर विशेष तौर से 220 के. वी. का एक ग्रिड स्टेशन लगाया जाये। मकराना की जो औद्योगिक इकाईयां है, खानें है, उद्योग हैं, उनके लिए अलग से लाइन डाली जाये ताकि उनका विकास हो सके। बहुत--बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलालजी।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग उद्योग और खनिज के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करूंगा। देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद जिन व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आयी उन्होंने देश की हकीकत को नकारते हुए जो औद्योगिक नीतियां कायम की उनका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा-गांधी और चौधरी चरण सिंह ने हिन्दुस्तान की हकीकत को, हिन्दुस्तान की ग्रामीण जनता के क्रिया-कलापों को देखा और एक दर्शन दिया कि इस देश में लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उसके स्थान पर बड़े उद्योगों को जो प्राथमिकता दी गयी उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। हमारे गांवों के अन्दर छोटे-मोटे उद्योग, वह चाहे मोची का उद्योग हो, चाहे दस्तकारी का हो चाहे बुनकर का रेजा बुनने का उद्योग हो, सब चौपट हो गये, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। राजधानी

(श्री सांवर लाल)

जयपुर में झुग्गी झोंपड़ियां उसी का परिणाम हैं। गांवों में रोजगार नहीं हैं, उन लोगों को रोजगार की तलाश में यहां आना पड़ता है। उसकी वजह से शहरीकरण को बढ़ावा मिला और शहर वालों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। आये दिन कच्ची बस्तियों की समस्या हमारे सामने खड़ी है। आज लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। मेरा निवेदन है कि हमें लघु और कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए और पुराने धन्धों को, जो गांवों में देहाती चलाते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाना सम्भव हो सके। क्योंकि सरकारी सेवाओं में उन नौजवानों को खपाया जाना सम्भव नहीं है और सरकारी नौकरियों का जो नान प्रोडक्टिव खर्चा होता है उसको भी रोकना होगा। वैसे भी हम इस बात में कामयाब नहीं हैं कि निश्चित रूप से उनको रोजगार दिला सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर कुछ विशेष प्रावधान औद्योगिक विकास के लिये किये गये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, जैसे एल्यूमिनियम रेडियेटर का प्रोजेक्ट। भिवाड़ी में तीसरे चरण में 27 करोड़ रुपए खर्च करके 570 एकड़ भूमि का विकास किये जाने का जो प्रस्ताव है, जिसमें विद्युत मण्डल द्वारा किया जाने वाला खर्चा सम्मिलित नहीं है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन साथ ही दिल्ली की सरकार ने इसको पर्यावरण के अन्तर्गत ले लिया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का यह एक बहुत इम्पार्टेण्ट औद्योगिक क्षेत्र है, हमारी सरकार को प्रयास करना चाहिए कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करे।

इसके साथ ही मैं खनिज के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश में खनिज उत्पादन में राजस्थान दूसरे-तीसरे नम्बर का प्रदेश है। यहां का संगमरमर आज का नहीं वर्षों पुराना है, ऐतिहासिक हैसियत रखता है। उस जमाने में ताजमहल में लगा करता था और आज आम आदमी के घर में लगता है। यहां हर प्रकार का खनिज उपलब्ध है, वह चाहे कोयला हो, चाहे सीमेण्ट फैक्ट्री में काम आने वाला लाइम स्टोन हो या चाहे दूसरा पत्थर। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अवैध खनन निरन्तर जारी है। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि इस अवैध खनन पर अंकुश हो। या जो पैनल्टी की है 25 गुना, उसका तो मैं स्वागत करता हूं कि कुछ हद तक इसके ऊपर अंकुश लगेगा। खनिज मंत्री महोदय, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ऊपरमाल से आगे चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध खनन एक गिरोह विशेष द्वारा किया जा रहा है। उसके ऊपर आप रोक लगाइये। बहुत ऐसी जगहें मिलेंगी जहां अवैध खनन होता है। गांव के अन्दर गोचर भूमि में, मान लीजिए, आधा किलोमीटर का पट्टा लिया तो वहां पूरे चरागाह को खोद दिया गया। इस प्रकार की स्थिति से जानवरों के चरने में बाधा आती है। इसके लिए आपको निश्चित रूप से कारगर कदम उठाने चाहिए। मैं एक सुझाव

(श्री सांवर लाल)

देना चाहता हूं कि माईनिंग विभाग द्वारा बेरोजगार नौजवानों के लिए एक विशेष स्कीम चालू करनी चाहिए, जिससे बेरोजगार नौजवानों को खनिज पट्ठा आवंटित कर, फाइनेंस करवाकर उनको बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकें। साथ ही एक विशेष समस्या खनिज क्षेत्रों में सड़कों की रहती हैं। उस क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए 50 प्रतिशत खर्चा जो राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं उद्योग मंत्री महोदय से ईंट भट्टों के सम्बन्ध में। इन पर सेल्स टैक्स लगता है, पर ईंट भट्टों के प्रोडक्शन के 10 प्रतिशत पर भी आपको सेल्स टैक्स नहीं मिलता है। इसकी व्यवस्था में सुधार कीजिए। या तो प्रोडक्शन टैक्स लागू कीजिए जिससे जितनी ईंटें बनाएं उन पर सेल्स टैक्स लगे। बहुत बड़ा लीकेज है। इस लीकेज को अगर आप बन्द करेंगे ... (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि ईंट भट्टों का सीधा सम्बन्ध कलेक्ट्रेट लेवल तक है, इण्डस्ट्री तक नहीं।

श्री सांवर लाल : सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूं, सेल्स टैक्स 10 प्रतिशत के ऊपर लगता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांगनवाड़ा और सराड़ा क्षेत्र में लाइम स्टोन काफी मात्रा में उपलब्ध है। उस क्षेत्र के अन्दर चूने और सीमेंट सम्बन्धी कारखाना सहकारिता क्षेत्र में, सरकार द्वारा इनीशिएटिव लेकर खोला जाय तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। मैं इन सभी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोपाल सिंह जी खण्डेला।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप उद्योग और खनिज विभागों की मांगों की बहस में, मैं कटौती प्रस्तावों के मार्फत मेरे विचार रखना चाहूंगा। अबकी बार जब बजट पेश हुआ तब चर्चा का अधिकांश विषय यही रहा कि बजट में कोई दिशा नहीं दी गयी है। वह तो रहा सो रहा, आज जब हम अलग-अलग डिमाण्ड्स पर बात करते हैं तब हमको यह सोचना होगा कि हम किस नीति को अख्तियार करें जिसके अन्तर्गत इस प्रदेश के हजारों-लाखों-करोड़ों बेरोजगार लोगों को किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी व्यवस्था की मार्फत काम मिल सके।

आज जब हम उद्योग की बात करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि राजस्थान में पानी के अभाव से खेती की कमी है, खेती का बढ़ावा हो नहीं सकता, बिजली के अभाव

(श्री गोपाल सिंह)

में बड़े कारखाने भी नहीं लग सकते, कच्चे माल का यहां पर अभाव है। इन सब विषम परिस्थितियों के बाद यदि राजस्थान में और प्रदेशों की भांति यदि हम यह सोचें कि यहां पर बड़े उद्योग लगते जाय, खास तौर से वे उद्योग जिनका माल छोटे उद्योगों या गृह उद्योगों में बन सकता है, तो मैं नहीं समझता कि हम बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान कर पाएंगे। यह बात समझने योग्य है कि जो माल छोटे कारखानों में नहीं बन सकते वे बड़ों में ही बनेंगे और बनने चाहिए। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साबुन घर-घर में बन सकता है, माचिस भी घर-घर में बन सकती है और तेल कोल्हू में, बिजली के छोटे कारखानों में बन सकता है। इन सबके लिए भी बड़े-बड़े उद्योग लगाने की हम अनुमति देते जाते हैं, कारखाने लगते जाते हैं तो निश्चित ही हम अपने आपको जान बूझकर बेरोजगारी की तरफ ले जा रहे हैं। यदि हम विषय के प्रति जागरुक हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हमें एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे इस प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग पनपें, ज्यादा लोगों को काम मिले और बेरोजगारी समाप्त हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि आज गांव का सारा आदमी बड़े-बड़े शहरों में आकर जमा हो रहा है। शहरों में प्रदूषण की समस्या है, बहुत ज्यादा कारखाने लग रहे हैं और गांव खाली होते जा रहे हैं। यदि इस समस्या का हम समाधान सोचेंगे तो हम इसी नतीजे पर आएंगे और हमें यही करना होगा कि गांव-गांव में और कुटीर उद्योग लगें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही कहता हुआ मैं सीकर जिले के खण्डेला क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सारे देश में दो ही ऐसी जगह हैं जहां गोटा उद्योग हैं खण्डेला और सूरत। यह एक ऐसा उद्योग है खण्डेला में जहां चार हजार गोटा लूम चलते हैं, 8-10 हजार लोग सीधे लगे हुए हैं। गोटा निर्माण होने के बाद गोटे के फूल बनाने, बीजिया डिबिया बनाने, अलग-अलग किस्म के फार्म बनाने में काम में पैरीफरी गांवों के 10–12 हजार की संख्या में लोग लगे हुए हैं। मगर जैसे-जैसे समय निकलता जा रहा है, लोगों का गोटे के प्रति रुझान कम होता जा रहा है, फैशन कम हो रहा है। इस अकाल के वर्षों में जब वर्षा की कमी होती जा रही है, लोगों की क्रय शक्ति घटती जा रही है, ऐसे में खण्डेला के गोटा उद्योग का भी ह्रास हो रहा है, यह घटता जा रहा है और लगता है कि निकट भविष्य में यह उद्योग समाप्त हो जाएगा। वहां के पांच हजार कारीगर हैण्डलूम के अच्छे कारीगर साबित हो सकते हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी, मेरा सुझाव है कि आप समय रहते ध्यान दें। खण्डेला में एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाय, क्योंकि वह उद्योग तो समाप्त होना है, गोटा उद्योग में लगे लोगों को वहां से हटाकर समय रहते हैण्डलूम के काम का विस्तार करें। और छोटे-छोटे जो गृह उद्योग की संज्ञा में लिये जा सकते हैं, छोटे-छोटे पावर-लूम्स लगाकर उजड़ते लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिये

(श्री गोपाल सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा ध्यान दिलाया, इसलिये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा निश्चित अभिमत है कि माननीय उद्योग मंत्री यदि समस्या के प्रति जागरुक हैं, तो फिर ऐसी जो समस्याएं हैं, जिनको हम यहां रखते हैं, उनको आप देखें और उनके समाधान के लिये कोई निश्चित कदम उठायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज खनिज विभाग,की मांगें भी रखी गई हैं। आप स्वयं जानते हैं, आजादी के पहले और उसके बाद भी, इन खानों के क्षेत्र के अन्दर कुछ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ गये। उनका खानों पर एकाधिकार है, मीलों लम्बे इलाके उनके कब्जे में हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी मशीनें लगा रखी हैं और लोगों का शोषण करते हैं, प्राफिटीयरिंग होता है बड़े पैमाने पर, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह क्यों हो रहा है? माननीय खनिज मंत्री जी, आपके लिए ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि आप इसका कोई रास्ता निकालें। जिन लोगों को बड़ी-बड़ी लीज दी हुई हैं, उनको आप कैसे टरमीनेट कर सकते हैं, क्या संशोधन करने आवश्यक होंगे, इस पर आप सोचें। उनको समाप्त किया जाय और गांव के नये-नये, छोटे-छोटे लोगों को, मजदूरों को खास तौर से उसके अन्दर आने का मौका दिया जाये। और यदि यह व्यवस्था आप कर सकेंगे, तो मैं कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रदेश की बेरोजगारी की जो बढ़ती हुई समस्या है, उसका एक सीमा तक समाधान करने की और हम आगे बढ़ेंगे।

यह मेरे कुछ सुझाव थे जिनकी तरफ मैं आपके मार्फत माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले नावां क्षेत्र में नमक के उद्योग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नमक का ऐसा उद्योग है जिस में न तो कोई बड़ी-बड़ी मशीनें चाहिये और अपेक्षाकृत न बहुत बड़ा धन चाहिये। इस धन्धे में बहुत लोग आना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वहां की हालात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लोगों को दो-दो, तीन-तीन साल लग जाते है, जमीन का कन्वर्शन नहीं होता, जमीन का पैसा लग जाता है उसके बाद में जब तक जमीन कन्वर्ट न हो जाय नान एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिये तब तक उस पर काम शुरू नहीं किया जा सकता और यदि गलती से, भूल से, व्यवसायी काम शुरू कर दे, तो चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये उन पर पेनल्टी कायम होती है। इस व्यवस्था में कोई सुधार करना चाहिये। जब वहां पर उद्योग स्थापित कराने ही हैं, कच्चा माल वहां पर है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी नहीं है, छोटे लोग उसमें घुस सकते हैं, मजदूरी का काम है। तो कन्वर्शन में जो लम्बा समय लगता है, उसका कोई सरलीकरण किया जाये ताकि जल्दी से जल्दी व लोग धन्धे पर लग सकें।

(श्री गोपाल सिंह)

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

(3.00 म.प.)

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कई देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सुरसा- की तरह हिन्दुस्तान की छोटी बड़ी कम्पनियों को निगलने के लिए खड़ी हैं। इस समय हमारी औद्योगिक नीति किस प्रकार की चाहिये, यह एक प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने जो प्रस्ताव पेश किये हैं, उससे लगता है कि उस सुरसा का मुंह बन्द करने का एक प्रयास है इनका और उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हिन्दुस्तान में उद्योग लगे हैं और बाहर जिस प्रकार से अशांति खड़ी हो रही है, उस अशांति से राजस्थान के प्रवासी, जिन्होंने बाहर उद्योग लगाये हैं, वे असमन्जस्य की स्थिति में हैं कि वे वहां पर अपना उद्योग चालू रखें या वहां से पलायन करें। आज इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि उड़ीसा, आसाम और पंजाब में, बम्बई में आमची मुम्बई और बहिरागत का मामला आसाम में खड़ा हुआ हैं। उसके कारण वहां पर हमारे उद्योगपति असमन्जस्य की स्थिति में हैं, उनको आकर्षित करने के लिये राजस्थान सरकार ने योजना दी थी कि एक छत के नीचे आवेदन पत्र से लेकर लॉन डिसबर्समेंट करने तक की व्यवस्था की जाये।

लेकिन मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह योजना कागजों में आई है। बड़ी अच्छी है। एक ओर आर. एफ. सी. में लोन के लिए दरख्वास्त दी, डी. आई. सी. में रजिस्ट्रेशन हुआ और रीको ने भूमि दी या आर. एफ. सी. ने भूमि दी उसके बाद आगे कार्यवाही क्या हुई आप उद्योगपतियों से पूछिए। जब एक बार वह प्रार्थना पत्र भरते हैं और जब कमियों की पूर्ति कराने जाते हैं तो 10-10, 5-5 बार उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि एक बार आवेदन-पत्र के साथ पहली बार जब आवेदन-पत्र लेकर उद्योगपति विभाग में जाते हैं तो उनके सारे काम एक साथ हो जायं, एक साथ कमियां निकाल दी जायं? इस प्रकार की प्रभावी व्यवस्था मंत्री महोदय क्या करेंगे?

मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो उद्योगपति राजस्थान में उद्योग लगाना चाहते हैं उनका काम हो जायेगा। दो या 5 दिन में उनका काम हो जाता है तो उसके कारण से प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए अग्रसर होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आज स्थिति यह है कि आर. एफ. सी. लोन स्वीकृत करती है उसके बाद में बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। कहीं बिजली का

(श्री मदनलाल सैनी)

कनेक्शन नहीं मिलता और आर. एफ. सी. अपने लोन पर इन्ट्रेस्ट लिए जा रही है। उसमें उद्योगपति की गलती कहां है? इस प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि यह जो एक छत के नीचे की व्यवस्था है इसको सुदृढ़ करना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जो मामला है, छोटे-छोटे उद्योग उनके कारण से घाटे में चल रहे हैं। उनके लिए उसी प्रकार की व्यवस्था की जाय जिस प्रकार से जयपुर मैटल के पैटर्न पर उनको खड़ा करना चाहिए। जयपुर मैटल भी घाटे में आ गई थी, बन्द होने की स्थिति में आ गई थी बीमार हो गई थी लेकिन वहां पर यूनियन के साथ मिल कर जिस प्रकार की व्यवस्था की गई, मजदूरों से कहा कि हम वेज फ्रीज करेंगे और मैनेजमेंट ने यह तय किया कि मजदूरों को मिलने वाला लाभ है वह हम जमा करेंगे और जिस दिन कम्पनी लाभ में आ जायेगी उसी दिन उनका शेयर केलकुलेट करके उनके खाते में जमा करा देंगे। इस प्रकार की कार्यवाहीं की गई। लेकिन उसके बाद में परिणाम क्या आया? आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह आया कि उस उद्योग में जो पैसा लगा हुआ है वह सरकार का है 19.5 पर्सेन्ट, वित्तीय संस्थाओं का 16.5 पर्सेन्ट और श्रमिकों की जो को-आपरेटिव सोसाइटी है उसका पैसा है 64 पर्सेन्ट और जो मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, जो डाइरेक्टर्स बने हुए हैं उनमें 9 में से 3 कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। 64 पर्सेन्ट जिन लोगों का जयपुर मैटल में पैसा है उनके प्रतिनिधि तीन हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जानकारी देना चाहूंगा वह तीन की संख्या बढ़ाकर 6 करनी चाहिए। जिनका पैसा ज्यादा है उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। अन्यथा मजदूरों में एक अविश्वास खड़ा हो जायेगा सरकार के प्रति। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आपने जयपुर मैटल के पाटर्न पर की तो जयपुर उद्योग भी चलेगा, दूसरे उद्योग भी चलेंगे, कृष्णा मिल भी चलेगी, ऊन मिल लाडनूं भी चलेगी, चूरू ऊन मिल भी चलेगी और दूसरी मिलें भी चलेंगी। आप मजदूरों को एक बार आह्वान तो करिए कि हम दो साल तक आपको वेतन वृद्धि नहीं देंगे, आपको मिनिमम वेजेज देंगे, इसी पर काम करिए और जिस दिन लाभ होगा उस दिन आपका हिसाब कर देंगे। एक उदाहरण तो करिए। मजदूरों ने एक उदाहरण हिन्दुस्तान में खड़ा किया था। जयपुर मैटल के एग्रीमेंट की ओर जरा याद दिलाना चाहूंगा, उसी पैटर्न पर और फिर यह उद्योग फिर घाटे में जा रहा है। 1983 में, माननीय उपाध्यक्ष, 300 मजदूर नौकरी से निकाले गए थे इस कारण से कि ओवर स्टाफिंग हो गया उसके बाद 1985 से लेकर 1992 तक 700 मजदूरों को, नये मजदूरों को रख लिया गया है। उस समय 300 मजदूर ज्यादा हो गए थे और आज 700 भी ज्यादा नहीं है, यह भ्रष्टाचार की जड़ें कहां जा रही हैं? क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? यदि इसको नहीं रोका गया तो जयपुर मैटल की हालत फिर खराब होगी, फिर मजदूर सड़क पर

(श्री मदनलाल सैनी)

आ जायेंगे। इसलिए माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो अधिकारी हैं और इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं उनको भी रोकना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एअर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मैं जानता हूं कि खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट का उद्योग तो हमेशा इस प्रकार की स्थिति का रहा है कि वहां पर जब गैस लिकेज होती है तो किसानों की सैंकड़ों बीघा जमीन में कच्ची फसल जल जाती है, जमीन खराब हो जाती है। एअर पोल्यूशन है और पानी आज वहां पर स्थिति ऐसी है कि वहां के पानी से चाय नहीं बन सकती है। इस प्रकार के जो उद्योग हैं उन पर भी चैक लगनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट से एअर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको भी चैक करने की हर कोशिश की जानी चाहिए। वहां पर आज पानी उदयपुरवाटी तहसील से जाती है और गुढ़ा कान्स्टीट्युएंसी से जाता है जहां पर डार्क जोन है। मैं पूछना चाहूंगा कि एक ओर तो सरकार डार्क जोन घोषित करती है कि यहां पर भूगर्भ जल नहीं है और दूसरी ओर 3 दर्जन कुओं से कॉपर प्रोजेक्ट के संयंत्र को साफ करने के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। यह विरोधाभास है, विरोधाभासी निर्णय कैसे हैं? इस प्रकार की व्यवस्था की वास्तविकता क्या है? अगर वास्तव में डार्क जोन है तो कॉपर प्रोजेक्ट को दिये जाने वाले पानी को बन्द करना चाहिए और पानी बन्द नहीं करते हैं तो डार्क जो न समाप्त करिए। अगर वहां पानी देना है तो चूरू गंदेली साहबा जो योजना है उससे पानी देना चाहिए। मगर इस क्षेत्र से पानी देकर इस क्षेत्र के किसानों की फसल को सूखाने की व्यवस्था के साथ-साथ उनको भूखों मारने की व्यवस्था है, इससे बचाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज कल जिस प्रकार के ऑब्जेक्शन आवेदन-पत्रों में निकाले जा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आवेदन-पत्रों में यह ऑब्जेक्शन निकाले जा रहे हैं कि अस्थाई पंजीयन नहीं है, अस्थाई पंजीयन डी. आई. सी. करती है। उसके बावजूद वह यह ऑब्जेक्शन लगाती है कि यह अस्थाई पंजीयन प्रमाण-पत्र नहीं है। वह लिखते हैं कि कृषि भूमि है या नहीं, इण्डस्ट्रीज तो इण्डस्ट्रीयल एरिया में लगती है फिर यह प्रश्न क्यों आना चाहिये कि कृषि भूमि है या नहीं? इस प्रकार के ऑब्जेक्शन और शर्तें लगाकर लोगों को बार-बार बुलाया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना अनुमोदित है या नहीं? क्या इस प्रकार के प्रश्न उचित हैं? ग्राम पंचायत से एन. एन. ओ. सी. किस बात के लिए चाहिए? इण्डस्ट्रियल एरिया में ग्राम पंचायत में नहीं लगता वह पर्टीकुलर जगह होती है, वहां यह नहीं लगता, अनुमोदित नक्शे नहीं हैं, इस प्रकार की आपत्तियां जो की जा रही है उसको देखना चाहिए।

इसके साथ मेरा निवेदन यह भी है

(142)

(श्री मदनलाल सैनी)

कि उद्योग उस समय तक नहीं चल सकते हैं जब तक कर्मचारियों के मन में असंतोष रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जानता हूं कि ऐसा कौनसा उद्योग है जिस उद्योग में कर्मचारियों की मांगों का मांग-पत्र पैंडिंग नहीं पड़ा हो? क्या लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार के मांग-पत्रों को समाप्त किया जाय। उनका निपटारा किया जाय। और मजदूर मांगते क्या हैं? पर मजदूरों से बात-चीत की जाती है, यूनियनों से बात-चीत नहीं की जाती है, आफिसर्स से परहेज होता है, आई. ए. एस. आफिसर्स हैं उनको तो नीचे नहीं उतारा जा सकता है पर वह सेठ है उसको तो उतारा जा सकता है, उसकी जमीन कुर्क की जा सकती है पर उनकी जमीन कुर्क नहीं की जाती है आज उनमें सरकार का डर खत्म हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हो रही है उस कारण से मजदूरों में असन्तोष घर करता जा रहा है। आर. एफ. सी. में आज आन्दोलन चल रहा है, पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ और आज फिर कर्मचारी आन्दोलन पर हैं और घरने पर बैठे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके हस्तक्षेप करने से और मैंने जाकर रात में एग्रीमेंट करवाया था लेकिन आज फिर मजदूर आन्दोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। इसको भी आप चैक करवायें, उनको सुविधा दी जाय। उनको चाहिए क्या, उनको सड़क की सुविधा चाहिए, पानी की सुविधा दीजिए, यातायात की सुविधा चाहिए। रिकवरी करने वाले कर्मचारी हैं उनको उनके जीवन की सुरक्षा चाहिए। आर. एफ. सी. का कर्मचारी एक ड्राइवर को पकड़ने गया तो ट्रक ड्राइवर उसका हाथ पकड़ कर दूसरे गांव में ले गया। यह तो सौभाग्य की बात है कि उसको पकड़ा गया अन्यथा वह उस कर्मचारी को मार देता। इसलिए इस प्रकार के कर्मरिचायों की सुरक्षा के लिए भी सबको विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यूनियन्स की मान्यता हुए कई वर्ष हो गए, मल्टी यूनियन राइवरीज के कारण से आन्दोलन होते हैं, झगड़े हैं। इस कारण से भी श्रमिकों में असंतोष होता है, उद्योग कम लगते हैं इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरप्लस कर्मचारी हैं उनके विवाद को ठीक करना चाहिए। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्टेगनेंसन पर 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा करने पर कर्मचारियों के लिए 3 प्रमोशन की स्कीम बनाई गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कथन पूरा नहीं हो पायेगा यदि उदयपुरवाटी क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लाइम स्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, चिनाई का पत्थर है, कातले-पटटी है उस क्षेत्र के विकास के बारे में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की मांग नहीं करूंगा तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी जमीन के नीचे चला गया उसके कारण से खेती सूखती जा रही है। मजदूरी का काम नहीं मिलता है, शहरी दबाव बढ़ता जा रहा है इस दबाव को रोकने के लिए जरूरी है कि

(श्री मदनलाल सैनी)

उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाय।

माननीय खनिज राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इस प्रकार के लोग बैठे हैं कि 3-3 किलोमीटर का ग्रेनाइट का पट्टा है उनके पास, वह किस कानून के तहत बैठे हैं ? क्या वह इस बात को भी देखेंगे कि पहले चिनाइ के पत्थर का लाइसेंन्स ले लिया और उसके बाद लाइम स्टोन निकल गया, ग्रेनाइट निकल गया, मार्बल निकल गया और वह पैसे देते हैं कातले-पट्टी का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे किसान जो गांवों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और चेजा पत्थर निकाल कर अपना काम चलाना चाहते हैं आपके वसूली करने वाले आदमी जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं यह अन्याय है उनके साथ। इस अन्याय को रोकना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेखावाटी क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। परन्तु सीमेंट प्लान्ट जब लगाया जाता है यह आब्जेक्शन लगाया जाता है कि आप सीमेंट बेचेंगे किसको ? यह एन.ओ.सी. लाकर दें। क्या यह एन.ओ.सी. लाई जा सकती है ? लेकिन इस बात का आब्जेक्शन लगाना मैं समझता हूं कि गर्भित कारणों से है, उस कारण की जांच करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी क्षेत्र में इस प्रकार की जो कृषि बेस और माइनिंग बेस इण्डस्ट्रीज हैं वह लगनी चाहिए, घरेलू और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में, जो उद्योग पनप सकते हैं उस प्रकार के उद्योगों का सर्वे करवाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जांच करें कि किस प्रकार की इण्डस्ट्री/उद्योग लगाया जा सकता है जिनका कि कच्चा माल भी वहां उपलब्ध हो सकता है और पक्के माल के लिए बाजार भी खूब मिल सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल जी मेघवाल।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 42 और 43 के ऊपर चर्चा हो रही है। मांग संख्या 42 उद्योग विभाग से सम्बन्धित है, उस सम्बन्ध में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजस्थान से कोई भी नेता जब बाहर जाते हैं तब वह अप्रवासी भारतीयों से राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया करते हैं। लेकिन वहां के लोग जब वहां से राजस्थान में आते हैं और उद्योग लगाते हैं तो उनके सामने कितनी भारी समस्याएं आपके अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा की जाती है, क्या इसके लिए आपने अन्दाजा लगाया है ? इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

कि राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं जिनके अन्दर वर्तमान में काफी कार्य निकलने की सम्भावना है... हमारे राजस्थान में पहले मार्बल भी निकल रहा है। लाइम स्टोन, जिप्सम, काफी ग्रेनाइट की सम्भावना राजस्थान के कई जिलों में बनी है और वह लोग बाग यहां से ग्रेनाइट की खानें लेकर के उसका धंधा करना चाहते हैं। लेकिन माननीय खनिज मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खान से पत्थर निकालने वाले आदमी के लिए अभी आपने एक आदेश जारी किया कि उसको कटर मशीन साथ में लगाना जरूरी है। अब गरीब आदमी या दूसरा कोई भी सम्पन्न आदमी है खान के साथ उसको जोड़ना मेरे हिसाब से यह न्याय संगत नहीं है। इसलिए मन्त्री महोदय, इस उद्योग को अगर आप पनपाना चाहते हैं क्योंकि यह ग्रेनाइट पहले मद्रास की तरफ, मैसूर की तरफ काफी निकलता था। राजस्थान में इसकी सम्भावनाएं बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि यह जो आपने पाबन्दी लगाई है इसको आप हटाएं ताकि खनिज के सम्बन्ध में अपना राजस्थान आगे बढ़ सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है उद्योग मंत्री जी से कि राजस्थान के अन्दर मेरे चूरू जिले में जैसे छापर कस्बा है वहां पर नमक पैदा होता है, पचपदरा है इसी तरीके से कुचामन, डीडवाना, नावां इन क्षेत्रों में नमक काफी मात्रा में निकलता है। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान का बीस परसेंट नमक राजस्थान में पैदा होता है। उस नमक के सम्बन्ध में दिनांक 1.1.1992 को एक आदेश जारी किया है और वह आदेश जो जारी किया उसमें आपने लिखा है कि स्रोतों पर आधारित उद्योगों पर सब्सिडी देय है या तो इस आदेश में कोई कमी है या अधिकारियों की समझ में कोई कमी है। पिछले जब पांच-छः साल से नमक को संसाधन माना जा रहा है और आप उसको स्रोत मान रहे हैं। आपके अधिकारी उसको स्रोत मानकर के सब्सिडी नहीं दे रहे हैं।

(3.12 म. प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

इतना बड़ा उद्योग जिसके लिए मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर काफी लेबर समस्या का समाधान हो सकता है, उस दृष्टि से अगर आप सोचें, यह जो आपका 1-2-1992 का आदेश उद्योग विभाग के जरिए जारी हुआ है उसमें आपने स्पष्ट लिखा है कि स्रोत के आधारित उद्योगों पर सब्सिडी देय होगी लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि नमक और नमक का पानी, नमक पैदा होता है पानी से, आप उस नमक को स्रोत मानते हैं या संसाधन। जब खारे पानी से, लवणीय पानी से नमक पैदा होता है तो संसाधन हो गया नमक और आपके अधिकारी क्योंकि आपने आदेश जारी कर दिए उसके बावजूद भी पिछले एक साल से नमक, जितने लोग बना रहे हैं, आ रहे हैं बाहर से उनको सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस बारे में आपको विशेष तौर से स्पष्ट कल ही निर्देश जारी करने चाहिए कि नमक संसाधन है और इसके ऊपर सब्सिडी जारी होनी चाहिए।

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

आपके इस आदेश में बिन्दु संख्या 6 के ऊपर है।...

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि नावां क्षेत्र, कुचामन और डीडवाना जहां पर नमक बहुतायत में पैदा होता है और वहां पर आकर के छोटे-छोटे काश्तकार अपनी भूमि को रूपान्तरित कराकर के उसके बाद में नमक पैदा करते हैं। आज से 6 महीने पहले से लेकर के आज तक लगातार वहां के लोगों का डेपुटेशन मिला है, मुख्य मंत्री जी से मिला है आपने और राजस्व मंत्री जी ने, मेरे से पहले खण्डेला से आने वाले माननीय श्री गोपाल सिंह जी ने इस बात के लिए आपसे निवेदन किया था कि आप उद्योगों को पनपाना चाहते हैं। इस प्रकार से वहां पर लाखों लेबर काम करते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर वहां के छोटे-छोटे काश्तकार जो भूमि का रूपान्तरण करा कर के नमक पैदा करना चाहते हैं पिछले 2-2, 3-3, 4-4 साल से फाइलें आपके जिला कलक्टर के पास पड़ी हैं, आपकी गवर्मेंट में पड़ी हैं। चाही जमीन का तो वहां कलक्टर करता ही नहीं है लेकिन जो जमीनें जिसके अन्दर किसी प्रकार की कृषि पैदा नहीं होती, दूसरे प्रकार की कोई उपजाऊ जमीन वो है नहीं, खारी जमीन है, उस जमीन का कोई उपयोग होता नहीं, सिर्फ नमक के क्षेत्र में उसका उपयोग होता है सिर्फ नमक ही बन सकता है, ऐसी जमीन का कन्वर्शन करने में राज्य सरकार को क्या दिक्कत है?

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों का आप सरलीकरण कीजिए और जिला कलक्टर नागौर, जिला कलक्टर अजमेर, दो जगह इस प्रकार की हैं। नावां, कुचामन, डीडवाना और आपके अजमेर जिले की जो किशनगढ़ तहसील है उसके गांवों के अन्दर नमक पैदा होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस संबंध में चूंकि पूर्व में भी आपके जिला कलक्टर, आपके सेकेट्री और आपके दूसरे आदमियों के साथ आपकी स्वयं की मीटिंग हुई है लेकिन उसका आदेश आज तक जिला कलक्टरों के पास नहीं पहुंचने की वजह से वह किसी भी प्रकार से इस स्थिति में नहीं हैं कि वह इस सम्बन्ध में क्या करें।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि जाब्दीनगर जो नावां क्षेत्र का एक गांव है वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में नमक की पैदाइश होती है। वहां के खसरा नम्बर 1, खसरा नम्बर 3, 6, 36 और 37 इन खसरों के ऊपर जो प्राइवेट लैण्ड है वहां के काश्तकारों की जमीन है और उस काश्तकारों की जमीन को उपक्रम विभाग ने बेन कर दिया। उसकी जमीन वहां पर सिर्फ दस प्रतिशत है और बाकी 90 प्रतिशत जमीन काश्तकारों की है। उस जमीन को उपक्रम विभाग और उद्योग विभाग के एक निर्देश के मुताबिक वहां के कलक्टर ने चूंकि यहां से बेन लगा दिया गया इसलिए वह जमीन भी कन्वर्ट नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम मेहरबानी करके वहां के काश्तकारों को न्याय प्रदान कीजिए ताकि वह अपनी जमीन को कन्वर्ट कराकर के उसके अन्दर नमक पैदा कर सकें।

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के अन्दर चाहे नमक की जमीन हो चाहे दूसरे खनिजों की जमीन हो जिसको आपने रूपान्तरित कर दिया और दस साल की लीज पर आप देते हैं, काश्तकार कई आदमी अनपढ़ हैं वह जानते नहीं है कि समय से अगर पांच दिन पहले, दस दिन पहले, 15 दिन पहले अपनी लीज को रिन्युअल कराने के लिए आपके सम्मुख पेश करते हैं तो 90 दिन के अन्दर पेश नहीं की जाती है तो उसको आप रिजेक्ट करते हैं या आपका विभाग उसमें अड़चनें लगा देता है। जो जमीन खुद उस काश्तकार की है उसने खुद ने अपनी जमीन को कन्वर्ट कराया है। मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में भी विभाग को निर्देश देवें ताकि किसी प्रकार की क्वेरियां नहीं निकालकर के, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करके आज तक जितनी भी रिन्युअल की फाइलें पड़ी हैं, काफी वर्षों से पड़ी हैं कई महीनों से पड़ी हैं उनको आप भी रिन्युअल कराए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति जी, मांग संख्या 42 उद्योग के बारे में मैं मेरे विचार और मांग प्रस्तुत कर रहा हूं। चूरू जिले में चूरू और लाडनूं दो ऊन की मिलें हैं और दोनों ही दो साल से बंद पड़ी हैं। मंत्री महोदय वहां पर भेड़पालकों का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, काफी लम्बा-चौड़ा इलाका है, आस-पास में दूसरे किसी भी जिले में कोई ऊन की मिल नहीं है और अधिकतर चूरू जिला, बीकानेर, नागौर, सीगर, झुन्झुनू सारे भेड़पालक हैं। यह दो साल से बन्द पड़ी है। मैं मांग करता हूं कि यह चूरू और लाडनूं की ऊन मिलें हैं उनको जल्दी से जल्दी चालू किया जाये ताकि भेड़ पालकों को और मजदूरों को दोनों को लाभ मिल सके।

इसके अलावा, सभापति महोदय, उद्योग विभाग ने जगह-जगह पर इण्डस्ट्री एरिया कर रखा है। रीको ने और उद्योग विभाग ने खास तौर से इन्होंने हरिजनों को इस काम में रियायतें देने के लिए प्रावधान रखा है और राज्य सरकार की मंशा भी है कि राज्य में दबे हुए व्यक्तियों को थोड़ा सहारा दिया जाय। मैं लम्बी बात तो नहीं कहूंगा। इस मामले में मंत्री महोदय को ध्यान है घड़साना एक मण्डी है और घड़साना गंगानगर जिले में है। कलक्टर ने प्रयास किया कि इस मंडी में कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति नहीं है। प्रयास करके एक व्यक्ति को वहां घड़साना में एक प्लॉट दिया गया। बाउण्ड्री आदि सब कुछ कर लिया। सब मिल करके लगभग 8 लाख रुपया लगाया, बाउण्ड्री सब कुछ कर लिया। ज्योंही मिल चालू करने की मशीनरी खरीद करके तैयारी की तो सभापति महोदय, एक, दो, तीन करके रातों रात पूरी मिल को नीलाम कर दिया और आगे पचास हजार रुपये लिये हुये थे ...

श्री सभापति : आपने किया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमने नहीं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किया इनके डिपार्टमेंट ने किया, उद्योग विभाग ने और रीको विभाग ने... (व्यवधान) सरकार तो पहले वाली थी सभापति महोदय, सरकार चाहे पहले वाली हो या अब वाली, सरकार सरकार ही होती है। सरकार का जो मित्रसारा है चाहे नई सरकार आने वाली हो सरकार सरकार का तो आपस में मित्रसारा है। उस मित्र-सारे को कोई समझ नहीं सकता। वह सब एक है। भले ही वाणी से कुछ भी कह दो लेकिन काम उनका एक है और हम सरकार में कोई भेद नहीं समझते।

तो अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति की जमीन नीलाम कर दी गयी। कानून कायदे उद्योग विभाग, रीको में ऐसे हैं कि न उनकी अपील होती है न कोई बात। इसी तरह से बीकानेर में सभापति महोदय, एक रानी बाजार इण्डस्ट्रीयल एरिया है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति कोई नहीं मिला तो जिलाधीश बीकानेर ने बड़े प्रयास करके पांच सौ मीटर का एक हरिजन को प्लाट दिया। हरिजन के पास पैसे कहां है। फिर भी उसने प्लाट के 11 हजार रुपये भर दिये। बाउण्ड्री बना ली, और खड्डी का धन्धा करना, बेजा करने के लिए और मोमबत्ती तैयार की, सांचे बना लिये, औजार सारे ले लिये। पड़ौसी पूंजीपति बहुत बड़ा, उसने रीको से मिलकर बिना नोटिस दिये, उनका कोई बकाया नहीं एक पाई भी बिना नोटिस दिये वही रात को एक, दो तीन करके एक लाख और 8 हजार में वह प्लाट नीलाम किया है। जो हरिजन को मिला 11 हजार का पांच सौ मीटर का, आज ऐसी बातें अगर हम करें तो समाज में तो भारी निराशा है लेकिन समाज के भले की बात नहीं है। न गरीब अदालत में जा सकता न है उनकी कोई अदालत है न कानून हैं और न कायदे हैं।

लेकिन सभापति जी ऐसा जो काम है वह आज की तारीख में उस व्यक्ति के काम आता है, लोगों में जो निराशा है वह सरकार के लिए निराशा अच्छी नहीं है। मैं मंत्रीजी आपसे आशा करता हूं कि आप ऐसे कामों में ध्यान रखिये यह काम आपके समय पर काम देंगे। इस तरह का काम राजस्थान में हुआ तो हम इस लायक नहीं रहेंगे सभापतिजी इस तरह का काम आपके रीको और उद्योग विभाग करेंगे तो फिर गरीब ऊंचा नहीं उठेगा। उनका शोषण अधिक बढ़ता जा रहा है इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं देकर मंत्रीजी मुझे आपसे बड़ी लम्बी आशायें हैं। इस तरह के शोषण और भ्रष्टाचार हो रहे हैं यह जिन्दा सबूत हैं। आपके यह सब मामले ध्यान में है। इसलिए मैं आशा करता हूं। इस तरह बेइमानी करने वाले आदमी को आप सजा नहीं देंगे तो बेईमान बचेगा और सजायें हम भुगतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी मांग प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री शान्तिलाल।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : सभापतिजी, राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है। हिन्दुस्थान में इसका दूसरा और तीसरा नम्बर आता

(श्री शान्तिलाल)

है और मिनरल की दृष्टि से राजस्थान का पहला नम्बर भी आता है। जहां तक प्रदेश की इन्कम का प्रश्न है। सेल टैक्स और आबकारी विभाग के बाद तीसरा नम्बर यदि किसी का इन्कम की दृष्टि से आता है तो वह माईन्स डिपार्टमेंट का आता है जिसकी वार्षिक रेवेन्यू 100 करोड़ से भी अधिक है। मैं राजसमंद विधान सभा क्षेत्र का हूं इस दृष्टि से जो क्षेत्र मार्बल की दृष्टि से माना जाता है उसी के बारे में कन्सेन्ट्रेट करूंगा। माननीय सभापति जी जहां तक मार्बल व्यवसाय का प्रश्न है मार्बल व्यवसाय अभी भी प्रगति की ओर अग्रसर है और इसमें काफी स्कोप है उन्नति के। मैं आपका ध्यान राजसमंद जिले में जो मार्बल व्यवसाय से इन्कम होती है। वह लगभग 10 करोड़ रुपये होती है। लेकिन 10 करोड़ जो सालाना इन्कम है उसके अनुरूप उसकी 10 प्रतिशत इन्कम तो कम से कम उस क्षेत्र के विकास में खर्च होनी चाहिए। जो अब तक के रिकार्ड के आधार पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहां की सड़कों का निर्माण करने के लिए, मार्बल व्यवसाय को अन्य सुविधायें दिलाने की दृष्टि से कम से कम वहां की इन्कम का 10 प्रतिशत वहां के विकास में खर्च करें। मैं वहां की कुछ समस्याओं के बारे में भी आपके सामने अपनी बात कहना चाहूंगा। दरीबा माइन्स जो केन्द्रीय सरकार का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है वहां से लगभग 3 करोड़ रुपये सालाना रेण्ट और रायल्टी के रूप में प्राप्त होता है लेकिन उसके अनुरूप जो 10 प्रतिशत राशि उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करनी चाहिए वह अभी तक उस क्षेत्र के विकास पर खर्च नहीं की जा रही है जिसके कारण वहां की समस्याओं की अपार संख्या हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि दरीबा माइन्स इतनी गहरी है कि वह 500 मीटर से भी अधिक गहरी है। उसकी गहराई के कारण आस पास के कुओं का पानी सूख गया है। कुओं का पानी सूखने से किसानों की फसलें, किसानों की खेती चौपट हो गयी है और वह व्यवसाय रहित हो गयी है। ऐसी दृष्टि से मेरा अनुरोध है कि कुछ पैसा सरकार खर्च करें और सरकार हिन्दुस्तान जिंक को मजबूत करे कि उस क्षेत्र के विकास के लिए पैसा खर्च करे ताकि उस क्षेत्र का समुचित विकास हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो एक्सपोर्ट्स यूनिट्स है मार्बल व्यवसाय की दृष्टि से राजसमंद में, उनको वास्तव में जिस तरह से सुविधायें दी जा रही हैं वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो यूनिट्स एक्सपोर्ट करती है उसके माध्यम से दुर्लभ विदेशी मुद्रा मिलती है केन्द्रीय सरकार ने तो जो एक्सपोर्ट यूनिट है उनको इन्कम टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया लेकिन राजस्थान सरकार ने उन यूनिट्स को कोई लाभ नहीं दिया है। मेरा सुझाव है कि माइनिंग डिपार्टमेंट उनकी कम से कम रायल्टी करे। पूरी की पूरी माफ ना करें, तो कम से कम कुछ तो राहत दे ताकि राजस्थान प्रदेश को अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके।

(श्री शान्तिलाल)

सभापतिजी, मैं आपका ध्यान वहां पर, जो अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्ताव रखा है कि सड़कों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत वहां के माइन्स ओनर्स कन्ट्रीब्यूट करें और पचास प्रतिशत सरकार कन्ट्रीब्यूट करके सड़कों का निर्माण करेगी। मेरा इसके बारे में यह कहना है कि वहां के माइन्स ओनर्स पचास प्रतिशत धन कन्ट्रीब्यूट नहीं कर पायेंगे। और यदि वह कन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पायेंगे तो इस नीति के अनुरूप सड़कों का निर्माण नहीं हो सकेगा और सड़कों का निर्माण नहीं होगा तो जितना माइन्स का दोहन होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। इससे सरकार को रायल्टी में भारी नुकसान होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में रखा है उसमें संशोधन करे और 50 प्रतिशत जो कन्ट्रीब्यूशन माइन्स ओनर्स का रखा है उसको समाप्त करने की घोषणा करें। जहां तक माइन्स ओनर्स को डेटेरेन्ट फीस वसूली का प्रश्न है। सभापति महोदय, यह बहुत डिफेक्टिव नियम है। चूंकि जो डेटेरेन्ट दिया जाता है वह पांच साल में जितनी रायल्टी बनती है उसके आधार पर 40 प्रतिशत डेटेरेन्ट फीस रिन्यूअल के कारण से लिया जाता है वह उचित नहीं है। मेरा सुझाव है कि डेटेरेन्ट फीस जो पांच साल पूर्व में ली गयी है उसी में 40 प्रतिशत बढ़ा दिया जाय तो सरकार की इन्कम बढ़ेगी। क्योंकि रायल्टी में जो डिफेक्टिव कानून, कायदे बने हुये है उसके कारण पूरी रायल्टी मिल नहीं पाती है और रायल्टी नहीं मिल पाती है तो उसका लाभ भी सरकार को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में चालीस प्रतिशत वृद्धि पांच साल बाद की जाती है वह डेटेरेन्ट फीस पर ही कर दी जाये तो सरकार को भी लाभ होगा और जो माइन्स ओनर्स चोरी करते हैं रायल्टी देने में, चोरी करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जायेगी। मेरा एक और अनुरोध है माननीय सभापति महोदय, कि वर्तमान में जो रायल्टी वसूल की जाती है राजसमन्द क्षेत्र में, यह ब्लाक्स पर वसूल की जा रही है जबकि मकराना में स्लेब्स पर की जा रही है। अब स्लेब्स से किये जाने के कारण उसमें कर चोरी का कोई स्कोप नहीं रहता है जबकि ब्लाक्स में कर चोरी का पूरा-पूरा स्कोप रहता है। मैंने माइन्स ओनर्स से बात की तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि यह रायल्टी ब्लाक्स की बजाय स्लेब्स पर कर दी जाती है तो निश्चित रूप से कम से कम 25 प्रतिशत इन्कम बढ़ जायेगी और यदि विभाग उन व्यवसायियों से बातें करें तो लिखित में भी इस प्रकार का आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। अतः मेरा अनुरोध है, सरकार सिर्फ अधिकारियों को रिपर्ट पर विश्वास नहीं करें, उनकी रिपोर्ट जरूर ले लें, अधिकारीगण जान बूझ करके जब तक ब्लाक्स पर नहीं रखे जायेंगे तब तक उनके भ्रष्टाचार के जो तौर-तरीके हैं, इसके बिना चल नहीं पायेंगे। ऐसी स्थिति में वे इसी बात को एम्फेसिस करते हैं कि ब्लाक्स में ही ली जाय। वह राजसमन्द क्षेत्र में प्रेक्टिकल नहीं है। यह बात सही नहीं है। सही तो यह है कि यदि वह स्लेब्स पर कर दी

150

(श्री शान्ति लाल)

जाती है तो निश्चित रूप से माइंस विभाग की इन्कम बढ़ जायेगी । सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद और मैं समझता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे ।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर दयाल यादव ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 43 खनिज पर चर्चा हो रही है । उसके बाबत मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । मैं अपनी राय सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि माइनिंग विभाग और राजस्थान में माइंस के जो भण्डार हैं, उस पर कुछ ही लोगों के कब्जे हैं, चाहे पूंजीपति हो, चाहे राजनेता हो, चाहे माईनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी हो । इन लोगों ने किसी न किसी रूप में माईनिंग में इस तरह से कब्जा कर रखा है कि जो नये उद्यमी और बेरोजगार लड़के हैं, वे इस उद्योग में अगर आना चाहते हैं तो उनको प्राइमरी नालेज जो विभाग की तरफ से दी जानी चाहिये, न तो उपलब्ध कराई जाती है और अगर कोई पीछा करता है तो उपलब्ध कराने के लिए तो इसको इस तरह से मिसगाइड किया जाता है कि व फर्स्ट फेज या सैकण्ड फेज में ही हतोत्साहित होकर के वापस बेरोजगार और महाबेरोजगार होकर के अपने घर लौट जाते हैं इसलिए इस व्यवस्था में आप सुधार कीजिये कि जो प्राइमरी नालेज है, नए उद्यमी जो इस माइनिंग में आना चाहते हैं, इनको किस तरह से आप राहत दे सकते हैं । इसमें कोई नीति निर्धारित करके आप चाहे प्रचार-प्रसार करें लेकिन निश्चित तौर पर एक विचार करने योग्य मामला है । मैंने उद्योग मंत्रीजी से भी पहले निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र जयपुर से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर है और हमारे यहां पर काफी सरकारी भूमि है । ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव भेजे हैं जैसे कालाडेरा में 400 बीघा भूमि और कुशलपुरा में 200 बीघा भूमि रीको को देने का प्रस्ताव है लेकिन अभी तक उसकी क्या प्रक्रिया हुई, क्या नहीं हुई ? मैंने पहले भी पत्र लिखा था लेकिन अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली है । ये दोनों स्थान है जो जयपुर से 21 वीं सदी में प्रपोज्ड बाई पास तय होने वाले हैं, उस रोड्स के अन्दर चंदवाजी, रेनवाल और दूदू रोड के ऊपर ये दोनों स्थान पड़ते हैं । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और इन दोनों स्थानों पर यदि रीको अपना डवलमेंट करती है तो निश्चित तौर पर उद्यमियों को अच्छा मौका मिलेगा । जयपुर से ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा नजदीक भी नहीं । ऐसे स्थान दूसरी जगह शायद उपलब्ध नहीं हो पायेंगे । मैं समझता हूं उद्योग मंत्रीजी इस पर विचार करके निश्चित तौर पर कोई राहत देने का काम करेंगे । मेरे क्षेत्र के अन्दर उद्योग विहार जैतपुरा में है और मुझे खुशी है यह कहते

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

हुए कि राजस्थान में जितने भी आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें से मैं भिवाड़ी की तो कह नहीं सकता, कितना प्रतिशत है लेकिन बाकी जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें अगर पर्सेन्टेज इण्डस्ट्रीज का निकाला जाय तो जैतपुरा उद्योग विहार सबसे प्रथम नम्बर आता है जहां नीयर अबाउट 90 प्रतिशत इकाइयां हैं वे कार्यरत हैं और वहां पर अच्छा प्रोडक्शन है। मैं उसकी निश्चित तौर पर सराहना करता हूं इसलिए आप इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र कायम कीजिये जो शहर से ज्यादा नजदीक भी नहीं हो और शहर से ज्यादा दूरी पर भी नहीं हो और जहां पर सारी सुविधाएं उद्यमियों को उपलब्ध हों ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा सकें और वहां पर श्रमिक भी उनको अच्छे मिल सके लेकिन इसमें उद्योग विहार में पर्यावरण के बारे में सूचना जरूर देना चाहूंगा उद्योग विहार जैतपुरा नेशनल हाईवे के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ लगा हुआ है और दोनों तरफ पानी की नाली आपने बना रखी है और दोनों तरफ का जो भी गंदा पानी है, वह एक तरफ का पश्चिम साइड का आगे बहकर चला जाता है और पूरब साइड का बहकर के उस रोड के नजदीक आ जाता है। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि करीब 10 सालों से उद्योग विहार में काम चल रहा है और उस रोड को क्रोस करके पूरब का पानी पश्चिम में निकालने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहां पर उद्यमियों ने और मैंने कम से कम 10 पत्र लिखे और वहां की जनता ने और वहां पर यह स्थिति पैदा हो गई कि उस गंदे पानी से आस पास के जो किसान लोग रहते हैं, वहां बीमारियां फैल रही है। मैं समझता हूं आप चाहे अपने विभाग को या पर्यावरण विभाग को जैसा भी आप उचित समझे, उसमें, निश्चित तौर पर कोई हल निकालकर लोगों को राहत देने का काम करेंगे।

मैं मोरीजा माइंस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आयरन ओर के जो भण्डार है राजस्थान में, उनमें मोरीजा माइंस के अन्दर सबसे ज्यादा भण्डार है। यह आपकी सर्वे रिपोर्ट भी कहती है और सर्वे रिपोर्ट में यह इंगित भी किया है कि करीब 70.5 प्रतिशत आयरन ओर है भारी तादाद में सन् 1977 में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी इसी सदन के नेता थे, उस समय भी मैंने निवेदन किया था, उस वक्त सारा इसका सर्वे करवाकर, जांच करवा करके और उस वक्त यह समस्या आई थी कि राजस्थान विद्युत मण्डल ने पावर देने में असमर्थता व्यक्त की थी इसलिए मिनी स्टील प्लांट का वहां पर इंसटालेशन नहीं हो पाया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जहां आयरन ओर के इतने अच्छे भण्डार है राजस्थान में, जहां 70 और 71 प्रतिशत आयरन ओर मिलना बहुत मुश्किल है आप वहां निश्चित तौर पर कोई स्टील प्लांट लगाइये और उस भण्डार का उपयोग कीजिये। मैं इस बारे में यह भी सूचना आपको देना चाहता हूं कि जो आयरन ओर है और उसमें जिस उद्यमी को लीज दे रखी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप अपने रिकार्ड को देखिये कि वहां पर आयरन ओर

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

दोहन कर रहे हैं और आप उसको पत्थर लीज देकर मात्र सालाना 10-11 हजार की रुपये उससे वसूल करते हैं और वह महीनों में लाखों रुपये का सरकार को चूना लगा रहा है। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था लेकिन आज तक 12 महीने होने को आये, एक साल बाद भी कोई रूचि नहीं ली और 12 महीने बाद भी मुझे यह अवगत नहीं कराया कि उसको इस तरह से लीज क्यों दे रखी है जबकि इसमें मैंने कल शाम को भी इस बात का जिक्र किया था इसमें क्या दोहन हो रहा है, निश्चित रूप से रोजाना के 4-5-6 ट्रक निकलते हैं और आप पत्थरों की लीज देकर उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम सरकार में रहते हैं, हम सरकार को धोखा देना चाहें, सरकार को नुकसान देना चाहें सभापति महोदय, कि जो इस तरह के विचार आये, आपके सामने जो प्रस्ताव आये, उन पर हम विचार नहीं करेंगे, विभाग इसकी कोई जांच नहीं करें और इसमें त्वरित गति से कोई एक्शन नहीं लिया जाय तो इसका क्या कारण हो सकता है, मैं नहीं समझ पाता। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी जो माइंस के बारे में निश्चित तौर पर जांच करें और इसमें आयरन ओर की रायल्टी को कायम करें और साथ ही मिनी स्टील प्लांट या स्टील प्लांट चाहे जोइंट सेक्टर में हो चाहे और किसी उद्यमी को दे, लेकिन उसका दोहन करके वहां कई हजार आदमियों को रोजगार मिल सकता है और इसका दोहन हो करके एक अच्छा उद्योग स्थापित हो सकता है। मैं इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के गांव निवाना, गोविन्दगढ़, हाथरोदा, आलीसर में भी सैकड़ों बीघा भूमि है जहां अच्छे उद्योग लगाये जा सकते हैं। मैंने माननीय उद्योग मंत्रीजी से पहले भी निवेदन किया था, आपने उसमें शायद चर्चा भी की है लेकिन अभी तक कोई अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इन गांवों में जहां पर उद्यमी को शूट करे चाहे नेशनल हाइवे के नजदीक हो, चाहे लिंक रोड के नजदीक हो, जहां आपको शूट करे वहां मेरा प्रस्ताव है कि मैं ऐसे उद्यमियों को मेरे क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं आपने कालाडेरा की बात की, उसकी 600 बीघा से ज्यादा जमीन है उसको उद्योग के नाते लेने हेतु रीको द्वारा गवर्नमेंट को सिफारिश आ गई है और हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा है। जैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्लियरेंट होकर आयेगी वहां पर औद्योगिक क्षेत्र बन जायेगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह निश्चित तौर से खुशी का बात है कि कालाडेरा में इस तरह से रीको को डवलप के लिए देते हैं तो वहां सारी सुविधायें मिलेंगी और कालाडेरा वह स्थान है जहां से लोग आसाम में जाते हैं, सहरिया परिवार जैसे अच्छे उद्यमी वहां से स्थापित हुए हैं वे लोग वापस राजस्थान में आकर वहां कुछ उद्यम लगायेंगे और निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए निश्चित तौर

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

से यह कहना चाहूंगा जैसे कालाडेरा में उद्योग स्थापित करने की बात है, अंत में मैं एक और सूचना देना चाहूंगा हम उद्योग लगाना भी चाहते हैं और लोगों को रोजगार भी देना चाहते हैं बेरोजगारों को बेरोजगारी से दूर भी करना चाहते हैं। मुझे आज ही एक रजिस्टर्ड (ए.डी.) का पत्र पारीक इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग वर्क्स, गोविन्दगढ़ (जयपुर) से मिला है। उनका इस एप्लीकेशन में जो कथन है कि राजस्थान फाइनेंसियल कार्पोरेशन से मैंने 72 हजार रुपया ऋण स्वीकृत कराया। 60 हजार रुपए की राशि मैंने प्राप्त की और मैंने एक लाख 60 हजार रुपए आर. एफ. सी. को पेमेन्ट कर दिया और अब मेरे खिलाफ 40 हजार रुपए की वापस बकाया है। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरी जितनी प्रोपर्टी थी वह सारी सेल हो गई। मैंने मुख्य मंत्रीजी तक कई बार चक्कर लगाये और उसके लास्ट में कहा है कि कई बार मुख्य मंत्रीजी के दरवाजे खटखटाये किन्तु मेरी समस्या पर गौर नहीं किया गया और मुझे असत्य घोषणाओं द्वारा धोखे में डाला जा रहा है। मेहरबानी करके चाहे वो आर. एफ. सी. हो, चाहे कामर्शियल बैंक हो, कोई भी हो जो उद्यमी या जो रुग्ण इकाइयां हैं जब 60 हजार के मुकाबले उसने एक लाख 60 हजार रुपए का पेमेन्ट कर दिया और फिर भी उसको इस तरह से बेरोजगार बना दिया उसने सारी प्रोपर्टी बेच दी तो ऐसी जो व्यवस्था है जो आपके पास उद्यमियों के पत्र आयें उनके ऊपर निश्चित रूप से गौर करना चाहिए, उनको स्कूनाइज करना चाहिए। आप अपने स्टाफ के ऊपर या अपने ऑफिसे के ऊपर मत छोड़िए कि वो ही आपको करेक्ट सूचना दें। आप चाहे रजिस्टर मेनटेन करायें लेकिन इस तरह से कोई शिकायत आये तो निश्चित तौर से उसकी मोनिटरिंग आप एक अच्छे अधिकारी से करायें ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 43 खनिज पर चर्चा हो रही है। मैं इसमें भाग लेते हुए मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं।

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। वहां के नागरिक रोजगार के लिए शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। शहरों में आने के बाद उनको उद्योग-धन्धों में नौकरी नहीं मिलती है तो गांवों में जो रोजगार मिलता है उससे भी कम रेट पर यहां मजबूरन काम करना पड़ता है और क्योंकि वो वापस जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं इसलिए जैसी भी स्थिति होती है वे शहरों में रहना पसंद करते हैं। इससे एक ओर तो शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और दूसरी ओर अन्य और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरा उद्योग मंत्री जी से यह आग्रह है कि गांवों में छोटे-मोटे उद्योग लगाने की एक योजना बनाई जाय जिस प्रकार आर.एस.ई.बी. में

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

अपन यह तय करते हैं कि 25 हजार कनेक्शन किसानों को मिलेंगे ही मिलेंगे या 500-700 गांव विद्युतिकृत होंगे। तो मेरा एक सुझाव है कि गांवों में उद्योग लगें उसका एक टारगेट तय होना चाहिए जिलेवाइज और उनको सुविधाएं मिलें। उससे दो फायदे होंगे एक तो गांवों में कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग पनपेंगे और एक शहर की तरफ जो जनसंख्या का आकर्षण है, शहर की तरफ जो दबाव बढ़ रहा है वह रुकेगा।

मैं मुख्य बात ब्यावर कृष्णा मिल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री माननीय भैरोंसिंह शेखावत हैं, वे जब विपक्ष के नेता थे तब ब्यावर पधारे थे। ब्यावर कृष्णा मिल को चलाने के लिए आन्दोलन भी किया और नेतृत्व भी किया एवं घोषणा भी की कि जैसे ही हम सरकार में आयेंगे, सत्ता में आयेंगे तो कृष्णा मिल को चलायेंगे और चिमनी में से धुआं निकलेगा। आज 2 साल हो गए इस ओर प्रयास नहीं हुआ। उस क्षेत्र के लोग बेरोजगार बैठे हैं और कोई उद्योग है नहीं। यह मजबूरी हो सकती है, किसी उद्योग को चलाने के लिए केवल भाषणों और नारों से काम नहीं चल सकता उसमें आर्थिक स्थिति, पावर व रा-मैटेरियल आदि की जरूरत होती है लेकिन जिस प्रकार भीलवाड़ा माया टेक्सटाइल मिल को चालू करने के लिए सरकार ने जो इन्टरेस्ट लिया और जिस योजना से माया टेक्सटाइल मिल को चालू कराया, मेरा इसमें आग्रह है कि आज ही उद्योग मंत्री इस कृष्णा मिल को चालू करने के लिए कुछ न कुछ घोषणा करेंगे आश्वासन देंगे। वहां की जनता को माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने जब वे ब्यावर पधारे थे और कृष्णा मिल के बारे में जो विषय उठाया और वहां जो जवाब दिया उसको क्रियान्वित करने के लिए कुछ न कुछ कदम आगे बढ़े उसकी आज घोषणा हो।

मेरे क्षेत्र के विजयनगर के बारे में भी आपसे चर्चा करूं, वहां रीको ने एक एरिया बनाया है। 5-6 मुश्किल से इण्डस्ट्रीज लगी हैं, लगने लगी थी। पहले वहां की जमीन की रेट पांच रुपया स्क्वायर फिट से चौगुना बढ़ा दी और उद्योगपति जो आकर्षित होने वाले हैं बजाय इसके और सुविधा देने के उस क्षेत्र में रेटें बढ़ने से लोगों ने मना कर दिया। उसके साथ-साथ पिछले 5-6 साल से रीको से कोई फाइनेंस नहीं हुआ और कोई योजना स्वीकार नहीं हुई। अगर इस प्रकार से छोटे-छोटे गांवों में उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की बजाय कुछ समस्यायें खड़ी होती हैं तो उनको दूर करें तभी ग्रामीण क्षेत्र के विकास का काम बढ़ेगा।

मेरा एक और सुझाव है। ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा में वाटर पोल्यूशन के बारे में सारे हिन्दुस्तान में इसकी चर्चा होती रही है, सेमीनारस् भी होती रही हैं और मीटिंग्स भी होती रही हैं लेकिन वहां के किसान भाइयों के लिए, वहां की समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कोई स्थायी हल नहीं निकाला। मैं यह चाहूंगा कि इसका कोई न कोई निर्णय

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

होना चाहिए और वहां की जनता को राहत मिलनी चाहिए। जब हम विपक्ष में थे तो इस बारे में बहुत चर्चा करते थे लेकिन दो सालों से इस क्षेत्र के लिए वायु प्रदूषण व वाटर पोल्यूशन के लिए कोई कारगर कदम हमने उठाये हों, ऐसा लगता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि आपके जवाब में इस सम्बन्ध में भी कुछ आये।

मेरा यह कहना है कि रीको कालोनीज जो हम बनाते हैं उसमें विकास शुल्क के नाम से अच्छा पैसा भी ले लेते हैं सारी व्यवस्था के लिए लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे राजस्थान में आज कोई भी ऐसी कालोनी नहीं है जिसमें जो सुविधायें होनी चाहिए, वे हों। कहीं लाइट नहीं है, कहीं नालियां नहीं है, गंदगी है, उद्योगपतियों को रहने की सुविधा नहीं है। जिस प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं उन लोगों से कि इस क्षेत्र में विकास हो, उद्योग बढ़े तो उनको सुविधायें भी देनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है। बड़े-बड़े उद्योगों को जब वे सिक होने लगते हैं या उनके ऊपर रीको का जो कर्जा होता है उसको वसूल करने के लिए और छोटे उद्योगों के लिए अलग-अलग मापदण्ड हैं। उससे बजाय वसूल करने के आप उनको ऋण की सुविधा देते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं लेकिन छोटी-छोटी यूनिट हैं उनको वसूल करने के साथ-साथ डिमोरलाइज्ड करने के कितने ही उदाहरण हैं। मैं यह चाहूंगा कि ये सुविधाएं और ऋण छोटे उद्योगों को भी मिलनी चाहिए। बड़े उद्योग वाले तो कहीं से भी कैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन अगर छोटे उद्योग पनपेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और धीरे-धीरे औद्योगिक विकास भी होगा।

मैं खनिज के बारे में भी दो बात कहना चाहूंगा। राजस्थान में खनिज का अत्यधिक भण्डार है और उसका जितना सदुपयोग है, वह अपने राज्य के विकास के लिए होगा।

श्री सभापति : आप भी अपना भण्डार जल्दी ही खाली कर दें, समय हो गया है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : पिछली बार भी आपने मुझे डरा दिया था। माननीय खनिज मंत्री जी का ध्यान मैं हमारे अजमेर जिले की ओर आकर्षित करूंगा कि कुछ नये ग्रेनाइट के क्षेत्र डवलप हुए हैं मसूदा विधान सभा क्षेत्र और भिनाय में। मेरा उसमें यह कहना है कि पिछले 3-4 साल में गुपचुप कुछ बाहर से लोग आकर ग्रेनाइट के भण्डार को सरकार की निगाह में आने से पहले उन्होंने वहां जांच कराकर खेत को अपने नाम पर अलोट करा लिया और बाद में पता लगा कि बहुत बढ़िया पत्थर निकला है तो सरकार को जो फायदा होने वाला है इसका डवलपमेंट करने से वह नहीं हो पायेगा। मेरा यह आग्रह है कि पिछले 4-5 साल से जो गतिविधियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार भिनाय क्षेत्र के रामलिया क्षेत्र

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

में जो पत्थर निकले हैं, वह एकदम उच्च कोटि का पत्थर है। वह चोरी-छिपे निकाल रहे हैं और विभाग के लोगों को भी इसकी जानकारी है। मेरा यह कहना है कि इस ओर विशेष ध्यान रखकर आप करें। अंत में मैं सभापति महोदय को धन्यवाद दूंगा कि मुझे समय दिया और बोलने के लिए अवसर दिया।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आज धीरे कैसे बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप महावीर जी को खड़ा कर दो, अभी जोर-जोर से बोलने लग जायं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आते ही खड़े हो जायेंगे, हैं नहीं वह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उद्योग और खनिज की मांगों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। सभापति जी, उद्योगों की जब बात आती है तब एक बात भी ध्यान में आती है कि जब-जब राजस्थान में कोई भी मुख्य मन्त्री बनता है तो वह प्रवासी राजस्थानियों से मिलने के लिए कलकत्ता और बोम्बे जाया करता है और उनको आकर्षित करता है कि आइये आप राजस्थान में और यहां आप अपने उद्योग लगाइये। लेकिन कुल मिला कर लम्बे समय से यह प्रक्रिया चालू है और हमारी प्रगति है, नौ दिन चले अढ़ाई कोस। क्योंकि हमारे पास उद्योगों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, ऊर्जा नहीं है, पानी नहीं है तो खाली भाषणबाजी से तो उद्योग लगने वाले हैं नहीं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करूंगा माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपकी रीको किसानों से सस्ती रेट पर जमीन लेती है और डवलपमेंट के नाम पर थोड़ा-बहुत पैसा दिया और उसके बाद में उस पर हाई रेट पर आप प्लॉट देते हैं। कोई बात नहीं है, आपको औद्योगिक क्षेत्र डवलप करने के लिए यह सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आई है, आपके रीको के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों को भी जमीनें दे दी जाती हैं जो कोई उद्योग लगाते ही नहीं है, वह सिर्फ वहां प्लाट्स लेते हैं रि-सेल के लिए और हाई रेट्स पर रि-सेल कर पैसा अपनी जेब में ले लेते हैं। उनका लक्ष्य उद्योग स्थापित करने का नहीं होता है। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, दरअसल में हमारे पास जब मूलभूत आधार नहीं है तो हम इसका कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाये। आज बेरोजगारी की सबसे विकट समस्या राजस्थान में है। मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा कि हम सेचुरेशन पाइंट पर है, एम्पलायमेंट दे नहीं सकते और एक लम्बी कतार बेरोजगारों की है तो हमको हमारी उद्योग नीति पर पुनर्विचार करना पडेगा। एक तरफ हम यह चाहते हैं कि पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करायें और उनको स्वरोजगार दें तो वह स्वरोजगार आप किस माध्यम से देंगे। लघु उद्योगों की परिभाषा को आप बदल नहीं सकते,

(श्री हरिसिंह)

बड़े उद्योगों की कैटेगरी में आप उनको लोन दे नहीं सकते, रीको देगा नहीं, आर. एफ. सी. लोन देगी नहीं तो फिर कैसे यह व्यवस्था बैठेगी। इसलिए मैं आपसे यहां अनुरोध कर रहा हूं कि अच्छा यह हो, मुख्य मंत्रीजी होते तो मैं उनसे भी अनुरोध करता, कि उद्योग और खादी ग्रामोद्योग, इन दोनों को एक ही जगह मिला दिया जाय।

गांवों में बेरोजगारी की समस्या मुंह बाये खड़ी है और उसके दो कारण हो गये सभापति महोदय। एक तो, हमारे गांव का जो ढांचा है वह सामाजिक ढांचा पूरा जातिगत आधार पर है और जातियां एक आर्थिक इकाई थी उस समय भी और आज भी हैं लेकिन औद्योगीकरण की वजह से कुछ जातियां गांव में, जो शिल्पकार कहलाते हैं, दस्तकार कहलाते हैं, आज वह बेरोजगार हो गये। जैसे लुहारी का काम करने लाले, सुथारी का काम करने वाले, चर्म का काम करने वाले, रंगारी-छपाई का काम करने वाले, तेल घाणी का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, आज सब लोग बेरोजगार हो गये और उनको रोजगार देने के लिए हमने हमारे पूरे औद्योगिक ढाचे में कहीं कोई गुंजाइश रखी नहीं और कहीं रखते भी तो आपकी आर. एफ. सी. वगैराह के सामने उनको आपने लाइन में ही खड़ा नहीं किया और जब ग्रामोद्योग का काम आपने पूरा का पूरा राजस्थान खादी बोर्ड को दे दिया और खादी बोर्ड के पास में आपने दिया, मैं अभी देख रहा था, 90-91 के बजट में आपने दिये हैं 170 लाख रुपये। पूरे राजस्थान के 34,968 गांवों में ग्रामोद्योग लगाने के लिए आपने 170 लाख रुपये दिये हैं और 91-92 में तो आपने महाप्रलय ही कर दी। आपने दिये हैं सिर्फ 41.80 लाख रुपये। मेहरबानी करके खादी ग्रामोद्योग का बजट तो आप बढ़ा नहीं सकते तो आप इसको उद्योग विभाग से जोड़ दीजिए। न तो यह बड़े उद्योगों की केटेगरी में आते हैं, न मंझले उद्योगों की केटेगरी में आते हैं और न ही लघु उद्योगों की केटेगरी में आते हैं इसलिए खादी ग्रामोद्योग के बजट को बढ़ा कर ग्रामीण बेरोजगारी का मिटने का कोई न कोई रास्ता आप निकालिये, कितनी हम रोजगार के सम्बन्ध में प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसको दिखवाइये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं अनुरोध करूंगा यहां खनिज मंत्री महोदय से, कि आप अपने विभाग को भी खादी ग्रामोद्योग के उससे जोड़िये क्योंकि राजस्थान में प्रचुर इस बात की संभावनाएं हैं कि हमारे यहां पर जो खनिज उपलब्ध है जैसे सैण्ड स्टोन है, लाइम स्टोन है, लाईम स्टोन से चूने-पत्थर का काम किया जा सकता है, सैण्ड स्टोन कटाई-छंटाई, उस पर चित्रकारी या उसकी मूर्तिकारी या और दूसरे जो काम है, इनको खादी ग्रामोद्योग से जोड़िये। आपका सोप स्टोन है, आपके पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले जो गांवों में रहते हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए....

श्री परसादीलाल मीणा : खादी मंत्रीजी तो नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : खादी मंत्रीजी तो नहीं है, मैं तो उद्योग मंत्रीजी से कह,

158

(श्री हरिसिंह)

रहा हूं कि यह खादी का डिपार्टमेंट आप अपने अन्डर में ले लीजिए तो लोगों को फाइनेन्सियल एड मिलेगी और फाइनेन्स उपलब्ध कराने के आप सरल नियम बनायें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें मेरा निवेदन यह है कि जान-बूझ करके कि कहीं लघु, मध्यम और बड़े उद्योग हैं इनके ऊपर ध्यान जाय और खादी ग्रामोद्योग पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाय, विशेषकर इसीलिए मुख्य मंत्रीजी ने खादी ग्रामोद्योग को अलग मंत्रालय दिया है । जान-बूझ कर दिया इसको ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब चूंकि समय तो थोड़ा है, मैं आपसे एक और अनुरोध कर दूं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : **I would like to correct you.**

यह डिपार्टमेंट पहले से ही अलग कर दिया गया, बदकिस्मती यही रही, आपके मुख्य मंत्रीजी ने कोई नया काम नहीं किया है ।

He has not done anything new.

यह तो पहले से है लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसको अलग करके, इससे मामला बैठ नहीं रहा है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं सभापति महोदय, अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे पास....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हमने यह कब कहा था कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है ऐसा । इन्होंने यह कहा है मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा किया है ।

एक माननीय सदस्य : उस समय मुख्य मंत्री आपके थे ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरे समय में यह टाइम जोड़ देना साहब ।

श्री सभापति : हां-हां ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, हमारे पास कुछ ऐसी खनिज सम्पदा है जिनमें हमारी मोनोपोली है राजस्थान की और उसको हम जिस कीमत पर बेचें, बाजार में उसकी कीमत सिर्फ राजस्थान तय करेगा । जैसे अभ्रक है, टंग्स्टन है, सोप स्टोन है । लेकिन अफसोस इस बात का है कि खनिज विभाग एक ही लकड़ी से सब को चला रहा है । हमने टैल्कम ग्रेड का सोफ्ट स्टोन, पेपर ग्रेड का सोफ्ट स्टोन और उससे नीचे, जो दवाइयों के काम आता है वह सोफ्ट स्टोन, उसकी रायल्टी में दो-चार रुपये फर्क डाला है । आपको जब रेवेन्यू बढ़ानी है तो क्यों नहीं आप इन पर हैवी रायल्टी लगाते ? आपके पास संगमरमर है, पहले यह मन्दिरों और राजा--महाराजाओं के महलों में लगने की वस्तु थी, आज यह बाथ-रूम्स में लग रहा है तो आप क्यों नहीं इस पर रायल्टी बढ़ाते, आपको बहुत बड़ी इन्कम होगी । इन सब के अलावा मैं माननीय खनिज मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हिण्डौन-करौली क्षेत्र में आपने एक्सेस रायल्टी का

(श्री हरिसिंह)

75 लाख रुपये का ठेका दे रखा है। वह एक्सेस रायल्टी वसूल नहीं करके रायल्टी वसूल कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में से वसूल कर रहे हैं जहां से सैण्ड स्टोन तातपुर और सरमथुरा के रास्ते यू. पी. जा रहा है। वह रसीद नहीं काटते, रायल्टी वसूल जरूर कर रहे हैं। अगर आपको यही व्यवस्था करनी है तो आप खुला आॅक्शन करिये, वहां पर आपकी रायल्टी वसूली की कीमत दो करोड़ रुपये से कम की बोली नहीं लगेगी। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं इसके साथ ही आपसे थोड़ा सा और अनुरोध करना चाहूंगा कि धौलपुर से लेकर करौली और सपोट्रा तक का पूरा जो बैल्ट है, यह फोरेस्ट में आ गया। अब फोरेस्ट में आने से कुछ छोटे-छोटे पाकेट्स ऐसे हैं जो सिवाय चक हैं या चरागाह है लेकिन उनका आपका दस हैक्टेयर का क्षेत्र नहीं बनता है, कहीं दो हैक्टेयर है, कहीं तीन हैक्टेयर है तो उन पर रायल्टी कलेक्शन के बेसिस पर उनमें आप इजाजत दीजिए। आपने किसान को अपने खातेदारी के खेत में माइनिंग करने के लिए अधिकृत तो कर दिया लेकिन आपके इन आदेशों का क्या बना माननीय मंत्री महोदय, एक लीज होल्डर गया, हाई कोर्ट में केस अटका दिया, एम. एम. सी. आर. में खातेदारी अधिकारों की लीज का कोई अधिकार नहीं रहता है लेकिन आपके अधिकारियों की मिलीभगत से उसकी हाई कोर्ट में सही पैरवी नहीं हो रही है और जो खातेदार अपने खेत में माइनिंग कार्य करना चाहते हैं उनको रोक दिया गया है। एक मुझे और कहना है, अभी मेरे को सुनने को मिला है, सच्चाई तो आप पता कर लेना, कि जैतारण में लाइम स्टोन का ठेका आपने अभी-अभी नवीनीकरण किया है 15 स्क्वायर किलोमीटर का जबकि रूल्स में दस स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। आप दिखवा लेना।

मैं इसके अलावा सभापति महोदय, उद्योग मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में उद्योग आप कहां लगायेंगे। भरतपुर में तो घाना है, सवाई माधोपुर में रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट है, अलवर में सिरसका है और भरतपुर में आप दूसरा बारेठा को बना रहे हैं और सवाई माधोपुर में केलादेवी को बना रहे हैं। कोटा और बूंदी को भी लपेट लिया। चित्तौड़ को भी लपेट लिया, किशनगढ़ में भी अपने गोडावन पक्षी का बना दिया, जैसलमेर में भी आप मरू के कुछ और बना रहे हैं आखिर यह एनवायरनमेंट के नाम पर और फारेस्ट के नाम पर औद्योगिकरण को तो तालेचाबी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लगा दी और मैं तो खुश हूं कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि वह सेन्ट्रलगवर्नमेन्ट को इस बात के लिए लिखेंगे लेकिन अब मैं आपको एक और याद दिलाना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में दो मुख्य उद्योग थे एक तो सीमेंट फैक्ट्री और दूसरे रेल्वे का लोको और तीसरा जो बड़ा उद्योग बिरला समूह की तरफ से लगने जा रहा था वह था गैस आधारित खाद का कारखाना। हमारा जो रणथम्भौर एक प्राजेक्ट है वह तो गैस आधारित कारखाना निकल गया। बिरला

(श्री हरिसिंह)

का 9 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट हो गया और टाइगर के खतरे के नाम पर एनवायरनमेंट का बहाना लेकर उसको वहां से आप कोटा ले गए और चूंकि बड़ी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो लोके के अन्दर कुछ आटोमेटिकली गया। आज सवाई माधोपुर की यह बद्तर स्थिति है कि न तो वहां कोई बड़ा उद्योग, न कोई मंझला उद्योग और न वहां कोई लघु उद्योग हैं आज वहां उद्योग के नाम पर कुछ नहीं है और उद्योग मंत्रीजी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं.......(घंटी)....... एक मिनट... आप कोटा से सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का आन्दोलन करने के लिए स्वयं वहां गये। आपने अगुवाई की। मुख्य मंत्री जी गये, आप सब ने अगुवाई की और आपने लम्बे चौड़े भाषण दिये। वहां के मजदूरों के प्रति आपने सहानुभूति दिखाई और आप स्वयं और मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा था कि आप कांग्रेस की धुआं निकाल दो सीमेंट फैक्ट्री की धुआं हम निकालेंगे। उद्योग मंत्रीजी सवाई माधोपुर की जनता ने आपका कहना मान लिया कांग्रेस की धुआं तो निकल गई लेकिन आज तक फैक्ट्री से धुआं नहीं निकला है। आपको दो वर्ष हो गए इस कुर्सी पर बैठे हुए और आपके शब्दों का कोई मोल नहीं है और आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं हैं। मैं यहां तक कहूंगा चाहे आप सदन की कार्यवाही से निकाल दें कि + + +

श्री समापति : समाप्त करें।

श्री हरिसिंह : आप निकाल दें कार्यवाही से....

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदय, यह अपने शब्द वापिस लें और क्षमा मांगें।....(व्यवधान)....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, यह शब्द जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इनको डिलीट किया जाना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह डिलीट किये जाने चाहिए।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : ....इन शब्दों के लिए वह खुद माफी मांगें।....

श्री समापति : मंत्रीजी बैठ जाइये.... (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर सर....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : आप फैक्ट्री चालू करवा दो....(व्यवधान)....

श्री समापति : आप बैठिये....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर सर, मुझे अफसोस है कि इस सदन के वरिष्ठ मंत्री अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री आदि अभी बोल रहे थे वह अपने स्थान पर बैठे बैठे ही बोल रहे हैं। यह अपने

+ + + अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्थान से बोलें... (व्यवधान)... अपने स्थान से बोलने का नियमों में प्रावधान है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप एक मिनट ठहरिये तो सही।... (व्यवधान)... माननीय रामनारायण जी आप बैठिये... श्री प्रद्युम्न सिंह जी .. आपके सचेतक बोल रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, आवेश में आकर महुआ से आने वाले....(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य व अन्य सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य : आवेश क्या होता है ? क्षमा मांगें इस बात के लिए... (व्यवधान)....

श्री मदनलाल सैनी : सदन का अपमान करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है माननीय सभापति महोदय.... (व्यवधान)....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी सिवाय क्षमा मांगने के... (व्यवधान)....

श्री सभापति : बैठ जाइये कृपया.... कोई खड़ा नहीं होगा आसन पैरों पर है। मंत्री महोदय खड़े होंगे... आप बैठिये....

एक माननीय सदस्य : इनको निलम्बित किया जाये... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : केवल क्षमा मांगिये और कुछ नहीं बोलेंगे....(व्यवधान)

(4.08 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदनलाल सैनी : इनको निलम्बित किया जाये। वह सदन से क्षमा मांगें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा उसका सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष जी मैंने व्यवस्था का प्रश्न दे कर यह चाहा कि इन शब्दों को डिलीट किया जाये। यह पाइन्ट आफ आर्डर का मामला है। आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। जहां अपनी भाषा में यह चीज आयी तो सचेतक महोदय ने भी एग्री किया है कि भावावेश में ऐसा हुआ तो इस पर विवाद की बात नहीं है... (व्यवधान).... आप सुनिये तो सही .. मेरा निवेदन....

श्री उपाध्यक्ष : इसको डिलीट कर दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : यह कहा है आप चाहें तो प्रोसीडिंग्स से निकाल दीजिए.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह डिलीट करना आसन की व्यवस्था है....(व्यवधान).... आर्डर प्लीज ...

(162)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सदन के नेता और पूरे सदन का अपमान किया है वह +++ है....

श्री हरिसिंह : मैंने नेता के लिए कुछ नहीं कहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य एवं अन्य माननीय सदस्य : आपने कहा है। आपने सदन के नेता का जिक्र करने के बाद यह बात कही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जो बोल रहे हैं... (व्यवधान)....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : ....जो सदन का अपमान माननीय सदस्य ने किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिसिंह महुआ को सदन की आज की अवशेष अवधि के लिए उन्हें सदन से निष्काषित किया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाऊन। माननीय परसादीलाल जो बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने डिलीट की व्यवस्था दी है। आप पहले डिलीट कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादव साहब, प्लीज सिट-डाउन। हां, क्या कह रहे हैं? पहले सुनिये तो सही क्या कह रहे हैं?

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारा पाइन्ट आफ आर्डर है। आप पहले व्यवस्था दीजिए....(व्यवधान)....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर ट्रेजरी बैंचेज और सत्ता पक्ष में बैठे लोग सचेत होते तो यह स्थिति सदन में पैदा ही नहीं होती... (व्यवधान).... बिल्कुल ठीक कहता हूं मैं। आप कभी भी सदन में, ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य कभी भी विजिलेंट नहीं रहते सदन के प्रति (व्यवधान)....सदन में विजिलेंट नहीं रहते हैं यह उसका प्रतिफल है ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : नोट नहीं किया जाय।

डा. चन्द्रभान : XXX

एक माननीय सदस्य : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजिए आप।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री ईश्वरलाल सैनी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट-डाउन। बिराजिये आप। प्लीज सिट-डाउन।

(4.13 म.प.)

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। हैण्ड्स अप कर के खड़ा हूं।

क्या माननीय सदस्य क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मेरा अनुरोध तो सुनेंगे ? आप मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिए। आप मुझे स्पष्टीकरण तो देने दोगे ?

श्री अध्यक्ष : पहले क्षमा मांग लीजिए।

श्री हरिसिंह : आपका हुक्म सर्वोपरि है। आप मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन लूंगा। आपका जरूर सुनूंगा पहले क्षमा मांग कर स्पष्टीकरण दे दो आप।

श्री हरिसिंह : जो आप कहोगे कर दूंगा लेकिन मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले क्षमा मांग लीजिए फिर दे दीजिए।

श्री हरिसिंह : आप सुन तो लीजिए। आप मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं, आपका पूरा स्पष्टीकरण सुनूंगा।....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह : मैं स्पष्टीकरण नहीं देता अगर यहां ट्रेजरी बैंच से मेरी कही हुई बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह लोग लिक नहीं करते। तो जिस आदमी के लिए मेरे दिल में सम्मान है उसके लिए मैं इस ढंग की बात नहीं कर सकता... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री हरिसिंह : तो आप सुन लीजिए मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्रीजी... (व्यवधान).... एक सैकिण्ड सुन लीजिए....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पहले क्षमा मांगो आप... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये न प्लीज। सुन लीजिए शान्ति से।

श्री हरिसिंह : जब कल मुख्य मंत्रीजी अपना जवाब दे रहे थे तब उन्होंने कहा, मेरे ऊपर रिश्वत के आरोप लगते हैं तो मैं गाय का रक्त पीया है अगर मैंने रिश्वत खाई है, यह एक फ्रेज है। मैंने एक देहाती, ग्रामीण फ्रेज का प्रयोग कर लिया और उसमें, मेरी निवेदन सुन लो, हो सकता है.. मेरा निवेदन सुन लो, लेकिन कहीं भी इसमें, इसकी मुख्य मंत्रीजी से नहीं जोड़ें, उद्योग मंत्रीजी से नहीं जोड़ें। मेरा कभी किसी को अपमानित करने का कोई लक्ष्य नहीं था.... (व्यवधान)....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सुनिये आप। प्लीज सिट-डाउन। बैठिये आप।

श्री हरिसिंह : मैं सिर्फ एक बात का एम्फेसिस कर रहा था कि सीमेण्ट फैक्ट्री का आन्दोलन जिन्होंने किया है आज वे सत्ता में हैं उनको अपनी बात को याद रखना चाहिए। अगर मेरे द्वारा कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग कर दिया गया है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं.... (व्यवधान) इसके अलावा और....

एक माननीय सदस्य : नहीं अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से इतनी गलती हो गयी जिस तरह इन्होंने कहा है अगर यह कह देते कि कथनी और करनी में अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है....(व्यवधान)....माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार कहा है कथनी और करनी में अन्तर तो है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। प्लीज आप बैठिये। देखिये आपका स्पष्टीकरण आ गया और मैं समझता हूं कि यह इस सदन की गरिमा के प्रतिकूल होगा यदि आपने क्षमा नहीं मांगी। आप क्षमा मांगेंगे स्पष्ट में शब्दों तो आपकी गरिमा बढ़ेगी....

श्री हरिसिंह : खेद प्रकट और क्षमा में क्या अन्तर है?

श्री अध्यक्ष : आप क्षमा का यूज कर दीजिए।

श्री हरिसिंह : आप प्रोसीडिंग्स उठाकर के देख लो और .. (व्यवधान).... मैं आपका फैसला मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं फिर भी आप खड़े हो रहे हैं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे को आप पूरे टाइम के लिए सदन से निष्कासित कर दीजिए....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री हरिसिंह : मैं आपके इस निर्णय के विरोध में सदन से बहिगमन करता हूं।

(श्री हरिसिंह महुआ द्वारा सदन से बहिगमन)

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्लीज-प्लीज।.... (व्यवधान) ...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 292 में जो प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष : वापस ले रहे हैं?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां अच्छी बात है....(व्यवधान... तो पूछना पड़ेगा वह तो चले गये.. (व्यवधान)....सदन की सहमति लेनी पड़ेगी इसमें।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी वातावरण यहां पर चला, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, अच्छी बात नहीं थी और अध्यक्ष महोदय, आपने भी इस पर अपनी एक बात कही उस दृष्टि से माननीय सदस्य ने खेद प्रकट कर दिया मैं समझता हूं कि, मुख्य सचेतक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वह इस स्थिति में प्रेस नहीं करना चाहिए और प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि आम परम्परा अब तक यह रही है कि जब कभी भी किसी माननीय सदस्य से गलती हो जाती है, कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर भी की जा सकती है....

कई माननीय सदस्य यह जानबूझकर के हुई है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिए उनको। आर्डर प्लीज। सुनिये....

श्री दिग्विजय सिंह : आपके रूलिंग के अगेंस्ट जो वाक आउट किया है। आप खेद की बात करते हो....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुनिये आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : क्या वे स्वयं इस बात पर क्षमा मांग रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप।

श्री हीरालाल देवपुरा : आम तौर से इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब कभी ऐसी बातें होती हैं तो माननीय सदस्य की तरफ से उस बात पर खेद प्रकट किया जाता है और खेद प्रकट करने को उसी रूप में लिया जाता है चेयर की तरफ से जैसे कोई क्षमा मांग ली गयी हो। तो मैं समझता हूं इस दृष्टि से इसमें प्रेस नहीं किया जाना चाहिए।....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी, बोलिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष, महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो देवपुरा साहब ने....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। वे बोल रहे हैं (व्यवधान)... प्लीज। हां, मुख्य सचेतक जी, क्या बोल रहे हैं...(व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि, जैसा सचेतक महोदय कह रहे थे किन्तु जिन शब्दों में माननीय सदस्य ने खेद प्रकट किया है वह बहुत कण्डीशनल है। इफ, बट्स लगाये हैं और शायद मुझे लगता है जिस तरह से वह बात कहने के बाद सदन से चले गये इसमें भी एक प्रकार से उन्होंने जाने के पीछे आप निकालेंगे, यह भाव नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने खेद प्रकट किया है कण्डीशनल किया है। मन की इच्छा इस प्रकार की होने के बाद कि मुझ से गलती हो गयी है, उनको खेद प्रकट करना होता है, माफी मांगते तो बहुत अच्छा होता। अपनी नहीं सदन की, सब की गरिमा इससे बढ़ती। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि, यहां उनके सचेतक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बैठे हैं, नेता बैठे हैं उनके कहने के पश्चात् भी अगर सदन की गरिमा रखने की दृष्टि से और उनकी तरफ से कुछ बात रहती है तो स्पेसिफिक बात निश्चित रूप से देवपुरा साहब को इस बारे में कहनी चाहिए .. (व्यवधान) ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आपको सब को इतना ही आघात लगा है... (व्यवधान)... यह आपकी बीच में जो आदत पड़ गयी है बोलने की महावीरजी, गम्भीर मामलों में कृपया हस्तक्षेप नहीं करें प्लीज। अब हर मामले में अगर आप दखलंदाजी करेंगे....

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष इस महोदय, नेता जो इस समय सदन के हैं, सदन के वरिष्ठतम् सदस्यों में से हैं. सदन के भीतर, सदन के बाहर, इस सदन की परम्परा रही है, चाहे यहां कितनी भी कटुता आ गयी हो लेकिन कभी किसी के प्रति यहां दुर्भावना नहीं रही और आज दिन तक नहीं रही। जितना भैरोंसिह जी का सम्मान सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, वह मुख्य मंत्री का करते हैं, हम भैरोंसिहजी का सम्मान करते हैं और इस सदन की गरिमा बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर इस सदन की भावना को हरिसिहजी महुआ के कथन से ठेस पहुंची है, उन्होंने खेद प्रकट किया उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, मैं क्षमा मांगता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सदन से, और आपसे क्षमा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस लीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर इससे ही आपका बड़प्पन आता है और आपका इसमें ही बड़प्पन है, सदन का बड़प्पन है फिर।

श्री अध्यक्ष : ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सचेतक महोदय ने जो भावना व्यक्त की है इस सब को देखते हुए मैं मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

वापस लिया गया। श्री हेतरामजी।

एक माननीय सदस्य : जो उन्होंने बोला उसको तो एक्सपंज कर दें।

श्री अध्यक्ष : हां, वह तो एक्सपंज हो गया। वह तो पहले ही कर गये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिएक्शन जो हाउस कर रहा है उसको करने दूं या मैं शुरू करूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप अपनी बात कहें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप शुरू करेंगे, जब आप अच्छा बोलेंगे तो अपने आप सुन लेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे समय में बोलने को

(श्री हेतराम बेनीवाल)

खड़ा हुआ हूं जब हाउस में दोनों ओर से काफी गर्मी है और गर्मी ही नहीं है, आंधु है।

(4.22 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

असल में अगर देखा जाय, राजस्थान की नहीं इस देश में...

श्री दिग्विजय सिंह : हेतरामजी साहब, इसीलिये आपकी सीट बीच में रखी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इस देश में माननीय सदस्य जिस पर बहस कर रहे हैं, उद्योगों के अन्दर निश्चित तौर पर एक राजनैतिक पार्टी ने कोई किसी उद्योग को शुरू करने की बात कह दी उसके बाद यह सम्भावनाएं राजस्थान में नहीं रही वह शुरू कर सके और उस पर यह इल्जाम कि धुंआ नहीं निकाल सके, कांग्रेस का धुंआ निकल गया अब, धुंआ नहीं निकला मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपको सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में नयी उद्योग नीति जो कांग्रेस की सेन्टर की सरकार ने बनाई है अगर यह कायम रही तो निश्चित तौर से चिमनियों के धुंए की बात नहीं कहता, लोगों के चूल्हे के धुंए भी बंद हो जायेंगे। यह स्थिति है इस देश की।

देश के अन्दर जो नयी उद्योग नीति के तहत आज मल्टी नेशनलस को, सारे दुनिया के पूंजीपतियों को पूरी छुट्टी दे दी कि 15 पर्सेन्ट शेयर लें, मालिक वह बनें, चलायें वह हिन्दुस्तान के अन्दर, चलाये ही नहीं, चलाने के साथ वह कारखाने चलायें, उद्योग लगायें उनको इस बात की छुट्टी दे दी कि इस देश के अन्दर जो भी माल पैदा करें, जो बनायें वह माल हिन्दुस्तान में बेचें। यानि हिन्दुस्तान का पूरा मार्केट दुनिया के मल्टी नेशनलस अगर काबू कर लेंगे, उनका माल यहां बिकेगा, वह यहां बनायेंगे सस्ती लेबर लेकर और हमारे देश के अन्दर वह माल बेचेंगे, निश्चित तौर से अपना पैसा ले जायेंगे विदेशों में, उनको वह भी छुट्टी दे दी। मनमोहन सिंह जी और हमारे प्रधान मन्त्रीजी इस मामले में इतने उदार हो गये हैं, उनको सिवाय इसके कोई नहीं दिखता कि दुनिया के पूंजीपति आयें, पैसा आये। यही स्थिति राजस्थान की सरकार की बनी हुई है। राजस्थान की सरकार भी यही कर रही है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, माननीय मुख्य-मन्त्रीजी कह रहे थे हम पूंजीपतियों के पीछे जा रहे हैं, हम विदेशों से लोगों को ला रहे हैं, अट्रेक्ट कर रहे हैं। असल में इस प्रदेश में जो हमारी पोटेंशिलटीज हैं, जो हमारे इस प्रदेश के अन्दर उद्योग धंधे कायम हो सकते हैं उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय हम यह सोचते हैं बड़े-बड़े पूंजीपति आकर इस प्रदेश में कोई उद्योग लगा दें, इससे हम जिन्दा रह जायं। मैं समझता हूं यह गलत नीति है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हेतराम जी, ज्योति बसु कहां गये थे, आपको कुछ याद है क्या? जो अमेरिका का बाजार है वहां कौन से उद्योगपतियों से बात करके आये हैं?

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उद्योग मन्त्रीजी, मैं यही कहता हूं आपको, आज

(श्री हेतराम बेनीवाल)

केन्द्र के अन्दर जो केन्द्र की सरकार ने नीति अपनायी है, बंगाल का मुख्य मन्त्री ज्योति बसु सारे बंगाल की 6 करोड़ जनता को लेकर आज उस संघर्ष के लिए तैयार है, आप भी हिम्मत करो और मुकाबला करो, तैयार हो जाओ, पता लगे आपको कि आप कहां हो। उन्होंने एक हल्दिया का प्रोजेक्ट नहीं लगाया। एक हल्दिया का पैट्रोलियम कारखाना बंगाल में नहीं लगाया, उसके खिलाफ सारे बंगाल को खड़ा किया और केन्द्र की सरकार को झुका कर छोड़ा। हमारा क्या हाल है? हम तो केन्द्र की तरफ मुंह ताक रहे हैं। कोल फैक्ट्री जो राजस्थान में लगाने का प्रपोजल था वह कोल फैक्ट्री पंजाब में गयी क्योंकि पंजाब में चुनाव होना था। फर्टिलाइजर्स और जिप्सम का कारखाना सेण्ट्रल गवर्नमेंण्ट राजस्थान में लगा रही थी वह राजस्थान में नहीं लगा। उस ओर दबाव देने की हिम्मत न इनमें थी, न हमारे में है। मैं निश्चित तौर से चाहूंगा, कोई भी स्टेट, हमारे जैसा प्रदेश, जो उद्योगों में पिछड़ा हुआ है, निश्चित तौर से बिना उद्योगों के पनपे, राजस्थान की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती अगर उद्योग हम पनपाना नहीं चाहते। मैं यह नहीं मानता कि राजस्थान की सरकार के पास इतने साधन हैं कि वह कोई बड़ा कारखाना लगा सकती है। राज्य सरकार की ऐसी स्थिति किसी स्टेट की नहीं देश में जो इस तरह के कारखाने लगा सके। निश्चित तौर से राज्य सरकार एक ही काम कर सकती है वह यह कि प्रदेश के अन्दर इस तरह का वातावरण बनाये, प्रदेश के लोगों के बीच में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अगर आप चाहते हैं, राजस्थान में आपके जो कानून हैं, ना मजदूरों के लिए सही हैं, ना उद्योगपतियों के लिए सही हैं। उद्योगपति इसलिए चीखता है कि आपके यहां भ्रष्टाचार है, आपके यहां सुविधायें नहीं मिलती और मजदूर इसलिये परेशान हैं कि आपके यहां कारखानों के अन्दर उद्योगपति जिस तरह मर्जी आये मनमाने ढंग से लूटता है। सारे कारखानों में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है, कारखाने बन्द हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो साल हो गये हमारी नयी सरकार को आये, आप बता दीजिए कि राजस्थान में एक भी बड़ा उद्योग खुला है? ठीक है, आपने दो चार प्रोजेक्ट में कोई बिजली में उद्योग की बात कर ली, बिजली के उद्योग लगाने की बात पर, इण्डस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से राजस्थान में कोई भी बड़ा उद्योग हम अट्रैक्ट नहीं कर सके। इसकी सबसे बड़ी फैल्योर हमारी सरकार की नीतियां हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं दो शब्द जो हमारा विभाग खनिज है विभाग, उसके लिये भी कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं, इसलिए दो शब्द कहना चाहूंगा, इसके लिये तो मुझे लगता है सारा हाउस ही एक है। यह जो सत्ता पक्ष है यह ज्यादा तीव्र है। सत्ता पक्ष के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि भ्रष्टाचार है पूरे खनन में, अवैध हो रहा है। सारी की सारी खानों में गड़बड़ियां हैं। तो मैं समझता हूं फिर तो यह चाहिये कि हम आज इस मांग को रिजेक्ट करें। हम सारे के सारे मिल कर इस मांग को रिजेक्ट करें कि किसलिये इनको इतना पैसा दिया जाय, क्या खर्चा करेंगे। असल में राजस्थान

(श्री हेतराम बेनीवाल)

का अगर कोई कल्याण हो सकता है, इस देश में सबसे रिच अगर" कोई प्रदेश है तो वह राजस्थान है। इसमें बहुत सुन्दर पत्थर है। राजस्थान के बढ़िया से बढ़िया महल हों, मन्दिर हो या बड़ी बड़ी सेठों की कोठियां हों, आज राजस्थान के पत्थर के बिना उनका सौन्दर्य नहीं बन सकता। आज राजस्थान का पत्थर, राजस्थान का सीमेंट या राजस्थान का जिप्सम इतना वेल्यूएबल हमारे पास खनिज है उसका क्या नतीजा है। जितना वेल्यूएबल खनिज हमारे पास है, माननीय मेघवाल जी बैठे हैं, बड़ा एक दिन सुन्दर चित्रण किया इन्होंने आदिवासियों का और गरीबों का, उदयपुर और बांसवाड़ा और सारे इलाकों का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, जहां घोर गरीबी है, जहां बिल्कुल कंगाली है वहीं यह खनिज है। खनिज भी हमारे प्रदेश में वहीं है जहां बहुत बड़ी कंगाली और गरीबी है। वह कंगाली और गरीबी सिर्फ खनिज के दोहन में इस्तेमाल की जाती है, उनके घरों में परिवारों में रोशनी करने के लिये इस्तेमाल नहीं होती है। उनको पता नहीं माफिया गिरोह बना है, एक ही तरह के लोग हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कोई स्पेसिफिक इल्जाम लगाओ, मैं इल्जाम की तो नहीं बात करता, एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा, माननीय खनिज मंत्रीजी एक बात तो बतायें कि उन्होंने पिछले दो साल में जो नीति अख्तियार की है अलाटमेंट की, खानों को किस तरह से अलाट किया जाय, किस तरह से उनको रेगूलराइज किया गया और किन-किन को किन-किन शर्तों पर अलॉट की जाय।

मैंने पिछली विधान सभा में एक सवाल उठाया था, बड़ा हल्ला इन्होंने मचाया, हमने किसी आदमी को नहीं दी, कहीं लोगों को नहीं दी। क्या आप हिम्मत करेंगे अपनी नीति के बारे में बताने की कि इन्होंने खानों का अलाटमेंट किस तरह से किया? पूरी तरह से सारे राजस्थान में चर्चा है कि माफिया गिरोह है जो इन खानों पर काबिज है। अजमेर के अन्दर 15 किलोमीटर तक मोदीज का कब्जा है और अनआथोराइज है बिना कानून के। एक अदालत में स्टे लेकर पूरी खनन कर रहे हैं। यही हालत सारे इस कांकरोली की, उदयपुर की और कोटा की है। निश्चित तौर से अगर राजस्थान में बहुत बड़ी दौलत आज जा रही है तो इस तरह के अवैध खनन में जा रही है। मैं छोटी सी बात अपने गंगानगर जिले की इस रूप में कहना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में भी ईंट का बहुत बड़ा उद्योग है। जितने नये वहां लखपति बनते हैं, जितने नये करोड़ पति बनते हैं सब ईंट के उद्योग में लगते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरेआम रिकार्ड के अन्दर 350-400 रुपये के हिसाब से सैल्स टैक्स का पेमेन्ट होता है। और बाजार में उसका भाव आठ सौ है। लाखों रुपए साल की सैल्स टैक्स की राजस्थान में चोरी होती है। सब को पता है। सारे इस मामले में एक है। सभी वसूल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर जिस तरह का बजट पेश करके कंगाली दिखायी गयी है। हमारे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

विकास के काम इस प्रदेश में जो साधन हैं कोई भी सामाजिक कार्य है, एक बात से ठप्प है, कोई रोजगार मांगे, तनख्वाह मांगे, हमारे मुख्यमंत्रीजी एक ही बात कहते हैं साधन नहीं हैं, पैसे नहीं है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी इस खनिज विभाग को व्यवस्थित कर दें और इसके अन्दर एक इस तरह की व्यवस्था करके इसके पूरे दोहन का इंतजाम करे पूरे कारखाने लगायें तो निश्चित तौर पर साधन मिलेंगे। पर हमारी निश्चित तौर पर हालत यह है कि हमारे अपने सीमेण्ट के कारखाने, जिसके भाव पिछले 6 महीने के अन्दर 30 प्रतिशत बढ़ गये और दो साल में दुगने हो गये उसके कारखाने भी बंद हो जाय। उस उद्योग में इस तरह की स्थिति आ जाये कि कोई चलाने को तैयार नहीं। सारे हिन्दुस्तान में 3/4 सीमेण्ट राजस्थान में पैदा होती है और उसके बाद भी सीमेन्ट के कारखाने बंद हों। सीमेन्ट का उद्योग न चले। इसका मतलब यह है कि हमारी खानों के अन्दर इतनी अव्यवस्था है कि अवैध खनन होता है, चोरी होती है और हमारे प्रान्त के बाहर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। यही नहीं रायल्टी की चोरी होती है, यही नहीं सेल्स टैक्स की चोरी होती बिना किसी टैक्स को दिये हमारी जो बोर्डर है, खास तौर पर उदयपुर में बोर्डर है, खास तौर पर हमारे पास लगती हुयी जो गुजरात की सीमा है उन सारे इलाकों में हमारा कीमती पत्थर बिना राजस्थान की सरकार को एक पैसा दिये जाता है। जाता इसलिए है कि राजस्थान की सरकार के अधिकारी, राजस्थान को सरकार या मंत्री की निगाह में है। मेरा हाउस के अन्दर इल्जाम है कि पूरी सूची उन्होंने जो दो साल में अलाट की है, हाउस में रखें, नक्शा उभर आयेगा और अपने आप पता लग जायेगा। इस हाउस में भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे शिवचरण माथुर, पत्थर के मामले में बड़े इल्जाम लगे क्योंकि यहां तो राजस्थान में खाने के लिए सबसे कीमती पत्थर ही है, यहां खाने के लिए पत्थर ही मिलते है। बड़े इल्जाम लगे पर पीठ फेरते ही यह होता है कि चार छः महीने चर्चा होकर सारा मामला ठीक हो गया। अब भी यही स्थिति है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में गम्भीरता से माननीय खनिज मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं दोनों मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि यह कंगाली मिटे। यह स्थिति है कि सोने के होते हुए सोने के बीच में होते हुए हम कंगाल हैं और इसकी वजह ये है कि सोना कुछ लुटेरों के हाथ में है, माफिया गिरोह के हाथ में है। आम जनता के हाथ में नहीं है मुझे यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 व 43 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय हेतरामजी से बहुत ओजस्वी भाषण सुना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख होता है कि माननीय विपक्ष के सदस्य बुराई करना तो जानते हैं लेकिन पिछले दो वर्षों में माइनिंग विभाग और उद्योग विभाग में कितनी तरक्की हुई यह नहीं बताना चाहते हैं। 90-91 में 7668.17 लाख रुपये की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

तुलना में 7859.69 लाख की रिकार्ड आय हुई है। लेकिन मैं मानता हूं कि अवैध खनन की वजह से आज चूंकि अवैध खनन पिछले 40 सालों से चलता आया है और अधिकतर अवैध खनन कांग्रेस के नेताओं का है जितने भी कांग्रेस के पुराने रहे सबके पास किसी न किसी नाम से हर जगह माइनिंग इलाके में माइन रही और अवैध खनन हुआ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अवैध खनन का असत्य है। कांग्रेस के लोग अवैध खनन कर रहे हैं यह गलत है। मैं आपको बताऊं क्या कि किन खानों में कालूलाल जी के घर वाले अवैध खनन कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) हमारे पास सूची है एक यह साल में क्या कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसी का नाम नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बी. जे. पी. वाले सब अवैध खनन कर रहे हैं। अब बोलिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए। यह तो है एक दूसरे पर लगाइये (व्यवधान) बिराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सब अवैध खनन करने वाले हैं इससे क्या होता है। एक स्वीपिंग चार्ज लगा देते हैं, एक वेग चार्ज लगा देते हैं किसी के भी ऊपर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक ध्यानाकर्षण का जवाब आया है कि पुराने माननीय कांग्रेस के नेताओं ने अवैध तरीके से खान आवंटित करायी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री श्रीचन्द कृपलानी। वह बोल रहे हैं माननीय सदस्या, कृपया डिस्टर्ब न करें (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्ची बात कड़वी होती है यह मैं मानता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे इलाके में जो अवैध खनन हो रहा है। मेरे इलाके में बहुत ही सस्ता पत्थर होता है। मैं निम्बाहेड़ा क्षेत्र में आता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अवैध खनन हो रहा है, उसमें मजदूर हैं वह 25-50 रुपये रोज कमाते हैं उनको रेगुलराइज करने का कोई रास्ता निकालें ताकि उन गरीबों का भला हो सके। साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्ष में नये पत्थर का पता लगा है। जैसे लिग्नाइट नागौर और बाड़मेर में उसके भी आवंटन की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाय। इसी तरह स्टील ग्रेड लाइम स्टोन और सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन का हमारे यहां पता लगा है। खास तौर से सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन की लीज जल्द से जल्द किसी उद्योगपति को दी जाय या किसी को भी दें तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह से अजमेर जिले के ब्यावर और पीसांगन के बीच में बोलोक्साइट जो पत्थर सीमेंट में काम आता है उसका पता लगा है। इसी तरह से भीलवाड़ा में ताम्बे का पता लगा है। तो पिछले दो वर्षों में खनिज विभाग ने काफी भण्डारों का पता लगाया है ऐसी बात नहीं है कि खनिज विभाग अवैध खनन ही कराता रहा है। अवैध खनन को पकड़ा भी है। पिछले दो वर्षों में जितने अवैध खनन पकड़े हैं शायद पिछले 10 सालों में भी नहीं पकड़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एरिया में जो रायल्टी लगती है उसमें जो ट्रक आता है उस पर 10 टन के पैसे ट्रक वाले लेते हैं जबकी सरकार ने 9 टन की रायल्टी फिक्स कर रखी है। 9 टन से ज्यादा ट्रक में माल नहीं भर सकते हैं जबकि रायल्टी 10 टन की ले रहे हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी 9 टन की रायल्टी करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो खनिज क्षेत्र है उसकी हालत बड़ी गम्भीर है। खाली उद्योगपतियों की सोंचे या पैसे वाले मारबल और ग्रेनाइट के व्यवसाय करते हैं उनकी सोचें तो इससे राजस्थान के गरीब मजदूर जो माइन्स में काम कर रहे हैं उनका भला नहीं होगा। आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे क्षेत्र में खनिज क्षेत्र की हालत यह है कि जाने के लिए कहीं एप्रोच रोड नहीं है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आपने बजट में प्रावधान रखा कि 50 प्रतिशत सरकार की तरफ से और 50 प्रतिशत माइन ओनर देंगे तो सड़क बनायी जायेगी। यह बात ठीक है कि सरकार की तरफ से रोड नहीं बनायी जाय पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार की तरफ से रोड नहीं बनाये लेकिन रोड्स बनाकर वहां पर टोल टैक्स के रूप में वसूल कर लें तो वह तैयार हो जायेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में काफी जगह हैं जहां पर खनन की समस्यायें हैं वहां पर भी सड़क का निर्माण करायें। इस प्रकार की सड़कें बगेदीघाता वाया चादान घोड़ी, पिण्डाना वाया बावलिया सड़क, अम्बा माता सड़क और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि 12-13 साल पुरानी बनी हुई सड़क जो टूट फूट गयी हैं उनकी रिपेयर जल्द से जल्द करायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खनिज क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। एक तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए माइक थोड़ा ऊंचा करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

मजदूरों को पांच सात किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी माइक ऊंचा करने की मांग है।

श्री टीकमचन्द कांत : अपना भाषण शिवकिशोर जी को दे दें। वह बोल देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : शिवकिशोर जी तो सीट पर खड़े होकर बोलते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी के लिये ट्यूब वेल या हैण्ड पम्प खनिज क्षेत्र में लगाये जाय ताकि गरीब मजदूर जो रोज 10-15 20 रुपये कमाते हैं और पीने के पानी के लिये तीन किलोमीटर जाना पड़े इससे ज्यादा अन्याय की बात क्या हो सकती है।

इसके साथ ही चिकित्सा सुविधा का भी खनिज क्षेत्र में बहुत अभाव है। तो चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। जगह जगह डिस्पेन्सरी, जहां भी खनिज क्षेत्र हैं क्योंकि मलबे में कभी मजदूर दब जाता है, कभी पत्थर लग जाता है मजदूर के तो इलाज के लिये उनको 10-10 किलोमीटर तक कहीं व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में यही हाल है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि चिकित्सा सुविधा के लिये व्यवस्था की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में जो चालू खनन है, बहुत सी खानों का आवंटन पिछले 8 साल से रूका हुआ है। उनकी जो फैट बढ़ती है उसको साफ करके उनको अगर आवंटित हो जाय तो वह माइन्स नयी निकाल सकते हैं। तो उसका भी शीघ्र समाधान निकाला जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मारबल, ग्रेनाइट, जिप्सम या लाइम स्टोन के जो बढ़िया खनन है उन पर तो रोक नहीं है बल्कि जो सस्ते पत्थर हैं उन पर रोक लगा रखी है। यह बहुत बड़ा गरीबों के साथ अन्याय है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में ओवर बर्डन की बड़ी समस्या है। ओवर बर्डन की वजह से हजारों माइन्स दबी हुई पड़ी है। जिस तरह कोटा में मंगलम सीमेंट का ओवर बर्डन है। वहां के कलक्टर के आदेश की वजह से ओवर बर्डन को काम में लेकर उसकी सीमेंट बनाते हैं। हमारा लाइम स्टोन भी सीमेंट के काम आ सकता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी को कि आप भी इस तरह के नये नियम बनायें कि जो ओवर बर्डन है, हमारे आसपास काफी सीमेंट फैक्ट्री हैं वह काम में लेवे और लाइम स्टोन में अगर काम में ली जायेगी तो ओवर बर्डन साफ हो सकेगा और काफी माइन्स वहां निकल सकती है, नये एरिया डवलप हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग विभाग में सबसे बड़ी कमजोरी है, नगरपालिका क्षेत्र में चुंगी या कर नहीं लगता। हमारे क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में खनन हो रहा है उनकी चुंगी भी नहीं लग रही है। तो उनकी चुंगी लगायी जाय या नगरपालिका क्षेत्र में खनन बन्द किया जाय। इस पर विचार करना चाहिये।

इसी तरह बजरी की रेत है वह सस्ती होती है और गरीब आदमी के काम आती है उसको भी रॉयल्टी से मुक्त किया जाय।

(174)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : दो मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इतना टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी ओवर कर दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उद्योग के मामले में मेरा कहना है कि केन्द्रीय सरकार ने जो सब्सिडी बन्द की थी उसको राज्य सरकार ने प्रारम्भ कर दी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता चाहता हूं और सेल्स टैक्स की 95 तक छूट दी है, इसके अलावा डीजी सैट्स वगैरह के बारे में भी सब्सिडी के बारे में राज्य सरकार ने कहा है उसके लिये भी मैं सरकार आभारी हूं।

साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1989 में 110 करोड़ के ऋण दिये गये हैं जबकि हमारी सरकार ने 1991-92 में 140 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। यह हमारे लिये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि काफी लोगों को रोजगार मिल सके और नये उद्योग पनप सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अप्रवासी जो भारतीय हैं और दूसरे उद्योग लगा रहे हैं, 1850 करोड़ रुपये के उद्योग नये लगाने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है और उसमें भी सुविधा देनी चाहिए। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विचार करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा क्षेत्र में रीको क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है वहां पर पैसा हमने कभी का जमा करवा दिया है। हालत यह है कि वहां पर सड़कों का अभाव है, सारी सड़कें टूट गयी हैं। रीको का आफिस बन गया है। उस आफिस को आज तक प्रारम्भ नहीं किया जबकि बने हुये 10 साल हो गये। उस आफिस में आना जाना पड़ता है और पूरी बाउण्डरी टूट गयी है। उसमें ध्यान देना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खनिज और उद्योग की डिमाण्ड्स पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफसर केदारनाथ जी शर्मा। (अनुपस्थित)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची में वर्णित मांग संख्या 42 व 43 के विचार होने व पारण होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय मांग संख्या 42 व 43 पारित हों, जब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है। माननीय पंडित रामकिशन जी।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस उद्योग और खनन पर चर्चा हो रही है वही हमारे राजस्थान का प्राण और वही हमारे राजस्थान का भविष्य है। खेती की सम्भावना जिस प्रकार की हमारी जमीन है और पानी का प्रबन्ध है उससे हम कितनी ही कोशिश करे लें उस खेती पर हमारे राजस्थान को विकसित नहीं कर सकते हैं और न ही राहत को पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर खनन और उद्योग का हम विकास कर सकेंगे तो हम राजस्थान का भविष्य का निर्माण कर सकेंगे, देश के लिये विदेशी मुद्रा का बड़ा साधन भी हम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सम्पूर्ण लक्ष्य, इरादों के बाद भी उद्योगपति उद्योग लगाने में, राज्य की जनता को रोजगार दें, टैक्स दें और विकास की गति को तेज करें इसकी बजाय फ्रोड में ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं सब के लिये बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं यानि प्रारम्भ में ही वह यह चाहते हैं कि उद्योग लगें या नहीं लगे किसी तरह से पैसा हड़पें चाहे वह बैंक का पैसा हो, चाहे संस्थान का पैसा हो और उसके बाद उद्योग से लाभ समाज को मिले नहीं, राज को लाभ मिले नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं खास तौर से एक कम्पनी के बारे में उसका एक हिस्सा सैल्स टैक्स की चोरी का है उसका जिक्र तो कल मुख्य मंत्रीजी ने जवाब में दिया और उसका आधा हिस्सा इण्डस्ट्री की हैसियत से क्या फंक्शन कर रहा है, प्रिमियर वेजीटेबल। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस कम्पनी ने क्या किया। इसमें आग लगे गयी थी और इन्श्योरेंस से पैसा मिल गयी। नयी मशीन ली गई। 1985 में आग लगी, 1987 में नवीनीकरण के नाम से बैंक से एक करोड़ 68 लाख रुपया वसूल कर लिया और यह कह दिया कि हमें नयी मशीन की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वेजीटेबल के कारखानों में वह लेटेस्ट टेक्नोलोजी थी जो इस मिल में आग लगने के बाद हमने रेस्टोर की थी लेकिन उसके बाद 1 करोड़ 68 लाख रुपये का लोन लिया, बैंक से पैसे को हजम कर गये और इस यूनिट को सिक करार करने की कोशिश की जा रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं कि कम से कम ऐसे मामलों पर ध्यान दिया करें। हम चाहते हैं राज्य सरकार ने उदारता से जो काम किये हैं, मेरी भी नजर में है... (व्यवधान)... इतना उत्तेजित मत होइये। आपके नेता तो बहुत ही उत्तेजित होते हैं, परन्तु आप भी हो रहे हो, उत्तेजित होने की उम्र भी नहीं है। आप शांति से सुने इस बात को.... (व्यवधान)... मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जवाब दे दूंगा और मुझे पता है सारे किस्से का। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस मामले में आपने अपनी

(श्री रामकिशन)

क्षमता कम दिखायी है । एक बड़ा लोन ले लिया और अब उसे सिक करार देने के लिये एप्लीकेशन दे दी ।

इसी प्रकार से 300 कारखानें इस राज्य में जो सिक नहीं होने चाहिये थे वह सिक हो रहे हैं और उसकी वजह से हमारे रोजगार पर असर पड़ा है, राजकीय आमदनी पर असर पड़ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार खुद मानती है हमारे यहां पिछले साल बरसात भी ठीक रही थी, बिजली की उपलब्धता भी ठीक है लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे राज की आमदनी खनन और उद्योग का पैसा निरन्तर घट क्यों रहा है । इस पर माननीय मंत्रीजी आपको विचार करना चाहिये । जो हमारी पर्सेण्टेज थी आप देखेंगे कि हमारे मोर्चे पर शांति रही, खुद ने कहा है कि जितने मेनडेज का लोस हुआ था उससे बहुत कम हुआ लेकिन उसके बाद भी राजकीय आमदनी में प्रचलित कीमतों के आधार पर हमारा हिस्सा निरन्तर गिर रहा है । इस पर माननीय मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिये । खास तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दो तरह के उद्योग हैं । एक रजिस्टर्ड और अन रजिस्टर्ड । तो जो अन रजिस्टर्ड उद्योग हैं उसमें 1986-87 में हमारी राजकीय आमदनी में हिस्सा 5.71 पर्सेण्ट था । इसी प्रकार 1987-88 में 6.68 पर्सेण्ट था, 1988-89 में 5.24 पर्सेण्ट था, 1989-90 में 5.49 पर्सेण्ट था और 1990-91 में घट कर 4.89 पर्सेण्ट रह गया । तो जब बिजली की उपलब्धता है, मोर्चे पर शांति है, उनकी हालत पिछले साल ठीक रही तो मैं समझता हूं इसमें राजकीय आमदनी में निरन्तर गिरावट क्यों आ रही है । यही हाल रजिस्टर्ड उद्योगों का है, यही हाल खनन का है । मैं आंकड़े देकर इस मामले को लम्बा नहीं करना चाहता हूं । मैं दोनों मंत्री महोदय का खास तौर से खनन मंत्रीजी का और माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सारे मामले पर ध्यान दिया करें । असल में होता क्या है उद्योग के लिये मैं समझता हूं जितनी उदारता से यह राज्य सरकार काम कर रही है, हर साल बड़े-बड़े, लम्बे-चौड़े भाषण होते हैं, कभी बम्बई में निमंत्रण देने जाते हैं, कभी कलकत्ता जाते हैं । पिछली बार मैं बम्बई था तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, सुना था राजभवन गये थे, उद्योगपतियों से कह रहे थे कि आप राजस्थान चलो, कारखानें लगाओ । अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो आर्थिक समीक्षा है उसमें इन्फ्रा स्ट्रक्चर बनाने में निश्चित तौर पर सराहनीय काम किया है ।... मैं उसकी तारीफ करता हूं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं । जहां हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम ज्यादा साधन दे रहे हैं, हम विकास की सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, हम सड़क और बिजली की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं, तो उद्योगपतियों को राजस्थान क्यों नहीं ला रहे हैं और अगर आते हैं तो वह हमारा उत्पादन बढ़ाने में सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए । केवल

(श्री रामकिशन)

बम्बई कलकत्ता की यात्रा करने से इस समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरा निवेदन और करना है कि हमारे राज्य की जो स्थिति है, हम सब तरह से पिछड़ रहे । पिछली कांग्रेस सरकार हमारे राज के आर्थिक विकास के मामले में और कई मामलों में फेल रही, लेकिन एक मामले से निश्चित तौर पर फेल रही कि सार्वजनिक क्षेत्र का नियोजन राजस्थान में सबसे कम हुआ है । हमारी आबादी के हिसाब से आप देखेंगे हमारे यहां केन्द्रीय उद्योगों में सबसे कम पूंजी लगी हुई है, इसके लिए पुरानी राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अब हालांकि निजीकरण का दौर चल रहा है, अब मैं नहीं कह सकता कितने कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में लगेंगे, सरकारी क्षेत्र में लगेंगे, लेकिन अगर कुछ लगते हों तो मेहरबानी करके राज्य में इनवेस्टमैण्ट बढ़ाने की कोशिश करें । एक तीसरा मुझे निवेदन करना है, जैसा विकल्प कल मुख्यमंत्री जी ने खुद दिया है सदन में उन्होंने कहा है कि पर्यावरण के नाम से राजस्थान का विकास करीब-करीब सब जगह रोक दिया गया है । अब सब जगह तो क्या होगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा संकट भरतपुर में है । आप जरा देखिये भरतपुर में सबसे बड़ा संकट है । एक तरफ तो आ गया ताजमहल, अब शाहजहां ने क्या सोचकर ताजमहल बनाया था, उस सारे विवाद में मैं नहीं पड़ूंगा । एक तरफ तो ताजमहल और दूसरी तरफ आ गई चिड़ियां अब बहाना यह मिल रहा है कि वहां मनुष्य को रखें चिड़ियों को रखें । आज भरतपुर में कोई कारखाना नहीं लग सकता । मैंने कोशिश की थी कि भरतपुर में ग्रोथ सेण्टर लग जाये और मैंने माननीय मंत्रीजी, उद्योग मंत्रीजी की खुशामद भी की और लोभ भी दिया । लोभ इस तरह का दिया था कि उस समय जनता दल की सरकार थी । तो मैंने उनसे कहा था कि एक ग्रोथ सेन्टर भरतपुर में खुलवाओ, मैं आपके बुन्दी के निर्वाचन क्षेत्र में खुलवाऊंगा । उपाध्यक्ष महोदय, वह तो जिस गुरू के चेला हैं मा इसलिए हिस्सा देते रहे । वहां तो खुल ही कोई नहीं रहा है, अजी अब तो खत्म हो गये और मुझे अफसोस होता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में खुलवा लिया और मैं भैरोंसिंह जी का केवल इसलिए अभिवादन करता हूं कि धौलपुर में खुल गया । कम से कम धौलपुर वाले याद तो रखेंगे कि कभी भैरोंसिंह शेखावत ने यहां से चुनाव लड़ा था । इसलिए वहां तक तो सब ठीक है । लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भरतपुर में आबादी सबसे ज्यादा है । लिटरेसी की रेट और जमीन का घनत्व सबसे कम है । आप भरतपुर के बारे में क्या सोचते हैं ? आप एक ग्रोथ सेण्टर जो वहां के लिए तय हुआ था, अगर आप भरतपुर में नहीं लगाते, उसे जुरेड़ा में लगा सकते थे । कई जगह हमने सुझाव दिये थे....

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं है भैय्या ।

श्री रामकिशन : आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, आपसे तकलीफ । आपकी शक्ल

(श्री रामकिशन)

ही ऐसी है कि प्रसन्नता होती है, कहां तकलीफ होती है। तो मैं तो आपसे यह कह रहा था कि धौलपुर में लगे, लगना चाहिए, दो लग सकते हैं तो लगाओ, लेकिन भरतपुर की समस्या का आप समाधान नहीं करेंगे तो वहां बेरोजगारी और जिस तरह की आबादी है और जिस तरह के लोग हैं भरतपुर के, आप जानते हो वह क्या स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है जो कुछ हुआ सो हुआ, अगर ग्रोथ सेण्टर नहीं तो भी वहां औद्योगिक उत्पादन के लिए ...

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : जुरहेड़ा के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का हम फैसला कर चुके हैं।

श्री रामकिशन : फैसला तो कर चुके हैं ना। अब आप समझते हो उसमें फर्क कितना है, इन दोनों में। खैर आपने जितना किया, उतना बढ़िया है, लेकिन अब उसको जब तक नेशनल रीजन से नहीं जोड़ेंगे, वहां इतना इनवैस्टमैण्ट हो नहीं पायेगा, तो मेरा आपको सुझाव यह है कि भरतपुर में इस मामले को आप तवोज्जोह दें। अब....(व्यवधान) नहीं अभी फैसला किया है और अगर मैं नहीं भी मानूं तो मेरे पास क्या जरिया है, बताओ तो सही। आप ही बताओ क्या जरिया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद इन्हें दूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना सा कह सकता हूं अगर आपने फैसला किया है तो बहुत बढ़िया फैसला किया है। एक तीसरी बात मुझे उपाध्यक्ष महोदय, यह कहनी है कि राजस्थान में औद्योगिकरण की गति किस तरह तेज हो, इसके लिए बहुत तरह के सुझाव आये हैं। कांग्रेस सरकार ने भी कोशिश की, श्री भैरोंसिंह जी भी कोशिश करते रहे हैं और मैं समझता हूं कोई भी राज का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार हो, इस मामले में किसी की दो राय हो नहीं सकती। लेकिन यहां उद्योगपतियों ने मुझे एक आध जगह यह कहा है, मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है? कि हम राजस्थान में इसलिए नहीं आते हैं, कि और जगह तो चंदा उद्योग लगने के बाद में लिया जाता है और राजस्थान में चंदा मांगा जाता है पहले। ऐसे ही तो कांग्रेस वाले करते थे और मैं नहीं समझता यह सरकार भी ऐसा करती ही है, इसलिए बम्बई में जब आप राजभवन में ठहरे थे, उधर मैं भी बम्बई में था और मैंने पूछा था ...

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : आप कैसे गये थे बम्बई।

श्री रामकिशन : मैं भैरोंसिंह जी का पीछा करने गया था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने वहां पूछा कि आप लोग क्यों नहीं आते हो तो मुझे कुछ बम्बई के लोगों ने, बड़े उद्योगपति तो नहीं थे, कुछ छोटे से लोग थे जो राजस्थान के थे, उन्होंने कहा हमारी समस्या यह है कि वहां चंदे की रेट और राज्यों से ज्यादा है। तो मेरा आपसे निवेदन यह करना है कि मेहरबानी करके हमारे राज्य के विकास को ध्यान में रखें। अगर राजनीतिक सिस्टम के लिए पैसा चाहिए, जब कोई उद्योग

(श्री रामकिशन)

लगेंगे तो पैसा आ ही जावेगा। एक निवेदन मुझे इन उद्योगों के लिए आपसे और करना है कि जहां जो उद्योग लगें, उनमें सबसे पहले स्थानीय आदमियों को मौका दें। असल में उद्योग करते क्या हैं कि एक आध जैसे तैसे लगता भी है, कोटा के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, आप देख लीजिए वह सब बाहर से ले आयेंगे। तो मैं कोई बिहार, उड़ीसा का विरोधी नहीं हूं, सवैधानिक दृष्टि से उनका आना अनुचित भी नहीं है, उचित ही है, लेकिन स्थानीय लोगों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बेरोजगारी मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं तो इन उद्योगों का ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता। मुझे इस सम्बन्ध में सिर्फ इतनी सी बात कहनी है। एक बात कल मुख्य मंत्रीजी ने केशोरायपाटन के सम्बन्ध में कही और उन्होंने उद्योग को मुनाफे में बता दिया। अभी गोयल साहब तो दो, तीन दिन पहले ही वहां काले झंडे देख कर आये हैं, या तो काले झंडे या नारेबाजी। कुछ वहां हुई थी तो....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माला पहनी थी।

श्री रामकिशन : माला पहनी है ना और बाद में क्या हुआ था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बैठे हैं आराम से।

श्री रामकिशन : अच्छा चतुर्भुज जी क्यों भाग आये थे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि उस मिल की खरीद में जो अनियमितताएं हुई हैं, भैरोंसिंह जी तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं। कम से कम वह तो यही बोला करते थे, मैं तो इन चीजों को बोला नहीं हूं कभी। मैं तो दर्शन, फिलॉसफी, धर्म और सिद्धान्त पर बोल रहा हूं और वह बोलते थे स्कैण्डल पर। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि वहां कुछ माल खरीदा गया है, केमिकल खरीदे गये हैं। टेण्डर इनवाइट किये और टेण्डर इनवाइट करने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि लोयेस्ट रेट का माल खरीदा जाये, लेकिन मैं आपको सूची देना चाहूंगा, सदन का समय खराब नहीं करने की वजह से। आप लम्बी सूची देखें, उसमें जो हाईस्ट रेट है, टेण्डर में रेट आई है हाईस्ट, उससे माल लिया गया है और लोयेस्ट वालों का माल नहीं लिया गया है। इस प्रकार इस कम्पनी को काफी नुकसान दिया गया है। यह देखिये यह पूरी लिस्ट है मेरे पास। आप उसे देखना क्योंकि बोलूंगा तो समय चला जायेगा। दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि अबकी साल इस कम्पनी ने जो गन्ने का क्रेश किया है, जितने लोगों से, किसानों से बॉण्ड भरवाये थे, उसकी एक चौथाई भी कभी पेरी नहीं गई है। इसकी जो क्षमता है, उसके अनुसार आज तक भी काम नहीं हुआ है। यह कम्पनी में सुधार हो रहा है तो उसके लिए हम बधाई देते हैं और अच्छा काम है, लेकिन यह आपको किसने कह दिया कि यह कम्पनी फायदे में चली गई है। आज भी जितना गन्ना है और एक चौथाई गन्ना पेरा गया है। अब मौसम आप जानते हो रिकवरी कम हो जायेगी तो इस बार घाटा बढ़ने वाला है।

(श्री रामकिशन)

इन सब बातों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकारी क्षेत्र को इस संबंध में पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए। इन सब शब्दों के साथ मैं आज लम्बी बात नहीं कह करके केवल एक शब्द और कहना चाहता हूं, कल मुख्यमंत्रीजी ने बड़ा-रौद्र रूप धारण किया, बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में क्या कह दिया, कायर। कायर, अब हिपोकेट। उनका अंग्रेजी में ज्ञान शायद मेरे से ज्यादा है। नहीं बहुत ज्यादा हैं। क्या होती है हिपोक्रेसी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिन्दी का अनुवाद मुझे पता नहीं है।

श्री रामकिशन : यह किस संदर्भ से पैदा हुई है, इसे मैं सदन में तो नहीं बताऊंगा। यह कब होता है ? यह कब होती है हिपोक्रेसी, मैं आपसे नहीं कहना चाहता लेकिन मैं सुनता रहा और फिर आपने मुझे कायर कह दिया। मुझे कायर कह दिया और कांग्रेस वालों को + + + कह दिया आपने। तो मैं समझना चाहता हूं + + + ... (व्यवधान) नहीं नहीं मैं ऐसी बात कभी कहता ही नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि आपने किस बारे में कायरता देखी हमारी ? राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग मजबूती से टिके रहे। इमरजेन्सी में मैं और आप साथ थे। आप ठकुरानी को याद करके रोया करते थे, मैं हंसा करता था। आपसे ज्यादा कमजोर मैंने तो देखा नहीं। मैंने तय कर रखा था मैं सड़क की तरफ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं एक मिनट। अगर आप मुझे कह रहे हैं तो मुझे वह किस्सा भी बताना पड़ेगा।

श्री रामकिशन : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने किस संदर्भ में कायर कह दिया। आप खाली यह कहें हम टैक्स का नाम नहीं ले रहे हैं, मैंने सदन का समय बचाने के लिए यह बात कर दी थी तो मेरा आपसे निवेदन यह करना है कि सदन की गरिमा पर अभी यहां चर्चा हुई लेकिन आप तो जोश में कल दो, तीन शब्द ऐसे कह गये, जिनका कोई अंदाज नहीं है और हिपोक्रेसी के लिए तो मैं आपकी सारी जिन्दगी अलग से दस बार तंग करूंगा, मैं बताऊंगा हिपोक्रेसी क्या होती है। वह दिक्कत है, यहां सदन है, महिलाएं हैं तो जिस तरह हिपोक्रेसी का ओरिजन है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के शब्दों का....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने इंगित तो कर ही दिया।

श्री रामकिशन : अब आप इतने समझदार हो गये तो समझ गये होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमन्त्री जी गुस्सा नहीं। अपनी हालत को सुधारो।

श्री यदुनाथसिंह : मेरे को भेजा आपने लायब्रेरी में। एनसाइक्लोपीडिया देखकर

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

आया हूं हिपोक्रेसी का और आपको पता कहां से है फिर....

श्री रामकिशन : भेजा था।

श्री यदुनाथसिंह : अभी वहां से ही आ रहा हूं मैं।

श्री रामकिशन : मैंने भेजा था उनको प्राइवेट जवाब देने के लिए। अभी यहां नहीं कहूंगा मैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां हमने कभी नहीं कहा कि सब भ्रष्ट अफसर हैं। कौन कहता है सब भ्रष्ट अफसर हैं। संदर्भ था ही नहीं। कल आप अपने ऊपर लेकर और शहीद बन गये वैसे ही मुद्दा कुछ था और बन गये शहीद और बजवा ली ताली। यह आपकी पुरानी टेकनीक 70 साल के हो गये मुझ पर तो इसका कोई असर होने वाला नहीं। यह सारा असर कई नये सदस्यों पर पड़ता हो तो पड़ता हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खनन और उद्योग के मामले में आप जरा गम्भीर रहें और गम्भीर होकर भरतपुर की उपेक्षा और पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा आप नहीं करें क्योंकि उन क्षेत्रों की समस्या आबादी की वजह से इतनी गहन है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी होगी तो इसके क्या-क्या परिणाम निकल सकते हैं मुख्य मन्त्री जी और उद्योग मन्त्री जी आप जानकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य का भाषण बहुत अच्छा रहा, माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ध्यान रखना।

श्री यदुनाथ सिंह : इन की जेब में तो कभी दो रुपये से ज्यादा होते नहीं।

(5.00 सायं)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जिस गति से औद्योगिकरण होना चाहिये उस गति से औद्योगिकरण हो नहीं रहा है और यह अपने आप में बहुत चिन्ता की बात है। जिस हिसाब से राजस्थान की आबादी बढ़ रही है, राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वह पढ़े-लिखे बेरोजगार हों चाहे दूसरे प्रकार के बेरोजगार हों। आज ही एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि आज की तारीख में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या करीब 5 लाख 40 हजार है, यह जनरल है, शैडयूल्ड कास्ट के 85 हजार अलग हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरियां हैं नहीं। बारिश का जो हाल है, राजस्थान में पिछले 35 साल का जो बताया गया, 35 साल अकाल रहा, 5 साल अच्छा रहा, उस स्थिति के अन्दर आबादी बढ़ ही रही है। तो कहां से नौकरियों का इन्तजाम होगा इसलिये यह अपने आप में बहुत चिन्ता का विषय है। माननीय उद्योग मन्त्री जी, मैं आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। सन् 1967 से सदस्य हूं बीच में 5 साल का गैप रहा। पता नहीं कुछ न कुछ कहीं न कहीं कमी है जिसकी वजह से जितनी तेजी से यहां इण्डस्ट्रलाईजेशन होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। पता नहीं आप उसकी तय में पहुंच पाये हैं या नहीं। नई औद्योगिक नीति की

(182)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भी आपने घोषणा कर दी यहां पर लेकिन उसके बाद भी घाट के तीन पात। बम्बई कलकत्ता तो आप जाते ही थे अब दिल्ली भी हो आये। तीन दिन आपकी कांफ्रेंस चली। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की यात्रा के बाद आपके क्या नतीजे निकले, दिल्ली अभी नया जोड़ा है, वह यहाँ अवगत कराने की आप चेष्टा करें अन्यथा आप अपनी जिम्मेदारियों से और हमारी सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि बेरोजगारी की वजह से नौजवान के अन्दर फ्रस्टेशन आ गया है, विचलित हो चुका है और कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में है। आप रोज देख रहे हैं कितने प्रदर्शन विधान सभा के सामने हो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आप पता लगावें क्योंकि आप देख रहे हैं लम्बी की लम्बी लिस्ट आती है। अखबारों में नीलामी की लम्बी की लम्बी लिस्टें आ रही हैं। आखिर है क्या? कहीं न कहीं कोई कमी है। आपसे मेरा एक निवेदन और यह है कि आप जिस हिसाब से रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, वह भी आपका एक डिफैक्टिव तरीका है।

... मैं तो धौलपुर की जानता हूं। धौलपुर के अन्दर रीको जितने प्लाट्स थे करीब करीब सभी अलाट हो गये, बड़ी खुशी की बात है, बहुत उम्मीद थी कि कोई उद्योग लगेंगे लेकिन उद्योग तो वहां पर चार-पांच आये हैं तब तक आपने दूसरी जमीन एक्वायर करने की कोशिश आरम्भ कर दी है। आज इसी प्रकार की प्रक्रिया अगर चलती रही तो आपका पैसा ब्लाक होगा और जिन किसानों की जमीन के ऊपर उत्पादन होता था उस उत्पादन से भी हमको वंचित होना पड़ेगा। जब तक नई इण्डस्ट्रीज नहीं आ जाये, पूरा एरिया जब तक आकूपाई नहीं हो जाये, जैसे एक माननीय सदस्य कह रहे थे लोग मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति से प्लाट्स का आवटन करा लेते हैं लेकिन जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि रीको ने इस बात पर पाबन्दी लगाई है कि ट्रांसफर सिर्फ हमारे मार्फत होगा, इन्डीविज्युल बेसिस पर परसन टू परसन नहीं करेंगे, अच्छी बात है खुशी की बात है। इससे जो मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति थी वह रुकेगी यह मेरा आपसे एक निवेदन है। दूसरी बात जो मैं आपसे एक दफा पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि आपका कोआर्डिनेशन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ बहुत जबरदस्त होना चाहिये। आपकी माहवारी मीटिंग्ज होनी चाहिये, क्वार्टरली मीटिंग्ज होनी चाहिये। जो नये उद्योगों को आप सेल्स टैक्स का कनसेशन्स दे रहे हैं अच्छी बात है नये उद्योग तभी लगेंगे जो दूसरी स्टेट्स कनसेशन्स दे रही है अगर वह कनसेशन्स आप नहीं देंगे तो लोग आयेंगे कैसे लेकिन साइमलटेनियली जो पुरानी इण्डस्ट्रीज हैं आज उनमें से कई इण्डस्ट्रीज के बन्द होने की नौबत आ रही है। आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, खास तौर से कन्जूमर प्रोडक्शन की बात मैं कर रहा हूं, माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा, मेरे पास एक रिप्रजेन्टेशन भी आया है। राजस्थान के अन्दर वैजीटेबल मिल्ज की 12 हजार टन की लाइसेंसिंग कैपेसिटी है। राजस्थान के अन्दर 6 वैजीटेबल यूनिट्स है और जो राजस्थान के अन्दर उत्पादन हो रहा है उसका पूरा कन्जम्पशन राजस्थान में नहीं हो रहा है वह उत्तर प्रदेश में जाता है और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दूसरे प्रांतों में जाता है। आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में नये वैजिटेबल यूनिट्स आ रहे हैं। यू.पी. के अन्दर लो टैक्स यूनिट्स आ गये हैं क्योंकि वहां टैक्स नहीं है। तो अपना माल जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जा रहा था वह माल जाना आज बिल्कुल बन्द हो गया। तो उनकी जो इन्सटाल कैपेसिटी है उसके मुकाबले में जो आज मिल में दो और तीन शिफ्ट चल रही थी, आज उन फैक्टरीज में एक शिफ्ट के अन्दर काम हो रहा है। आपके राजस्थान के अन्दर भी आ रही है, नई यूनिट्स आनी ही चाहिये। उस सूरत में जब वह दो यूनिट्स आ जायेंगे तो देबिल एडवर्सली इफैक्ट जो यहां की यूनिट्स हैं। जो रिप्रजेन्टेशन आया है एक दिन के ऊपर 50 रुपया सेल्ज टैक्स इनटैक्ट है। जो नई इण्डस्ट्रीज आयेंगी वह 50 हजार रुपये सस्ते से बचेंगी और पुरानी मिल्स 50 रुपये महंगे से बेचेंगी, तो पुरानी मिल्स बाजार के अन्दर नहीं स्टेण्ड कर सकेंगी। एक तरफ आपकी नीति में जो इस प्रकार के उद्योग हैं आपको रिप्रजेन्टेशन भी दिये मैं यहां कोई पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, एक का आया है औरों के नहीं आये हैं, तो इस प्रकार की समस्यायें आपको दूसरी इण्डस्ट्रीज में भी आ सकती है तो आपको इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि नये उद्योग तो लगेंगे और पुराने उद्योग बन्द होंगे। इसमें पूंजी का नुकसान, जो लोग लगे हुए हैं उनका रिट्रेंचमेंट और अन्य तरह की परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कन्जूमर आइट्म्स के बारे में जो आप की सेल्स टैक्स की पालिसी हो वह इस प्रकार की होनी चाहिये नये उद्योग भी पनपें और पुराने उद्योग भी पनपें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में कही गई यह निश्चित बात है नई औद्योगिक नीति का जो केन्द्र के अन्दर लिब्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं अगर राजस्थान सरकार का उस नीति में विश्वास है तो राजस्थान सरकार को अपने आप को गियर-अप करना पड़ेगा उसके अनुरूप। अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो जो नये निवेश हिन्दुस्तान में होंगे, उनसे राजस्थान को जो लाभ मिलने चाहिए राजस्थान उन लाभों से वंचित रह जाएगा। हमारे इनके मतभेद ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप कहें तो समाप्त कर दूं।

हमारा मतभेद हो सकता है। प्रधान मन्त्री जी ने बहुत साफ कहा है कि आपके पास और कोई तरीका हो, और कोई पालिसी हो, और कोई पैकेज हो तो आप बताएं। माननीय वाजपेयी जी ने इसका स्वागत किया है। माननीय अडवाणी जी ने इस नीति का अमरीका में स्वागत किया अगर आप विश्वास करते हैं इस नीति के अन्दर तो आपको अपने उद्योग डिपार्टमेन्ट को गियर–अप करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी राजस्थान का कल्याण

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

होगा। जो बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में बढ़ती चली जा रही है उसको खपाने के लिए और राजस्थान में आर्थिक बहबूदी लाने के लिए आपको तैयारी करके चलना पड़ेगा। इससे बेरोजगारी मिटने के साथ साथ राजस्थान में आर्थिक बहबूदी आएगी, ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज के बारे में, अगर आपकी इजाजत हो तो, एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। खनिज मंत्री जी, मेरे पास यह महकमा रहा है। काफी समय हो गया, काफी रद्दोबदल इस महकमे में, नियमों में हो गया। लेकिन औद्योगिकरण के साथ साथ मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या करने जा रहे हैं, कितने मिनरल बेस्ड उद्योग आपके यहां लगने वाले हैं? कितने नये सीमेंट कारखाने आपके यहां आने वाले हैं? मध्यप्रदेश के अन्दर सीमेंट कारखानों का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है जबकि राजस्थान में लाइम स्टोन के अपार भण्डार हैं। अगर कुछ उसकी योजना है आपके हाथ में तो बड़ी खुशी की बात है। बड़ी रेल लाइन भी चित्तौड़ और भीलवाड़ा में आ चुकी है, आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। दूसरी एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले की दृष्टि से हमको कोशिश करनी चाहिए, भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि जैसलमेर के लिए किसी तरह या तो बड़ी लाइन का इन्तजाम हो या मीटर गेज लाइन डबल हो जाय। तभी उस सम्पदा को आप जैसलमेर से बाहर आसानी से निकाल सकेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 42 और 43 पर झालावाड़ जिले के लिए अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। झालावाड़ जिला उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसकी उपेक्षा हो रही है। रीको के माध्यम से छोटे-छोटे उद्योग वहां लगाये गये और कुछ प्लाट्स दे दिये गये। लेकिन उद्योग लगाने के लिए जिन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए उनको प्लाट्स नहीं देकर ऐसे लोगों को प्लाट्स दिये गये जो उनको बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं इस प्रकार के लोगों को प्लाट दिये जायं। भवानी मण्डी में कुछ उद्योग लगे हैं, लेकिन वहां पर उनकी सुविधा के लिए न सड़कें हैं न पानी की व्यवस्था है। वहां पर जो उद्यमी हैं उनके लिए सड़कें बनायी जायं ताकि उनके वाहन ठीक से आ सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में अफीम और सन्तरे की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। मेरा सुझाव माननीय उद्योग मंत्री जी से है कि अफीम डोडे से जो छिलका निकलता है उससे खाद बनाने का कारखाना यदि झालावाड़ जिले में लगाया जाएगा तो जिले का

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

विकास होगा और वहां के गरीब मजदूरों की आमदनी होगी, उनको मजदूरी मिलेगी। इसलिए भवानी मण्डी में सन्तरा जूस का कारखाना लगाया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिले में और राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की उपेक्षा हो रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वित्त निगम से लोन दिलाकर छोटे उद्योगों में प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे गरीब लोगों का उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी में भवानी बांध एक बहुत अच्छा बांध था। उसमें काफी पानी भरा होता था। भवानी मण्डी में टैक्सटाइल मिल का यन्त्र ठीक नहीं होने के कारण उसके पानी से सारा बांध खराब हो चुका है। उसका पानी पीने से पशु भी मरते हैं और किसानों की खेती नष्ट हो रही है, जमीन खराब होती जा रही हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सटाइल मिल के यन्त्र का सुधार हो ताकि प्रदूषण कम हो और किसानों को भी कुछ राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खनिज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे झालावाड़ जिले में अवैध खनन भयंकर हो रहा है। आहू नदी में इतना भयंकर खनन हो रहा है कि कुछ गांव डूब में आ सकते हैं। मैं खनन मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको रोका जाय जिससे कि ग्रामवासियों को राहत मिले।

इसी प्रकार राम मण्डी क्षेत्र में खान मालिकों के यहां पर कई वर्षों से बन्धुआ मजदूरों का, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति-जनजाति के हैं, शोषण हो रहा है। इसकी जांच करके वहां से मुक्त कराया जाय, यह मेरी राज्य सरकार से, खनिज मन्त्री जी से मांग है।

इसी प्रकार राज्य के कोटा डिवीजन के झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राथमिकता देकर खनन पट्टे दिये जायं, जिससे कि उनका रोजगार बढ़े, उनका विकास हो और वे उनसे अपना जीवन-यापन कर सकें।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न काल में शिक्षित बेरोजगारों की चर्चा हुई। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनका पंजीकरण कर उनको वित्त निगम से लोन दिलाकर खनन पट्टों और उद्योगों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे उनकी बेरोजगारी मिटे। आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री चन्द्रभान जी।

सदन की मेज पर रखा गया प्रतिवेदन

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : डाक्टर साहब, एक मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में चूंगी के स्थान पर नगर पालिकाओं की क्षतिपूर्ति के लिए वैकल्पिक साधन का सुझाव देने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन (भाग-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा : इनकी रिकमण्डेशंस, फाइण्डिंग्स को आपने मान लिया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी तो सदन की मेज पर रख रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करो।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और खनिज से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहूंगा और स्पष्टीकरण भी चाहूंगा। इन्होंने एक उद्योग नीति, जिसको नयी करते हैं, 1990-91 में बनायी। इसके बाद केन्द्र में दिल्ली में नयी हुकूमत आयी, उसने अपनी एक नयी नीति बनायी। क्या ये दोनों नीतियां एक समान हैं ? क्योंकि इन्होंने एक प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है कि राज्य की उद्योग नीति केन्द्र सरकार की नयी उद्योग नीति के अनुरूप ही कार्य कर रही है।

नम्बर दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश है। औद्योगिक विकास के लिए जो आधारभूत आवश्यकतायें होती हैं उनमें ट्रांसपोर्ट, पावर, वाटर, रा-मैटीरियल और मार्केटिंग हैं। ट्रांसपोर्ट सेवाओं का यहां अभाव है। माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब बड़े गतिशील मंत्री हैं, लेकिन ये भी दो साल से रियेयरिंग का ही काम कर रहे हैं, कोइ नयी सड़क तो बना नहीं पा रहे हैं। बिजली का अभाव है, हम नयी कोई बिजली पैदा कर नहीं पा रहे हैं। पानी का अभाव आज मन्त्री जी ने बताया कि पानी यहां पर है नहीं। और रा-मेटीरियल का जहां तक सवाल है, अबकी बार भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। इन सारी चीजों की उद्योगों के लिए आवश्यकता है, और इसके साथ-साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण भी बनना चाहिए।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिस तरह केन्द्र सरकार विदेशी कम्पनियों पर विश्वास करके चलती है कि मल्टी नेशनल्स यहां आयेंगे और यहां उद्योगों का जाल बिछ जायेगा और उद्योग की दृष्टि से भारत राष्ट्र सम्पन्न हो जायेगा, उसी प्रकार प्रवासी राजस्थानियों पर हमारी सरकार निर्भर करके चल रही है। लेकिन जिस तरह की रुचि प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में होनी

(डा. चन्द्रभान)

चाहिये वह हो नहीं पायी। इसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिये, उद्योग मंत्री को स्पस्ट करना चाहिये कि क्या वजह रही, आपने कलकत्ता में फेयर लगाया, देहली में भी आपने प्रयास किया, बम्बई में आप भी गए मुख्य मंत्री जी भी गए, और सरकार के दूसरे मंत्री भी गए, लेकिन वे लोग नहीं आ पाये।

इसी के साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में उद्योग शिक्षा, अनुसन्धान और प्रशिक्षण का जो वातावरण बनना चाहिये था, वह नहीं बना। जो लोग इन्डस्ट्रीज़ के क्षेत्र में लगे हुए हैं वे मुनाफा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन इन्डस्ट्रीज़ के विकास के लिए ट्रेनिग या रीसर्च का कोई काम शुरू करें इस तरह का काम नहीं हो रहा है। आज भी आई. टी. आई. हैं, वह भी विदेशी सहायता से सरकार मजबूत करना चाहती है। उनको मजबूत करके तरह-तरह के ट्रेड खोलकर कुशल लोगों को प्रदेश में रोजगार मिले, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन भी जिस गति से बढ़ना चाहिये, नहीं बढ़ा। सीमेंट, शक्कर, यूरिया, नमक, यदि 1985 और 1991 के आंकड़ों की तुलना की जाये तो कोई विशेष प्रगति नहीं है। यहां तक कि सुपर फासफेट और फासफेट की प्राडक्शन में तो कमी आई है।

प्रदेश के जो रुग्ण उद्योग हैं उनको पुनः चालू करने के बारे में कोई दिशा नहीं है और इस तरह से जो औद्योगिक प्रतिस्ठानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनका क्या भविष्य होगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके प्रदेश में जितने भी रुग्ण उद्योग हैं उनके प्रबन्धकों के साथ में मजदूर लोग मिल बैठकर उद्योगों को चलाने में अपनी भूमिका आप निभायें, इसके बारे में सरकार को कोई फैसला करना चाहिये।

इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बड़े उद्योग धंधे हैं, इनके माध्यम से नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकता लेकिन स्वरोजगार दिला सकता हूं। 5,40,000 शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके नाम नियोजित हैं। और गत वर्ष, 1991-92 में, स्वरोजगार योजना में केवल 5800 युवकों का चयन किया गया और उनमें से भी मात्र 2822 को लोन दिलाया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आज आप राज्य की उद्योग नीति इस तरह से निश्चित करें जिससे कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। और इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज तो आपको महात्मा गांधी और चौधरी चरणसिंह के रास्ते पर चलना चाहिये। जो कॉटेज इन्डस्ट्रीज का कन्सेप्ट है, जो स्मॉल स्कैल इन्डस्ट्रीज की सोच है, जो ग्रामीण उद्योग धंधों और कृषि पर आधारित उद्योग धन्धों को बढ़ाने का उनका सोच था, उस रास्ते पर सरकार को चलना चाहिये। मल्टीनेशनल्स के माध्यम से, बड़े उद्योगों

(डा. चन्द्रभान)

के माध्यम से, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना सम्भव नहीं होगा ।

आज चर्म उद्योग की चर्चा आपके प्रतिवेदन में भी और आज सवेरे खादी और ग्रामोद्योग के मंत्री महोदय ने भी कह दिया कि कोई बात नये चर्म उद्योग को हमारे विचाराधीन नहीं है । पिछले बरस आपने प्रदेश के जो लाखों की संख्या में चर्मकार हैं, उनमें से केवल 20 प्रशिक्षण दिया है और उनके लिये बजट कितना रखा ? केवल दो लाख पचास हजार रुपये ।

हस्त शिल्प विकास केन्द्र, इसके नाम की चर्चा तो है लेकिन विकास नहीं हो पाता है । बर्तन बनाने वाले लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं । जुलाहे, जो कपड़ा बनाते हैं गांव में, उनके लिये कोई इनसेंटिव नहीं है आपने महिला उद्यमी और हाथ करघा की चर्चा की....

(5.26 सायं)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

हमारा झुन्झुनू जिला, जो महिला शिक्षा में एक नम्बर जिला है, उसमें गृह उद्योग के लिये कोई योजना ही नहीं आपकी ।

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे हैं और खनिज पर आधारित उद्योग धन्धे हैं, उनको सरकार को बढ़ावा देना चाहिये । खनिज मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग पर तो कुछ ही लोगों का कब्जा है । खनिज या तो जमीन के नीचे होता है या जमीन ऊपर होता है, लेकिन जो लोग जमीन पर निर्भर करते है, उनका इससे कोई रिश्ता नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जमीन के ऊपर नहीं होता है ।

डा. चन्द्रभान : ऊपर जो पत्थर होता है वह भी खनिज में गिना जाता है, चूने का पत्थर होता है । लेकिन उस पर दूसरे लोगों का कब्जा है । कुछ ही परिवारों के लोग हैं, उन्हीं लोगों का इन पर कब्जा है । इस केन्द्रीकरण से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाइये और विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्यों कि आप खुद पिछड़े वर्ग और किसान समाज से सम्बंधित हैं, जो खेती करने वाले इन्सान हैं, गांव में रहने वाले इन्सान हैं, यदि कोई महत्वपूर्ण खनिज उस गांव में या खेत में निकलता है, थोड़ा हक उनका भी होना चाहिये ।

मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए आरक्षण होना चाहिए और शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको आप आगे मे जो खान और लीज के पट्टे वगैराह देते हैं उनमें उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए ।

चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं झुन्झुनू और सीकर जिलों की ओर उद्योग मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह उद्योगपतियों के

(डा. चन्द्रभान)

जिले हैं मगर यह उद्योग रहित जिले हैं इसलिए इनकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने जो परिवहन की बात की थी ब्राडगेज कोटा में है, सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है तो उधर थोड़ा औद्योगिक विकास हुआ है, जयपुर में आयेगी तो यहां भी विकास होगा लेकिन झुन्झुनू, सीकर की ओर तो ब्राड गेज आने वाली नहीं है इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पर भी खनिज आधारित उद्योग धन्धे पनप सकते हैं। झुन्झुनू जिले में खनिज के विपुल भण्डार है, मंडावा क्षेत्र में दो जगहों पर ग्रेनाइट मिले हैं, झुन्झुनू क्षेत्र में भी ग्रेनाइट मिले हैं, नीम-का-थाना में भी ग्रेनाइट मिला है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह के रोजगार वहां पर शुरू करने चाहिए। इस सम्बन्ध में खनिज और उद्योग विकास को इस तरह की कोई नीति बनानी चाहिए या योजना बनानी चाहिए जिससे कि वहां के नौजवानों को रोजगार भी मिल सके।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बात का जरूर ध्यान रखे कि आपका उद्योग तभी फले-फूलेगा जब कृषि का विकास होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे लगाने का ध्यान रखेंगे और खनिज इण्डस्ट्री, स्माल स्केल इण्डस्ट्री, हस्त कलाएं हैं उनका विकास होना चाहिए जिनकी राजस्थान में बड़ी विपुल सम्भावनाएं फलने-फूलने की हैं। उसे ग्रामीण लोगों को, विशेष तौर से नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक विकास भी प्रदेश का होगा और प्रदेश की जनता की हिस्सेदारी होगी और साथ ही औद्योगिक विकास होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 42 और 43 के समर्थन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं उद्योग मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ ही समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिधायका औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके ग्रामीण, कमजोर वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से वह प्रशंसनीय है।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर से जयपुर में ब्राडगेज के आगमन पर हमारे जयपुर के उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ब्राडगेज के आने से जो ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान होता था, कोयला, पिग आयरन, कच्ची सामग्री की चोरियां ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होती थी और उससे उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ता था। उस नुकसान से हमारे उद्योग वाले बचेंगे जिससे उनकी स्थिति में सुधार आयेगा।

इसी के साथ मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान जैतपुरा औद्योगिक क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां नाली और प्रदूषण के बारे में जानकारी दी है, पर

(श्री गोपीराम जाट)

मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जैतपुरा के के अन्दर टेलीफोन एक्सचेंज के अभाव में वहां के व्यापारियों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वह ट्रंककाल बुक करवाकर बैठ जाते हैं तो 3-3 घण्टे तक चौमू एक्सचेंज से उनको टेलीफोन नहीं मिल पाता है जिसके कारण से उनके व्यापार में काफी नुकसान होता है। जैतपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर आज 90 प्रतिशत इकाइयां चल रही हैं उस क्षेत्र में बैंक का भी बहुत अभाव है। जैतपुरा क्षेत्र के उद्यमियों को अपने व्यवसाय के लिए, अपने बैंकिंग कार्यों के लिए चौमू में जाना पड़ता है या विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया में या जयपुर शहर के चक्कर लगाना पड़ता है जिससे उनका अधिकांश समय इस चक्कर लगाने में ही पूर्ण हो जाता है और उनको अपने व्यवसाय में कोई सुधार करने की योजनाएं बनाएं इसके लिए उनको समय का काफी अभाव रहता है।

सभापति महोदय, जैतपुरा औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए आमेर विधान सभा क्षेत्र में, जिसके नेशनल हाईवे के दोनों साइड्स में काफी इंजीनियरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं मगर उनकी भूमि का नियमन पिछले 30 सालों से आज तक नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन लोगों की भूमि का नियमन करवाएं। इसी के साथ-साथ उन लोगों के लिए अलग से विद्युत लाइन, औद्योगिक क्षेत्र की लाइन से जोड़ा जाय जिससे कि उन्हें 24 घण्टे लाइन मिलेगी तो निश्चित रूप से जो कृषि उपकरणों का वह निर्माण करते हैं वह सस्ते होंगे और उन लोगों को लाभ भी होगा, प्रोत्साहन मिलेगा और वह अपने उद्योग को आगे बढ़ा पायेंगे।

इसी के साथ मैं चूरू जिले में भेड़ ऊन उद्योग पिछले 2 सालों से बन्द पड़ा हुआ है उसकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि चूरू जिला सूखा जिला है। वहां पर अधिकांश ग्रामीण लोगों का व्यवसाय पशुपालन है। पशुपालन करने वाले लोग भेड़ पालन करते हैं और भेड़ की ऊन की बिक्री करने के लिए आज उनको पंजाब और इधर-उधर भटकना पड़ता है। यदि चूरू के अन्दर मिल शुरू हो जाती है, जो सन् 1974 में राजसिको के द्वारा लगाई गई थी तो वहां के भेड़ पालकों को वहां की ऊन को विक्रय करने के लिए अन्यत्र इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस बात के लिए भी मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा।

इसी के साथ-साथ उद्योगों का आगमन और प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित करने का कार्य है वह तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। क्योंकि राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो यहां के बेरोजगार नवयुवक हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसके साथ-साथ मजदूरों के साथ बड़े उद्यमी/उद्योगपति जो यहां बैठे हुए हैं और जो अन्याय कर रहे हैं उसकी ओर माननीय श्रम मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कनकपुरा में अनिल स्टील नामक इण्डस्ट्री है। वहां पर करीब 200-300 मजदूरों के द्वारा बोनस की मांग करने पर पुलिस से मिलकर मजदूरों के साथ

(श्री गोपीराम जाट)

मार-पीट करवाई गई। सरकार के इन्टरफियर करने के बाद में उसने तालाबन्दी कर दी थी उस तालाबन्दी को तो मन्त्री महोदय ने खुलवा दिया, उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं लेकिन जो नेतृत्व करने वाले वहां के अध्यक्ष और वहां के सेक्रेटरी हैं, उन दोनों को आज भी मिल मालिकों ने बाहर कर रखा है। मेरा इस सम्बन्ध में श्रम मन्त्रीजी से आग्रह है कि यदि वह दोनों बन्धुओं की गलती है तो उनको सजा मिले और यदि उनकी गलती नहीं है तो उस उद्योगपति को इस बात के लिए पाबन्द करें कि वह उन लोगों को रोजगार के ऊपर वापस लें।

सभापतिजी, माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान मैं राजस्थान बिक्री कर की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में करीब 6 वनस्पति उद्योग हैं और उनमें से 4 वनस्पति उद्योग जयपुर में हैं। यहां से कंसाइनमेंट सैल के ऊपर वनस्पति घी राजस्थान से बाहर जाता है और इतना ही रा-मैटेरियल यहां पर कच्चे तेल को राजस्थान के बाहर से खरीदना पड़ता है। राजस्थान से बाहर से खरीदने पर उनको 4 पर्सेण्ट टैक्स देना होता है। यदि कन्डीशन उनके साथ में नहीं हो और उतना ही तेल यदि राजस्थान से खरीदेंगे तो उनको डेढ़ पर्सेण्ट पर यहां पर मिल जायेगा जिससे वनस्पति की कास्ट आफ प्रोडक्शन भी कम आयेगी और राजस्थान में जो उद्योग लगे हुए हैं और राजस्थान के जो किसानों में आज तिलहन की तरफ ध्यान डाइवर्ट हुआ है उसके कारण से राजस्थान के किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा और यहां के उद्योग भी पनपेंगे। यह मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है।

दूसरा, मैं खनिज मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में भी खनिज प्रचुर मात्रा में है, भण्डार मिल रहे हैं। जमवारामगढ़ और दूदू इन दोनों तहसीलों के अन्दर, जमवारामगढ़ तहसील में मार्बल है और दूदू के अन्दर ग्रेनाइड है। दूदू में अवैध खनन जोरों पर है, फोरेस्ट एरिया में अवैध खनन कार्य हो रहा है, जमवारामगढ़ में भी पाया गया है और दूदू में मैंने स्वयं ने देखा है कि वहां पर अवैध खनन काफी मात्रा में चल रहा है। मेरा आग्रह है कि ऐसे अवैध खनन कार्य को रोकें जिससे राजस्थान सरकार की आय भी बढ़ेगी और जो आवश्यकता वाले लोग हैं उन लोगों को उद्योग मिलेगा और उनको व्यवसाय करने का मौका मिलेगा।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे चौमू, आमेर और सांगानेर एरिया के अन्दर टमाटर अच्छी मात्रा में होते हैं अगर इन क्षेत्रों में टमाटर बेस इण्डस्ट्री लगाने के लिए उद्यमियों को आकर्षित किया तो हमारे काश्तकारों द्वारा टमाटर उत्पादन किया जाता है उसका उचित मूल्य मिलेगा और कुछ लोगों को यहां पर रोजगार का अवसर मिलेगा।

इतना ही मैं निवेदन करते हुए मांग संख्या 42 और 43 का समर्थन करते हुए और सभापतिजी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास जी कल्ला। ...(व्यवधान)...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापतिजी, शायद मेरा नाम रह गया है।

श्री सभापति : आप इन्तजार कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा नाम श्री बेनीवाल जी के नाम के बाद ही था।

श्री सभापति : आपका नाम आयेगा, आप इन्तजार कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा नाम श्री बेनीवालजी के बाद ही था।

श्री सभापति : विराजिए आप। नाम मेरे पास है, आपको कैसे पता लग गया कि आपका नाम रह गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, "उद्योगिन सिंह मुपैति लक्ष्मी" राजस्थान के लोग सारे देश में जाकर औद्योगिकरण के माध्यम से देश का औद्योगिक विकास कर रहे हैं लेकिन अफसोस है कि राजस्थान में जो उद्योगपतियों और भारतीयों की नगरी है, उस प्रदेश में उद्योगों का अभाव है। राजस्थान अभी भी कच्चे माल का निर्यातक प्रदेश है मगर आज भी हम अपने कच्चे माल को फाइनल गुड्स के अन्तर्गत परिवर्तित नहीं कर रहे हैं जिसके कारण से जो लाभ प्रदेश के लोगों को होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। हमारे यहां लगभग 33 लाख लोग बेरोजगार हैं लेकिन हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारी कार्यशील जनसंख्या आपको मालूम है कि 1व्यक्ति के ऊपर 8-8, 10-10 व्यक्ति निर्भर रहते हैं इसके कारण से 70 प्रतिशत लोग अभी भी खेती के ऊपर निर्भर करते हैं।

सभापति महोदय, बहुत से ऐसे देशों के बारे में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलती हैं जहां पर 10 प्रतिशत लोग खेती करते हैं लेकिन हर चीज में वह सरप्लस हैं लेकिन हमारे यहां इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है कि उद्योगों में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। वर्किंग पापुलेशन बहुत कम है। मैं इस बारे में अधिक नहीं कह कर यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में उद्योग कम क्यों लग रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ी हैडल यदि कोई है तो छोटे अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी नहीं हैं। उच्चाधिकारियों के बारे में समय-समय पर ऐसा अनुभव रहा है कि वह मदद करना चाहते हैं लेकिन अगर आर. एफ. सी. रीको और इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के निदेशालय में सेक्शन आफिसर और असिस्टेंट सैक्रेटरीज तक के स्तर के लोग जो हैं वह इतना गोंचाबाजी करते हैं कि एन्टरप्रिन्योर्स, इण्डस्ट्रीज लगाने वाले जो लोग होते हैं वह वापस बेक टू पेवेलियन, जहां से आते हैं वहीं पर चले जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और अब दक्षिण के प्रदेशों में अधिक से अधिक उद्योग लगा रहे हैं लेकिन हमारे यहां दो-दो महीने, 4-4 महीने तक चक्कर लगा लें तो जमीन अलाट नहीं होती है, लोन नहीं मिलता है। सिंगल विण्डो सर्विस का नाम तो लिया जा रहा है लेकिन उसमें अभी तक हम बहुत कामयाब नहीं हुए हैं।

मैं, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से 10-11 सुझाव देना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं उसके बाद अपनी बात कहूंगा... शत प्रतिशत निर्यात करने वाले उद्योगों को हमको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए और इसके लिए इन्होंने निर्यात प्रकोष्ठ का गठन भी किया है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन इस निर्यात प्रकोष्ठ की पिछले वर्ष में क्या उपलब्धि रही? आपने केवल अपने इस प्रगति प्रतिवेदन में यह लिख दिया कि हमने निर्यात प्रकोष्ठ का गठन किया है लेकिन निर्यात प्रकोष्ठ ने एक वर्ष में क्या काम किया, उसकी क्या उपलब्धियां रहीं इसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं लिखा है।

इसी तरीके से आपने जो अनुदान देने की बात कही है डीजल जनरेटिंग सैट्स के लिए और अन्य उद्योगों के लिए उसके मामले में भी आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं। सब्सिडी देने में जितनी दिक्कतें जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर आती हैं उसको कोई बयान नहीं कर सकता। इसके लिए आप प्रतिमाह जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उद्यमियों के साथ मीटिंगों का आयोजन कीजिए और उनको सुनकर जो-जो डिफिकल्टीज आती हैं, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उनका निपटारा कीजिए।

इसके साथ-साथ हमारे यहां विद्युत की कमी के कारण, पावर की कमी के कारण पिछले दो वर्षों में एक मेगावाट बिजली का नया जनरेशन नहीं हुआ जिसके कारण उद्योगपति यहां आने से घबराते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि निजी क्षेत्र में पावर जनरेशन हो। इसके लिए आपने क्या उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है? इसके लिए आपने क्या नीति निर्धारित की है, इस सम्बन्ध में आपको स्पष्ट करना चाहिए। प्रदेश में कौन-कौन सी वस्तुएं हम अब तक आयात करते रहे हैं और कौन-कौनसी वस्तुओं में हम आत्मनिर्भर हैं। जो वस्तुएं हमारे यहां नहीं बनती है खास तौर से कुछ कन्जूमर गुड्स हमारे यहां नहीं बनती हैं। उन कन्जूमर गुड्स की सूची बनाकर हमारे प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उन वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्तिम उत्पाद बनाने के लिए हमको, जोर देना चाहिए। हम आज भी हमारे, यहां से लौह अयस्क, जिप्सम, तांबा, टंगस्टन, रॉक फास्फेट इत्यादि काफी चीजें हमारे यहां से निकलती हैं और हम आज भी कच्चे माल के निर्यातक प्रदेश के रूप में उनको बाहर भेज रहे हैं। हमको अन्तिम उत्पाद हमारे यहां बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं हमारे ब्यावर, केकड़ी, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर का उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। ऊन सबसे अधिक एशिया में हमारे राजस्थान में होती है। लेकिन आज भी हम ऊन को कच्चे माल के रूप में बाहर भेज देते हैं या धागा बनाकर भेज देते हैं। एक हजार करोड़ का गलीचा केवल मात्र बधोई में बनता है, मिर्जापुर में बनता है। लेकिन इस सम्बन्ध में हम स्किल्ड लेबर तैयार नहीं कर सके हैं। स्किल्ड लेबर को तैयार करके गलीचा उद्योग, दरी उद्योग यह हम राजस्थान में विकसित करें तो लगभग दो लाख लोगों को राजस्थान में हम रोजगार दे सकते हैं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसी तरह अन्य कच्चे मालों को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए खनिज आधारित उद्योग लगाने चाहिए। रॉक फास्फेट का बेनीफिशिएशन प्लाण्ट अभी तक अपनी द्रुत गति से काम नहीं कर पा रहा है, इसको क्रियान्वित होने में समय लगेगा। उसके लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से संबंधित आयात प्रतिस्थापन करने के लिए हमको अधिक से अधिक उद्योगों को लगाना चाहिए।

इसी प्रकार से आर. एफ. सी. रीको और डाइरेक्टर इण्डस्ट्रीज इससे सम्बन्धित प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों का हर सप्ताह उद्यमियों के जितने-जितने मामले हैं उनकी समीक्षा करके पेंडिंग मामलों को समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। जमीन की कीमतें सभापति महोदय, इतनी अधिक ली जाती हैं जिसके कारण से छोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति तो उससे पहले ही घबरा जाता है। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार लाख की जमीनें लेकर वह कहां से उद्योग लगाएगा। इसके लिए छोटा उद्योग लगाने वाला है उसको आपको रियायती दर के ऊपर जमीन देनी चाहिए और बहुत भारी उद्योग कोई आने वाला है उसमें और इसमें फर्क होना चाहिए।

इसी प्रकार से राजस्थान में महात्मा गांधी जी के सिद्धान्त के ऊपर हम कुटीर उद्योगों को, हाथकरघा उद्योगों को, खादी ग्रामोद्योग को जब तक विकसित नहीं करेंगे तब तक प्रदेश की बेरोजगारी को नहीं मिटा पाएगें। इसके लिए इससे सम्बन्धित उद्योगों को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। घाटे के जो सार्वजनिक उद्योग हैं और उन उद्योगों के लिए समय-समय पर अभी सदन के नेता जब विपक्ष में बैठते थे तो उन्होंने कई बार इन मुद्दों को उठाया है। इसके लिए कोई एक हाउस की कमेटी बनाकर महीने दो महीने में रिपोर्ट लेकर जो घाटे के उद्योग हैं उनका क्या करना चाहिए, जो सजेशन आए उन सजेशन्स के आने पर उसका निपटारा किया जाना चाहिए।

हमारे प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने चाहिए और उसके साथ साथ जो टैक्सेशन का हमारे यहां स्ट्रक्चर है वह पड़ौसी राज्यों से मिलता जुलता होना चाहिए। आज दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्यप्रदेश में और गुजरात में जिन उद्योगों पर कर नहीं लगता है और हमारे यहां पर कर लगता है तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। इसके लिए उद्योग मन्त्री जी को चाहिए कि वह वित्त मन्त्री यानि की राज्य के मुख्य मन्त्री जी के साथ बैठकर टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाने के लिए वह बातचीत करें। अभी केन्द्रीय सरकार ने जो नीतियां घोषित की हैं उन नीतियों के अनुरूप राज्य सरकार को आगे आकर कुछ उदारता का परिचय देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने जो लाइसेन्सिंग पद्धति वगैरहा को खत्म किया है और उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजनाएं शुरू की है उस सन्दर्भ में प्रदेश में जिन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जिन उद्योगों को लगाने में रुकावटें या अड़चने आती हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं सभापति महोदय, ग्रोथ सैण्टर्स के बारे में कहना चाहता हूं चार ग्रोथ सैण्टर पहले यहां राज्य में डिक्लियर हुए थे और एक धौलपुर का ग्रोथ सैण्टर अभी नया बना है लेकिन यह सब अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इन ग्रोथ सैण्टर्स के लिए अभी तक जमीन भी एक्वायर नहीं हुई है। दो साल में ग्रोथ सैण्टर्स के लिए कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए इस सम्बन्ध में आप पहले जमीन एक्वायर कीजिए और इसके साथ साथ इन्फ्रा स्ट्रक्चर को डवलप करने का काम करिए तब जाकर ग्रोथ सैण्टर्स का विकास हो सकेगा।

जहां तक कृष्णा ब्यावर मिल, सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री और बीकानेर की राजकीय वूलन मिल इन सब इकाइयों की जो कई वर्षों से बन्द पड़ी हैं इसके बारे में भी सरकार को निर्णय लेना चाहिये। या तो सरकार उन्हें पुनः चलाए और नहीं चलाए तो पब्लिक ऑक्शन करके उनको बेचे ताकि कम से कम जो लोग आज उन उद्योगों से सम्बन्धित बेरोजगार लोग हैं वह कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में कुछ निर्णय लें। ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई निर्णय ही नहीं ले रही है। इनडिसिसिव रोल आपका है। न तो आप उनको चालू कर रहे हैं न आप उन को आवशन कर रहे हैं। तो आप निर्णय लीजिए। निर्णय विहीन सरकार कोई काम की नहीं होती।

इसी तरीके से, मैं स्व-रोजगार योजना के बारे में सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी तक स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जनवरी के अन्त तक 5800 के लक्ष्य के मुकाबले में 2822 व्यक्तियों को केवल स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया है। प्रदेश में 35 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हैं और यह 2822 लोगों को रोजगार दें तो यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर सरकारी नौकरियों पर प्रायः प्रतिबन्ध रहा हो और दूसरी ओर हम लोगों को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण भी नहीं दें तो लोग क्या करेंगे इसके बारे में आप अन्दाज लगा सकते हैं।

इसी के साथ साथ कई बार यहां पर चर्चा आई है खेडा उद्योग के बारे में। कई मसले यहां पर उठे। सभापति महोदय, कोई उद्योग का नाम नहीं, लगाने वाले का पता नहीं हमेशा रीको के माध्यम से पैसा सीधा दिया जाता है उस फर्म को जहां से मशीनें खरीदी जाती हैं लेकिन सीधा पेमेंट उस एण्टरप्रिन्योर को हो गया और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे जो स्पेसिफिक मसले विभाग के सामने या रीको के सामने आए हैं उसके बारे में आपने अब तक क्या कार्यवाही की?

इसी तरीके से सभापति महोदय, राजस्थान वूलन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन

(196)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जिसने 27-2-1992 को और राजस्थान वूलन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने 25-10-1991 को डाइरेक्टर इण्डस्ट्रीज को दो पत्र लिखे और उन दो पत्रों में यह साफ बताया कि सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव के मामले में पटौदी आयल मिल, रानी सती आयल मिल, भूरापुरा प्रोडक्ट्स, मरुधर टूल्स, बीकानेर प्रोसलिंग, बीकानेर रिफेक्ट्री स्टैण्डर्डटाइज, स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज बरडिया आयल मिल और सूरज इण्डस्ट्री, ऊपर वर्णित ऐसे मामले हैं जिनमें खुलकर रुपया लिया गया है। पटौदी आयल मिल, बीचवाल व रानी सती आयल मिल लूणकरसर फाइल के पूरे कागजात की फोटो प्रतियां जो मेरे पास भी हैं मैं इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इसमें यह लिखा गया है कि नियमानुसार कोई देय नहीं होगा। वाणिज्य, खनिज कर विभाग वाले ही आपत्ति करेंगे क्योंकि इससे उनके राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। ज्वाइन्ट डाइरेक्टर इण्डस्ट्रीज, बीकानेर स्वयं लिख रहे हैं जहां पंजीयन में दर्शायी क्षमता का किसी अधिकारी ने सत्यापन किया है। केवल आवेदन के कथन को आधार नहीं माना जा सकता। आधार इकाई की योग्यता जो वित्तीय संस्थान से स्वीकृत है वहीं हो सकती है। पैरा 67 एम में दर्शाई क्षमता 24 घन्टे मिल चलने पर भी सम्भव नहीं हो सकती। उस सम्भव नहीं होने वाले काम को जब अधिकारी को रिश्वत दे दी जाती है तो वही अधिकारी लिख देता है कि यह स्वीकृत करने योग्य है। ऐसे जो मामले हैं और उसके मामले में पूरी एसोसियेशन, लिखित में अगर,आप चाहें तो मैं सारे मामले सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हूं। ऐसे स्पेसीफिक मामलों में जहां ज्वाइंट डायरेक्टर इण्डस्ट्रीज बीकानेर के बारे में वहां की सारी एसोसियेशन माननीय उद्योग मंत्री जी बीकानेर आये थे तो उनसे मिली थी। आपने जब वहां पर फटकार लगाई तो उन्होंने मीटिंग की और केवल मात्र सात इकाईयों को स्वीकृत किया और उन इकाइयों को जिन्होंने रिश्वत देकर राजी कर दिया। ऐसे स्पेसिफिक मामले हैं उनके ऊपर सभापति महोदय, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जो सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर देंगे और हम बहुत अच्छी सरकार देंगे। उस सरकार के मंत्रीगणों से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। आपके डायरेक्टर ने क्या एक्शन लिया। जब आप उत्तर दें तो बता दें।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापति जी मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करता हूं कि जो जांच है वह

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मुझे दे दीजिए मैं उस व्यक्ति को वहां से हटाता हूं और किसी उच्च अधिकारी को....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप निलम्बित कीजिए ऐसे व्यक्ति को।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जांच के बाद आयेगा तो मैं जरुर....(व्यवधान) अविलम्ब इसके विरूद्ध जांच आरम्भ कर दी जायेगी।

श्री सभापति : बिना जांच के कैसे होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपका यह डिस्क्रेशनरी पावर है। आप उसको हटायें निलम्बित करें, जो चाहे करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच तो कर लें कम से कम।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उद्योग मन्त्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कम से कम....

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फारमेशन। अगर ऐसा साहब खनन मन्त्री करें तो एक मामला मैं भी दे सकती हूं।

(5.53 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप सात मिनट से ज्यादा 15 मिनिट बोल चुके हैं। आप बन्द कर दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक मिनट, खनन के बारे में बोल दूं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप मेहरबानी करके इन्टरविन मत करिये। वरना You will invite 10 other persons.

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, खनन के बारे में काफी मामले आये हैं। लाल स्टोन की अवैध खनन का मामला आया है। अब्दुल गनी पुत्र मोहम्मद बख्श निवासी बगड़ी, तहसील सोजत पाली। यहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और खनन का पट्टा दे दिया गया है। ऐसे मामलों की आप जांच करें। इसी तरीके से जो अभी 15-15 कि.मी. के खनन के पट्टे दिये गये हैं रिन्यू करके उसके मामले में भी आप नियमानुसार कार्यवाही करें और इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब तक हम, अपने कच्चे माल को अन्तिम उत्पाद के रूप में उद्योगों के मामले में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय और राज्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कभी कामयाब नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 42 और

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

43 के अन्तर्गत सबसे पहले उद्योग मंत्रीजी और खनिज मंत्रीजी का, डूंगरपुर जो क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लगभग पोनें चार सौ वर्ग मीटर में है इसमें 6 प्रतिशत खेती हो सकती है। बाकी सारा का सारा पहाड़ी क्षेत्र है और उसके साथ-साथ 65 प्रतिशत यहां वनवासी बसते हैं। इसलिए उद्योग की दृष्टि से जो यह जिला सबसे ज्यादा पिछड़ रहा है उसमें जो वहां पर अभी उद्योग विभाग ने जिस तरह का सर्वे किया है उसके हिसाब से आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग खनिज से सम्बन्धित तीन सौ उद्योग उसमें लग सकते हैं लेकिन उसके लिये जो फोरेस्ट की जमीन है उसमे उसको मुक्त कराना पड़ेगा। उसके साथ-साथ क्योंकि जो हवाई सर्वेक्षण हुआ है उसके कारण से वहां पर मार्बल, ग्रीन मार्बल के विपुल भण्डार मिले हैं। अनेक गांवों के अन्दर और उसकी वजह से जब उद्योग पनपेगा तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सम्पन्नता भी आयेगी। इसी तरीके से बांसवाड़ा क्षेत्र है, इसी तरीके से उदयपुर का क्षेत्र है इसलिए खनिज की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उसको फोरेस्ट से मुक्त कराया जाय। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय खान मंत्रीजी का कुछ ऐसी भूमि है जो देवस्थान विभाग के अण्डर में है और जिसकी वजह से उनको अधिकार दे दिये गये, लीज दे दी गयी, सब हो गया लेकिन उन्होंने उनको उद्योग नहीं करने दिया, खनन नहीं करने दिया है। और उसकी वजह से कुछ लोग बहुत परेशान है कि इस पर राज्य सरकार का तुरन्त ध्यान जाना चाहिए।

चूरू की जो ऊन मिल है, जो दो साल से बन्द है मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह प्रारम्भ की जानी चाहिए। माननीय खनिज मत्रीजी का मैं इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह खनिज विकास निगम के अन्दर फर्म मैसर्स मयूर झंझा इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन और लाल झंझा, यह दोनों एक ही व्यक्ति की थी उन पर चार्ज लगाये गये। उदयपुर के लोगों ने इनको पेमेंट देने से मना कर दिया। वह सारे कागजात जयपुर मंगवा लिये गये और इस तरीके से बताते हैं कि इसमें लाखों रुपयों के घोटाले हुये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप मेरहबानी करके, जिसमें वहां के अधिकारी मिस्टर जोशी ने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि आप लोगों के सामने प्रमाण के सहित वह कुछ तथ्य लाये थे लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हुई। वहां का जो: मजदूर संगठन है उस मजदूर संगठन ने भी मांग की। मैं चाहूंगा कि आप खनिज विकास निगम के सन्दर्भ में जांच करवायें और अगर इसकी असलियत पाई जाती है तो उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। मैं वहीं के उदयपुर के ही एक दूसरे उद्योग राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो 1990-91 की दी है उस वार्षिक रिपोर्ट में प्रबन्धकों ने बहुत होशियारी के साथ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को, सदन को गुमराह किया है। गुमराह इसलिए किया है कि उन्होंने छापा, इसके छठे पेज पर उन्होंने छापा है पृष्ठ 6 पर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कि 1990-91 में झामर कोटड़ा फास्फेट सम्भाग पर खनन का 26 लाख मैट्रिक टन किया गया जिसमें 2.59 लाख मैट्रिक टन फास्फेट अयस्क सम्मिलित हैं। दूसरी तरफ ठेकेदारों के द्वारा 33.66 लाख मैट्रिक टन ओवर बर्डन और अयस्क का उत्पादन किया, निकाला गया है। प्रबन्धक ने बड़ी चतुराई के साथ में इस बात को नहीं बताया कि उसका लक्ष्य क्या था ?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(6.00 सायं)

उसका लक्ष्य था 45 लाख टन का लेकिन उसमें हुआ 35 लाख टन की जगह 26 लाख टन। इस तरीके से तथ्य को छुपा करके, दोनों को मिला करके यानि 60 प्रतिशत भी उसकी नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि इस बात कि जांच करें। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे यहां औद्योगिक सौहार्द रहा लेकिन इसके 7 वें पेप पर लिखा है कि औद्योगिक सौहार्द रहा। लेकिन मेरे इस प्रश्न के जवाब के जवाब में 90-91 में यह बताया गया कि हमारे यहां पर श्रमिकों का विवाद होने के कारण से उत्पादन नहीं हो सका। तो यह दोनों कन्ट्रोवर्सियल एक तरफ तो यह कहा जा रहा है और एक तरफ यह, यह जो धोखा देने की प्रवृत्ति है मैं इसको ठीक नहीं मानता।

मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसका श्रेय जो रॉक फास्फेट की सेल थी, 83-84 में 5.17 लाख टन थी, 84-85 में 5.67 लाख टन थी 1985-86 में जब गिरना शुरू हुआ तो 4.15 लाख टन से लेकर के आज 2.35 टन रह गई है तो सेल तो गिरती जा रही है उसकी उत्पादन तो घटता जा रहा है लेकिन रॉक फास्फेट की कीमत बढ़ती चली जाने के कारण 89-90 में यह 1248 रुपये टन थी और आज 2248 रुपये टन है तो कीमत तो उसकी बढ़ रही है लेकिन उत्पादन घट रहा है, सेल घट रही है। उसके कारण से वहां जिस तरह से अव्यवस्था पैदा हो गई है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बा समय नहीं लेना चाहता।

श्री अध्यक्ष : नहीं, समाप्त हो गया है आपका। लम्बा और ओछा का सवाल नहीं है। समय तो समय ही होता है। वह लम्बा और ओछा कुछ नहीं होता।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : साहब, अगर उनको 15 मिनट देते हैं तो मुझे आप 7-8 मिनट तो दे सकते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था.... मैं तो वैसे भी छोटा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : मुझे सब लोगों को बुलाना है इसलिए आप और कम बोलिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां के प्रबन्धक एक श्रमिक यूनियन को किस तरीके से लाभ देते हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

चाहता हूं कि वहां के ठेकेदार ने जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट में यह लिखा है

"The contractor shall enter into settlement with the recognized union before the start of the work and he shall be bound to comply with the settlement terms."

यानी इस तरीके से दूसरे जो संगठन थे, उनके सामने क्योंकि यह विवाद 1978 में जब माननीय कैलाश जी खनिज मंत्री हुआ करते थे, उस समय वहां पर हुआ। एक यूनियन को दो साल के लिए रिकगनाइज किया गया। रिकगनाइज करने के बाद में 1980 में उनकी मान्यता समाप्त हो गई। आज दूसरा श्रमिक संगठन कहता है कि हमारे यहां चुनाव करा दीजियेगा लेकिन मैनेजमेंट वाले जिस चांडाल चौकड़ी में फंसे हुए हैं, आज वे उसके चुनाव नहीं कराना चाहते और इस तरीके से यूनियन नाराज होने की वजह से यह चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खनिज और उद्योग की जो मांग चल रही है। राजस्थान में...

श्री अध्यक्ष : थोड़ा नाम में परिवर्तन और कर लें तो अच्छा रहेगा।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : नाम तो इनका बोला और खड़े हो गये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा समय बरबाद हो रहा है साहब, आपको बढ़ाना पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : यह समय अतिरिक्त दिया जाय माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में राजस्थान का नाम इस बात के लिए गौरव में रहा है कि हिन्दुस्तान में किसी भी बड़े नगर में जाते हैं तो कहीं भी किसी भी उद्योगपति का नाम आता है तो उसमें राजस्थान का नाम अवश्य जुड़ता है। यह राजस्थान की वीर भूमि जिसने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जन्म दिया है। आज इस बात के लिए हमको गौरव है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान का नाम है लेकिन राजस्थान के अन्दर सारे उद्योगपतियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी बार-बार जाते हैं और कलकत्ता, बोम्बे सब जगह सेठों के पास मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं, उसका एक ही कारण है कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के साधन सुलभ नहीं कराये जा रहे हैं। सरकार अपना जो बजट रखती है, उसमें भेदभाव की नीति अपनाई जाती है. वह क्षेत्र जो उद्योगों के लिए उचित है, जिन क्षेत्रों में कच्चा माल मिलता है, जहां पर सुविधायें

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं, उन जगहों पर आप उद्योग नहीं खोलते हैं। इसी का परिणाम है कि राजस्थान के उद्योगपति भारतवर्ष में दूसरी जगह जाकर के उद्योग खोलते हैं। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उद्योग मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में जहां पर इस प्रकार का कच्चा माल है, जहां पर मजदूर है, जहां पर सुविधायें हैं आप वहां उद्योग खोलें और सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि जिन उद्योगों को, जब जवानी आई थी और जवानी में जिन उद्योगों को आपने खत्म कर दिया, आज उनकी तरफ आप ध्यान दें।

जिला सवाई माधोपुर की याद हमको आती है। जब-जब उद्योगों की चर्चा होती है क्योंकि मैं भी जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं। पिछले लोकसभा के चुनाव में मैंने भी कांग्रेस (आई) के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा था। आप लोगों ने असत्य बोल-बोल करके, सीमेंट फैक्ट्री की बार कर-करके आपने पिछले लोक सभा के चुनावों में मुझे हराने में असत्य बोल-बोल कर काम किया था। इसलिए मुझे आज दुःख होता है उस फैक्ट्री के बारे में असत्य बोल-बोल करके आपने मुझे तो हरा दिया लेकिन आज तक सीमेंट फैक्ट्री को नहीं खोला आप लोगों ने...

श्री हरिकुमार औदिच्य : रामकिशोर जी ने हराया आपको।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इस बात की मजाक करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस बात पर हंसी आती है...

श्रीमती तारा भण्डारी : इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आप बोलिये ना, आप भी बोलने वाली हैं। फिर ये टाइम मांगेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन माननीय उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री का मामला बहुत ही गम्भीर मामला है और सबको इस बात को सोचना चाहिये कि माननीय उद्योग मन्त्रीजी, राजस्थान में हमारे जिले सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री जहां 5000 मजदूर और जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है, आज दाने-दाने को मोहताज हो रहे हैं। वहां पर बाप और बेटा रोटी तक मांगते हैं तो वे रोने लग जाते हैं क्योंकि वर्षों से जिनको खाने का दाना तक नहीं मिला, एक पैसा जिनको मजदूरी नहीं मिली, क्या गुजर रही उन लोगों पर। उनके बारे में हमको बोलना जरूर पड़ता है। आप भी जब सवाई माधोपुर पधारे थे, आपने जिन लोगों को आश्वासन दिया था रोती हुई मांओं को, उन बच्चों को, उन माइयों को कि कल तुम्हारी सीमेंट फैक्ट्री को खोल देंगे, कल आंसू तुम्हारे ऊपर बहा रहे थे लेकिन यह सदन आज हंसता है इस बात पर, बड़े + + + की बात है। यह सब पेट का सवाल है। पूछो उन मजदूरों से, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिनके उद्योग बन्द है। आप इसको मजाक मत समझिये। माननीय उद्योग मन्त्रीजी आप

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आज इस सदन में यह घोषणा करें कि सीमेंट फैक्ट्री को आप कब चला रहे हैं ? अगर आपने सीमेंट फैक्ट्री को नहीं चलाया तो आप और हमारा इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है । यह मानवता और भूखे पेट का सवाल है । अगर यह मानवता खत्म हो गयी है तो समझ लो कि सीमेंट फैक्ट्री में ऊपर ध्यान नहीं देंगे । इसलिए मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, सीमेंट फैक्ट्री के बारे में पिछली बार भी बहुत बड़े-बड़े आंदोलन आपके राज में हुए हैं । दो बार असत्य बोलकर वहां से सीट ले ली । अब तीसरी बारी है । तीसरा हेला पड़ने वाला है । आपकी आवाज पड़ने वाली है । तीसरी आवाज के बाद चौथी आवाज नहीं पड़ती ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कहता हूं इसलिए आप इस पर ध्यान दें....

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा : .... मेरी एक और मुख्य मांग है, हमारा जो खनन का मामला है, जिला सवाई माधोपुर में संगमरमर पत्थर का व्यापार....

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पटेल (अनुपस्थित) श्री श्रीकिशन सोनगरा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ....और करौली में....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये । आप शुरू करिये सोनगरा जी, शुरू करिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी बिराजमान है, अगर वे भी कह दें कि इस समस्या को खत्म कर देंगे तो हमारा खनन का मामला हल हो सकता है । इसलिए आप इस पर विचार करें और अन्त में यही कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में टोडाभीम में गोहर की सबसे बड़ी खान है । उस गोहर की खान जो मौजूद है वहां पर....

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ना, आप क्यों बैठ जाते हैं । आप बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : वहां पर कच्चा माल मौजूद है, उससे उस क्षेत्र में भी विकास होगा और जो मजदूर हैं वहां पर उनको भी रोजगार मिलेगा और आप मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गोहर का कारखाना खोलेंगे और आप सहायता देंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके । आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और सीमेंट फैक्ट्री को शुरू करवाने की घोषणा करें ।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और 43 के लिए मुझे यही कहना है कि राजस्थान सरकार, उद्योग विभाग, उद्योगों का विकास करने के लिए प्रदेश में बहुत

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

संवेदनशील है और इसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने बम्बई और बंगाल में जाकर कैम्प लगाये और उसमें हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी उद्योग मंत्रीजी और हमारे उद्योग विभाग के सारे उच्च अधिकारी वहां पर गये और वहां पर उद्यमियों से सम्पर्क किया बहुत बड़ी तादाद में, सबको राजस्थान की ओर आकर्षित किया। इसी का परिणाम है कि आज हमारे यहां पर अगर हम उपलब्धि की तरफ देखें तो रीको के द्वारा 21.35 करोड़ रुपये और आर. एफ. सी. के द्वारा 85 करोड़ रुपये का, इतनी बड़ी मात्रा में ऋण दिया गया है। जो अपने आप में एक रिकार्ड है और इस तरह राजस्थान सरकार उद्योगों के विकास के लिए हमारे भिवाड़ी में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रही है जिसमें 27 करोड़ रुपये का खर्चा होगा और 570 एकड़ भूमि का विकास होगा।

इन सबके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान दिलातें हुए कहना चाहूंगा कि उद्योग विभाग में कई तरह की विसंगतियां है जिनसे उद्योगपति बड़े पीड़ित हैं। उद्योग लगाने के साथ उद्यमी को एक यह सुविधा दी जाती है कि उसको चूंगी मुक्ति दी जायेगी अगर वह अपना कच्चा माल और मशीनरी लगायेगा तो उसको छूट दी जायेगी मगर इसमें इतनी गड़बड़ है या प्रक्रिया इतनी खराब है कि उसमें उद्योग विभाग के अधिकारी एक तो माल आते ही उद्योगपति को चुंगी की रसीद कटानी पड़ेगी उसके बाद उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक और नगर परिषद के कमिश्नर एवं स्वायत्त शासन के विभा डाइरेक्टर इन तीनों की कमेटी बैठने के बाद उनको चुंगी मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके पहले तो उसकी चुंगी चुक जाती है फिर उनको बहुत टाइम बाद मिलती है। वह बहुत लम्बी प्रक्रिया है। यदि उद्योग मंत्री जी इसमें संशोधन करें तो उद्योगपतियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

इसी तरह से, मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान हमारे अजमेर में पिछले बजट में आपने सिरेमिक उद्योगों जो हमारे यहां क्वाथ और सेलोस्फायर का जो बहुत बड़ी मात्रा में खनिज निकलता है उसको देखते हुए सिरेमिक उद्योग का प्रोटरी सेन्टर लगाने की घोषणा की गई है, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं विनम्र शब्दों में कि एक साल के बाद आज तक वो सेन्टर न तो प्रारम्भ हो पाया है और न उसका स्थान तय हो पाया है। इसी तरह से हमारे अजमेर में मांखुपुरा व परबतपुरा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्र में आज भूखण्ड उपलब्ध नहीं है उससे हमारे अजमेर का औद्योगिक विकास रुका है और साथ ही उद्योग मंत्रीजी से यह भी निवेदन है कि यह परबतपुरा और मांखुपुरा को सम्पर्क सड़क से जोड़ने का प्रयास करें। इन सबके साथ ही एक विशेष निवेदन है कि अजमेर जिले की बढ़ती हुई औद्योगिक मण्डी किशनगढ़ की ओर भी करना चाहता हूं। हमारे किशनगढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा मार्बल उद्योग पनप रहा है, पावरलूम उद्योग है और यह राजस्थान में एक तरह से अग्रणीय स्थान रखता है। मगर यहां ब्यावर में तो जिला

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

उद्योग अधिकारी का कार्यालय खोल दिया गया है लेकिन किशनगढ़ में जिला उद्योग अधिकारी का कार्यालय नहीं खोला गया अतः वह खोला जाय। इसी तरह से रीको का भी एक कार्यालय खोला जाय, आर. एफ. सी. का एक कार्यालय खोला जाय उससे वहां के उद्योगपतियों को बहुत राहत मिलेगी और साथ ही विशेष तौर से उद्योगपतियों के सामने आये दिन जो समस्यायें खड़ी होती हैं उनको यदि वे कृषि भूमि को उद्योग लगाने के लिए रूपान्तरण कराना चाहते हैं तो जिला कलक्टर उनको सहयोग नहीं देते हैं। उद्योग मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपने उद्योग विभाग के अधिकारियों से कहकर उनको इस कार्य में मदद पहुंचाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहने के लिए प्रेरित करे और इन सबके बाद शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षित बेरोजगारों को जो ऋण स्वीकृत होता है वह जिला उद्योग केन्द्र के मार्फत् होता है और जिला उद्योग केन्द्र में जिला उद्योग अधिकारी और हमारे बैंक के अधिकारी मिलकर उनका ऋण स्वीकृत करते हैं और वे ऋण स्वीकृत करने में कितनी गड़बड़ होती है उसकी आज यहां चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जायेगा। उसके बाद जब उनका लोन स्वीकृत होकर उनके नाम से बैंक में चला जाता है तो बैंक अधिकारी उनको स्वीकृत नहीं करते। इसलिए इस तरह की व्यवस्था करें जिससे इस कमेटी में नाम चयनित होते ही उनको लोन मिले। साथ ही यह भी निवेदन है कि ये जो केम्प लगते हैं चयनित करने के लिए ये पंचायत समिति स्तर पर लगने चाहिए और एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार कमेठी का गठन जिला स्तर पर करना चाहिए और इस कमेटी में जिला उद्योग अधिकारी, बैंक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं इन सब के बाद माननीय खनिज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि खनिज विभाग में अभी जो नई नीति बनाई गई है कि ग्रेनाइट की खानें उन्हीं को मिलेंगी जिनकी फैक्ट्री लगी हुई होंगी। यह एक ऐसी गलत नीति है एक पूंजीपति जो पहले फैक्ट्री लगा लेता है उसको ही खान दी जायेगी। इससे जिसको अलग से खान मिलकर धंधा करने वाला था उसको वह नहीं मिला और एक फैक्ट्री वाले को ही खान मिली और जो पत्थर लगाकर चिराते थे वे अपना व्यवसाय करते थे उनका व्यवसाय बंद हो गया। तो इस नीति पर विचार किया जाय और साथ ही मैं मेरे अजमेर क्षेत्र में क्वाथ और सेलोस्फायर की बहुत बड़ी तादाद में जो पत्थर निकलता है और फैक्ट्री उद्योग में काम होता है वे 100 के करीब खान कार्यरत हैं और इतनी खानों में अवैध खनन हो रहा है इससे बहुत बड़ा रायलटी का नुकसान हो रहा है इसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही, अजमेर जिले में मार्बल उद्योग के विकास के साथ मार्बल खानों के पट्टे और मार्बल की खानों का विस्तार हुआ है लेकिन दुःख की बात यह है कि लोगों के पास खनिज के पट्टे हैं लेनिज खनिज विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने लोगों के द्वारा

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

उन पट्टे वाली भूमि पर भी अवैध खनन करा रहे हैं जिससे बहुत बड़ा आक्रोश उस क्षेत्र में फैल रहा है। इसी तरह से चुनाई का पत्थर व फरसी के पत्थर में भी बड़ी तादाद में अवैध खनन का काम हो रहा है। उनमें रवन्ने नहीं कट रहे हैं और विभाग के द्वारा जो चुनाई व बजरी के अधिकृत ठेकेदार हैं वे अगर रायल्टी वसूल करना चाहते हैं तो उनको विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस सहयोग नहीं करती है उससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और रायल्टी का नुकसान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार अवैध खनन को रोकने के लिए हमारी सरकार ने 12 गुना की जगह 25 गुना पैनल्टी रखी है इससे मैं मानता हूं कि अवैध खनन कार्य रूकेगा साथ ही आपने जो खनिज स्वामियों को एक सुविधा दी है कि अगर वो आपने खनिज क्षेत्र में 50 पर्सेन्ट रकम दे देंगे तो उसको 50 पर्सेन्ट सरकार मिला कर सड़क का निर्माण करायेगी और यातायात की सुविधा मिलेगी। वाकई यह एक सराहनीय कदम है। हमारे अजमेर जिले में बड़ी तादाद में किशनगढ़, ब्यावर और विजयनगर में उद्योग हैं और इनके बाद रेलवे के बड़ी तादाद में श्रमिक हैं, एच. एम. टी. के भी हैं और इसी तरह खनिज क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। इन सबको न्याय पाने के लिए या तो जयपुर आना पड़ता है श्रमिक कोर्ट में या भीलवाड़ा जाना पड़ता है। मेरी सरकार से मांग है कि इनके लिए श्रमिक कोर्ट भी अजमेर में स्थापित करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, आप अच्छा बोले। श्री चुन्नीलाल खण्डार।

श्री रामकिशन : आप यह कह सकते हैं कि कौन सदस्य अच्छा बोला है। इसका मतलब दूसरे खराब बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। इन्होंने कम समय में बहुत सी बातें कह दी। यही पार्लियामेंट में स्किल है बोलने की। यहां भाषण देकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करिए ये सब भाषणकर्त्ता हैं। यहां अपनी बात जल्दी-जल्दी जो कहनी हैं सारे पाइन्ट कवर कर लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने सारी बात पर पानी फेर दिया।

श्री अध्यक्ष : पंडित जी के भाषण की सराहना मुझे करने की जरूरत नहीं जनता करती है।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाईमाधोपुर की बन्द पड़ी सीमेंट फैक्ट्री के सम्बन्ध में सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री करीब 5 साल से बन्द पड़ी है और सीमेन्ट फैक्ट्री के करीब 5-6 हजार श्रमिक और उनके आश्रित जिनकी संख्या करीब 25 हजार है उनको वहां रोजी-रोटी मिलती थी और फैक्ट्री के द्वारा उनका भरण-पोषण होता है। जब से फैक्ट्री बन्द हुई है वहां का मजदूर वीरान हो गया है और रोजी-रोटी के लिए मोहताज है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो

(श्री चुन्नीलाल)

हमारे उद्योग मंत्री भी उस आंदोलन में शामिल थे मुख्य मन्त्री जी भी गए थे और कई मन्त्री भी यहां विराजमान हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिए गए थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इस सीमेन्ट फैक्ट्री को हम तुरन्त चलायेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया करायेंगे। आज सीमेंट फैक्ट्री की हालत यह है कि सीमेन्ट फैक्ट्री के अन्दर करोड़ों रुपयों का माल चोरी चला गया है, कई दफे चोरी हुई है लोग भूखों मरते सामान को निकाल-निकालकर ले जाते हैं और चोरियां होती हैं। अभी वहां का जो मैनेजिंग डाइरेक्टर बैठा था उसके द्वारा सीमेन्ट फैक्ट्री में आग लगवाई गई और आग लगाने के बहाने से कम से कम कई लाखों का माल वहां से गायब किया गया। तो मैं निवेदन करता हूं कि यह जिले में एकमात्र उद्योग था और उस उद्योग के पीछे सवाईमाधोपुर भी बिल्कुल वीरान हो चुका है।

सवाईमाधोपुर में जो लघु उद्योगों को मान्यता दे रखी हैं और जिन लोगों ने उद्योग के नाम से जो रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं उन्होंने खाली भूमि अवाप्त करने के लिए ही वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं और सवाईमाधोपुर में भी लघु उद्योग में किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं चल रहा है। सवाईमाधोपुर की बदकिस्मती है कि जब भी कोई उद्योग लगने की बात चली, अभी सवाईमाधोपुर में जो खाद फैक्ट्री लगने वाली थी उस खाद फैक्ट्री को भी 10 करोड़ का खर्चा होने के बाद वहां से उठा कर गड़पान ले गए और सवाईमाधोपुर के लोगों की जो आशायें लगी हुई थी वो उस आशा से वंचित रह गए। इसके पहले भी एक तेलशोधक कारखाने का सर्वे हुआ था। कारखाना लगने वाला था, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी लेकिन सवाईमाधोपुर को जो नेशनल पार्क घोषित किया हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं है नाममात्र के शेर हैं लेकिन 15-20 किलोमीटर की दूरी में भी अगर कोई कारखाना लगाना, चाहे तो उसको पर्यावरण का रूप देकर उस कारखाने को वहां से हटा दिया जाता है और वहां के लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल है, बनास है, पानी की वहां कोई कमी नहीं है। ब्राड गेज है, मीटर गेज है और कारखाने लगाने के लिए भूमि भी काफी उपलब्ध है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग मंत्री आज इस बात की घोषणा करें कि या तो उस फैक्ट्री की तालाबन्दी की घोषणा की जाय जिससे मजदूर कहीं दूसरी जगह जाकर अपना रोजगार करे या उन लोगों का जो अब तक का पैसा बकाया है वह हिसाब देकर उन्हें भुगतान किया जाय।

श्री परसादीलाल मीणा : पेमेन्ट कौन करेगा ?

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, आज उनके पास फण्ड में जो पैसा था, एक-एक पैसे को निकला कर वह खा चुके हैं और आज मजदूरी के लिए अच्छे-अच्छे जो अधिकारी थे वह भी आज वहां से छोड़ कर अन्यत्र चले गये हैं। तो मेरा निवेदन

(श्री चुन्नीलाल)

यह है जिस समय सरकार की तरफ से उत्तर दिया उस समय इस बात को उद्योग मंत्रीजी बतायेंगे कि सीमेंट फैक्ट्री कब चलाई जायेगी या नहीं चलाई जायेगी । इसकी क्लियर घोषणा आज कर देनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी : (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आज खनिज और उद्योग की मांग को प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में मैं सिरोही जिले के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगी । सिरोही जिला खनिज सम्पदा से भरपूर है । हमारे जिले में वालि स्टानाइट, फ्लोराइड, कैल्साइट, मार्बल, लाईम स्टोन, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा आदि अनेक प्रकार के खनिज हैं और इनके विपुल भण्डार है । इन खनिजों पर आधारित काफी उद्योग भी गत वर्षों में लगे हैं परन्तु खनिज का दोहन ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण इस धन्धे में आने वाली कठिनाइयों से यह उद्योग जिस प्रकार से पनपना चाहिए था....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलिये, समय पूरा हो जायेगा ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उस प्रकार नहीं पनपे । इसके कई सारे कारण है । आज लोग खान लेना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप आखिरी वक्ता हैं इसलिए साढ़े छह बजे समाप्त कर दिजीए । आपको पांच मिनट अधिक मिल रहे हैं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : जो लोग खान लेना चाहते हैं उन्हें खनिज क्षेत्रों की जानकारी नहीं होती और वे ऐसे अवांछित तत्वों के साथ फंस जाते हैं जो उन्हें गुमराह करके कई प्रकार की धनराशी भी ऐंठ लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि सही खनिज क्षेत्र कौन सा है । इस मामले में मेरा सुझाव है, प्रत्येक जिले में एक भू-वैज्ञानिक उपलब्ध है, यदि हमारी सरकार, हमारे खनिज मन्त्री इसमें समन्वय करके ऐसा कोई समयवद्ध कार्यक्रम लें कि वह भू वैज्ञानिक क्षेत्र वार उन खनिजों की जांच करें और यह पता लगायें कि यहै खनिज किस प्रकार का होगा, कितना होगा, कैसा होगा, इसकी क्वालिटी क्या होगी और क्वांटिटी क्या होगी, यदि इस प्रकार से विकसित करके खनिज क्षेत्र उपलब्ध करायें जायें तो व्यक्ति का धन, समय और श्रम, जिनका अपव्यय होता है, वह अपव्यय न हो ।

दूसरा, जो लोग माइनिंग का काम करते हैं उनको टेक्नीकल नालेज नहीं होती, वह जहां मर्जी आये-खोदते हैं, जैसी मर्जी आये-खोदते हैं । इससे कई प्रकार के हादसे, एक्सीडेंट होते हैं और साथ ही साथ बड़ी चट्टान कैसे निकाली जाय, छोटे खण्डे कैसे निकाले जायं, उसका उन्हें ज्ञान नहीं रहता । बड़ी चट्टान के टुकड़े करते हैं और छोटे खण्डों को ऐसे ही फेंक देते हैं । इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिले में एम.ई. ए., जो इंजीनियरिंग पास करने में हजारों

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लाखों रुपये बरबाद करके आता है और सरकार का लाखों रुपयों का व्यय होता है तब तक इंजीनियर खड़ा होता है, यह माइनिंग इंजीनियर की ड्यूटी होनी चाहिए कि जहां-जहां खनिज कार्य चलता हैं वह अपना कार्यक्रम बना कर वहां जाये। यदि कोई उल्टा-सीधा खनन कार्य करता है तो उन्हें सही रास्ता दिखाये जिससे जो खनिज कार्य पर लगे हुए हैं वह बरबाद न हों। अभी पिछले दिनों उद्योग व खनिज में कई प्रकार के सुधार किये गये, नई नीति भी लाई गई है।

विशेष तौर से जो ग्रेनाइट में नई नीति लाये हैं उसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगी। सिरोही जिले में, जालौर जिले में, पाली और बाड़मेर, करीब-करीब पश्चिमी राजस्थान में ग्रेनाइट की अधिकतम खानें हैं और ग्रेनाइट आधारित उद्योग लगभग पांच सौ से भी ज्यादा हैं और उनमें दस से पन्द्रह हजार के करीब श्रमिक प्रति दिन काम करते हैं। महोदय, ग्रेनाइट जितना चमकदार और कीमती है, उतना ही निकालना बहुत कठिन है। यह कठोर खनिज है। इसका जो भी प्रतिशत है वह सारे खनिजों से ज्यादा कठोरतम है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बारे में जो नई नीति बनाई गई है, मैं समझती हूं, इस नई नीति को बनाते समय हमारी सरकार ने या हमारे खनिज मंत्री ने इस ग्रेनाइट अधिकतम बाहुल्य वाले क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को भी अगर शामिल किया होता तो यह नीति ज्यादा सार्थक होती। इस नई नीति के कारण जो लोग ग्रेनाइट के काम में लगे हुए हैं उन्हें बड़ा विपरीत प्रभाव इसमें आने वाला है। हालांकि सरकार ने इस उद्योग में कुछ सुविधाएं भी दी है, इसमें रायल्टी की दरें कम की है, एस.टी.पी. आदि की भी सुविधा दी है, इसका तो मैं धन्यवाद करूंगी, लेकिन यह जो नई नीति अधिकारियों ने एयर कण्डीशनर में बैठ कर बनाई है वह इस खनिजों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली होगी। आयातित सयंत्र कितने लोग खरीद सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका पूरा ही पिछड़ा हुआ इलाका है और जो लोग इस काम को करने में लगे हुए हैं, अधिकतम मध्यम वर्ग और छोटे लोग लगे हुए हैं। आयातित मशीन लगाने की उनमें क्षमता नहीं है और इस प्रकार की नीति से उन्हें अपना उद्योग चला सकने में मुश्किल होगी। साथ ही आयातित मशीन लगाने से कितने ही हाथ बेरोजगार होंगे। आज बेरोजगारी की समस्या हमारे ऊपर पहले ही ज्यादा है। इन मशीनों से और भी ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। जो गरीब लोग इस धन्धे में लगे हुए हैं वह मुश्किल में आयेंगे। साथ ही साथ यह खनिज, जो कि पहाड़ों में ज्यादातर निकलता है, उसे मशीन लगाकर निकालना बहुत ही कठिन है क्योंकि अभी ग्रेनाइट शैशवास्था में है। हमारे यहां का ग्रेनाइट इतना उत्तम नहीं है कि आयातित मशीनों से उसको काट कर बड़ी शीट्स निकाली जा सके। वहां तो छोटे-छोटे बोल्डर प्राप्त होते हैं और उसका छोटा खण्डा बनता है। जो उद्योग लगे हुए हैं वह छोटे खण्डे निकाल कर अपना प्रति दिन का व्यापार करते हैं। लेकिन इस प्रकार मशीनीकरण करने से

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

घण्टी तो साहब, पहले ही बजा दी । बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जायेंगे । मेरा तो एक ही निवेदन है कि यह जो नई नीति बनाई है इसमें ग्रेनाइट में लगे हुए लोग अथवा उस क्षेत्र, जहां पर ग्रेनाइट बाहुल्य है, के जन-प्रतिनिधियों को शामिल करके इस पर पुनर्विचार किया जाय । साथ ही ग्रेनाइट के उद्योग को, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नालेज में लाना चाहती हूं, करीब-करीब चालीस उद्योग तो मेरे शिवगंज में लगे हुए हैं उनमें से पैंतीस के ताले पड़ने की स्थिति है । इस उद्योग को पनपाया जाना, आत्मनिर्भर करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है कि नीति में संशोधन करके विशेष राहत दी जाय, व्यापारियों को केरोसीन इत्यादि उपलब्ध कराया जाय । अगर आयातित मशीनों की बात थी तो एक तरफ तो हम करेन्सी का रोना रोते हैं कि हमारे पास करेन्सी नहीं है और दूसरी तरफ जो हमारे यहां के लोग हैं, कारीगर हैं, जो यहां लोकल मशीनें बनाते हैं, उनकी मशीनों से हम यह उद्योग चलाते हैं वह बेरोजगार होंगे । देश की बेरोजगारी मिटानी है, आत्मनिर्भर बनाना है तो यह क्षेत्रीय खनिज जहां प्राप्त होता है वहीं के छोटे-छोटे धन्धों को छोटे-छोटे गांवों में खोलकर पनपाया जाना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । माननीय उद्योग मंत्री जी ।

मांग संख्या 42 का पारण

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग-मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, उद्योग की मांग पर लगभग 19 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और इसी प्रकार जब बजट पर आम चर्चा हुई तो भी उद्योग के सम्बन्ध में चार-पांच माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे । मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि जो उन्होंने सुझाव दिये और प्रदेश की औद्योगिकरण की दृष्टि से गति देने के लिए सुझाव दिये वह राज्य सरकार के लिये बड़े सार्थक होंगे, मार्गदर्शक होंगे और निश्चित रूप से राज्य सरकार राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हर भरसक प्रयास करेगी । अध्यक्ष जी, यह औद्योगिकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया के अन्दर समय-समय पर हर सरकार अपनी नीति का निर्धारण करती है । कुछ उद्योगों को इस आधार पर आमन्त्रित करती है । उस नीति को देखकर उद्योगपति आमंत्रित होते हैं और शनै-शनै प्रक्रिया चलती रहती है लेकिन जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो औद्योगिकरण राजस्थान में हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं हैं ।

यह मानता हूं कि निश्चित तरह से वातावरण बना है, कुछ लोग आये हैं लेकिन जिस गति से औद्योगिकरण राजस्थान में होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं लेकिन साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब नयी सरकार आई उसने स्वयं ने इस बात का अनुभव किया कि जो उद्यमी राजस्थान के अन्दर उद्योग लगाने के लिए आने चाहिए या स्वयं राजस्थान के लोग राजस्थान में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उद्योग लगाने के लिए आने चाहिए वह नहीं आ रहे हैं। इस सारी बात पर चिन्तन किया गया और यह पाया गया कि कुछ अपनी नीतियों में परिवर्तन करके जो हमारे पड़ौसी राज्य हैं उनके समक्ष खड़े होकर अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो राजस्थान में उद्योगों को नहीं लाया जा सकेगा और इसलिए नयी औद्योगिक नीति का निर्धारण किया जिसको मैंने सदन के पटल पर रखा था। उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मोटे रूप से जो हमने अनुभव किया कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आधार पर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम रखी जाती थी जिसका कि छोटे उद्योगों को और विशेषकर लघु उद्योगों का बड़ा आकर्षण था वह अकस्मात बन्द कर दी गयी, खत्म कर दी गयी। बल्कि कई उद्योग इसके बन्द होने के कारण लड़खड़ा गये। नये उद्योगों का लघु क्षेत्र में तो लगभग आना बन्द हो गया है।

हमने उचित समझा कि एक नयी कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट सब्सिडी स्कीम चाहे केन्द्र सरकार ने उसको बंद कर दिया राज्य सरकार स्वयं अपने बजट से उस कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट सब्सिडी स्कीम को लागू करे और हमने उसको लागू किया है और इसके अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस आधार पर हमने लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों में अन्तर रखा है। अभी बार-बार कहा गया कि लघु उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाये उस नाते से हमने विचार किया और उस विचार के अन्दर जो लघु उद्योग हैं उनकी कैपिटल के ऊपर जो इन्वेस्टमेण्ट करते हैं उस पर 20 पर्सेण्ट अनुदान हमने रखा और उसकी सीमा 20 लाख रखी लेकिन इसके विपरीत अगर कोई बड़े क्षेत्र के अन्दर उद्योग आता है तो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट पर हमने केवल 15 पर्सेण्ट का अनुदान रखा और उसकी सीमा 15 लाख रखी। तो हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अपनी नीति निर्धारण के अन्दर यद्यपि हम छोटे, मंझले, बड़े उद्योग सबको आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन प्राथमिकता-वरीयता अगर किसी को दी जाये तो लघु क्षेत्र में दी जाये। इसी प्रकार सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव स्कीम थी। इस सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव स्कीम के कारण स्थिति यह बन रही थी कि कुछ उद्योग, हम देख रहे थे कि हमारे राजस्थान के अन्दर सरसों का उत्पादन बड़ी तेजी से हो रहा है। कृषि विभाग इस आधार पर लग रहा है।

केन्द्र सरकार भी चिन्तित है कि हमारे यहां पर आइल सीड का उत्पादन कम है, इसके आधार पर जितने बड़े उद्योग राजस्थान में आने चाहिये वह राजस्थान में नहीं आकर केवल मध्यप्रदेश के अन्दर चलते चले जा रहे हैं हमने उस आधार पर उन इण्डस्ट्रीज को राजस्थान के अन्दर आइल बेस इण्डस्ट्रीज को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए हमने सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव स्कीम के अन्दर हमने संशोधन किये। इसी प्रकार से जो हमारे डी.जी. सैट्स हैं इसकी अनुदान की स्कीम थी उसका हमने सरलीकरण किया, जांच उपकरण योजना थी उसका सरलीकरण किया, बिजली की सुनिश्चितता की, चुंगी की माफी की। अनेकों इस प्रकार की बातें हमने कीं और उसका निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर एक वातावरण बना है। एक औद्योगिक वातावरण जो थम सा गया था, जो रुक सा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

गया था एक अच्छा वातावरण बना और हम इसको बनाने के बाद केवल निश्चित होकर राजस्थान में बैठे नहीं रहे जो हमारे राजस्थानी बन्धु हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से नीति है ही, समान है, लेकिन हमारे राजस्थान के बाहर भी जो प्रवासी बन्धु हैं उन प्रवासी बन्धुओं को भी राजस्थान के अन्दर आकर्षित किया है। इस नाते मुख्य मन्त्रीजी थे, मैं स्वयं भी था और दिल्ली के अन्दर भी कैम्प हुआ, कलकत्ता में भी कैम्प हुआ। उस कैम्प के आधार पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने शंका जाहिर की कि आप दिल्ली तो हो आये, आप कलकत्ता तो हो आये लेकिन वहां किया क्या आपने।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं आंकड़े देना चाहता हूं कि वहां पर दो दिन कैम्प के अन्दर केवल मुख्य मंत्रीजी अथवा उद्योग मंत्री ही नहीं गये बल्कि उद्योग सचिवालय के अधिकारी, डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज, रीको के अधिकारी और कर्मचारी, आर.एफ.सी. के अधिकारी और कर्मचारी सारे लोग वहां पर थे और आप आश्चर्य करेंगे कि उस मेले के अन्दर एक दिन के अन्दर 500-600 उद्यमी एक-एक स्थान पर आये हैं और वहीं मौके पर जो प्रोजेक्ट थे वह उनको बताये गये। उनकी जमीन का रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके अलावा जमीन का अलाटमेंट किया और जहां तक सम्भव हो सकता था एम. ओ. यू. डी वहां पर साइन हुए और उसकी मैं जानकारी माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से देना चाहूंगा। जो दिल्ली शिविर हुआ था, 12 और 13 जुलाई को, 84 एस. एस. आई. उद्योगों का मौके पर रजिस्ट्रेशन हुआ, मौके पर 2 लाख वर्गमीटर भूमि आवंटित की गयी। लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत की 73 परियोजनाओं को स्थापित करने का गम्भीरता से टाई-अप किया गया। जैसे वनस्पति शाहजहांपुर 10 करोड़ 51 लाख, इसी प्रकार से पेट्रो केमिकल्स का एम. ओ. साइन हो गया, 70 करोड़ का है। इसी प्रकार कलकत्ता के अन्दर जब हम 5-6 सितम्बर को गये वहां पर, श्री अध्यक्ष जी, 73 एस. एस. आई. स्माल यूनिट्स का मौके पर पंजीकरण हुआ, 1 लाख 30 हजार वर्गमीटर भूमि का मौके पर ही आवंटन किया गया। लगभग 225 करोड़ रुपये की नयी परियोजनाओं का टाई-अप प्रारम्भ किया गया और जो महत्वपूर्ण परियोजनायें इसी प्रकार से हैं पैस्ट कन्ट्रोल, भिवाडी 40 करोड़, ग्रेस्प ग्रेनाइड 30 करोड़, बी. जी. कमोडिटीज 10 करोड़ की। तो यह कहना कि वहां केवल घूमने के लिए गये थे या कुछ नहीं हुआ माननीय सदस्य भी जानते हैं और माननीय सदस्य जिन्होंने इस पर इशारा किया शायद मुझसे कहलवाना चाहते थे कि हमें पता है कि वहां कुछ हुआ है लेकिन कम से कम सदन को जानकारी दी जाये। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक वातावरण बना है।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, रीको द्वारा वर्ष 90-91 के अन्दर 60 परियोजनायें और 91-92 में 64 परियोजनायें केवल 124 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दी गयी और इस पर जो इन्वेस्टमेण्ट होने वाला है, जो प्रोजेक्ट कास्ट हैं वह 237 करोड़ 51 लाख 85 हजार हैं। इसी प्रकार से इस पीरियड के अन्दर जैसा मैंने कहा कि यह तो एक कन्टीन्युटि है, मैं यह नहीं कहता कि उद्योग जो हम लगा रहे हैं वह वह आज ही खड़े हो जायेंगे या कल कुछ नहीं किया, कल धीमी गति थी इस वर्ष के अन्दर 40 उद्योगों ने उत्पादन आरम्भ किया है। जहां मैंने यह कहा है कहीं गलत-फहमी नहीं हो जाये 237 करोड़ 51 लाख 85 हजार की जो प्रोजेक्ट कास्ट की हमने वित्तीय सहायता दी हैं हमने रीको के द्वारा सावधि ऋण रीको के द्वारा केवल 64 करोड़ 6 लाख दिये गये। अंशदान के रूप में 3 करोड़ 2 लाख दिये गये हैं और इसी प्रकार से ई. आर. एफ. जो दिया जाता है उसमें 16 करोड़ 13 लाख दिये हैं। केवल हमने 237 करोड़ 51 लाख 85 हजार की जिसकी प्रोजेक्ट कास्ट है 124 प्राजेक्ट्स की, हमने केवल उनको 83 करोड़ 42 लाख 82 हजार रुपये दिये हैं। तो यह योजनायें वह हैं जिनको रीको ने 90-91 और 91-92 में फाइनेन्स किया है। अगर आप चाहे तो सूची भी है। इसी प्रकार से वर्ष 91-92 के अन्दर 34 प्रेस्टीजियस और बहुत इम्पोंटेन्ट योजनायें हैं उनको फार्मल टाइ-अप हुआ जिसकी प्रोजेक्ट कास्ट 1850 करोड़ आयेगी। यह केवल 91-92 की बात कह रहा हूं। 91-92 के अन्दर 34 इम्पोंटेन्ट प्रोजेक्ट्स प्रेस्टीजियस रीको द्वारा टाई-अप किये गये जिनकी कास्ट 1850 करोड़ रुपये आयेगी। टोटल इक्विटी उसमें 260 करोड़ है।

रीको की इक्विटी केवल 20 करोड़ 78 लाख होगी। उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा आप कह रहे थे कि इन्डस्ट्रीज नहीं आ रही हैं तो सेन-फार ग्लास लि. जो कोटा का नयानोगा गांव है उसमें लग रही है। इसमें 380 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मशीनों के आडर्स हो गए हैं और निर्माण बड़े जोरों से चल रहा है। इसी प्रकार से ग्रीव्स काटन बम्बई ए. बी. एस. रेसीन्स की आबूरोड़ में लग रही है 62 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फोर्ड मारूती का नाम आपने सुना है। मैं समझता हू कि सदन को, अधिकारियों को बधाई देनी चाहिए कि पहले हमने छेदन किया फोर्द की विश्व विख्यात संस्था है मारूति के साथ टाइ-अप करके अध्यक्ष जी, वहां पर अपना कारखाना लगा रहे हैं भिवाडी के अन्दर। 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यह केवल प्रोजेक्ट नहीं है आप अन्दाजा लगाइये कि कितनी एन्सीलरी आरम्भ हो जायेगी, कितने छोटे–छोटे उद्योग हो जायेंगे। इसी प्रकार से श्रीराम रेयोन्स जो लगभग सिक होने जा रही थी कोटा के अन्दर नाइलोन टायर कोर्ड के अन्दर वह 90 करोड़ का इन्वेस्टमेण्ट करने वाली है।

यह तो मैंने कुछ चीजें बताई हैं लेकिन इनके अलावा अगर माननीय सदस्य देखना चाहें तो यह सारी सूची है मेरे पास, जिसके आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें की गयी कि एन. आर. आइज. के बारे में क्या कहना, निश्चित रूप से एन. आर. आइज. को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए केवल घोषणा नहीं की है कि हम उनको बुला रहे हैं। हमने एन. आर. आइज. को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

राजस्थान में आकर्षित करने के लिए रीको के माध्यम से एक बिजनेस सेल बनाया है, ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन के नाम पर एक सोसायटी गठित की है जिसमें एक आई. ए. एस. ऑफिसर डाइरेक्टर हैं। कैपिटल, और केसेज में जो कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट सब्सिडी की सीमा 20 लाख होती है, अगर एन. आर. आई. राजस्थान में आता है तो उसको 35 लाख रुपए तक का इसका लाभ दिया जायेगा।

इसी प्रकार से अगर राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदना चाहता है तो अन्य लोगों को जो भूमि दी जायेगी उसके मुकाबले इस एन. आर. आई. को राजस्थान में उद्योग लगाने पर 10 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी, बिक्री कर, चुंगी कर यह अलग है। इसके साथ कोई नये प्रोजेक्ट बनाये, प्रेस्टिजिअस प्रोजेक्ट, मोस्ट प्रेस्टिजिअस प्रोजेक्ट्स और जो गांव में जायेगा उनको और हमने सेल्स टैक्स इन्सेंटिव में छूट दी है। गांव के क्षेत्र में जाने के लिए छूट रखी है और उसके आधार पर स्थिति यह है कि 17 परियोजनायें जो 29 करोड 21 लाख की हैं इस समय कार्यरत हैं। 8 परियोजनायें कार्यान्वयन में हैं जिन पर एम. ओ. यू. साइन हो चुके हैं। इसकी प्रोजेक्ट 27 करोड़ 87 लाख है और भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं जिनको वित्तीय सहायता देने पर रीको के स्तर पर विचार हो रहा है। इनकी प्रोजेक्ट कोस्ट 20 करोड़ 17 लाख है तो यह कहना कि कुछ लोग आ नहीं रहे हैं, निश्चित रूप से यह तो जो बड़े प्रोजेक्ट, प्रेस्टिजिअस प्रोजेक्ट हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में बता रहा हूं। इनके अलावा अनेकों, सैंकड़ों इस प्रकार के लोन डिस्बर्समेण्ट हुए हैं लेकिन यह प्रेस्टिजिअस प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान की बेहबूदी में चार चांद लगायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल किया गया माननीय गोपालसिंहजी के द्वारा राजस्थान के प्रवासियों के लिए। मेरी भावना से शायद सदन सहमत होगा, हम राजस्थान के हित में और अप्रवासी बंधुओं के हित में नहीं बताना चाहते हैं कि किस प्रदेश से कितने और कौन-कौन प्रवासी बंधु राजस्थान में आये हैं क्योंकि जब मैंने उनसे बात की, यहां तक बात की कि हम इकट्ठे बैठें और इसके नाम से कोई संघ बना लीजिए, चर्चा करें। एक-एक दो-दो आते हैं वे अपने आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं अप्रवासी राजस्थानी के नाम से, चाहे वे इस प्रदेश के हों या उस प्रदेश के हों, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सैंकड़ों अप्रवासी राजस्थानी राजस्थान में आये हैं उन्होंने मिनी सीमेण्ट प्लाण्ट लगाये हैं। ग्रेनाइट के अन्दर गये हैं मार्बल के अन्दर गये हैं, आइल सीड के अन्दर गये हैं, सारे क्षेत्र में गये हैं और लगते चले जा रहे हैं। यह सच है। आपने जो बात कही है उससे मैं इन्कार नहीं करता कि जिस स्पीड के साथ वे डिस्पोजल चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है लेकिन इसके नाते हमने इसमें भी सुधार किये हैं। टाइम बॉउण्ड प्रोग्राम बनाये हैं कि 3 महीने मैग्जिमम हैं जिसमें लोन एप्लीकेशन सैंक्शन हो जानी चाहिए और उसका हर जगह पर रिव्यू होता है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

निश्चित रूप से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको हम ब्लेक शिप्स कहते हैं, हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता। लेकिन मैं माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने लाये जायें।

अब हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य खुद यह कहते हैं कि बड़े अधिकारी बहुत अच्छे हैं, नीचे के स्तर पर यह शरारत होती है, फिर क्या झिझक है? केस लाइये। बताइये, समझाइये, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें अध्यक्ष जी, प्रोजेक्ट आते हैं उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एप्रेजल होगा उसमें जो कोस्ट लगाई है, प्रोजेक्ट कोस्ट दी है कहीं ओवर बिलिंग तो नहीं है, यह देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जो लाया गया वह वायेबल है या नहीं है? इतना होने के बाद फिर लोन सैंक्शन होगा, और कितना सैंक्शन होना चाहिए, व्यक्ति अपने पास से स्वयं की कितनी केपिटल लगाना चाहता है? यह सारी बातें देखकर फिर डिस्बर्समेण्ट उस सीमा पर होगा कि उसने कितने अनुपात में अपना इन्वेस्टमेण्ट कर दिया और अब हम को रिलीज नहीं करना चाहिए। यह सारी प्रक्रियायें हैं जिन पर सावधानी रखनी पड़ेगी और मैं समझता हूं यह सावधानी आवश्यक है।

जो यह कहा जाता है कि लोग गुजरात गये। मैं समझता हूं भगवान करे ऐसा हो कि गये, आज के आज गये और आज के आज ले आये, यह कैसे सम्भव है? अध्यक्ष महोदय, क्या प्रोजेक्ट नहीं देखते? क्या प्रोजेक्ट एप्रेजल नहीं करते? क्या वे प्रोजेक्ट का एप्रेजल करने के बाद जो कोस्ट दी गयी है, उसको एग्जामिन नहीं करते, कैसे सम्भव है और फिर भी हमने अपने यहां सैल बनाया है। डाइरेक्ट्रेट लेबल पर सैल, रीको के स्तर पर सैल है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, वे केवल इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो वातावरण होना चाहिए, जिसको आप बना रहे हैं, जिस दिन आप यह वातावरण बना देंगे तो यह बात खत्म हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : फिर भी नहीं होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठीक है अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात....

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप सारी सुविधा दे देते हैं। जो प्रवासी राजस्थानी गांवों में उद्योग लगाना चाहते हैं, सीमेण्ट उद्योग भी लगाना चाहते हैं उनके कन्वर्शन के मामले आज तक साल–साल भर से पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि कलेक्ट्रेट लेबल की, रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट की बात है लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मैंने अभी तक किया है, चाहे वह नमक का मामला रहा हो, उसके लिए कलक्टर, अजमेर रहा हो या कलक्टर, नागौर रहा

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

हो, मीटिंग बुलाई है। डिस्पोजल चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो किसान मालिक है, जो खातेदार है और वह कन्वर्ट कर के इसमें से नमक पैदा करना चाहता है तो उसमें क्यों आड़ लगाई जाती है? मीटिंगें की हैं, और मीटिंगें करूंगा और कन्वर्शन....

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : प्लीज, बैठिये आप। नहीं, बिराजिये आप। मैं बोल दिया तो आप भी खड़े हो गये। मैं भी नहीं बोलूंगा....मैं भी चुप और आप भी चुप। बैठिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनके बोलने के बाद क्वेश्चन करवा देना साहब।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हां, निश्चित। अध्यक्ष महोदय, रीको के माध्यम से मार्बल क्षेत्र में केवल इस साल में 35 यूनिटों को लोन सैंक्शन हुआ है जिसमें 1603.19 लाख का इन्वेस्टमेण्ट रीको के द्वारा, ग्रेनाइट के यूनिट 14 आये हैं जिसमें 558.80 लाख का इन्वेस्टमेण्ट है, इलेक्ट्रोनिक्स यूनिट 31 आये हैं जिसमें 1335.06 लाख का इन्वेस्टमेण्ट है, इन्जीनियरिंग यूनिट 62 आये हैं जिसमें 3344.61 का इन्वेस्टमेण्ट है। इसी प्रकार सोलवेण्ट एक्सट्रेक्शन प्लाण्ट अध्यक्ष जी, इसमें तो बाढ़ आयी, दिसम्बर, 1989 में केवल राजस्थान में दो सोलवेण्ट एक्सट्रेक्शन प्लाण्ट थे। आज स्थिति यह है कि रीको के माध्यम से 22 लोगों को लोन सैंक्शन हुआ है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सन् 93 तक आते-आते राजस्थान में यह स्थिति बनने वाली है कि सोलवेण्ट एक्सट्रेक्शन प्लाण्ट राजस्थान में 40 हो जायेंगे। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। राजस्थान की सरकार इस गति से संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं और गति दें लेकिन यह कहना कि औद्योगिक वातावरण नहीं बना, इसके कारण अप्रवासी राजस्थानी, प्रवासी भारतीय हमारे राजस्थानी नहीं खड़े हुए, मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। मैं समझता हूं कि सब बंधुओं को इस सम्बन्ध में सहयोग करना चाहिए....

even total number of mini Cement plants.....

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीजी, यह बंधु नहीं हैं माननीय सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग नहीं है यह। यह राजस्थान विधान सभा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, मिनी सीमेण्ट प्लाण्ट्स, इसी साल में 42 यूनिट को लोन सैंक्शन हुए हैं जिनका अमाउण्ट है 2801.80 लाख। यह तो रीको का अचिवमेण्ट है इसके अलावा अध्यक्ष जी, स्मॉल सेक्टर में 90-91 में 4707 इकाईयां, 91-92 में 4273 इकाइयां, इस प्रकार 8980 इकाइयां केवल इन दो वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आयी हैं, लघु क्षेत्र में, जिसमें इन्वेस्टमेण्ट 208 करोड़ 46 लाख 46 हजार का है। दो साल की उपलब्धि है। और एम्पलोयमेण्ट...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री जी, सब बातें पहले बता देते तो इतनी बात नहीं होती।

श्री रामकिशन : बात तो अब भी होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय सदस्य एम्पलोयमेंट के लिए कहते हैं। 21 हजार 389 लोगों को एम्पलोयमेण्ट इन स्मॉल सेक्टर में 90-91 में मिला। 91-92 में, यह केवल जनवरी तक के फीगर्स हैं, 18 हजार 953, इस प्रकार 40 हजार 332 लोगों को लघु उद्योगों के माध्यम से एम्पलोयमेण्ट मिला है।

अध्यक्षजी, इसी प्रकार से जिस गति से हमारी वित्तीय संस्थायें राजस्थान में छलांग लगा रही हैं, इस पर भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 88 में, कम्पेयर करने की, आलोचना करने की मेरी आदत नहीं है लेकिन कुछ चीज रखनी पड़ेगी ताकि तुलनात्मक दृष्टि से सोचा जाय कि कितने आगे बढ़े हैं? वर्ष 88-89 में रीको के माध्यम से 1713.50 लाख रुपये का लोन सैंक्शन हुआ है।

उसके मुकाबले, अध्यक्षजी, 10 मार्च, 92 तक, 91-92 के अन्दर 44 करोड़ 81 लाख 88 हजार का लोन सैंक्शन हुआ है यानि लगभग थ्री टाइम्स। लास्ट ईयर के मुकाबले में। यह लास्ट ईयर केवल 24 करोड़ था उसके मुकाबले 44 करोड़ 81 लाख 88 हजार का लोन सैंक्शन हुआ है और डिस्बर्समेंट जो केवल 10 करोड़ 93 लाख 14 हजार 88-89 में था, इस बार 10 मार्च, 92 तक 22 करोड़ 9 लाख 37 हजार का हुआ है। तो इस प्रकार से यह गति चली है। लेकिन जहां यह औद्योगिकरण हुआ है उस औद्योगिकरण के साथ जैसे हम देख रहे हैं, राजस्थान के अन्दर उद्योग आ रहे हैं, स्वयं राजस्थानी, अप्रवासी राजस्थानी, अभारतीय राजस्थानी आ रहे हैं। उनके नाते हमको लगता है कि भूमि सिकुड़ती चली जा रही है। यह सच है कि इसमें हम विश्वास करते हैं कि जिन क्षेत्रों में उद्योग आने की सम्भावना नहीं है या स्थानीय लोग उद्योग नहीं लगाना चाहते, राजस्थान की सरकार अथवा रीको उन क्षेत्रों में केवल किसी को प्रसन्न करने के लिये इण्डस्ट्रियल एरिया वहां पर नहीं बनायेगी, यह मैं निश्चित कहना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार की बात आपकी आयी है। लेकिन जहां लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र बन सकते हैं, स्थानीय लोग उद्योग लगाने के लिये आतुर हैं और बाहर के लोग आना चाहते हैं उस दृष्टि से हमने कुछ किया है। पहले 176 केवल इण्डस्ट्रियल एरिया थे, अब 9 और इण्डस्ट्रियल एरिया तय किये गये हैं, इस प्रकार 185 औद्योगिक क्षेत्र हैं। नोखा के अन्दर 70 एकड़। यह नये क्षेत्र बने हैं, बस्सी के अन्दर जो जयपुर में है, 51.25 एकड़ सीतापुरा जो जयपुर के अन्दर है 362.68 एकड़, हीरावाला जो जयपुर में है 85.43 एकड़, बिन्दायका जो जयपुर में है 162.87 एकड़, गुडली जो उदयपुर में है 314.66 एकड़, गेगल जो अजमेर में है 59.20 एकड़ पीपलवा जो बांसवाड़ा में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में है 184.53 एकड़, आटोमोबाइल जो बाड़मेर में है 6.25 एकड़। इस प्रकार नये नौ औद्योगिक क्षेत्र 1306.87 एकड़ अतिरिक्त लेकर के बनाये गये हैं। जो पुराने क्षेत्र थे, जहां पर हमको लगता था सिकुड़ते चले गये, जगह नहीं है, इन दो वर्षों के अन्दर किशनगढ़ अजमेर के अन्दर 40.14 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली, जालौर में 169.20 एकड़, भिवाड़ी (अलवर) में 563 एकड़ खुशखेड़ा के अन्दर 118.12 एकड़, जगीना (भरतपुर) के अन्दर 16.58 एकड़, एम.टी.सी. (अजमेर) के अन्दर 16.22 एकड़, बगरू जो जयपुर का है 184.31 एकड़, सांगानेर 28.69 एकड़। इस प्रकार से यह हमने दो वर्षों के अन्दर विस्तार किया है।

मैं इसके साथ-साथ यह और निवेदन करना चाहूंगा जो मैं बता रहा हूं वह ही क्षेत्र नहीं है। यह तो वह है हमने जो आलरेडी एक्वायर करके अपना कब्जा ले लिया है। अनेकों क्षेत्रों में जिस प्रकार से नया जिला बारां बना है, बारां के अन्दर सेक्शन चार का नोटिस जारी हो चुका है और जैसे ही उसकी कार्यवाही पूरी होगी, नया औद्योगिक क्षेत्र वहां बन जायगा। सोलवेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट उस तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं। तो जहां-जहां हमको लगता चला जा रहा है कि इण्डस्ट्री आती जा रही है, रीको उन क्षेत्रों में उस दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र बनाने को तैयार है, चल रहा है। जैसा कि ग्रोथ सेण्टर की बात बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, यह सच है कि बीकानेर, आबू रोड, भीलवाड़ा और झालावाड़ यह चार ग्रोथ सेण्टर थे, पांचवा धौलपुर हुआ है। लेकिन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसको अच्छी तरह से स्वयं जानते हैं कि ग्रोथ सेण्टर की स्कीम सेण्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट से आ जाने के बाद यह चीज, कार्यवाही आरम्भ होती है। भरतपुर का नाम पिछली बार भेजा गया था, जैसा मैंने इस तरह के कागजात देखे हैं, लेकिन उन्होंने भरतपुर को एप्रो नहीं किया, धौलपुर का एप्री किया।

श्री यदुनाथ सिंह : यह अपने प्रभाव से करा कर लाये हैं। अपनी दोस्ती बता रहे थे वी.पी. सिंहजी से और चन्द्रशेखर जी से और अब नरसिंहराव जी से बता रहे हैं। यह तो भरतपुर से ले गये हैं धौलपुर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हां तो प्रभाव से ले आये तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : दोस्ती तो आपसे भी है। आपसे भी है। आप कोई प्रधान मंत्री से कम हैं क्या ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, इन ग्रोथ सेण्टर्स के लिये जो प्रोजेक्ट है वह तैयार करके भेज दिया गया है। जहां तक अभी इसका था, धौलपुर का प्रोजेक्ट भी भेज दिया गया है। जैसे ही प्रोजेक्ट सेक्शन होगा वहां से 30-30 करोड़ रुपया एक-एक ग्रोथ सेण्टर पर आयेगा, जैसे ही वह आयेगा पांचों ग्रोथ सेण्टर्स का काम आरम्भ कर दिया जायगा। उनके लिये भूमि को मार्क करने की तैयारी कर ली गयी है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था अभी भूमि अवाप्त नहीं की गयी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है। एक बार हम आश्वस्त हो जायं कि तीस करोड़ रुपया इस काम के लिये हमको आने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी आधार पर जो ग्रोथ सेण्टर एक बार तय हो गया उन्हीं का विकास होगा, हम किसी राजनैतिक आधार पर ग्रोथ सेण्टर को शिफ्ट करने वाले नहीं हैं।

अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार का रश आज इण्डस्ट्रीज का हमारे साथ चल रहा है, भिवाड़ी, शाहजहांपुर, अलवर, निमराना, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन आदि-आदि क्षेत्रों के अन्दर हमको नये एरिया एक्वायर करने पड़ेंगे।

अध्यक्षजी, 90-91 के अन्दर 999.09 एकड़ अवाप्त की थी। 91-92 में इस साल 2370.57 एकड़ जमीन अवाप्त की है। इस प्रकार 3369.66 एकड़ जमीन रीको ने अपनी आवश्यकता को देखकर और जो सम्भावनाएं हैं उद्योग की राजस्थान में आज के दिन वह देख रहे हैं। साथ में यह भी माननीय सदस्य ने चर्चा चलायी थी कि जहां जमीन बेकार पड़ी है, निश्चित रूप से डी आई सीज को कह दिया गया है, रीको के अधिकारियों को कह दिया गया है कि वह कलेक्टर से रेपर्ट रखें, जहां-जहां भी इस प्रकार की जमीनें मिलती हैं सिवाय चक, उन सिवाय चक भूमि को सैट अपार्ट करके अपने कब्जे में लिया जाय। इसकी हम कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि हम इन्तजार नहीं करना चाहते उद्योग को कि उद्योग कल आयेगा तब जमीन ली जाय। उसके पहले से ही एडवांस में सब योजना को बनाते चले जा रहे हैं।

अध्यक्षजी, इसी प्रकार 17 इण्डस्ट्रियल एरिया, मैं नाम लूंगा तो समय लग जायेगा, 69 करोड़ 90 लाख रुपया हमने उनको विकसित करने में एक साल के अन्दर खर्च किया है। 69 करोड़ 90 लाख रुपया। यह सच है, मैं आज भी मान कर चलता हूं कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद उनके रख रखाव पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। यहां तक कि वहां पर डवलपमेंट चार्जेज के नाम पर जो पैसा आता था वह पैसा भी कंसोलिडेटेड फण्ड में चला जाता था रीको के पास और वह पैसा भी वहां खर्च हो जाय, वह नहीं किया जाता।

यह पहला अवसर है बल्कि राजस्थान सरकार ने वह क्षेत्र जो रीको के पास नहीं थे, इण्डस्ट्रीज के पास थे, उद्योग विभाग के पास थे, और वह रीको को ही ट्रांसफर हुए, उनका कोई धनी धोरी नहीं था, उनको डवलप करने के लिये राजस्थान सरकार ने स्वयं अपने पास से रीको को तीन करोड़ रुपये का अनुदान दिया और तीन करोड़ के आधार पर वह जो क्षेत्र ट्रांसफर होकर इंडस्ट्रीज के पास से रीको के पास आये थे उनका विकास किया गया है। तो विकास की दृष्टि से हम लग रहे हैं। अब यह जितना विकास शुल्क रीको का आयेगा वह भी सारा विकास शुल्क का एक-एक पैसा केवल उन क्षेत्रों के विकास

(श्री कृष्णकुमार गोयल) :

की दृष्टि से ही खर्च किया जायगा, अन्य नहीं खर्च किया जाएगा, यह हमने तय किया है।

मुख्य मन्त्री जी ने भी इसका हवाला दिया था और मैं समझता हूं राजस्थान को गर्व होना चाहिये कि भिवाड़ी क्षेत्र का फेज थर्ड यह जो अपनी एन.सी आर प्लानिंग बोर्ड है, नेशनल कैपीटल रीजन के तहत अलवर के भिवाड़ी को लिया हुआ है इसके लिए विकास हेतु हमें प्लानिंग बोर्ड ने 9.57 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं और उसके अगेंस्ट साढ़े छह करोड़ रुपया केवल फेज थर्ड के डवलपमेंट के लिए रीको को प्राप्त हो चुका है और उस आधार पर क्षेत्र का समुचित विकास किया जायेगा। तो यह कुछ गतिविधियां हैं जो कि हमारे आधार पर की हैं। लेकिन जहां मैं यह चर्चा कर रहा हूं, मुख्य मन्त्रीजी ने भी कल उसका हवाला दिया था, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी आज चर्चा कर रहे थे, यहां तक कि कांग्रेस सकिल से भी आज उसकी चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, यह राजस्थान के आने वाले भविष्य का सवाल है उससे हमारा खनन जुड़ा हुआ है, उससे हमारे उद्योग जुड़े हुए हैं, उससे हमारे राजस्थान का विकास जुड़ा हुआ है। लेकिन जितना बड़ा अतिक्रमण केन्द्र सरकार ने फारेस्ट एक्ट की पावर कान्करेंट लिस्ट में अपने पास ले करके लिया उसके आधार पर जो नोटिफिकेशन नौ जनवरी को और नौ जनवरी के बाद फिर दुबारा 19 जनवरी को निकला है, मैं समझता हूं राजस्थान अगर वही प्रभाव के अन्दर रहा तो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। कौन सा एरिया बाकी बचे जायगा ?

अध्यक्ष महोदय, जो नोटिफिकेशन नौ जनवरी का था वह केवल अलवर और हरियाणा के गुड़गांवा तक था और उसमें तो हमको डर लगा था कि गया अलवर। जो इतना बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप हो रहा है, रीको ने करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहां पर इण्डस्ट्रीज अपने इन्वेस्टमेंट के साथ इण्डस्ट्री डालने आ रहे हैं उसका भी क्या होगा। हम डर रहे थे और उससे तो चिन्तित थे ही लेकिन साथ-साथ एक नोटिफिकेशन 19 जनवरी को उसके बाद और निकाल दिया जिसके आधार पर यह तय हो गया कि सैंक्चुरी और नेशनल पार्क जहां पर होंगे उसके 25 किलोमीटर के अन्दर कोई भी लगाया नहीं जा सकता, उसके लिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट से परमीशन लेनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भरतपुर उसी में आ गया क्या ?

श्री रामकिशन : आपके होते तो यही होगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : साथ-साथ रिजर्व फारेस्ट 10 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेण्टर गवर्नमेंट से परमीशन लेने जाओ।

श्री यदुनाथ सिंह : फारेस्ट काट दो। फारेस्ट नहीं बनना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसके अलावा पोल्यूशन बोर्ड को राजस्थान में जो पावर थी अपने एन.ओ.सी. देने की, वह पावर भी सीज कर ली गयी। अब हमको एन.ओ.सी.

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लेने के लिए सेण्टर गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : 19 जनवरी का नोटिफिकेशन नहीं है, वह 29 जनवरी 1991 का है। इसके बाद का नहीं है, इससे एक साल पहले का है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : I may correct my self.

श्री जगमाल सिंह यादव : वह दिखवा लीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह आ गयी है कि इस सदन को मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में ईसकी दलगत मामलों ने बनाकर निश्चित रूप से सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव लाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार से मांग करनी चाहिए कि राजस्थान वैसे ही पिछड़ा प्रदेश है। अपने लेवल पर तो हम संघर्ष करेंगे ही और यह तय है कि केन्द्रीय सरकार अगर मानती है तो ठीक है वर्ना अदालत के दरवाजे खटखटाकर इस प्रोग्राम को करेंगे। यह निश्चित है लेकिन अगर एक प्रस्ताव के रूप में यहां से प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास जाता है तो मैं समझता हूं उस पर गम्भीरता से विचार हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां मैंने रीको के सम्बन्ध में कहा, अब वित्त निगम के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा और जो आंकड़े मैंने दिये हैं उसके आधार पर माननीय सदस्यों को विश्वास हो जाएगा कि जहां तक हमारी वित्तीय संस्थाएं पैसे का विनियोजन करती है वह लघु उद्योगों में पैसा लगाती है ज्यादा, मध्यम और बड़े उद्योगों के मुकाबले में। इस आधार पर वित्त निगम ने वर्ष 1991-92 में 140 करोड़ रुपए का लोन सेंक्सन किया है 2780 यूनिट्स को। जबकि 89-90, जो चुनावी काल था, उसमें केवल 100.25 करोड़ था और यह जो वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले भी 42.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो लोन सेंक्सन हुए हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जो लोन डिसर्स किये, वितरण जिनका हुआ, उसमें 91-92 में 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ जबकि 89-90 में यह केवल 64.96 करोड़ था इसमें भी 39.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस प्रकार से हम करते चले जा रहे हैं, और कई योजनाएं हैं, जो माननीय सदस्य कहते हैं छोटे लोगों को क्या किया, मैं कहना चाहूंगा कि कम्पोजिट प्लान है, वन विंडो स्कीम है, महिलाओं के लिए स्कीम है, हमारे एक्टस सोलजर्स के लिए स्कीम है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कि वित्त निगम द्वारा सेमफैक्स योजना में जो कि केवल एक्स सोलजर्स के लिए होती है, गत दो वर्ष के अन्दर 674 भूतपूर्व सैनिकों को 17.87 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। यह एक रिकार्ड है। हिन्दुस्तान के किसी भी वित्त निगम ने इतना ऋण एक्स सोलजर्स को दो साल के अन्दर नहीं दिया जो हमारे वित्त निगम ने दिया है।

डा. चन्द्रभान : इस वर्ष क्या ब्याज की दर भी बढ़ायी है। पहले 10 प्रतिशत थी, अब 21 प्रतिशत कर दी गयी है। यह राजस्थान में ही हुआ है, अन्य किसी राज्य में नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अच्छा हुआ आपने यह प्रश्न पूछ लिया, मैं शायद यह नहीं कह पाता। वित्त निगम की ब्याज दर स्वयं पर निर्भर नहीं है। हम को लोन देने वाली रिफाइनेन्स करने वाली आई. डी. बी. आई. है, स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन है, यह बैंक्स् हैं, इनसे हम पैसा लेते हैं, इनकी जो रेट्स रिवाइज होगी उसके अनुसार हम को रिवाइज करनी पड़ेगी। आज हम कह सकते हैं कि हमारा जो लोन है, आर.एफ.सी. या रीको का दिया हुआ, किसी भी राष्ट्रीय बैंक के मुकाबले में हमारी रेट कम है, साहूकार की तो बात ही क्या है। पेनल इण्ट्रेस्ट की बात की जाती है। (व्यवधान) अधिकतम 21 प्रतिशत ब्याज की दर है।

डा. चन्द्रभान : गत वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेम्पेक्स योजना में ब्याज 10 प्रतिशत था, किसी भी राज्य में 14 प्रतिशत से अधिक नहीं है लेकिन इस वर्ष से इसको बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया है। 21 प्रतिशत में तो उनको कहीं भी मिल जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : किसी भी संस्था से इस रेट पर लोन नहीं मिल सकता है।

डा. चन्द्रभान : क्यों नहीं मिल सकता है बैंक से? बैंक से मिलता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए फिर सरकार से क्या मदद है। 10 प्रतिशत से सीधा 21 प्रतिशत कर दिया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर जैसा मैंने रीको के द्वारा बताया था कि कौन-कौन से क्षेत्र के अन्दर कौन-कौन कारखानों को लोन दिया। वित्त निगम के द्वारा जो लोन दिया है वह थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहूंगा ताकि माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से ज्ञान हो जाय कि किस गति के साथ गत दो वर्षों में विस्तार किया है। खनिज आधारित मिनी सीमेण्ट प्लाण्ट को 26 को लोन सैंक्शन किया है, ग्रेनाइट गैन में 11 को दिया, ग्रेनाइट टाइल्स प्लाण्ट के लिए 65 को, मारबल गैन में छोटी इकाइयों के लिए 13, कृषि आधारित कारखाने हैं—खाद्य तेल पर 36 को, सालवेण्ट एक्सट्रक्शन में 4 को, ऑयल रिफाइनरी में 2 को, अन्य कॉटन जिनिंग में 13 को, हास्पिटल, नर्सिंग होम्स एवं निदान केन्द्र पर 34 को लोन दिया है।

विभिन्न क्षेत्रों में हमने यह लोन्स दिये हैं और इस आधार पर कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं, एन. आर. आई. को आकर्षित करने के लिए होम के आधार पर, होटल्स बनाने के लिए अपने पार्क बनाने के लिए। हम पार्क डवलप कर रहे हैं। जैम पार्क डवलप कर रहे हैं। हार्डवेयर के लिए साफ्ट वेयर के लिए अलग पार्क डवलप करने वाले हैं। हमने तय किया है कि विभिन्न स्कीमों में राजस्थान में ऐसी स्थिति बना दें कि जो सेण्ट पर्सेण्ट एक्सपोर्ट हों, गारमेण्ट्स के लिए अलग पार्क बना रहे हैं। निश्चित रूप से विभिन्न नयी योजनाओं के माध्यम से हम निश्चित कर देना चाहते हैं कि राजस्थान का चहुंमुखी विकास हो और आने वाले उद्योगपति चाहे राजस्थान के हों, प्रवासी राजस्थानी हों या अप्रवासी भारतीय हों, उनको किसी प्रकार की झिझक न हो।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, यह सच है कि आज भी राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर होते हुए भी आज हम काफी आगे बढ़े हैं, इस दृष्टि से अग्रसर हैं और कार्यवाही करते चले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी केपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम हमने की है, 90-91 में 620 इकाइयों को 17 करोड़ 8 लाख का सीधा लाभ सब्सिडी के रूप में दिया। 91-92 में 1000 इकाइयों को 25 करोड़ का सब्सिडी के रूप में लाभ दिया है। इसी प्रकार सैल्स टैक्स इन्सेंटिव है उसमें 90-91 में 418 इकाइयों को एलीजीबल सर्टिफिकेट दिये हैं। 91-92 में 398 एलीजीबल सर्टिफिकेट दिये हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अन्दर काम करते चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बातें की गयी है, इसके साथ मैं इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने जयपुर उद्योग के बारे में बहुत चिन्ता जाहिर की। चिन्ता होना स्वाभाविक है, अगर यह मगरमच्छ के आंसू नहीं हों तो क्योंकि जिन लोगों के समय में वर्षों तक यह उद्योग बीमार पड़ा रहा, आज वही....

श्री राजेन्द्र पारीक : वह तो हो गया। दो साल से यह कह रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने कहा था, थोड़ा कहते ही, थोड़ा कहा उसमें ही चिढ़ गये आप।

श्री अध्यक्ष : आप बता दीजिए। आप जवाब दे दीजिए। जवाब वह दे रहे हैं और आप बीच में खड़े हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका कहना है मगरमच्छ के आंसू सूख गये।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों की इच्छा थी उसका जवाब दे रहे हैं, सुनिये। (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा मैंने कहा, श्रीमान् यहां एक प्रस्ताव आया था, माननीय सदस्यों को यह अच्छी तरह पता है कि यह मामला बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन है, वर्षों के प्रयास के बाद भी कोई प्रमोटर इस रूप में नहीं आ रहा था। गत सरकारों ने निश्चित रूप से कोशिश की कि इस कारखाने को वापस आलोक जैन को दे दिया जाय। हम आलोक जैन की गतिविधियों को देखकर नहीं चाहते थे कि यह कारखाना उनके हाथ में पड़े लेकिन बी. आई. एफ. आर. के पास यह केस जाने के बाद राज्य सरकार, जैसा कि कहा जा रहा है कि हमने वायदा किया था, हम वायदे से नहीं फिर रहे हैं, मैंने भी कहा, मुख्यमंत्रीजी ने भी कहा, चिकित्सा मंत्रीजी ने भी कहा, जो-जो भी राजनीति के क्षेत्र में है और सवाई माधोपुर गया, उसने कहा यह कारखाना चालू होगा। इस नाते मूक दर्शक नहीं रहे, हम वहां पर गये, प्रमोटर ढूंढते रहे। और उस आधार पर जैसा आपको पता है मैसर्स गेनन डंकन, जो मोरारका ग्रुप है, यहां पर चर्चा हुई, जो पैकेज हुआ उसके सम्बन्ध में बात हुई, किस सीमा तक हम सेक्रीफाइज

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

देते हैं, बात हुई और 26 करोड़ के आस पास राज्य सरकार अपनी सेक्रिफाइज देने को तैयार हो गयी, हम ने भेज दिया, उसके बाद भी बी. आई. एफ. आर. द्वारा दुबारा सेक्रीफाइज मांगा जा रहा है। हम ने साफ कह दिया कि हम किसी को भी चाहे वह डंकन ग्रुप हो चाहे अन्य ग्रुप दूसरा आता हो, राज्य सरकार जो भूमि जयपुर उद्योग की है चाहे वह राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो उसको मनमाने ढंग से बेचने की इजाजत नहीं देगी, जब तक राज्य सरकार उचित-अनुचित आधार पर देख नहीं लेगी कि इस जमीन को बेचना आवश्यक है या इस इमारत को बेचना आवश्यक है। हम इस कण्डीशन को तैयार नहीं है लेकिन अन्य कोई बात आती है जिन पर हमने कमिटमेण्ट किया है और हमको लगता है कि इस कारखाने को चलाना आवश्यक है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को सेक्रीफाइज को भी मजदूरों के हित में करने के लिये पीछे नहीं है।

इस प्रकार अभी जो आखिरी तारीख इसमें 27/2 थी, निश्चित रूप से बी. आई. एफ. आर. इसको बाइडिंग की कार्यवाही करना चाहती थी। हमने अपने अधिकारी भेजे, टेलीग्राम भेजे और अब हमको एक महीने का समय मिल गया है और हमें विश्वास है, मान कर चलते हैं कि जिस प्रकार की टेक्निक नयी डवलप हुई है उसके आधार पर डन्कन ग्रुप इस कारखाने को चलाने की स्थिति में आ जायेगा। राज्य सरकार इस बारे में सोयी हुई नहीं है बल्कि सावधानी के रूप में हमने केन्द्रीय सरकार को भी लिख दिया है कि वे इसको, यानी उसको नेशनलाइज कर दें।

इसके अलावा अभी कृष्णा मिल, ब्यावर की बात की। उस के बारे में निश्चित रूप से पैकेज तैयार हो गया था, अध्यक्षजी। हमको लगता था कि यह दो ग्रुप हैं, मालानी ग्रुप, दो ग्रुप, आने को तो कई ग्रुप आये लेकिन जिन्होंने जाकर के एक अपीलेंट अथोरिटी के सामने गम्भीरता से इस केस को फाइट किया। एक तो मालानी ग्रुप था, एक बजरंग इस्पात ग्रुप था जो आसाम में है। इन दोनों केसेज को हमने बी. आई. एफ. आर. को भेज दिया है कि इन पर आप विचार कर लीजिये, पैकेज तैयार कर लें और अंत में लास्ट पैकेज तैयार होकर मालानी ग्रुप के लिये स्वीकार हो गया था। मालानी ग्रुप वहां पर कमिट करके आ गया कि मैं इस कारखाने को लेकर चलाता हूं लेकिन कम्पाउण्ड टैक्स की बात पर, कम्पाउण्ड रेट आफ इन्टरेस्ट के आधार पर यहां पर आकर बैक आउट कर दिया और फिर कह दिया कम्पाउण्ड रेट आफ इन्टरेस्ट के आधार पर मैं नहीं चल सकता। अब पुनः बजरंग इस्पात ने दुबारा अपना इन्टरेस्ट शो किया है इसको चलाने के लिये। जैसा उसने रिप्रेजेंट किया हमने बी. आई. एफ. आर. को इस केस को अपनी रिकमण्डेशन के साथ भेज दिया विचार करने के लिये। तो हम मौन नहीं है। हम हर दृष्टि से प्रयत्नशील हैं कि कारखानें जो राजस्थान में बन्द है वे चलाये जायें।

बीकानेर वूलन मिल के लिये माननीय सदस्य ने बात कही। बीकानेर वूलन मिल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के लिये बेचनें का तय हो चुका हैं, टेण्डर इन्वाइट हो चुके हैं, टेण्डर आ गये थे लेकिन उसके बाद जो उस पर ऑफर आयी थी वह ऑफर हमको ठीक नहीं लगी। दुबारा टेण्डर इन्वाइट हुये हैं, उस पर टेण्डर्स आ रहे हैं जैसे ही राज्य सरकार को लगेगा कि जो वाजिब पैसा इस बीकानेर वूलन मिल को मिलना चाहिये वह आ जाता है तो हम तो उसको निकाल देंगे।

तो जितनी भी सिक मिल्स हैं, चूरू, लाडनूं के लिये बात कही, माननीय सदस्य पीछे से कह रहे हैं। चूरू, लाडनूं की कहानी अजीब है, अध्यक्षजी, एक अजीबो-गरीब कहानी है। मैं समझता हूं कि जितना रुपया इन बन्द कारखानों के आधार पर अभी तक श्रमिकों को दिया गया हैं वह शायद एक इतिहास है। तकाजा तो यह कहता है कि ऐसे बन्द कारखानें को चला कर क्या करेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, तर्क यह दिया जा रहा है कि चूरू और लाडनूं की मिल चूंकि वहां ऊन का उत्पादन काफी होता है ताकि स्थानीय वूल उत्पादित होकर वह कारखानें चल सके, लोगों को रोजी मिल सके और उत्पादन में लाभ हो सके, यह तर्क दिया जाता है लेकिन मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक इम्पोर्टेड वूल आकर के कार्डिंग नहीं होगा, सूत नहीं बनेगा, बाजार में नहीं बिकेगा, यह तथ्य है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं माननीय सदस्यों को फिर कहना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, इस क्षेत्र के लिये निवेदन करना चाहूंगा या जो और क्षेत्र से लोग हैं अगर कोई साकार रूप से योजना बनाकर को-आपरेटिव के आधार पर राज्य सरकार को देती है तो राज्य सरकार को विचार करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। हमें कोई इसका शौक है कि जो सिक यूनिट्स है उनको बेचते चले जाय। निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन्स दिये हैं। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में काफी मैंने कहा है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी कट मोशन्स आये हैं उन सबका, एक आग्युमेण्ट और दिया गया था कि रीको जमीनें ऐसे लोगों को दे देती है जो कि उस पर उद्योग लगाना नहीं चाहते, उसको बेच कर लाभ उठाना चाहते हैं और इसका उत्तर स्वयं श्री प्रद्युम्नसिंहजी ने दे दिया। अब हमने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि कोई भी खाली क्षेत्र को बेच नहीं सकता और वह रीको को ट्रान्सफर होगी। हां, अगर किसी के पास एडीशनल जमीनें हैं, कारखाने में जितनी जमीन है उसके अलावा अतिरिक्त जमीन उसके पास हैं, उसको आवश्यकता नहीं है तो वह जमीन भी वह जब तक रीको को एडीशनल 30 पर्सेण्ट चार्ज नहीं देगा वह जमीनें वापस ट्रान्सफर नहीं हो सकती। इस प्रकार कोई रीको के प्लाट लेकर कमाई करना चाहते हैं हमने उसको इजाजत नहीं देंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार यह कहते हुये कि जितने भी कट मोशन्स आये हैं, हर एक का आपको उत्तर दे दूंगा। यथा सम्भव जितना मुझसे हो सकता था मैंने उत्तर देने का प्रयास

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

किया है। मुझे आशा है कि आप इस डिमाण्ड को पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह यादव।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी ने उद्योग की डिमाण्ड्स पर जिस तरह से सदन को अवगत कराया है, मैं इस बात को इन्कार नहीं करता बल्कि स्वीकार करता हूं कि राजस्थान सरकार ने नये उद्योगों को और प्रवासी भारतीयों को राजस्थान में उद्योग डालने के लिये प्रोत्साहित किया है और यह एक सराहनीय कदम भी है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी से एक चीज जानना चाहता हूं कि किसी भी सूबे में अगर उद्योग डाले जाते हैं तो उसको उद्योग डालने के कई मकसद होते हैं। केवल उद्योग, उद्योग के नाम पर डाल दिया जाय इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे उद्योग मंत्रीजी कि राजस्थान में जितने उद्योग आपने डाले उनमें लोकल एम्प्लायमेंट का क्या प्रतिशत है ?

दूसरा, मेरा सवाल यह है कि माननीय उद्योग मंत्रीजी इस बार बजट में आपने, मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में जो रखा है, प्रावधान है वह पता नहीं कब तक लागू होगा। अब तक की आपकी स्थिति यह थी कि राजस्थान में जितने बड़े उद्योग डलें, उन सब बड़े उद्योगों ने स्टाक ट्रान्सफर एन्ट्री की है। शायद इनमें 90 फीसदी उद्योग आपके ऐसे होंगे, चाहे भिवाड़ी का उद्योग हो, चाहे कोटा का उद्योग हो, चाहे जोधपुर का उद्योग हो जिनके बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपने हैड आफिस हैं और उनमें केवल यहां के उत्पादित माल को वह स्टाक ट्रान्सफर एन्ट्री के द्वारा अपने हैड आफिस में ले जाते हैं जिसमें सरकार को सैल्स टैक्स देय नहीं है। तो दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं राजस्थान सरकार के उद्योगों के डालने का कि एक तो बेरोजगारी मिटे, इससे लोकल एम्पप्लायमेण्ट होना चहिए। तो आपका लोकल एम्प्लामेण्ट आपके अधिकारी क्या बताते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अलवर जैसे औद्योगिक शहर में आपका साढ़े छह फीसदी लोकल एम्पलायमेण्ट था जो शर्मनाक है। दूसरी स्थिति यह थी कि आपका सारा स्टाक ट्रान्सफर एन्ट्री के द्वारा सैल्स टैक्स जो राजस्थान सरकार को मिलना चाहिये था वह आपको नहीं मिला। आपने उद्योगों को दी सस्ते भाव पर जमीन और स्टेट के लिये आपने ला एण्ड आर्डर की प्रोब्लम क्रियेट की। एक तो मेरा यह सवाल है कि इसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?....

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये।

श्री जगमालसिंह यादव : एक सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : फिर भाषण हो जायेगा।

श्री जगमालसिंह यादव : नहीं, साहब, मैंने यह पूछा है कि इसके लिये आप....

श्री अध्यक्ष : हां, तो हो गया ना आपका सवाल।

श्री जगमालसिंह यादव : मैंने यह पूछा है....

श्री अध्यक्ष : देखिये, अनेक लोग पूछने वाले हैं।

श्री जगमालसिंह यादव : मैं एक-दो सवाल ही पूछ रहा हूं बड़ी मुश्किल से।

श्री अध्यक्ष : उस पर फिर ज्यादा ...

श्री जगमालसिंह यादव : मैंने एक ही पूछा है, साहब।

दूसरा सवाल, उद्योग मंत्रीजी आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। लैण्ड एक्विजीशन एक्ट में केवल पब्लिक यूटिलिटी के लिये भूमि एक्वायर करने का प्रावधान है। कम्पनी को भूमि पर्चेज करके आप दें, ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर है तो भी दूसरे सूबे उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। कम्पनी और किसान के बीच में जब रीको या सरकार आ जाती है और किसी कम्पनी को भूमि क्रय करके सस्ते भाव से किसान से क्रय करें और उद्योगपति को सस्ते भाव से बेच दें या महंगे भाव से बेच कर बिचौलिये का काम करें, दूसरे ऐसे किसी भी सूबे में नहीं है। मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में आप सभी जानते होंगे थापर समूह को आपने बुलाया है जिसमें आपने 300-400 बीघा जमीन दी है। मैं पूछना चाहता हूं 300-400 बीघा जमीन अगर थापर के अलावा कोई दूसरा समूह भी आपसे मांगें उसी जगह पर, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप किये वगैर 300-400 बीघा जमीन क्या दूसरी यूनिट्स को देने को तैयार हैं और किसानों को और दूसरे कम्पनी के बीच में आप आ रहे हो इससे क्या किसानों का शोषण नहीं हो रहा है। मैं तीसरी बात आपसे....

श्री अध्यक्ष : बैठिये। अब तीसरा नहीं होगा। माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह जी।

No Please, don't take it lightly. No please. This is not the way.

यह अलग से भाषण नहीं है।

श्री जगमालसिंह यादव : हरिजनों के जमीन के खातेदारी अधिकार....(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपसे इजाजत ली है। एस. सी.,....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। मैं आपको पहले कह चुका हूं। आप भाषण-डिबेट नहीं कर सकेंगे। अब हो गया आपके प्रश्न, प्रश्न हो चुके हैं, और लोग पूछने वाले हैं। सदन का समय ध्यान रखिये। सब लोग बैठे हुये हैं, पौन घंटे तक मंत्रीजी बोले हैं। बैठिये आप।

श्री जगमालसिंह यादव : मैंने कभी इस सदन का दुरुपयोग ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नहीं दे सकता। आप बैठिये। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उद्योग मंत्रीजी जयपुर उद्योग के बारे में जवाब

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देते-देते धीरे से एक बात कह गये कि हम भारत सरकार से अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वैसा नहीं हुआ तो हम भारत सरकार से नेशनलाइज करने के लिये कहेंगे। तो अभी से पूत के पैर पालने में दिख रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बरखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपने आन्दोलन किये, भूख हड़तालें की, आपने चलाने की जिम्मेदारी ली थी। आप अपने कोर्ट से बाल को भारत सरकार के कोर्ट में फेंककर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस बारे में आप जरा विस्तार से बता दें कृपा करके।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय मंत्रीजी मेरी दो बातों का जवाब दे दें। एक तो यह है कि सेम्पेक्स योजना के अन्दर आर. एफ. सी जितना हाई पर्सेण्टेज पर लोन दे रही है फौजियों को उतना किसी अन्य स्टेट में नहीं है। यहां सीधी वृद्धि 10 पर्सेण्ट से 21 पर्सेण्ट की है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने यह भी कहा कि हमने इतनी लैण्ड .. एक्वायर की, हमने इतना आर. एफ. सी. से लोन दिलाया, रीको से दिलाया, यह सब बातें तो आपने कही, बड़े विस्तार से कही लेकिन कितनी यूनिट्स या कितने उद्योग इन दो वर्षों में प्रोडक्शन में आये, यह आपने नहीं बताया। तो कृपया आप यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई और क्या आप उस लक्ष्य को आगामी वर्ष में बढ़ाना चाहते हैं और उसकी जो चयनकर्त्ताओं की समिति है, इनमें पहले जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था, क्या आप उनमें सम्मिलित करने का विचार रखते हैं। एक सैल्स टैक्स इनसेंटिव की योजना को दो-दो वर्ष तक विभाग के द्वारा क्रियान्वित नहीं किया। इसके सम्बन्ध में इस प्रक्रिया के सरलीकरण का विचार रखते हैं और सिंगल विण्डो सर्विस की सेवाओं से क्या आप सन्तुष्ट हैं और यदि आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो क्या-क्या सुधार होंगे।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : एक तो मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से फिर निवेदन करना चाहूंगा। सवाल तो मैंने पहले किया और सुमित्रासिंह जी ने दुबारा कर दिया कि प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को ध्यान में रखते हुए इसमें कृपया रियायत दें और दूसरा कल मुख्य मंत्रीजी बहुत ऊंचे स्वरों में बोल रहे थे कि नौकरी तो नहीं दिलवा सकता लेकिन फैक्टरी खुलवा सकता हूं। उद्योग मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि लघु-उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से 40 हजार लोगों को रोजगार दिलाया। इसमें 18 हजार ही लिखा था, कोई बात नहीं 40 हजार। पांच लाख 40 हजार बेरोजगार

(डा. चन्द्रभान)

शिक्षित हैं, जो नियोजन कार्यालय में हैं। इनकी संख्या आठ गुना और दस गुना ज्यादा है और उनमें से आपने 91-92 में मात्र 5 हजार 8 सौ शिक्षित युवक-युवतियों का स्वरोजगार के लिए चयन किया। मैंने पहले भी आपसे यह सवाल किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, टाल दिया और उसमें से मात्र 2822 को आपने ऋण स्वीकृत किये हैं, अभी बाकी के 3 हजार को कब तक होगा, यह निवेदन है। दूसरा यह जो हैवी इण्डस्ट्रीज और बिग इण्डस्ट्रीज लगी हैं, उनके माध्यम से प्रदेश में कितने नौजवानों को रोजगार दिलाया गया और इस तरह से जो कल मुख्यमंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि प्रदेश के इन लाखों नौजवानों को रोजगार, कैसे आप अपनी नयी औद्योगिक नीति के माध्यम से दिला पायेंगे ? इसलिए कोई योजना है।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरधाराम जी। (व्यवधान) ऐसा ही होता है, डिबेट नहीं होगी। जो जवाब देना है, वह दे देंगे और फिर मामला समाप्त।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं, क्या यह सही है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यही परम्परा है।

श्री बिरधाराम चौधरी : कि अब जो मार्बल उद्योग पर ऋण दिया जा रहा है, उसमें यह शर्त रखी जाती है कि जिसके पास मार्बल की खान हो, उसी को ऋण स्वीकृत किया जायेगा। क्या इस तरह की शर्त से कोई साधारण उद्यमी, अनुसूचित जाति का एक गरीब व्यक्ति मार्बल की फैक्ट्री लगाने से महरूम रह जायेगा। जिसके पास पहले से 5 लाख की खान है, उसी को ऋण दिया जायेगा तो क्या बगैर खान वाला आदमी ऋण नहीं ले सकेगा। फैक्टरी नहीं लगा सकेगा। दूसरी बात मेरी यह है कि मार्बल पर जो विक्रय कर लगाया जाता है, उसके अन्दर जो सैल्स टैक्स अधिकारी है, वह मनमाने तरीके से जब चाहे सैल्स टैक्स की रेट बढ़ा देते हैं, तो क्या इनके विचाराधीन है कि जो आइंदा सैल्स टैक्स बढ़ावा जायेगा, उसमें मार्बल के व्यापारी को शामिल किया जायेगा, या जन-प्रतिनिधि को उसके अन्दर शामिल किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मदान। मैं पूछ रहा हूं। मुझे सबका ध्यान है, सबका नाम आ जायेगा।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि रीको आज डवलपमेंट के नाम के चार्जेज के ऊपर कुछ पैसा वसूल करती है हर फैक्ट्री से। किन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि डवलपमेण्ट चार्जेज की एवज में जितना भी पैसा वसूल किया जाता है, आज आप किसी भी औद्योगिक संस्थान, प्रतिष्ठान की ओर देखें, जहां छोटी-छोटी इकाइयां लगी हुई हैं, तो आप यह पायेंगे कि उतना डवलपमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है कि पैसा उतना प्राप्त न होता हो किन्तु यह बिल्कुल सही है कि एक बार

(श्री अर्जुनदास मदान)

डवलपिंग करके दे तो दिया जाता है और बिल्कुल उसे लावारिस, अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। आज सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आटोमाइजेशन के नाम पर बड़े-बड़े कैपिटेलिस्ट, बड़े-बड़े उद्योग धंधे चलाने वाले लोग फैक्ट्रियों में नये-नये आटोमाइजेशन करते हैं। करने चाहिए, आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में हम बाजार में टिक नहीं सकते, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, किन्तु उस प्रतिस्पर्धा के नाम पर और आटोमाइजेशन के नाम पर जो श्रमिकों की छंटनी कर दी जाती है और एक अधेड़ उम्र में आने के उपरांत, एक आदमी को 40-45 साल की उम्र में जब कहीं नौकरी भी नहीं मिल सकती, जब फैक्टरी और संस्थानों से निकाल दिया जाता है तो वह कहां जायेगा, क्या इस बात की भी कोई गारण्टी राज्य सरकार लेने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदार नाथ शर्मा : इन दस सालों में 25-30 लाख बुनकरों की आबादी थी, 10 साल के अन्दर, आज उनकी 60-70 हजार रह गई, बुनकरों की। इनमें ज्यादा बलाई, कोली, मेघवाल, यह क्यों ह्रास हुआ है? नम्बर एक। अगर आप खादी इण्डस्ट्री में एक करोड़ रुपया खर्च करो, मेरा खुद का अनुभव है, तो पांच हजार परिवारों को एमप्लायमेंट मिलता है और बड़ी इण्डस्ट्रीज में एक हजार करोड़ आप खर्च करो तो केवल चार सौ, पांच सौ आदमियों को एम्प्लायमेंट मिलता है। अब जो नया बजट आया है, इसमें उन्होंने यह कह दिया, छूट दे दी कि जो छोटे उद्योग धंधे हैं, हैण्डलूम हैं, उनमें 20 प्रतिशत तक एक बड़ा इण्डस्ट्रियलिस्ट भागीदार बन सकता है। इससे वह बिल्कुल समाप्त हो जायेगा, यह सारा राजस्थान का बेस समाप्त हो जायेगा, इसलिए आप इसको सेफ करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक केन्द्रीय अध्यादेश का जिक्र किया, उसमें उन्होंने शंका व्यक्त की और यहां से संकल्प लेने की कोशिश की कि पूरा सदन सर्वसम्मति से उनके हाथ मजबूत करे कि राजस्थान की जो खान, अब तक जो एक्सप्लायट की हैं, यद्यपि उनकी जानकारी में भी है, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, वह बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जिनका चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे मार्बल हो, चाहे जिप्सम हो, जो एक तरफ राज्य का एक मोनोपोली बिजनेस हो सकता है, उस पर कब्जा है तो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का है और उनके हक के लिए हम यह सोचें कि इतना जो अब तक निर्मम एक्सप्लायटेशन हुआ है मिनरल्स का, एक तरफ तो हमें उसे रोकना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और दूसरी तरफ हम अपने उस बेहद कीमती मिनरल को कुछ लोगों के हाथों में दे दें और वर्तमान व्यवस्था में आर. टी. डी. सी. की होटलें तो

(श्री सम्पत सिंह)

राज्य सरकार चलायें, चाहे पहली सरकार हों, चाहे यह सरकार हो, चाहे आने वाली कोई भविष्य में हों, तो क्यों न इस बात की ताकीद की जाय कि जो दहीबड़े, आमलेट, यह कौन-कौन सी सस्ती चीज हम बेच रहे हैं उनको छोड़ें और जो मोनोपोली बिजनेस हो सकता है हिन्दुस्तान भर में, दुनिया भर में हमारा, या तो उसको अपने हाथ में ग्रहण करें और या उस पर बाकायदा जो केन्द्र सरकार की नीयत है उससे भी पहले और उससे भी ज्यादा दृढ़ता से हमें रोक लगानी चाहिए कि अब तक जो मिनरल्स का एक्सप्लायेटेशन हो चुका, वह हो चुका, अब नहीं होने देंगे, पर्यावरण को नहीं बिगड़ने देंगे।

श्री अध्यक्ष : पण्डित रामकिशन।

श्री सम्पत सिंह : नम्बर दो। मेरा एक और है। जो बिहार का उदाहरण हमारे सामने है, आपने जो आंकड़े अभी हमें दिये कि इतने करोड़ का हमारे यहां इनवेस्टमेंट हो चुका है। अव्वल तो हमारी बेरोजगारी इससे कम होगी कि नहीं होगी, जितने भी उद्योग लगेंगे, आया वह लेबर ओरियेंटेड होंगे, या वह इतना वैल इक्यूपड होगा कि जिसमें कोई भी पढ़ा-लिखा या बिना पढ़ा-लिखा रोजगार नहीं ले पायेगा, तो उस उद्योग के मायने क्या होंगे और उस पर भी अगर उनका कब्जा हो गया तो बिहार का जो उदाहरण हमारे सामने है, चाहे वह मिनरल्स का है, चाहे वह दूसरे उद्योग का है, उस पर एक ही माफिया लगातार चलते रहेंगे, राजस्थान की जनता को कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : पण्डित जी।

श्री रामकिशन : माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंगा, वैसे वह जवाब दे रहे थे प्रीमियर वेजीटेबल के सम्बन्ध में, लेकिन उस समय मैंने उनको रोक दिया था, उस सम्बन्ध में मुझे दो बात खास तौर पर पूछनी है उनसे। एक बात तो मैं सदन के नोटिस में ला चुका हूं कि इस कम्पनी ने आग लगने के बाद बीमा विभाग से पैसा लिया, नयी मशीन ले ली। उसके बाद नवीकरण के लिए लोन लिया है। दूसरा सवाल यह कि यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं थी, पब्लिक लिमिटेड थी। तो यह कम्पनी दूसरे आदमी के हाथ में कैसे चली गई, शेयर्स के ट्रांसफर हुए बगैर और तीसरी इसकी स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, कि इसकी कुछ सम्पत्ति, इसके दफ्तर दिल्ली और बम्बई में थे, वह कुछ कम्पनी की असेट्स के साथ ट्रांसफर नहीं होकर इनडिवीज्यूवल कैसे दे दिये गये, यह तीन सवाल इस कम्पनी के सम्बन्ध में मुझे मन्त्री जी से पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस मांग पर काफी अच्छे प्रश्न बाद में रखे हैं। सबसे पहला एम्प्लायमेण्ट का सवाल है, जो माननीय सम्पत सिंह जी ने भी रखा, जगमाल जी ने भी रखा, मैं सदन के मार्फत आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे संविधान की कोई भी बाधाएं हों, नया

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

इन्डस्ट्रियलिस्ट जो राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्री लगायेगा, उसको प्राथमिकता समान योग्यता के आधार पर स्थानीय तहसील जिला, प्रदेश के लोगों को ही देनी पड़ेगी और इसके नाते आज आपने चर्चा उठाई है। कुछ दिन,... हां उसी के प्रश्न को लेकर उठा था सवाल

श्री हेतराम बेनीवाल : कोई लॉ बनायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लॉ तो बन नहीं सकता, कांस्टीट्यूशन आप भी जानते हैं... मोरली बाउण्ड करेंगे (व्यवधान) मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं (व्यवधान) तो क्या नहीं करें, नहीं अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं करें....

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, हम कानून नहीं बना सकते, पर उन एम्प्लायर से हम एग्रीमेंट कर सकते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं वही बता रहा हूं आपको। मैं इसके बारे में कह रहा हूं आपको (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को सैक्रेट्रियेट के लेवल पर इस तरह के डाइरेक्शन्स दिए जायेंगे और बाकायदा उसका हर बार आंकलन किया जायेगा। जहां तक आपने कहा कि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं पैसा नहीं देतें और चले जाते है। आपको याद होगा कि कन्साइनमेंट टैक्स के बारे में इस सम्बन्ध में चर्चा चली है जब तक कन्साइनमेंट टैक्स नहीं लगेगा इस बीमारी को चाहे आप कुछ भी कर लें, नहीं मिटा सकते। कन्साइनमेंट ही इसकी एक औषधि है, रामबाण दवा है कि जहां पर उत्पादन हो, उत्पादन का लाभ इस प्रकार ट्रांसफर करके दूसरी कम्पनियां न ले जायें, वह यहां दें, उस नाते राज्य सरकार बल्कि अपने साथ अन्य सरकारें भी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाये हुए है। अध्यक्ष महोदय, थापर ग्रुप के बारे में जो आपने कहा, पहले तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भूमि अवाप्ति के अन्दर, पहले कभी कुछ भी हुआ होगा, लेकिन जब से नई राज्य सरकार आई है, सैक्शन 4 का नोटिस होने के बाद, रीको के अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी कलक्टर के साथ, और लोगों के साथ जाकर किसानों के बीच में बैठते हैं। भावों में हैगलिंग बार्गेनिंग होता है। वह अगर मांगता है 1 लाख तो यह शुरु होते हैं 60 हजार। बातचीत करके जो प्राइस एराइव आउट होती है वही प्राइस तय होती है, वही मुआवजा दिया जाता है। एक केस अगर ऐसा आ जाये किसी किसान को बाजार की भूमि के मुकाबले में कम मुआवजा दिया गया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस भूमि को अवाप्त नहीं किया जायेगा....

श्री जगमाल सिंह यादव : तो राजस्थान की कम्पनी और सरकार के बीच में आने की क्या जरूरत है ? छोड़ दिजिए, जिस भाव मिलेगी, ले लेगा किसान। आप किसान और कम्पनी के बीच में बिचौलिये क्यों बनना चाहते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जगमाल जी, आप तो भाग्यवान है....

श्री जगमाल सिंह यादव : पब्लिक

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सैक्टर की हो तो आप एक्वायर कीजिये, पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो तो आप एक्वायर कीजिये। जो भी कम्पनीआ रही है, किसान से आप छीन रहे हो और उनको दे रहे हो, आप बीच में क्यों आ रहे हो।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : थापर समूह को जो खुश खड़ाह के अन्दर 100 एकड़ सिवाय चक भूमि दी है वह उसको सीधी नहीं दी गई है। रीको ने भूमि अवाप्त की थी और अवाप्त की हुई भूमि में से थापर समूह को 100 एकड़ भूमि दी है, डाइरेक्ट नहीं दी गई ...

श्री जगमाल सिंह यादव : यही तो मैं कह रहा हूं....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक सवाल उठाया गया था सेम्पेक्स योजना में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि जो 100 एकड़ जमीन दी है, कौन सी इण्डस्ट्रीज लगाने को दी है, यह तो बता दीजिए और क्या भाव दी ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योगों के लिए पूर्व में 10 प्रतिशत से 13½ प्रतिशत ब्याज लगाया जाता था जो अब दो लाख रुपये तक 12 प्रतिशत से 15½ प्रतिशत और दो लाख से अधिक के ऋणों पर 18.75 प्रतिशत है। वाहन ऋणों पर पहले 15 प्रतिशत तथा अब 20.75 प्रतिशत है। यह वस्तु स्थिति है। यह और कहना चाहता हूं कि सेम्पेक्स योजना में बैंक में भी ट्रांसपोर्ट लोन बन्द थे उन्हें खास तौर से पुनः शुरू किया गया है। तो आप यह कहें कि सेम्पेक्स योजना नहीं थी, यह बहुत व्यवहारिक योजना है।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा, यह कोई आंसू पूंछने वाली बात नहीं है क्योंकि सवाल छेड़ा गया था, हम बिल्कुल मन से वचन से, कर्म से स्वयं राजस्थान की सरकार काफी सैक्रीफाइज करके इस कारखाने को चलता हुआ देखना चाहती है हम कोई बर्डन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74 करोड़, 36 लाख 31 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43 का पारण

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 43 खनिज के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा के दौरान यहां पर इस बात पर

(श्री कालू लाल गुर्जर)

चिन्ता व्यक्त की गई कि मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज राजस्थान में कैसे लगें, मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज की दृष्टि से राजस्थान का अधिक से अधिक इण्डस्ट्रलाईजेशन कैसे हो, इसके बारे में यहां पर सुझाव रखे गये और मांग की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मिनरल अभी राजस्थान में डवलप होने वाले हैं हमने उन मिनरल के आवंटन के बारे में, उनकी खानों के आवंटन के बारे में कुछ नीति तय की है। इसमें अभी चिन्ता व्यक्त की गई थी। कई माननीय सदस्यों ने कहा और यह मांग की कि हमें बतायें कि ग्रेनाइट की खान के आवंटन के बारे में पालिसी क्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1991 में हमने जो अभी पालिसी रखी है उसमें राजस्थान में कैसे इण्डस्ट्रीज ज्यादा लगा सकें उसका ध्यान रखते हुए हमने नई पालिसी बनाई है। उस पालिसी में हमने यह ध्यान रखा है कि सरकार का उद्देश्य केवल मिनरल का एक्सप्लायटेशन ही नहीं, बल्कि मिनरल का सिस्टेमेटिक ढंग से डवलपमेंट हो, इसका भी हमने ध्यान रखा है। क्योंकि जब तक जो नीति रही है उसमें जो पहले आया कोई भी व्यक्ति गया, मिनरल ढूंढा और अपनी मर्जी से एप्लीकेशन लगा दी, उसी को खान दे दी जाती थी। इस तरह से खानें देने से अलग-अलग उनके नक्शे बन जाते हैं, बीच में गैप छूट जाते हैं। फिर अवैध खनन की प्राब्लम भी उस वजह से हमारे सामने आती है। दूसरा यह कि सिस्टेमेटिक ढंग से माइन्स नहीं होती, माइन्स का आवंटन भी सिस्टेमेटिक नहीं होता। इस कारण से राजस्थान के अन्दर देखते हैं कि करोड़ों टन माल, जो अच्छी किस्म का खनिज था उसको भी सिस्टेमेटिक और मैकेनाइज्ड तरीके से माइन्स नहीं करने की वजह से नुकसान हुआ है। मलबों के रूप में ढेर के ढेर हमें खानों पर, कारखानों पर पड़ा हुआ मिलता है। इसलिए इन सब बातों को रोकने के लिए हमने ग्रेनाइट की पालिसी बनाई है और हमने यह तय किया है कि राजस्थान के अन्दर जहां पर ग्रेनाइट उपलब्ध है उसका सर्वे करा करके नक्शे बनवायेंगे और नक्शे यों बनवाकर उसका डेलिनियेशन करेंगे और फिर उसका आवंटन करेंगे क्योंकि यह डेलिनियेशन के बिना सिस्टेमेटिक ढंग से आवंटन नहीं हो सकता इसलिए डेलिनियेशन की पहली कन्डीशन रखी।

दूसरा हमने यह रखा जो कोई भी आदमी खान लेगा उसके लिए कारखाना लगाना सबके लिए आवश्यक नहीं है। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता दर्शायी है कि कई छोटे टाइलिंग प्लांट वालों को माइन्स नहीं मिलेगी या जहां छोटे टुकड़े निकलेंगे उसकी बेस्ड इण्डस्ट्रीज नहीं लग पायेंगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो पालिसी बनाई है उसमें यह रखा है कि एक या दो खान तक कोई भी व्यक्ति लेना चाहे तो उसके लिए कहीं पर भी इण्डस्ट्री लगाना आवश्यक नहीं रखा है। लेकिन मेकेनाइज्ड तरीके से माइन हो, उसका एक्सप्लाटेशन जरूर करें। जो

(श्री कालूलाल गूर्जर)

आदमी माइन्स लेकर छोड़ दे और देखता रहे कि कभी उसके भाव बढ़े तो उसको बेच दें या उसको खुद माइन नहीं करके किसी और को सबलेट कर दे, इस उद्देश्य से जो खाने आवंटित कराते थे उनके ऊपर भी चैक लग जाये। इस लिए हमने यह तय किया कि जो कोई भी यह माइन्स लेगा उसको 6 महीने में उस पर खनन कार्य करना शुरू करना पड़ेगा और वह भी मेकेनाइज्ड तरीके से उसमें हमने दो-तीन मशीने आवश्यक रखी हैं जो छोटे एक या दो प्लाट लेंगे, उनको एक तो क्रेन, और उसके ऊपर ट्रेक्टर-कमप्रेशर, यह दो महीनें लगाना तो बहुत ही अनिवार्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो आदमी बड़ा कारखाना लगाना चाहे, जो इन्टरप्रिन्योर राजस्थान में आकर इण्डस्ट्रीज की दृष्टि से राजस्थान का डवलपमेंट हो, इस दृष्टि से सहयोग करना चाहे, उनके लिए हमने यह कहा कि जो आदमी बड़ा कारखाना जिस कैपेसिटी का लगायेगा वह रीको के थ्रू प्रपोज करेगा और उसके अनुसार उसको जितने एरिया की आवश्यकता पड़ेगी उसमें चार-पांच छः और कोई बाहर से बढ़िया विदेशी मशीन मंगाकर बड़ा कारखाना लगायेगा उसको 20 तक के प्लाट हम आवंटन करेंगे और वह भी डैलिनियेट करके सिस्टेमेटिक ढंग से आवटंन करेंगे। इस तरह की हमने पालिसी रखी है। इस में किसी भी तरह की शंका की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे प्लांट है या बिना प्लांट के भी एक या दो माइन्स लेकर अपना धन्धा शुरू करने वाला व्यक्ति होगा वह भी अपनी खान जहां जंचेगी वह ले पायेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ग्रेनाइट की पालिसी के साथ-साथ माननीय सदस्यों ने यहां पर सबसे ज्यादा अवैध खनन पर चर्चा की है। और उस पर काफी चिन्ता भी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन को बन्द करने के लिए मैं निवेदन करूं, अवैध खनन एक अपराध है।

आदमी अपराध करता है और अपराधी को सजा देने का काम सरकार करती है। उसको पकड़ती है, उसके विरुद्ध कार्यवाही करती है। वही कार्यवाही हमने की है। इस साल 1992 में कुल मिलाकर 990 अवैध खनन के मामले हमने पकड़े हैं और एक करोड़ 73 लाख 73 हज़ार रुपये की डिमाण्ड कायम की है। इसमें से 21.25 लाख रुपए मौके पर ही हमने अवैध खननकर्त्ताओं से वसूल किये। इसका मतलब मैं यह नहीं मानता कि केवल मात्र इस तरह के मामले दर्ज करने से अवैध खनन बन्द हो जाएगा। अवैध खनन बन्द करने के लिए जो पैनल्टी लगायी जाती है इसके अलावा हमने 100 से ज्यादा आदमियों को गिरफ्तार भी किया, कई ट्रक जब्त किये और खनन करते समय जो औजार थे उनको भी जब्त किया है। यह सब करने के बाद भी मेरी ऐसी मान्यता है कि अवैध खनन किस कारण होता है उन कारणों में हमें जाना पड़ेगा। यदि हमने अवैध खनन के कारणों को ठीक से समझकर उनका निदान किया तो अवैध खनन हम बन्द कर सकते हैं। 4-5 कारण जो मुख्य हैं उन पर हमने ध्यान दिया है और अवैध खनन

(श्री कालूलाल गूर्जर)

बन्द कराने की दिशा में हमने प्रगति की है। जैसे, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अवैध खनन सबसे ज्यादा वहां होता है जो सैण्ड स्टोन के एरिया हैं, जैसे मीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। यहां पर सैण्ड स्टोन पाया जाता है और वहीं अवैध खनन सबसे ज्यादा होता है। करौली क्षेत्र सवाईमाधोपुर जिले में भी अवैध खनन होता है, जहां सैण्ड स्टोन है। इसके अलावा जहां सैण्ड स्टोन नहीं है वहां अवैध खनन की इतनी प्राब्लम नहीं है। वहां तो अवैध खनन वहीं होता है जहां कोई लीज होल्डर अपनी लीज से बाहर थोड़ा इधर-उधर बढ़ता है। ये एरिया ऐसे हैं जहां खाली एरिया पड़े रहते हैं। खाली एरिया होने से व्यक्ति जाकर अवैध खनन कर लेता है कभी भी छुप-छुपाकर जाकर यह चोरी का मामला है, कभी भी रात को चले गये, दिन को चले गये और फटाफट थोड़ी बहुत पट्टियां निकलीं, फर्शी निकली, निकालकर ले कर चले जाते हैं। इसलिये हमने इस खाली भूमि का आवंटन करने का लक्ष्य रखा। खाली भूमि नहीं रहेगी तो उस खाली भूमि के कारण जो अवैध खनन होता है उस में कमी आएगी। इसके लिए जितना एरिया हमारे पास है अवेलेबल था उसमें हमने आवंटन शुरू किया।

मुझे यह कहते हुए खुशी है, बिजौलियां में 1988 के बाद आज दिन तक कभी भी लाटरी नहीं निकाली गयी, एक भी क्वारी लाईसेंस या पट्टा वहां आवंटित नहीं किया गया, पहले की सरकार ने ऐसे नियम बना दिये जिसकी वजह से हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। हमने उन नियमों का सरलीकरण किया। सरलीकरण करने के बाद 65 हजार प्रार्थना पत्र जो पेण्डिंग पड़े थे, उनकी हमने लॉटरी निकाली है। लगभग 2244 लोगों को हमने वहां पर क्वारी लाईसेंस आवंटित किये। इसी प्रकार बूंदी क्षेत्र में भी 1985 से 1990 तक कोई पट्टा आवंटित नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर भी हाई कोर्ट से स्टे था। पहले की सरकार ने पालिसी ऐसी बना दी जिसकी वजह से स्टे था। उस पालिसी में भी हमने परिवर्तन किया। इस चालू साल में हमने लगभग 200 खनन पट्टे वहां पर भी दिये ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन वहां पड़त नहीं रहे और आवंटित हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन का दूसरा कारण है कि कृषि भूमि पर अवैध खनन होता है। खेती की जमीन है, चारों तरफ खातेदारी जमीनें है। उसके नीचे मिनरल है, विशेषकर पट्टी-फर्शी के एरिया में। उसमें न तो खेती हो सकती है और न खास इन्कम होती है काश्तकार को। पड़ौस में जो बिला नाम भूमि है उसका आवंटन हो जाने से पड़ौसी उस पर अवैध खनन करना शुरू कर देता है। कभी-कभी खातेदार स्वयं भी अवैध खनन शुरू कर देते हैं। इसके लिए भी विभाग ने काफी अच्छा कदम उठाया है। दिनांक 1-4-1991 को सरकार ने एक पालिसी बनायी कि जिसे किसी भी काश्तकार, खातेदार की भूमि बंजर है या बारानी है, जो पीवन नहीं है, जो नहरी नहीं है उस भूमि पर अगर कोई मिनरल मिलता है तो राजस्थान

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सरकार खुद खातेदार को पट्टा खनन के लिए देगी। दो पट्टे स्वयं खातेदार के नाम से और बकाया भूमि के पट्टे उसकी एन. ओ. सी. के आधार पर दूसरों को दिये जाएंगे। इस तरह की नीति हमने बनायी है। इस नीति को बनाने के बाद जब हमने लागू किया तो तारीख 12-4-1991 को ही कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये और उन्होंने पर्यावरण के नाम पर हाई कोर्ट में रिट लगाकर इसके ऊपर स्थगन करा लिया। माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि मिलीभगत से वहां पैरवी नहीं हो रही है इसलिए हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें बराबर पैरवी की गयी है, और अगर न्यायालय की प्रोसीडिंग्स की फाइल देखी जाय तो हर 10-15 दिन में पेशी ली गयी है। उस मामले में बहस भी हो गयी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने एक कमेटी बना दी कि इस प्रकार खातेदारी भूमि में पट्टा देने से पर्यावरण पर कितना इफैक्ट पड़ेगा, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। वह कमेटी वहां रिपोर्ट करेगी उसके बाद वे डिसीजन करेंगे, इसलिए मामला पैण्डिंग है। बाकी उसके अन्दर प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन का तीसरा कारण है फारेस्ट लैण्ड। फारेस्ट भी वह जो रिकार्ड में दर्ज है केवल, लेकिन न तो मौके पर वन है और न पेड़-पौधे हैं। ऐसी भूमि पर भी लोग अवैध खनन करते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए भी विभाग ने प्रभावी कदम उठाया है। पिछले साल पूरे राजस्थान में हमने सारे कलक्टर्स की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की है, जिसमें माइंस, फारेस्ट और राजस्व विभाग, तीनों के अधिकारी वहां बैठते हैं। उनकी मीटिंग हुई है, इस बार सारे राजस्थान में हमने एक महीना पहले ही मीटिंग बाकायदा करायी है। ऐसा एरिया जो रिकार्ड में फारेस्ट है लेकिन वास्तव में फारेस्ट नहीं है और उसके अन्दर मिनरल है, ऐसे एरिया को हम डीफारेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए प्रपोजल हमने सारी कमेटीज में भिजवाए हैं। उनमें कई जगह फारेस्ट के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि इसको डीफारेस्ट कर दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे मामलों में आगे प्रगति हो रही है। वे सारे मामले कलक्टर्स के पास पैण्डिंग हैं। जो जमीन डीफारेस्ट होगी उसकी बजाय उतनी ही दूसरी जमीन वे प्रपोज करेंगे, तभी वे मामले आगे हम भेज पाएंगे। भारत सरकार को अब तक कुल मिलाकर 13 मामले हमने भेज रखे हैं, जिन पर अभी तक भारत सरकार से स्वीकृति नहीं आयी है। बाकी हम इस तरह के जो कम्पलीट प्रपोजल होंगे उनको भेजकर डीफारेस्ट कराएंगे। जब डीफारेस्ट हो जाएगा तो उसका भी आवंटन हो जाएगा ताकि अवैध खनन बन्द हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन को रोकने के लिए हमने और भी कदम उठाये हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं राजस्थान में, जैसे करौली, धौलपुर, जहां ऐसे लोग रहते हैं जो विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बदतमीजी से पेश

(श्री कालूलाल गुर्जर)

आते हैं और जबर्दस्ती करते हैं। डकैत टाइप हैं, झगड़ा करते हैं और जबर्दस्ती अवैध खनन करके ले जाते हैं। उनको रोकने के लिए हमने नाकों की निलामी की है और अधिक अधिशुल्क, एक्सेस रायल्टी के नाके वसूली के लिए हमने ठेके पर दिये। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि भरतपुर खण्ड/वृत्त के अन्दर एक करोड़ 78 लाख 80 हजार रुपए की एक्सस रायल्टी की हमें इनकम हुई, जहां एक रुपया भी हमें नहीं मिलता था।

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीजी, आपने कहा है कि धौलपुर में डकैत रहते हैं, उनमें मुख्य मंत्री भी शामिल हैं क्या? ये मुख्य मंत्री वहीं से आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम भरतपुर का लिया है, आप कहां धौलपुर आ गये?

श्री रामकिशन : पहले धौलपुर कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धौलपुर में तो मैं और प्रद्युम्न सिंह जी रहते हैं, बड़े शरीफ हैं।

श्री अध्यक्ष : सारी पोल यहां क्यों खोल रहे हो आपस में?

श्री केदारनाथ शर्मा : इन दोनों के कोड वर्ड हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की आय बढ़े, इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किया है। हमने इस बार यह तय किया कि बजरी के जो भी क्षेत्र हैं पूरे राजस्थान में, उन बजरी क्षेत्रों की जो भी लीज नवीनीकरण के लिए आयी उस लीज को हमने नवीनीकरण नहीं करके एरिया को फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद हमने रायल्टी कलेक्शन का ठेका दिया। उससे भी राजस्थान की आय काफी बढ़ी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बजरी का एक ठेका टोंक जिले में बनास नदी का था, जहां से बजरी जयपुर आती है। वहां पर शंकर लाल के नाम से पहले ठेका था। 1990 में वह ठेका कैंसल हो गया। कुल मिलाकर उस शंकर लाल के ठेके से राज्य सरकार को एक लाख अड़सठ हजार की कुल सालाना आय होती थी। उसके बाद उस एरिया को हमने फ्री करके निवाई में विभाग का नाका लगाया। गये साल विभाग के उस नाके से 44 लाख 50 हजार रुपये की इनकम हुई.... और, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991-92 में उस नाके को हमने पुनः ठेके का नीलाम किया तो 64 लाख रुपये की इनकम उससे हुई। इस तरह से राजस्थान में हमने काफी काम किया और इनकम बढ़ाने का काम किया है।

इसी तरह से आर. एस. एम. डी. सी. जो हमारी कार्पोरेशन है, उसमें स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के मामले में काफी काम किया है। वर्ष 1987-88 में 61 लाख टन उत्पादन किया था, 1988-89 में 170 लाख टन और 1989-90 में 4.20 करोड़, 1990-91 में 9.04 टन और 1991-92 में 13.85 करोड़ टन का

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उत्पादन होगा और इससे बहुत बड़ी आय विभाग को होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके उत्तर से सन्तुष्ट हैं, विराजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार की तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं, बीमारी यह है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,24,58,000 (छब्बीस करोड़ चौबीस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार, दिनांक 12-3-92 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्नतर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7.53 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 12-3-92 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 284 की सूची

संस्था/समितियों/व्यक्तिगत इकाइयों की एकजाई इकाइयों की जिलेवार प्रगति

रिपोर्ट 90-91

क. सं.	जिला	स्वीकृत इकाइयां 89-90	90-91	योग	चालू	चर्मयोग वर्गीकरण निर्माणधीन	बन्द
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जयपुर	4900	276	5176	4300	276	560
2.	अजमेर	4744	202	4946	2061	202	603
3.	सीकर	1994	95	2089	1934	—	155
4.	झूंझूनू	1561	107	1668	1437	39	192
5.	अलवर	3290	95	3385	2890	95	400
6.	भरतपुर	2391	72	2463	2059	35	369
7.	धौलपुर	806	67	873	690	—	183
8.	सवाईमाधोपुर	2105	121	2226	1953	120	153
9.	टौंक	2357	122	2479	2005	86	383
10.	कोटा	2535	134	2669	2189	116	364

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	बून्दी	1726	131	1857	1811	—	245
12.	झालावाड़	1839	115	1954	1570	56	328
13.	बीकानेर	2315	165	2480	2261	32	114
14.	चूरू	2054	160	2214	1785	160	269
15.	गंगानगर	2475	180	2655	2485	33	138
16.	जोधपुर	3239	161	3400	2814	136	450
17.	नागौर	2776	127	2903	2830	7	66
18.	बाड़मेर	2583	176	2759	2500	118	141
19.	जैसलमेर	1042	56	1089	1009	56	33
20.	पाली	2438	162	2600	1946	162	492
21.	जालौर	1258	75	1333	1171	65	97
22.	सिरोही	1179	86	1245	1028	66	151
23.	उदयपुर	4480	266	4746	4226	32	488
24.	भीलवाड़ा	3512	081	3593	3170	50	373
25.	चित्तौड़गढ़	3045	194	3239	2709	137	393
26.	डूंगरपुर	1508	176	1684	1371	91	222
27.	बांसवाड़ा	1981	158	2139	1884	117	138
	योग	64133	3740	67873	58902	2287	7584

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 61 की सूचियां

विद्युतिकृत शेष गांवों का विवरण जो विद्युतिकृत नहीं हुये हैं—

(प्रश्न संख्या एक का विवरण)

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
1.	पीलवा	17.	ओण्डा मीना
2.	खेडली नारायणसिंह	18.	बीरमपुर
3.	पीपलीवाडा	19.	अलीपुर
4.	मौसमपुरपट्टी	20.	सिकन्दरपुर
5.	बनावड	21.	समसपुर
6.	रिंगसपुरा	22.	ढण्ड
7.	इसरापुरा	23.	शिशवाड
8.	नागलमेव	24.	रतनपुर
9.	दौलतपुरा	25.	सलेमपुर
10.	किसोरपुरा	26.	सुलतानपुर
11.	मगरखा	27.	जमालपुर
12.	टहरा	28.	साहिडा
13.	गोहण्डी गुर्जर	29.	नाहिडा
14.	ओण्डा ब्राह्मण	30.	दल्लापुरा
15.	खानपुर	31.	सारंगपुर
16.	ओण्डा गुजर		

महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि. महुआ

(प्रश्न संख्या 2 की सूची)

महुआ के ऐसे गांव जिनको विद्युतिकृत घोषित कर दिया गया है परन्तु वास्तविक रूप में वहां बिजली नहीं पहुंचाई है। गांवों की सूची।

क्र.सं.	गांव का नाम	विद्युतिकृत दिनांक	
1.	तालचिडी	30-4-90	
2.	बडागांव	18-2-90	
3.	जहाजपुर	30-4-90	
4.	खिलचीपुर	30-4-90	
5.	हरिपुरा	30-4-90	
6.	राजपुर	30-4-90	
7.	लाडनपुर	30-5-90	
8.	मिलकीपुर	30-5-90	
9.	कुतकपुर	30-4-90	(लाइन खडी है ट्रांसफार्मर
10.	मीना खेडिया	28-2-90	नहीं रखे हैं)
11.	लागरीपुरा	28-2-90	" "
12.	कोण्डरा	19-6-90	" "
13.	गुजर खेडिया	28-2-90	" "

245

महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि., महुआ

(प्रश्न संख्या चार का विवरण)

क्र.सं.	गांव का नाम	राशि जमा	जमा की गई राशि का दिनांक
1.	रसीदपुर	51974/-	26-5-90
2.	सांथा	60421/-	16-4-90
3.	खोहण्डी मीना	110574/-	16-4-90
4.	तालचिडी	132000/-	16-4-90
5.	पावटा	69124/-	16-4-90
6.	बालाहेडी	37975/-	29-12-90
7.	कोट	35320/-	29-12-90
8.	खोहरी	42340/-	8-5-91
9.	गहनोली	55924/-	8-5-91
10.	मौजपुर	34630/-	15-5-89
11.	मण्डावर	58373/-	15-5-89
12.	गढ़ हिम्मतसिंह	43968/-	16-5-90
13.	गढ़ हिम्मतसिंह	59705/-	16-5-89
14.	सिन्दुकी	24747/-	31-5-88
15.	सिन्दुकी	13284/-	17-4-90
16.	रौंत	11768/-	17-4-90
17.	ऊकरुंद	मांग पत्र जारी पैसा जमा नहीं हुआ है।	
	योग	850,127/-	

जन स्वा. अभि. विभाग के पांच कुओं पर बिजली नहीं पहुंची है :—

प्रश्न संख्या 7 का विवरण

1.	रसीदपुर	ट्रांसफार्मर नहीं है।
2.	सांथा	ट्रांसफार्मर नहीं है।
3.	तालचिडी	लाइन खड़ी नहीं हुई है।
4.	कोट	ट्रांसफार्मर नहीं है।
5.	गहनोली	लाइन खड़ी नहीं हुई है।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 290 का विवरण

बाल विकास परियोजना, प्रतापगढ़ शीर्ष सी. एस. एस.

(राशि लाखों में)

वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के मदवार व्यय की सूचना

क्र.सं.	मद	1989-90	1990-91
1.	संवेतन	4.12	4.02
2.	मानदेय	7.33	7.37
3.	यात्रा व्यय (कर्मचारी)	0.68	0.25
4.	,, (क्षेत्रीय कर्मचारी)	—	0.42
5.	चिकित्सा	0.09	0.06
6.	कार्यालय व्यय आवर्तक	0.05	0.09
7.	टेलिफोन	0.02	0.01
8.	पी. ओ. एल.	0.30	0.19
9.	ऑगनवाडी आवर्तक	0.34	0.33
10.	ऑगनवाडी अनावर्तक	0.25	—
11.	भवन किराया (कार्यालय)	0.13	0.13
12.	,, (आंगनवाडी)	0.38	0.48
13.	विज्ञापन एवं प्रचार	0.03	0.01
14.	दवाईयां	0.03	—
15.	महिला मण्डल	—	—
	योग:–	13.75	13.36
1.	खाद्यान्न एवं अन्य (गुड, नमक, ईधन, गोदाम किराया)	2.23	1.64
2.	परिवहन	0.26	0.25
	योग:–	2.49	1.89

बाल विकास परियोजना अरनोद, (चित्तोड़) शीर्ष सी. एस. एस.

(राशि लाखों में)

वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के मदवार व्यय की सूचना

क्र. सं.	मद	1989-90	1990-91
1.	संवेतन	2.76	2.16
2.	मानदेय	4.07	4.30
3.	यात्रा व्यय कार्यालय कर्मचारी	0.37	0.20
4.	यात्रा व्यय क्षेत्रीय कर्मचारी	—	0.09
5.	चिकित्सा व्यय	0.06	0.04
6.	कार्यालय व्यय आवर्तक	0.05	0.06
7.	कार्यालय व्यय अनावर्तक	—	0.07
8.	टेलीफोन	0.01	0.02
9.	पी. ओ. एल.	0.25	0.25
10.	आंगनबाड़ी आवर्तक	0.02	0.22
11.	आंगनबाड़ी अनावर्तक	—	—
12.	कार्यालय भवन किराया	0.21	0.27
13.	आंगनबाड़ी भवन किराया	0.29	0.32
14.	विज्ञापन एवं प्रचार	0.02	0.03
15.	महिला मण्डल	—	—
	योग:—	8.11	8.03
1.	खाद्यान्न एवं अन्य (गुड, नमक, ईंधन, गोदाम किराया)	1.64	1.11
2.	परिवहन	—	0.26
	योग :—	1.64	1.37

(246)

बाल विकास परियोजना, चित्तौड़गढ़ शीर्ष सी. एस. एस.

(राशि लाखों में)

विषय :— वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के मदवार व्यय की सूचना :

क्र. सं.	मद	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	संवेतन	—	0.67
2.	मानदेय	—	—
3.	यात्रा व्यय कार्यालय कर्मचारी	—	0.17
4.	यात्रा व्यय क्षेत्रीय कर्मचारी	—	—
5.	चिकित्सा व्यय	—	0.01
6.	कार्यालय व्यय आवर्तक	—	0.08
7.	कार्यालय व्यय अनावर्तक	—	0.13
8.	टेलीफोन	—	—
9.	पी.ओ.एल.	—	0.07
10.	आंगनबाडी आवर्तक	—	0.27
11.	आंगनबाडी अनावर्तक	—	1.62
12.	भवन किराया कार्यालय	—	0.06
13.	भवन किराया आंगनबाडी	—	—
14.	विज्ञापन एवं प्रचार	—	—
15.	दवाईयां	-	—
	योग :—	—	3.08
1.	खाद्यान्न एवं अन्य (गुड़, नमक, ईंधन, गोदाम किराया)	—	0.24
2.	परिवहन	—	0.08
	योग :—	—	0.32

बाल विकास परियोजना, राशिम (चित्तौड़गढ़) शीर्ष सी.एस.एस.

(राशि लाखों में)

विषय : वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के मदवार व्यय की सूचना :—

क्र. सं.	मद	1989-90	1990-91
1.	संवेतन	—	—
2.	मानदेय	—	—
3.	यात्रा भत्ता कार्यालय कर्मचारी	—	—
4.	यात्रा भत्ता क्षेत्रीय कर्मचारी	—	—
5.	चिकित्सा	—	—
6.	कार्यालय व्यय आवर्तक	—	0.06
7.	कार्यालय व्यय अनावर्तक	—	—
8.	टेलीफोन	—	—
9.	पी. ओ. एल.	—	—
10.	आंगनबाड़ी आवर्तक	—	0.22
11.	कार्यालय भवन किराया	—	—
12.	आंगनबाड़ी भवन किराया	—	0.02
13.	विज्ञापन एवं प्रचार	—	—
14.	दवाईयां	—	—
	योग :—	—	0.30

1.	खाद्यान्न एवं अन्य (गुड, नमक, ईंधन, गोदाम किराया)	—	—
2.	परिवहन	—	—
	योग :—	—	—

बाल विकास परियोजना, छोटीसादड़ी (चित्तौड़) शीर्ष सी. एस. एस.

(राशि लाखों में)

वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के मदवार व्यय की सूचना

क्र. सं.	मद	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	संवेतन	2.33	2.68
2.	मानदेय	3.83	3.88
3.	यात्रा व्यय कार्यालय कर्मचारी	0.53	0.27
4.	यात्रा व्यय क्षेत्रीय कर्मचारी	0·53	0.18
5.	चिकित्सा व्यय	0.01	0.03
6.	कार्यालय व्यय आवर्तक	0.06	0.05
7.	कार्यालय व्यय अनावर्तक	—	—
8.	टेलीफोन	0.01	0.01
9.	पी. ओ. एल.	0.09	—
10.	आंगनबाड़ी व्यय आवर्तक	0.25	0.13
11.	आंगनबाड़ी व्यय अनावर्तक	0.03	—
12.	भवन किराया कार्यालय	0.01	0.08
13.	भवन किराया आंगनबाड़ी	0.17	0.19
14.	विज्ञापन एवं प्रचार	—	0.02
15.	दवाईयां	—	—
16.	महिला मण्डल	—	—
	योग :—	7.85	7.52
1.	खाद्यान्न एवं अन्य (गुड़, नमक, ईंधन, गोदाम किराया)	1.24	1.13
2.	परिवहन	0.26	0.30
	योग :—	1.50	1.43

बाल विकास परियोजना, बंगूई शीर्ष सी. एस. एस.

(राशि लाखों में)

वर्ष 1989-90 व 1990-91 में मदवार व्यय की सूचना

क्र.सं.	मद	1989-90	1990-91
1.	संवेतन	1.47	1.96
2.	मानदेय	3.26	3.26
3.	यात्रा व्यय (कार्यालय कर्मचारी)	0.13	0.15
4.	यात्रा व्यय (क्षेत्रीय कर्मचारी)	0.06	0.10
5.	चिकित्सा	0.04	0.05
6.	कार्यालय व्यय ग्रावर्तक	0.05	0.05
7.	टेलीफोन	0.01	0.01
8.	महिला मण्डल	—	0.03
9.	ग्रांगनबाड़ी ग्रावर्तक	0.16	0.16
10.	विज्ञापन एवं प्रचार	0.08	0.03
11.	खाद्यान्न एवं अन्य	—	—
12.	मकान किराया कार्यालय	—	—
13.	मकान किराया ग्रांगनबाड़ी	0.23	0.24
14.	पी. ग्रो. एल.	0.21	0.13
	योग :—	5.70	6.67
1.	खाद्यान्न एवं अन्य (गुड़, नमक, ईंधन, गोदाम किराया)	1.27	1.25
2.	परिवहन	0.33	0.31
	योग :—	1.60	1.56

(2523)

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राज्य के शिक्षित बेरोजगार

291. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु पंजीकरण करवाया ? वर्षवार एवं जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में कुल कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं ?

(3) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने लोगों को गत पांच वर्ष में रोजगार उपलब्ध करवाया गया ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) शेष बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों में गत पांच वर्षों में 594748 शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु पंजीयन कराया। वर्षवार एवं जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31-12-91 को 536426 कुल शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे।

(3) राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों में से 41515 शिक्षित लोगों को गत पांच वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराया गया वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(4) शेष बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार स्व-रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

257

गत 5 वर्षों में रोजगार कार्यालयों में पंजीयन किये गये शिक्षित बेरोजगारों की वर्षवार व जिलेवार सूचना

क्र. सं.	रोजगार कार्यालय का नाम	1987	1988	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	8648	9304	5988	6829	5586
2.	अलवर	9762	9501	8477	7263	6220
3.	बांसवाड़ा	2389	2218	1622	1377	1346
4.	बाड़मेर	1939	1817	1655	1517	1996
5.	भरतपुर	4565	4607	3788	5391	5057
6.	भीलवाड़ा	4007	3186	3309	3353	3549
7.	बीकानेर	3092	2470	2626	2359	3216
8.	बून्दी	2094	1923	1619	2077	1336
9.	चित्तौड़गढ़	2792	2681	3499	2633	3620
10.	चूरू	3021	3495	3767	4934	2801
11.	धौलपुर	1872	2366	2205	2183	1495
12.	डूंगरपुर	2018	1803	1320	1808	1317
13.	जयपुर	19475	15574	17337	16058	14788
14.	जैसलमेर	937	870	1078	915	1208

1	2	3	4	5	6	7
15.	जालौर	1752	2126	1771	1696	1909
16.	झालावाड़	2303	1990	2239	2254	1314
17.	झुंझनू	3747	4336	4970	4462	4695
18.	जोधपुर	7016	7432	5625	6454	5977
19.	कोटा	7451	5714	5957	7035	7045
20.	नागौर	10879	3362	3438	4389	5505
21.	पाली	2905	2425	2449	3349	2104
22.	सवाईमाधोपुर	4702	5830	5355	5416	4816
23.	सीकर	4342	4131	5402	4171	1526
24.	सिरोही	1687	1294	1189	1212	982
25.	श्रीगंगानगर	5550	5105	4451	3610	4952
26.	टौंक	3009	2361	2339	2373	1977
27.	उदयपुर	5786	5678	4424	5506	5412
28.	पी. एण्ड ई., जयपुर	5233	5167	5697	5129	5339
29.	वि. रो. का. (विक.), जयपुर	248	263	196	437	346

1	2	3	4	5	6	7
30.	यू. ई. बी., जयपुर	34	126	198	14	16
31.	यू. ई. बी., जोधपुर	485	491	448	542	534
32.	यू. ई. बी., उदयपुर	647	453	335	393	395
	योग	134385	120099	114773	117112	108379

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से गत पांच वर्षों में नियोजित शिक्षित आशार्थियों का विवरण

वर्ष					
1987	1988	1989	1990	1991	योग
11261	9654	6803	5481	8316	41515

259

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद

292. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : एवं **श्री शम्भुदयाल बड़गुर्जर** (केकड़ी): क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पदों पर न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

उत्तर

राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी बढ़े 4 पदों के कारण स्वीकृत पदों की संख्या (मुख्य न्यायाधिपति सहित) 32 हुई हैं। वर्तमान में कार्यरत न्यायाधिपतियों की संख्या (मुख्य न्यायाधिपति सहित) 24 है। न्यायाधिपतियों के स्थान रिक्त हैं ?

तारांकित प्रश्न संख्या 293

(स्थगित)

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के ग्रामों का विद्युतिकरण

294. श्री अमीन खां (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में जिला बाड़मेर व जैसलमेर के कितने-कितने गांवों का विद्युतिकरण किया गया है ? उसमें अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने गांवों का विद्युतिकरण किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अगले वर्ष जिला बाड़मेर व जैसलमेर के कितने गांवों के विद्युतिकरण करने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों (1989-90 एवं 1990-91) में जिला बाड़मेर व जैसलमेर में निम्न प्रकार ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है :—

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 1989-90	90-91	योग
1.	बाड़मेर	54	43	97
2.	जैसलमेर	6	9	15

जनगणना पुस्तिका के अनुसार जाति विशेष के नाम से कोई ग्राम नहीं होते हैं और ना ही जाति विशेष के आधार पर ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य प्रस्तावित किया जाता है।

(2) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना का वर्ष 1992-93 का कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अतः अभी यह बताना संभव नहीं है कि अगले वर्ष कितने गांवों का विद्युतिकरण किया जायेगा।

श्री नरपतसिंह हत्या प्रकरण, जालौर

295. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(1) क्या जालोर थाने में वर्ष 1991 में औद्योगिक क्षेत्र में नरपत सिंह श्रमिक की हत्या का मामला दर्ज हुआ था ?

(2) इस मामले में जांच से किसी को अपराधी पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक, जालोर ने गिरफ्तारी वारन्ट भी प्राप्त किया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) इस प्रकरण की पत्रावली उप-महानिरीक्षक पुलिस कार्यालय में कब से जांच हेतु लम्बित है ? यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इस मामले में बार-बार जांच बदली गई है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण रहा है ?

(5) इस प्रकरण में सरकार कब तक चालान न्यायालय में पेश करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 159/91 दिनांक 2-8-91 जुर्म धारा 458/307/323/324 भा. द. सं. थाना जालौर पर श्री चन्दन सिंह की लिखित रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था किन्तु नरपतसिंह की दिनांक 2-8-91 को मृत्यु होने पर 307 आई. पी. सी. की धारा के प्रकरण को 302 आई. पी. सी. में परिवर्तित किया गया ।

(2) जी हां इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान श्री चन्दन सिंह पर हत्या का शक होने पर दिनांक 27-9-91 को अदालत से उसके खिलाफ मस्कन से रूपोस होने के कारण गिरफ्तारी वारन्ट प्राप्त किया गया ।

(3) इस प्रकरण की पत्रावली उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर के कार्यालय में एक परिवाद श्री उमरावसिंह पर माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर के आदेश दि. 21-9-91 की पालना में आदेश दिनांक 30-9-91 द्वारा तफतीश उप अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता जोधपुर रेंज जोधपुर के हवाले कर दी गई थी जो आदेश दिनांक 1-2-92 द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला जालौर को इस आदेश के साथ लौटाई कि इसमें अच्छी तरह तफतीश पूर्ण करवाकर न्याय सुनिश्चित करें । प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान जारी है । शीघ्र ही अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा दिया जावेगा ।

(4) जी हां । प्रस्तुत प्रकरण में जालौर के गणमान्य नागरिकों द्वारा तथा मारवाड़ प्रान्तीय रावणा राजपूत सभा जालौर द्वारा बार-बार परिवाद प्रस्तुत करने पर प्रकरण का अनुसंधान भिन्न-भिन्न अधिकारियों से कराया गया ।

(5) अभी प्रकरण में अनुसंधान जारी है । शीघ्र ही अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा दिया जावेगा ।

आबकारी नीति

296. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1989 से अब तक सरकार की आबकारी नीति में कब-कब क्या-क्या परिवर्तन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक व खुदरा एकाकी विशेषाधिकार के लाइसेंस देने में उक्त अवधि में कब-कब क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? ऐसी प्रक्रियाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा की विभिन्न किस्मों की दरों में भी परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़े उत्पादन लागत दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपभोक्ताओं को बेची जाने हेतु मदिरा की दर निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) द्वि-वर्षीय आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 1989-90 से 92-93 तक के लिए निम्न मुख्य परिवर्तन किये गये :—

(अ) बन्दोबस्त वर्ष 1989-91 में मदिरा दुकानों के कुल 57 समूह थे जिन्हें बन्दोबस्त वर्ष 91-93 के लिए बढ़ाकर 68 कर दिया गया।

(ब) वर्ष 90-91 में समूह की वर्ष 1989-90 की प्राप्त राशि 12½% की वृद्धि की गई जबकि वर्ष 92-93 में समूह की वर्ष 91-92 की प्राप्त राशि पर 15% की वृद्धि की जायेगी।

(स) बन्दोबस्त वर्ष 1989-91 में ठेके की राशि पर नकद धरोहर राशि 12½%, हैसियत प्रमाण पत्र 12½% तथा जमानतें 12½% लेने का प्रावधान था जबकि बन्दोबस्त वर्ष 1991-93 में उपरोक्तानुसार धरोहर राशि, हैसियत प्रमाण पत्र व जमानतें लेने के अतिरिक्त वर्ष 92-93 के लिए प्राप्त राशि पर 5% बैंक गारन्टी लेने का प्रावधान रखा गया।

(द) वर्ष 89-91 की तुलना में वर्ष 91-93 में उक्त दोनों की संख्या में तुलनात्मक बढ़ोतरी निम्न प्रकार है—

बन्दोबस्त वर्ष	उप दुकानों की संख्या	
	दे. मदिरा	भा.नि.वि.म.
1989-91	1060	79
1991-93	1230	126

(य) बन्दोबस्त वर्ष 1989-91 के अन्तर्गत अहाता प्रणाली नहीं थी परन्तु बन्दोबस्त वर्ष 91-93 के लिए देशी मदिरा की दुकानों हेतु अहाता प्रणाली स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

(र) भांग व डोडा पोस्त के ठेके भी

(आबकारी मंत्री)

बन्दोबस्त वर्ष 1989-91 में समूहों का गठन कर समूहवार लाइसेंस फीस पर निविदायें आमंत्रित कर उठाये गये उसी अनुसार बन्दोबस्त वर्ष 1991-93 के लिए भी लाइसेंस फीस पर समूह का टेण्डर आमंत्रित कर उठाये गये थे। जिन समूहों के लिए टेण्डर प्राप्त नहीं हुए, उन्हें नीलामी द्वारा उठाया गया था। बन्दोबस्त वर्ष 1989 से 91 में कुल समूह 44 थे जिन्हें वर्ष 1991-93 के लिए बढ़ाकर 68 समूह का गठन किया गया था।

(ख) देशी मदिरा की निर्गम दरों में भी वर्ष 1989 से 91 के बन्दोबस्त के मुकाबले बन्दोबस्त वर्ष 1991 से 93 के लिए परिवर्तन किया गया जो प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 में अंकित अनुसार हैं। उपरोक्त परिवर्तनों के अलावा बन्दोबस्त वर्ष 1989 से 91 के मुकाबले वर्ष 1991-92 में जो फीस आदि के भी परिवर्तन किये गये हैं। परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1989-90 में एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली लागू थी जो वर्तमान में भी चालू है। आबकारी दुकानों के लिए मोहरबन्द टेण्डर उक्त समूहों के लिए आमंत्रित किये जाते हैं परन्तु जहां टेण्डर प्राप्त नहीं होते हैं वहां नीलामी द्वारा समूह का ठेका दिये जाने का प्रावधान है। दोनों ही प्रक्रियाओं में उच्चतम राशि/बोलीदाता को अनुज्ञापत्र दिया जाता है।

(3) उक्त अवधि के देशी मदिरा की दरों में परिवर्तन निम्नरूपेण किया गया :—

किस्म	लागत मूल्य (जी.एस.एम. को चुकायी जाने वाली राशि)		निर्गम मूल्य प्रति बल्क लि. से
	1989-90	1990-91	
	प्रति बल्क लिटर		
के.के.	10-48	10-48	30-40
	प्रति एल. पी. लीटर से		
35 यू.पी.	4-26	5-87	13-25
45 यू.पी.	4-26	5-87	11-55
60 यू.पी.	4-26	5-87	7-20

वर्ष 1991-92 व 92-93 के लिए प्रोविजनल रेट

किस्म	लागत मूल्य जी.एस.एम. को चुकायी जाने वाली राशि	निर्गम मूल्य प्रति बल्क लिटर
के.के.	10-48 प्रति बल्क लीटर	11-40
35 यू.पी.	6.00 प्रति एल.पी. लि.	3-90
45 यू.पी.	6.00 ,, ,, ,, ,,	3-30
60 यू.पी.	6.00 ,, ,, ,, ,,	2-40

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए निर्धारित आबकारी शुल्क रुपया 55-00 प्रति एल.पी. लिटर यथावत रखा गया।

(4) उपभोक्ताओं को मदिरा की बिक्री का कोई मूल्य विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

(२८१)

परिशिष्ट "क"

वर्ष 89-91 की नीति में जो प्रावधान नहीं थे व वर्ष 91-93 के आबकारी बन्दोबस्त की नीति में किये गये जो दिनांक 1-4-91 से प्रभावी हुए का विवरण :—(अनुज्ञापत्र शुल्कों व अन्य)।

1. वर्ष 89-91 के बन्दोबस्त में देशी मदिरा की अर्नेस्टमनी 4 प्रतिशत लेने का प्रावधान था, उसे वर्ष 91-93 के बन्दोबस्त में 5 प्रतिशत की गई।

2. 1-4-91 के पूर्व भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर ब्राण्ड फीस प्रति ब्राण्ड 1500/-रु. थी उसे 1-4-91 से बढ़ाकर 10 ब्राण्ड्स तक रु. 25,000/- एवं 10 ब्राण्डस से अधिक पर रुपया 50,000/- किये गये। बीयर पर दिनांक 1-4-91 से पूर्व 100/- रुपये प्रति ब्राण्ड ब्रण्ड फीस थी उसे बढ़ाकर 10 ब्राण्ड तक रुपये 2,500/- व 10 ब्राण्ड्स से अधिक पर रुपये 5,000/- की गई।

3. क्लब बार के अनुज्ञापत्र की लाइसेंस फीस पूर्व में जिस नगर की जनसंख्या 1 लाख या अधिक हो वहां के लिए रुपया 20,000/- थी व जहां एक लाख से कम की जनसंख्या हो वहां रुपया 12,000/- थी। अब उसे घटाकर दिनांक 1-4-91 से जनसंख्या के आधार पर प्रतिबन्ध हटाकर रुपया 10,000/- वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई हैं।

4. आबकारी नियम 1956 के नियम 68 में अनुज्ञा शुल्क में दिनांक 1-4-91 से निम्न प्रकार बढ़ोतरी कर अनुज्ञा शुल्क लेने का प्रावधान किया गया :—

68 (6-ए)	रु. 75,000/-	के स्थान पर रु.	1,25,000/-	किये गये
68 (6-बी)	रु. 50,000/-	,,	1,00,000/-	,,
68 (7)	रु. 3,000/-	,,	5,000/-	,,
68 (8)	रु. 5,000/-	,,	7,500/-	,,
68 (9)	रु. 2,500/-	,,	3,000/-	,,
68 (10)	रु. 5,000/-	,,	7,500/-	,,
68 (12)	रु. 500/-	,,	5,000/-	,,

5. बोतल बन्द भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर दिनांक 1-4-91 से आयात शुल्क में वृद्धि कर आयात शुल्क रुपया 2.00 प्रति एल. पी. लीटर से बढ़ा कर रुपया 3.00 प्रति एल. पी. लीटर किया गया।

6. बीयर पर आयात शुल्क में वृद्धि कर 6.00 प्रति दर्जन बोतल से बढ़ाकर 12/- रुपया प्रति दर्जन बोतल दिनांक 1-4-91 से किया गया।

7. वाशिंग चार्जेज में 1/- प्रति बोतल से कम कर 0.50 प्रति बोतल दिनांक 1-4-91 से किया गया।

8. देशी मदिरा की विभिन्न किस्मों पर से आबकारी ड्यूटी दिनांक 1-4-91 से हटा दी गयी है।

9. थोक डोडा पोस्त चूरा के बोण्डेड गोदामों की लाइसेंस फीस रुपये 25.00 से बढ़ाकर रुपये 25,000/- दिनांक 1-4-91 से की गयी।

10. भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिये डिस्टलरी में काम लिये जाने वाले मोलासेस पर आयात शुल्क रुपया 2/4 प्रति क्विन्टल दिनांक 1-4-91 से लगाया गया है। पूर्व में यह आयात शुल्क नहीं था।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, नारायणपुरा (थानागाजी)

297. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की स्थापना को एक वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु ना तो अभी तक स्टाफ की नियुक्ति हुई और ना ही फर्नीचर व दवाइयों के लिए कोई बजट दिया गया ?

(2) यदि हां तो अब सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम नारायणपुरा तहसील थानागाजी, जिला अलवर में पृथक से मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारायणपुर में ही वर्ष 1989-90 में मातृ एवं शिशु सुविधा (प्रसूति) उपलब्ध कराई गई थी जिसके अन्तर्गत एक पद महिला चिकित्सक तथा एक पद स्टाफनर्स का अतिरिक्त सृजित किया गया था। ये दोनों पद भरे हुये हैं। इसका संचालन ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बजट से ही किया जाता है। अतः अलग से फर्नीचर एवं दवाईयों के मद में बजट आवंटन नहीं किया गया है।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

छबड़ा में सहायक व कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

298. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा में सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने समय से ?

(2) इन रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दोनों पदों पर अधिकारियों के पद स्थापन के आदेश प्रसारित कर दिए गये हैं।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(2) आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मानदेय

299. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) एवं **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को 225 रुपये प्रतिमाह एवं सहायिकाओं को 110 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को कम से कम दैनिक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी के बराबर मानदेय देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के निर्देश पत्र दिनांक 15-9-86 के अनुसार मानदेय दिया जाता है।

(2) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका मानद कार्यकर्त्ता है। अतः दैनिक मजदूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न संख्या 300

(स्थगित)

राज्य में लाइसेन्स शुदा हथियार

301. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश के लाइसेंस शुदा किस-किस प्रकार के हथियार हैं ? जिलेवार सूची उपलब्ध करायें।

उत्तर

प्रदेश में लाईसेंस शुदा विभिन्न प्रकार के कुल—307731 हथियार हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

प्रदेश में हथियारों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिला	12 बोर गन	रायफल/सेमी आटो रायफल	रिवाल्वर/ पिस्टल	टोपीदार बंदूक/ एम. एल. गन	बी. एल. गन	काबाईन	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डूंगरपुर	212	49	17	6197	....	....	....	6475
2.	सिरोही	445	23	58	3324	...	....	....	3850
3.	पाली	....	300	226	7870	732	....	....	9128
4.	स. माधोपुर	....	1135	42	4236	....	....	....	5413
5.	अजमेर	....	899	656	7566	3343	....	105	12569
6.	बाड़मेर	....	347	148	3352	695	....	....	4542
7.	भीलवाड़ा	....	3161	....	8834	....	....	....	11995
8.	झुन्झुनू	....	325	331	1612	368	....	....	2636
9.	झालावाड़	1623	175	99	17201	....	....	....	19098
10.	जयपुर	....	865	1757	5627	3447	....	....	11696
11.	दौसा	....	50	23	341	162	....	....	576

1	2	3	3	5	6	7	8	9	10
12.	अलवर	....	208	296	3576	2424	....	....	6504
13.	गंगानगर	27009	4424	4833	930	....	....	....	37196
14.	टोंक	....	212	20	2209	208	....	....	2649
15.	भरतपुर	5423	1050	747	707	....	....	....	7927
16.	राजसमन्द	169	26	....	7164	....	....	....	7359
17.	बांसवाड़ा	522	47	35	10163	....	....	....	10767
18.	जालौर	491	44	76	2028	....	....	....	2639
19.	बीकानेर	....	11	495	2638	3313	....	....	6458
20.	चित्तौड़गढ़	855	41	20	16303	29	....	51	17299
21.	बून्दी	394	66	40	6366	....	....	....	6866
22.	नागौर	....	518	243	12369	946	....	....	14076
23.	जैसलमेर	785	244	83	2230	....	....	....	3342
24.	कोटा	6933	....	600	7470	....	....	....	15003
25.	उदयपुर	1794	817	364	29321	....	....	....	32296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	चूरू	565	....	186	3331	....	....	....	4082
27.	बारां	1858	67	19	9343	....	....	....	11287
28.	सीकर	961	146	321	3744	....	....	....	5172
29.	धौलपुर	2315	787	193	2645	....	....	....	5940
30.	जोधपुर	6045	1361	887	14598	....	....	....	22891
	योग :—	58399	17398	12815	203295	15667	1	156	307731

ग्राम खटवा (लालसोट) के काश्तकारों को कृषि कनेक्शन

302. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (पिलानी): एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लालसोट तहसील के गांव खटवा के काश्तकारों के कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना पत्र कब-कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

(2) क्या इस गांव में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों के कृषि हेतु कनेक्शन देने के मामले भी विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? विवरण मय काश्तकारों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो इन लोगों को अब कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील के ग्राम खटवा के काश्तकारों के 40 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। विवरण प्रपत्र "अ" संलग्न है। वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं होने के कारण इन विचाराधीन आवेदन पत्रों को कनेक्शन दिये जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। आगामी वर्षों में 132 के. वी. जी.एस.एस. लालसोट व 33 के. वी. सब स्टेशन बगड़ी के निर्माण के बाद उपलब्ध वित्तीय साधन व आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार विचाराधीन आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा सकेगा।

(2) जी हां। लालसोट तहसील के ग्राम खटवा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 4 एवं जन जाति के 15 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। विचाराधीन आवेदन पत्रों के नाम सहित सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) जी हां। सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता देती है। 132 के.वी. जी.एस.एस. लालसोट व 33 के.वी. जी.एस.एस. बगड़ी के निर्माण के बाद, उपलब्ध वित्तीय साधन तथा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार सभी विचाराधीन आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा सकेगा।

ग्राम खटवा के काश्तकारों के विचाराधीन आवेदन-पत्र

क्र.स.	आवेदन प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का नाम	अनु. जनजाति/अनु. जाति
1	2	3	4
1.	4-4-80	रंगलाल/हरबक्स मीणा	अनु. जनजाति
2.	10-4-80	मूलचन्द/पाच्या	साधारण
3.	28-3-81	बिहारी उर्फ हजारी	,,
4.	,,	कंवरपाल	अनु. जनजाति
5.	4-8-81	नारायण/मूलचन्द	साधारण
6.	18-10-81	केशरसिंह/समुन्द्रसिंह	,,
7.	31-12-81	बजरंगसिंह	,,
8.	31-3-82	हरफूल/रामसहाय	,,
9.	28-3-84	रामकरण/भोला	अनु. जनजाति
10.	24-7-84	हरपाल/हजारी	साधारण
11.	22-8-84	मूल्या/प्रभु गुर्जर	,,
12.	,,	लादूरया/बजरंग माली	,,
13.	3-7-85	मूलचन्द/बद्री माली	,,
14.	,,	गोरधन/पन्ना माली	,,
15.	,,	बिरदया/भोरया माली	,,
16.	,,	,,	,,
17.	,,	गोरधन/कालू मीना	अनु. जनजाति
18.	,,	गोरधन/सुखपाल माली	साधारण
19.	31-3-87	नानगा/मूलचन्द मीना	अनु. जनजाति
20.	11-11-87	सुखजी/सवा मीना	,,
21.	31-3-89	नानगा/जन्सी मीना	,,
22.	,,	सुखदेव/कल्याण शर्मा	साधारण
23.	9-6-89	नाथ्या रेगर	अनु. जनजाति

1	2	3	4
24.	9-6-89	मोती/शुक्ला बैरवा	अनु. जाति
25.	31-7-89	बृजमोहन/गोविन्द शर्मा	साधारण
26.	23-8-89	श्रीचन्द/शिवनारायण	,,
27.	4-10-89	ओंकार/रामनाथ मीना	अनु. जनजाति
28.	16-11-89	पून्या/छोटू चमार	अनु. जाति
29.	1-1-90	मोतीलाल/भंवरिया	अनु. जनजाति
30.	,,	रामजीलाल/फौजीलाल	,,
31.	,,	उदयराम/जगनलाल	अनु. जाति
32.	11-1-90	रामपाल/बिरदा	साधारण
33.	15-1-90	कालूराम/लादूराम मीणा	अनु. जनजाति
34.	,,	हरचन्दा/कालूराम	,,
35.	,,	विरेन्द्रसिंह/केशरसिंह	साधारण
36.	22-1-90	बजरंगलाल/रामनारायण	अनु. जनजाति
37.	27-1-90	शंकरलाल/काना मीना	,,
38.	9-3-90	मनोहरलाल/जमनालाल	साधारण
39.	3-7-90	गजानन्द/भंवरिया मीना	अनु. जनजाति
40.	7-7-90	जयनारायण/बुद्धा	साधारण

ग्राम खटवा के अनुसूचित जाति के आवेदकों की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम	अनु. जाति	आवेदन की तारीख
1	2	3	4
1.	नाथ्या रेगर.	अनु. जाति	9-6-89
2.	मोती/शुक्ला बैरवा	,,	,,
3.	पून्या/छोटू चमार	,,	16-11-89
4.	उदयराम/जगनलाल	,,	1-1-90

अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम	अनुसूचित जनजाति	आवेदन की तारीख
1	2	3	4
1.	रंगलाल हरबक्स मीना	अनु. जनजाति	4-4-80
2.	कंवरपाल	"	28-3-81
3.	रामकरण/मोला	"	28-3-84
4.	गोरधन/कालू मीना	"	3-4-85
5.	नानगा/मूलचन्द मीणा	"	31-3-87
6.	सुखजी/सुवा मीना	"	11-11-87
7.	नानगा/जस्सी मीना	"	31-3-89
8.	ओंकार/रामनाथ मीना	"	4-10-89
9.	मोरीलाल/भंवरिया	"	1-1-90
10.	रामजीलाल/कीजीलाल	"	"
11.	कालूराम/लादूराम मीणा	"	15-1-90
12.	हरचन्दा/कालूराम	"	
13.	बजरंगलाल/रामनारायण	"	22-1-90
14.	शंकरलाल/काना मीणा	"	27-1-90
15.	गजानन्द/भंवरिया मीणा	"	3-7-90

(268)

नशाबन्दी कानून के अन्तर्गत विचाराधीन मामले

303. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नशाबन्दी कानून के अन्तर्गत कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ? इनमें से अधिकतम कितने वर्ष पुराने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नशाबन्दी कानून के तहत दर्ज अधिकतम मामले जनजाति समुदाय के लोगों के हैं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) प्रदेश में नशाबन्दी कानून के अन्तर्गत कुल 2419 मामले विचाराधीन है। इनमें से 2054 मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने है।

(2) जी नहीं।

नशाबन्दी कानून के तहत राज्य में दर्ज कुल 2419 मामलों में से केवल 468 मामलें जनजाति के लोगों के हैं।

राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई की एक्सरे–मशीन

304. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई अस्पताल में एक्सरे मशीन दिनांक 26-4-1991 से आई हुई है ? इसका उपयोग अब तक प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा प्रभारी बांदीकुई की लापरवाही की वजह से एक्सरे मशीन के महत्वपूर्ण पार्ट्स बरसात का पानी भर जाने के कारण खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां,

रेफरल अस्पताल, बांदीकुई में एक्सरे मशीन 100 (एम.ए.) दिनांक 26-4-91 को भेजी गई थी। एक्सरे मशीन का उपयोग सर्वप्रथम तो एक्सरे मशीन के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कमरे के निर्माण में विलम्ब, थ्रीफेज बिजली के कनेक्शन प्राप्त होने में विलम्ब तथा एक्सरे मशीन सप्लाई करने वाली फर्म द्वारा इन्स्टालेशन में कुछ विलम्ब के कारण इतने समय तक नहीं हो पाया है। उक्त एक्सरे मशीन को मशीन सप्लाई करने वाली फर्म के इंजीनियर ने परीक्षण कर दि. 1-3-92 को चालू कर दिया है।

(2) यह सही नहीं है, एक्सरे मशीन चालू कर फर्म के इंजीनियर ने इसे बिल्कुल सही हालत में पाया है और इस बाबत अपना प्रमाण पत्र भी दे दिया है।

जोधपुर की पेयजल व्यवस्था

305. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(1) क्या जोधपुर शहर के पेयजल संकट को दूर करने के लिये जलदाय विभाग जोधपुर ने लिफ्ट केनाल का पानी जोधपुर शहर में लाने के लिए कोई आपातकालीन अतिरिक्त पाइप लाइन योजना बनाई है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ किया जा रहा है ?

(2) लिफ्ट केनाल की आपातकालीन योजना के लिये किस आकार के पाइप लगेंगे ? पाइपों की कुल लागत क्या होगी ? पाइप हेतु किस फर्म को व कब तक पाइप उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं ?

(3) इस योजना में जोधपुर शहर में कितने पम्प सैट लगेंगे ? इनकी क्षमता क्या होगी ? क्या इनको खरीदने के लिये टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? अब टेण्डर कब तक आमंत्रित कर लिये जायेंगे ?

(4) इस योजना द्वारा जोधपुर शहर को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ? अब तक इस संदर्भ से क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) विद्युतलाइन व उपकरण किस-किस क्षमता से कब तक लग जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) संदर्भित योजना में, 1626 मिली मीटर, 457 मिलीमीटर, 406 मिलीमीटर तथा 357 मिली मीटर बाहरी व्यास के पाइप लगाये जाने का प्रस्ताव है। 1626 मिलीमीटर व्यास के पाइपों के क्रय हेतु 887.27 लाख रुपये के आदेश स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को दिये गये हैं। जिसके अनुसार आपूर्ति अतिशीघ्र व प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। अन्य साइजों में से अधिकांश मात्रा में पाइप उपलब्ध हैं व शेष की आपूर्ति हेतु कार्यवाही प्रगति में है।

(3) योजना में प्रस्तावित 13 पम्पगृहों पर लगाने हेतु प्रस्तावित 45 पम्प सैटों की क्षमता सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इनमें से 12 सैट उपलब्ध हैं तथा शेष हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

(4) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992 में जोधपुर शहर को जल उपलब्ध कराना लक्षित है। पम्पिंग व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति तथा कार्य, क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(5) विद्युतलाइनों एवं उपकरणों हेतु क्षमताओं के निर्धारण का कार्य राजस्थान राज्य विद्युतमण्डल के स्तर पर प्रगति में हैं, जिन्हें इस योजना के चालू होने से पूर्व, पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

270

विभिन्न पम्पिग स्टेशनों पर पम्पिग सैट्स की क्षमता सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	पम्पिग स्टेशन (आर. डी.)	पम्पिग सैट्स की क्षमता (एच.पी.)	डिस्चार्ज (एल.पी. एस.)	हैड (मीटर)	पम्पिग सैट्स की संख्या		
					कार्यशील	स्टेण्ड बाई	कुल
1.	0	40	400	10	2	1	3
2.	9.9	100	250	25	3	2	5
3.	19.9	100	250	25	3	2	5
4.	35.4	100	250	25	3	2	5
5.	47.07	120	300	20	2	1	3
6.	69.3	320	250	65	2	1	3
7.	87.525	165	275	35	2	1	3
8.	155.0	225	140	85	2	1	3
9.	160.3	225	140	85	2	1	3
10.	165.0	190	140	70	2	1	3
11.	171.75	190	140	70	2	1	3
12.	191.90	160	115	70	2	1	3
13.	199.9	200	115	91	2	1	3
				कुल	29	16	45

पंचायत समिति सुल्तानपुर व सांगोद (कोटा) के ग्रामों का विद्युतिकरण

306. **श्री बृजराम मीणा (दीगोद)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर व सांगोद में 1990-91 व 1991-92 में कितने गांवों का विद्युतिकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उपलब्धि क्या रही है ?

(2) पंचायत समिति सुल्तानपुर में ग्राम बूढ़ादीत में सब ग्रिड स्टेशन का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं सांगोद में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में प्रस्तावित लक्ष्य व उसके सापेक्ष विद्युतिकृत किये ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	पं.स. का नाम	वर्ष 90-91		वर्ष 91-92 (माह फरवरी, 1992)	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	सुल्तानपुर	3	1	6	4
2.	सांगोद	6	6	सभी ग्राम विद्युतिकृत किये जा चुके हैं।	

(2) पंचायत समिति सुल्तानपुर के ग्राम बूढ़ादीत में 33 के. वी. सब स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 1991-92 के प्रोग्राम में सम्मिलित है। इससे संबंधित 33 के. वी. लाईन दीगोद से बूढ़ादीत का कार्य प्रगति पर है। उपलब्ध साधन व सामान के अनुसार कार्य पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं।

राज्य में उग्रवादी गतिविधियां

307. **श्री हरीसिंह (महुआ), एवं श्री हीरालाल (बामनवास) एवं श्री परसादी लाल (लालसोट)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्रीगंगानगर जिले में 26 जनवरी, 1992 को उग्रवादियों ने खालिस्तान के झण्डे फहराये थे ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान में खालिस्तान समर्थकों के संगठन सक्रिय हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तथाकथित खालिस्तानी नक्शे में श्रीगंगानगर को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में दिनांक 25-1-92 को रात्रि को कुछ सिखों द्वारा (1) गांव पालेवाली ढ़ाणी चक 3 यू. टी.

(गृह मंत्री)

एस. (2) मोरजण्ड खारी व (3) मम्मड स्थित स्कूल परिसर में खालिस्तानी झण्डे फहराये थे।

(2) अभी तक की जानकारी में ऐसा नहीं पाया गया है।

(3) जी नहीं, राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा कोई नक्शा नहीं है।

विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय

308. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एलोपैथिक एवम् देशी पद्धति (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, प्राकृतिक इत्यादि) के बजट प्रावधान एवम् व्यय का वर्ष 1991-92 में क्या अनुपात है ?

(2) देशी पद्धति के स्थान पर एलोपैथिक को अधिक महत्व दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार देशी पद्धतियों को प्राथमिकता प्रदान करने पर विचार रखती है ?

(3) एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार पर कितना व्यय 1991-92 में किया गया है तथा देशी पद्धति पर कितना ?

(4) एलोपैथिक में मशीनों एवम् उपकरणों तथा औषधियों के लिये कितना बजट का प्रावधान गत दो वर्षों में रखा गया तथा देशी पद्धतियों पर कितना ?

उत्तर

(1) एलोपैथिक एवं देशी पद्धति (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एवं प्राकृतिक) के बजट प्रावधान एवं व्यय का अनुपात 6:1 का है।

(2) सभी चिकित्सा पद्धतियों पर जन साधारण की आवश्यकता एवं मान्यता के अनुरूप ध्यान दिया जाता है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-1)

(4) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ठ-2)।

परिशिष्ट–1

वर्ष 1991-92 में प्रचार प्रसार हेतु वित्तीय प्रावधान

(राशि लाखों में)

	राज्य मद	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
एलोपैथिक	1.22	—
परिवार कल्याण	—	70.00
देशी पद्धति	—	—

परिशिष्ट–2

गत दो वर्षों (1989-90 एवं 1990-91 में) में मशीनों/उपकरणों एवं औषधियों, के प्रावधानों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम	वर्ष 1989-90	1990-91
	1–एलोपैथी पद्धति		
	मशीन/उपकरण	496.18	520.66
	औषधियां	1212.34	1389.03
	2–देशी पद्धति		
	मशीन/उपकरण	4.18	0.97
	औषधियां	57.11	58.02

अकालग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था

309. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निरन्तर प्रदेश में पड़ने वाले अकाल के कारण अकाल पीड़ित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन सी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं ? सरकार द्वारा अब तक कहां-कहां किस-किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

(2) उन क्षेत्रों में लोगों के उपचार के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) ऐसी बीमारियों के कारण अब तक कितने व्यक्तियों की मौत हो चुकी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) यद्यपि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित नहीं हैं । तथापि विभाग द्वारा संभावित बीमारियों के नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्वरूप विभाग द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक औषधियां रखने के निर्देश, जल शुद्धिकरण सामग्री व वैकसीन आदि का समुचित भण्डारण करने के निर्देश, बीमारियां की रोकथाम हेतु मार्गदर्शन हेतु विशेषज्ञों के दल गठित करने के निर्देश, राहत शिविरों पर मेडिकल व पैरा-मेडिकल स्टाफ द्वारा नियमित रूप से देखभाल करने के निर्देश, मल्टी विटामिन, बी-कम्प्लेक्स, आइरन फौलिक एसिड तथा विटामिन 'ए' की गोलियों के वितरण के निर्देश दिये गये हैं । अकाल स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था की पूर्ण निगरानी हेतु क्षेत्रीय व जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किये गये हैं । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल शुद्धिकरण के लिए वेजीडुअल क्लोरीन पद्धति से शुद्धिकरण नियमित करने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

(3) अकाल के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है ।

कुण्डेरा (सवाई माधोपुर) पेयजल योजना

310. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुण्डेरा पेयजल योजना के अन्तर्गत तहसील सवाई माधोपुर में पानी की टंकी से नये बोरिंग तक कितनी पाइप लाइन बिछाई गई व उस पर कितना धन खर्च किया गया ?

(2) उक्त पाइप लाइन डालने हेतु कितने फीट गहरी खाई खोदना अपेक्षित था एवं वास्तव में कितनी गहरी खाई में लाइन डाली गई ?

(3) क्या यह सही है कि पाइप लाइन डालने की खाई निर्धारित मापदण्ड से कम खोदी गयी है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा

(श्री चुन्नीलाल)

सम्बिन्धत अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) संदर्भित स्थान पर 930 मीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाई गई है। कार्य की अनुमानित राशि 70,308 रुपये है।

(2) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लगभग 1 मीटर गहरी खाई खोदना अपेक्षित था जबकि औसतन लगभग 57 सेंटीमीटर गहराई पर (विभागीय कर्मचारियों द्वारा) लाइन डाली गई।

(3) जी हां। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(4) नियमों के अन्तर्गत जांच की जा सकेगी। जांच हेतु निश्चित समय की सीमा का निर्धारण किया जाना तो वर्तमान में कठिन है। परन्तु इस प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

जमुवा रामगढ़ क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी द्वारा स्वीकृत सड़कें

311. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमुवारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जमुवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 1990 से अब तक कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में कितनी सड़कें अधूरी हैं और उनको कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(3) सायपुरा से भानपुर कलां सड़क का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने का सरकार कब तक इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) चूंकि 89-90 में तीन वर्ष की गणना के आधार पर सड़कें स्वीकृत की गई थी। अतः जमुवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से अब तक कृषि उपज मण्डी समिति की कोई नई सड़क स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) इस क्षेत्र से सम्बन्धित 11 सड़कें अधूरी हैं। वित्तीय उपलब्धता के आधार पर उन्हें 1992-93 के अन्त तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जावेंगे।

(3) सायपुरा से भानपुर कलां सड़क के शेष रहे निर्माण कार्य हेतु बजट स्वीकृति की कार्यवाही चल रही है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

ट्रैवल एजेन्सीज द्वारा सचालित बस सेवा

312. श्री सालिग राम (बयाना) **एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बड़े शहरों यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर में निजी बसों द्वारा लम्बी दूरी की यात्रा हेतु नियमित सेवा के कार्यालय खुले हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन ट्रेवल एजेन्सियों के माध्यम से यात्रा करने वालों के लिए कान्ट्रेक्ट कैरिज भ्रमण का परमिट सदैव यातायात विभाग से प्राप्त करना होता है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन प्राइवेट बसों को जो परमिट दिये जाते हैं वे एक व्यक्ति या समूह द्वारा कांट्रेक्ट पर पूरी बस लेने के होते हैं न कि एक-एक पैसेन्जर से अलग-अलग किराये के ?

(4) यह ट्रेवल एजेन्सियां एक-एक यात्री को गन्तव्य स्थान पर किस हैसियत से ले जाती है ? सरकार इन अवैध वाहनों को रोकने में क्यों असफल है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। नियमों (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 74, 87 व 88) की प्रति संलग्न है।

(3) यह परमिट एक व्यक्ति द्वारा या समूह में कॉन्ट्रेक्ट पर समूह में यात्रा करने की सामान्य शर्त पर जारी किये जाते हैं।

(4) ट्रेवलिंग एजेन्सी मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 93 एवं राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5 : 73 के अन्तर्गत अपना कार्य करने के लिए लाइसेंस लेकर प्राधिकृत किये जाने का प्रावधान है। यह ट्रेवलिंग एजेन्सियां एक यात्री अथवा यात्रियों के समूह को गन्तव्य स्थान पर ले जाने के लिये बुक करती हैं। कॉन्ट्रेक्ट कैरिज अथवा स्पेशल अथवा ऑल इण्डिया ट्यूरिस्ट परमिट का वाहन अवैध तब मानी जाती है जबकि वह परमिट की शर्तों का उल्लंघन करती है। सरकार अवैध वाहनों को रोकने में विफल नहीं है। इस सम्बन्ध में सामान्य चैकिंग के अलावा विशेष अभियान चलाकर भी अवैध वाहनों के संचालन की रोकथाम हेतु यथेष्ट प्रयास किये गये हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दुग्ध संयंत्र, रानीवाड़ा

313. **श्री रतना राम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाडा में दूध की डेयरी में गंदा पानी एवं दूध में से निकलने वाला मैल वगैरहा जगह-जगह खुला पड़ा रहने की वजह से मच्छर पैदा हो जाने से डेयरी के आस-पास एवं रानीवाड़ा शहर में मच्छरों से लोग परेशान हैं तथा मलेरिया से पीड़ित हैं।

(2) यदि हां, तो मच्छरों की रोकथाम

(श्री रतना राम चौधरी)

के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या सरकार डेयरी से निकलने वाले पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा में दूध की डेयरी में गंदा पानी एवं दूध में से निकलने वाला मैल वगैरा जगह-जगह खुला पड़ा रहने की वजह से मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का प्रजनन होने वाली बात सही नहीं है।

(2) वर्ष 1991 में रानीवाड़ा में 1245 ज्वर रोगियों की खून की जांच की गई। इनमें से केवल 32 रोगी ही मलेरिया से पीड़ित होना प्रमाणित हुआ। वर्ष 1992 में अब तक 61 रोगियों की रक्त पट्टियां लेकर केवल 1 रोगी ही मलेरिया से पीड़ित होना प्रमाणित हुआ। विभाग द्वारा फिर भी पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रानीवाड़ा में भी कीट नाशक औषधियों का छिड़काव एवं अन्य गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) स्वास्थ्य की दृष्टि से जिले के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) जालौर ने पत्रांक 1719 दिनांक 30-7-91 द्वारा उक्त समस्या के निराकरण के बाबत डेयरी प्रबन्धक, जालौर का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। नगर पालिका, डेयरी को मिलाकर इस विषय में व्यवस्था करनी है।

फलौदी (जोधपुर) के नलकूप

314. श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील जिला जोधपुर के पेयजल के नलकूप ग्राम 1 बरसिंगों का बास, देणोक 2—खीचन 3—मोखेरी 4—कुशलावा 5—सदरी नल कूप पीलवा, 6—पूर्वी ढाणी लोहावट दिनांक 18-1-92 से पूर्व क्रमशः 1 माह, 20 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह एवं 4 माह तक विभाग की लापरवाही से बंद रहे ?

(2) क्या इनको अब ठीक कर चालू कर दिया गया है ?

(3) क्या सरकार इन नलकूपों के बंद होने के कारणों पर विचार कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित नलकूपों के बंद होने का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। नलकूप पम्पसैटों के खराब हो जाने के कारण बंद रहे।

(2) जी हां।

(3) नलकूप सामान्यतः पम्पसैट खराब होने के कारण बन्द हुए हैं। जांच होने पर ही कार्यवाही सम्भव है।

(278)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	माह जनवरी 1991 से 18-1-92 के मध्य नलकूप बन्द होने की अवधि
1.	बरसिगों का बास	2-11-91 से 4-11-91
		12-11-91 से 13-11-91
		12-12-91 से 9-1-92
2.	खीचन	1-4-91 से 8-4-91
		10-4-91 से 16-4-91
		2-1-92 से 15-1-92
		15-1-92 से 18-1-92
3.	मोखोरी	30-1-91 से 9-2-91
		24-4-91 से 1-5-91
		24-5-91 से 8-6-91
		29-6-91 से 9-7-91
		16-12-91 से 7-1-91
		7-1-92 से 18-1-92
4.	कुशलावा	26-12-91 से 18-1-92
5.	सदरी नलकूप	6-8-91 से 20-8-91
		14-12-91 से 26-12-91
		27-12-91 से 17-1-92
6.	पूर्वी ढाणी लोहावट	20-9-91 से 2-10-91
		15-12-91 से 30-12-91
		31-12-91 से 6-1-92
		7-1-92 से 18-1-92

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 414 का विवरण

कार्यालय नगर पालिका बांदीकुई

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन याचिका (वाद) प्रार्थना-पत्र की सूची

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	केस संख्या	उनवान	केस दायर होने का दिनांक	जवाब प्रस्तुत होने का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	माननीय उच्च न्यायालय	2675/91 याचिका	महेशचन्द बनाम स्टेट आफ राजस्थान	19-7-91	25-9-91	—
2.	माननीय उच्च न्यायालय	1272/91 रिविजन	गुलाब देवी बनाम न. पा. लेबर कार्ट के निर्णय का रिविजन			—
3.	माननीय उच्च न्यायालय	7189/91	कमलेश बनाम स्टेट आफ राजस्थान सर्विस मैटर	3-1-92	जवाब प्रस्तुत होने से अभी सम्भव आया है।	
4.	माननीय उच्च न्यायालय	4416/89	दाखा देवी बनाम न. पा. रिविजन	24-10-89	22-5-90	—
5.	माननीय उच्च न्यायालय	809/85	सुरेश चन्द बनाम स्टेट आफ राजस्थान सर्विस मैटर	6-7-85	2-10-85	—
6.	माननीय उच्च न्यायालय	810/85	पूरण बनाम स्टेट आफ राजस्थान सर्विस मैटर	6-7-85	2-10-85	—

1	2	3	4	5	6	7
7.	माननीय उच्च न्यायालय	1223/84	एहसान खां बनाम स्टेट आफ राजस्थान सर्विस मैटर	वर्ष 87	22-12-85	—
8.	माननीय श्रम न्यायालय	248/87	सेवा सम्बन्धित इतवारी बनाम न. पा. बा.	वर्ष 87	22-12-85	—
9.	न्यायालय समझौता	परिवार	श्याम सुन्दर बनाम न. पा. सेवा मैटर	8-7-91	23-8-91	—
10.	माननीय उच्च न्यालालय	755/91	रामचन्द्र बनाम राजकुमारी व अन्य जमीन सम्बन्धित		25-10-91	—
11.	माननीय उच्च न्यायालय	514/85	गंगाराम बनाम स्टेट आफ जमीन सम्बन्धित स्टे आर्डर है।		25-3-85	—

ह.
अधिषाशी अधिकारी
नगर पालिका बांदीकुई
जिला जयपुर (राज.)

कार्यालय नगर पालिका, बांदीकुई

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन याचिका/वाद/प्रार्थना-पत्र की सूची

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	उनवान
1	2	3
1.	ए. एम. एम., बांदीकुई	दावा मोहनलाल न. पा.
2.	ए. एम. एम., बांदीकुई	दावा विजया देवी न. पा.
3.	ए. एम. एम. बांदीकुई	दावा नारायणी न. पा.
4.	कलक्टर, दौसा	दावा छुट्टन लाल न. पा.
5.	एम. एम. बांदीकुई	चालान नगरपालिका/नर्बदा
6.	एम. एम. बांदीकुई	दावा ओमप्रकाश/सांवरमल
7.	एम. एम. बांदीकुई	दावा छीतरमल/न. पा.
8.	एम. एम. बांदीकुई	दावा शांति देवी/मनोहर लाल
9.	ए. एम. एम. बांदीकुई	चालान सरकार/सांवरमल
10.	एम. एम. बांदीकुई	चालान नगरपालिका/सरजीत
11.	एम. एम. बांदीकुई	चालान नगरपालिका/रामावतार
12.	ए. डी. जे. दौसा	दावा चुन्नीबाई/बाबूलाल
13.	ए. डी. जे. दौसा	अपील रघुवीरशरण/श्रीकृष्ण ,, ,, रजियाबैग/न. पा.
14.	ए. डी. जे. दौसा	,, ,, रजियाबैग/न. पा.
15.	एम. एम. बांदीकुई	दावा दु. शिम्भुदयाल/ब्रह्मानन्द
16.	ए. एम. एम. बांदीकुई	दावा भगवान सिंह न. पा.
17.	एम. एम. बांदीकुई	चालान नगरपालिका/श्रवणलाल
18.	ए. एम. एम. बांदीकुई	दावा/दावा न. पा.
19.	एम. एम. बांदीकुई	चालान न. पा./रामेश्वर पाठक
20.	ए. एम. एम. बांदीकुई	दावा रजिया बैग/न. पा.
21.	एम. एम. बांदीकुई	दावा राधेलाल/कन्हैयालाल
22.	एम. एम. बांदीकुई 121/84	चालान न. पा./राधेश्याम रामेश्वर
23.	एम. एम. बांदीकुई	दावा/दर रामसिंह न. पा.

282

1	2	3
24.	एम. एम. बांदीकुई 62/91	दावा बाबूलाल/शिवशंकर
25.	ए. एम. एम. बांदीकुई	दावा असुली न. पा./रामगोपाल
26.	एम. एम. बांदीकुई 255/90	दावा/दर रमेश चन्द्र तेली महेश चन्द्र न. पा.
27.	एम. एम. बांदीकुई 5/90	दावा/मालचन्द न. पा.
28.	एम. एम. बांदीकुई 65/87	दावा किस्तुरी/न. पा.
29.	एम. एम. बांदीकुई	चालान नगर पालिका, मोतीलाल
30.	ए. एम. एम. बांदीकुई	दावा जय बूद नगर पालिका
31.	एम. एम. बांदीकुई	दावा तीजों/न. पा.
32.	ए. सी. एम. बांदीकुई	दावा न. पा./ग्राम प.
33.	ए. एम. बांदीकुई	दावा खादी समिति/दामोदर
34.	एम. एम. बांदीकुई	दावा महेश/न. पा.
35.	एम. एम. बांदीकुई	चालान नगर पालिका/कैलाश
36.	एम. एम. बांदीकुई	दावा/दर. रतीश चन्द्र नगर पालिका बांदीकुई
37.	ए. एम. एम. बांदीकुई	दावा/दर रामजीलाल
38.	एम. एम. बांदीकुई	चालान नगर पालिका/रामावतार

ह.
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका बांदीकुई,
जिला जयपुर (राज.)

2083

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 417 की प्रति

Local Self Government Department.

To

The Collector,
Pali,

No: D. 13139/F.1(g) (38) LSG/56. Jaipur, the 22 nd Aug. 1956.

Subject:–Cononey for the Rehabilitation of Gadhia Lohars.

Reference: Your letter No. Dev./Camp/1 dated 19.7.56.

I am directed to convey Government apuroval to your proposal of Earmarking of the site marked on the attached plan between the Sojat town and the Sojat Landing ground and the plan of the detailed layout and also to the allotment of the plots covered by the Scheme as per attached site plans duly counter signed in token of its acceptance to Gadhia Lohars families free of cost as recommended by you.

Signature
Secy. to the Goverment.
D/– 22.8.56.

No.

Copy forwarded to the :—

Chairman, Municipal Board, Sojat with reforence to their No. Mun./187/56—57 dated 18.7.56.

Signature
Secy. to the Government.

(284)

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 429 की सूची

ग्रामवार उन स्थानों की सूची जहां हैण्डपम्प के उपकरण नहीं स्थापित हैं (विधान सभा क्षेत्र अटरू जिला बारां)

क्र.सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड नं.	खुदाई का माह	उपकरण न लगाये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	अटरू	छेला बेल	76	10/91	कमाण्ड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने से रास्ता न होने के कारण तथा वांछित मात्रा में जी.आई. पाइप उपलब्ध न होने के कारण हैण्ड-पम्प स्थापित नहीं किए जा सके।
2.	—	उदयपुरिया	28	10/91	—
3.	—	जारोद	24	11/91	—
4.	—	मोटूका	65	90-91	हैण्डपम्प और कोलेप्स होने के कारण।
5.	—	मामथा	30	90-91	—
6.	—	कुजेड	29	11/91	32 एम.एम. व्यास के

1	2	3	4	5	6
					जी.आई. पाइप की अनुपलब्धता के कारण।
7.	—	चरड़ाना	110	2/92	इनके क्रय की कार्यवाही बोर्ड की क्रय समिति द्वारा की जा रही है।
8.	—	नारायणपुरा नया राजस्व ग्राम		11/91	—
9.	—	बहादुर गंज मजरा चरडाना		2/92	—
10.	—	डरवाडा मजरा झारखंड		2/92	—
11.	—	गोरडी मजरा बाणगंगा		2/92	—
12.	बारां	तलावडा	53	6/92	—
13.	—	रटावद	65	1/92	—

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 431 की प्रतियाः—

राजस्थान सरकार

क्रमांक/स.अभि/Pol.P/रमग्पं./2778 दिनांक 15-1-87

श्री शंकर लाल पालीवाल
च श्रे.-क. नागरवाड़ी
नाग मार्ग, उदयपुर ।

विषयः— बिना सूचना दिये कार्यालय से अनुपस्थित रहने बाबत ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपने दिनांक, 16-12-86 से 20-12-86 तक के आकस्मिक अवकाश चाहने बाबत एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया था लेकिन दिनांक 16-12-86 से आज दिनांक 13-1-87 तक भी आपके द्वारा न तो कार्य भार ही ग्रहण किया है और ना ही अवकाश बढ़ाने की सूचना इस कार्यालय को दी जो कि स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने की श्रेणी के अन्तर्गत आता है ।

अतः अब भी आप तुरन्त कार्यालय में अपनी उपस्थित देवे, अन्यथा आपके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

सहायक अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,
अपर उपखंड चतुर्थ, उदयपुर

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर (उप खण्ड चतुर्थ), उदयपुर

विषय :— श्री शंकरलाल पालीवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर के लापता होने की सूचना।

प्रसंग :— आपका पत्र क्रमांक/रा.अ.वि./नि,-I/व्यप.प./86-87/2778 दि. 15-1-87 जो मेरे छोटे भ्राता श्री चन्द्रप्रकाश पालीवाल द्वारा प्राप्त किया गया।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे पिता श्री शंकरलाल पालीवाल आपके कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेवारत है वे दिनांक 18-12-86 को सायंकाल लगभग 6 बजे घर से यह कहकर निकले थे कि मैं वापस आ रहा हूं लेकिन वे अब तक वापस घर नहीं आये है।

जिस दिन (दिनांक 18-12-86) मेरे पिता घर से गये उस दिन वे मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहे थे। मैंने अपने पिता के गुमशुदगी की प्रथम सूचना थाना अम्बामाता में दिनांक 3-2-87 को दर्ज करा दी है जो यहां के रोजनामचा में क्रम संख्या 86 पर दर्ज हुई है।

हम भी उनको तलाश करने का प्रयास कर रहे है तथा पुलिस के माध्यम से समाचार पत्र तथा दूरदर्शन को भी उनका फोटो भेजा है।

जैसे ही मेरे पिता के कहीं होने की जानकारी प्राप्त होगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा। जब तक उनका पता नहीं लग जाता तब तक उनके विरुद्ध स्वेच्छा से अनुपस्थिति की किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कराने का कष्ट करे। आपकी महती कृपा होगी।

संलग्न : – तीन।

भवदीय,
हस्ताक्षर
(घनश्यामलाल पालीवाल)
पुत्र श्री शंकरलाल पालीवाल

दिनांक : 16-2-87

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 434 की सूची

बांसवाड़ा जिले में वर्तमान में स्वीकृत सड़क कार्यों के तहत 24 गांव डामरी की सड़क से और जुड़ेंगे :—

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या (1971 के आधार पर)	पंचायत समिति का नाम
1.	अडोर	2099	गढ़ी
2.	लिमथान	824	बांसवाड़ा
3.	सांगा	338	बांसवाड़ा
0.	चौपासाग	814	गढ़ी
5.	ईसरवाला	717	घाटोल
6.	माकोद	555	बांसवाड़ा
7.	झालो का गढ़ा	471	गढ़ी
8.	बडलिया	230	बांसवाड़ा
9.	डूंगर	511	घाटोल
10.	तौरना	596	गढ़ी
11.	रातडिया पाड़ा	386	गढ़ी
12.	वॉका	417	बांसवाड़ा
13.	पड़ोली राठौड़	1002	घाटोल
10.	पडाल बड़ी	1107	घाटोल
15.	तामरिया	2004	बांसवाड़ा
16.	रतनपुर कालिया	31	बांसवाड़ा
17.	बड़वास बड़ी	562	कुशलगढ़
18.	इटाला	1406	सज्जनगढ़
19.	बड़वास छोटी	410	कुशलगढ़
20.	बडजडिया	743	आनन्दपुरी
21.	जालिमपुरा	197	आनन्दपुरी
22.	कोटडा	279	कुशलगढ़
23.	जोगडी माल	344	कुशलगढ़
24.	पोटलिया	262	कुशलगढ़

क्र.सं.	सड़क का नाम	विभिन्न सड़कों पर कि.मी.	लम्बाई कि.मी.
1	2	3	4
1.	बांसवाड़ा सागवाड़ा रोड़	32 से 36	4
2.	बांसवाड़ा सागवाड़ा रोड़	40 से 41	2
3.	तलवाड़ा अरथुना सड़क	3. 4, 5	3
4.	बांसवाड़ा सागवाड़ा सड़क	12, 13	1.5
5.	सम्पर्क सड़क बस्सी (प.स. गढ़ी)	0—1	0.5
6.	भीमसोर सरेडी सड़क	4	1
7.	घाटोल गनोड़ा रोड़	11 से 14	4
8.	पीपलखूंट दानपुर सड़क	8	1
9.	गढ़ी बागीदोरा सड़क	14, 15	2
10.	गढ़ी आनन्दपुरी सड़क	10, 11	2
11.	बांसबाड़ा सागवाड़ा	14	0.5
12.	मांहीडेम खमेरा सड़क	2, 4, 6, 14	4
13.	बांसवाड़ा दाहोद सड़क	418 से 423	6
14.	चोरडी छाजी सड़क	1, 2	2
15.	छीछ चोरीया से गोंगड़तलाई	30 से 32	3
			36.5

परिशिष्ट–10

तारांकित प्रश्न संख्या 443 की सूची

श्री गंगानगर जिले में स्थापित एक्सरे मशीन का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	एक्सरे मशीन का विवरण	वर्तमान दशा	स्थापित होने का दिनांक	खराब होने की तिथि	कार्यरत कर्मचारी	कार्यरत होने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज. चिकि. श्रीगंगानगर	आई.ई.जी. 3-38, 30 एम.ए.	चालू हालत	1950	—	श्री सोमप्रकाश गुप्ता	7-11-83
2.	–यथा–	एल.टोप. पोटेबल 15 एम.ए.	चालू हालत	मार्च, 85	—	श्री पूनम चन्द	22-5-82
3.	–यथा–	साईमन पोलिसकोप 100 एम.ए.	चालू हालत	मार्च, 79	—	श्री अमी चन्द	22-10-86
4.	–यथा–	साईमन किलनोस्कोप 500 एम.ए.	चालू हालत	अप्रैल, 78	—	श्री हरी कृष्ण	29-4-81
5.	–यथा–	बुलागारीन मैक डेन्टल एक्सरे यूनिट	बन्द पड़ी है	मार्च, 77	11-9-78	—	
6.	क्षय निवारण केन्द्र श्रीगंगानगर	साईमन सोरिप ओ.एस. 5,100 एम.ए.	सही हालत में कार्य नहीं कर रही है	1968		पद रिक्त	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	राज. चिकि., मारदा	साईमन मोहनी, 60 एम.ए.	कार्य नहीं कर रही है	मार्च, 64	जनवरी, 92	पद रिक्त	
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र, करनपुर	साईमन रोसिटिस 25 एम.ए.	कार्य नहीं कर रही है	—	—	—	
9.	राज. चिकि., नोहर	साईमन पोलिस्कोप 50 एम.ए.	कार्य कर रही है	अगस्त, 74	—	—	
10.	राज. चिकि., सूरतगढ़	यथा 100 एम.ए.	–यथा–	मार्च, 74	—	—	
11.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सागरिया	आई.ई.जी. 100 एम.ए.	–यथा–	मई, 89	—	श्री अनिलकुमार शर्मा	18-10-90
12.	प्रा. स्वा. केन्द्र, पीलीबंगा	यथा 100 एम.ए.	–यथा–	मार्च, 66	—		
13.	प्रा. स्वा. केन्द्र, छानीबाड़ी	यथा 100 एम.ए.	–यथा–	सित. 87	—	श्री गुरदीपसिंह	18-11-90
14.	प्रा. स्वा. केन्द्र, रायसिंहनगर	— 75 एम.ए.	कार्य नहीं कर रही है	मार्च, 84	जनवरी, 92	पद रिक्त	

1	2	3		4	5	6	7	8
15.	प्रा. स्वा. केन्द्र, रायसिंहनगर	एक्सकोर्ट	30 एम.ए.	–यथा–	मार्च, 64	जनवरी, 92	श्री सुखवीरसिंह	18-11-90
16.	राज. चिकि. हनुमानगढ़	आई.ई.जी.	100 एम.ए.	कार्य कर रही है	मार्च, 88	—	श्री पृथ्वीराम	20-10-82
17.	राज. चिकि. विजयनगर	–यथा–	300 एम.ए.	–यथा–	1991	—	पद रिक्त	
18.	प्रा. स्वा. केन्द्र सादुलशहर	आई.जी.ई.एस.टी.	100 एम.ए.	कार्य नहीं कर रही है	मई, 89	नवम्बर 1991	—	

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 450 की सूची

कार्यालय लालसोड उपखण्ड में मांगपत्र तथा एल फार्म जमा उपभोक्ताओं की सूची जिन्हें कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	प्रार्थना पत्र की तिथि	मांगपत्र जमा होने की दिनांक	एल फार्म प्राप्त होने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	धन्ना छीतर	सोनड	9-10-84	24-4-91	4-9-91
2.	लालूराम रामफल	,,	,,	29-4-91	6-9-91
3.	प्रताप जन्सी	,,	,,	24-4-91	,,
4.	मूलचन्द्र रघुनाथ	,,	,,	29-4-91	,,
5.	रामजीलाल चन्द्रा	,,	,,	,,	,,
6.	रामनाथ चन्द्रा	,,	,,	,,	,,
7.	भागीरथ ग्यारसा	स्वरूपपुरा	12-10-84	26-4-91	7-5-91
8.	सावरिया गंगाबक्स	हेमलियावाला	,,	28-4-90	12-6-90
9.	रेवता गोविन्दा				7-5-91

1	2	3	4	5	6
10.	नोन्दाराम	हेमालियावाला	12-10-84	24-4-90	6-12-91
11.	,,	,,	,,	,,	29-4-91
12.	गोविन्दा भागीरथ	,,	,,	,,	7-5-91
13.	रामू हरबक्स	,,	,,	,,	21-11-91
14.	लक्ष्मण रामू	सिसोदिया	10-9-87	31-3-90	31-3-90
15.	हरबक्स भूरा	पातलवास	,,	,,	19-6-91
16.	रामकिशोर रामसहाय	भेरूवास	18-5-78	28-3-89	23-8-89
17.	जगननाथ रामकुमार	,,	,,	31-3-90	20-7-90
18.	मदनलाल लालचन्द्र	,,	,,	,,	4-9-90
19.	भोरीया हटया	,,	,,	,,	31-3-90
20,	नारायण बिरधा	,,	,,	,,	1-9-90
21.	नानगराम गंगासहाय	रामनगर खेड़ी	14-7-88	28-4-90	17-1-90
22.	भागीरथ रामचन्द्र	,,	,,	30-4-90	9-8-90
23.	भोरीया भगवाना	,,	,,	,,	8-8-90
24.	गुगू काना	जगनेरतु कियाना	,,	1-3-90	16-10-90
25.	हरीराम गंगाराम	,,	,,	3-3-90	16-11-90

1	2	3	4	5	6
26.	नाथु गंगलिया	जननेरतु किवाना	14-7-88	3-3-90	16-11-90
27.	घासी बिरधा	"	"	1-3-90	"
28.	कजाड सोनिया	"	"	"	"
29.	रामपाल ग्यारसा	"	12-10-89	"	"
30.	प्रभू गंगू	"	30-12-89	30-4-90	"
31.	मंगलिया भजन	नगरीयावास	18-5-78	10-4-89	31-12-89
32.	ओंकार मीना	"	"	"	18-7-89
33.	मोरपाल नाथू	"	"	"	25-6-90
34.	रामसहाय	"	"	"	"
35.	गंगाधर गिरवर	"	"	"	"
36.	जंगनिया पूनिया	"	"	"	"
37.	सरीया कल्याण	"	"	"	23-3-91
38.	मांग्या नानग्या	"	"	"	18-7-89
39.	भागीरथ कजाड	"	"	"	"
40.	जयवल्ड सोफल	"	7-8-89	"	25-6-90

1	2	3	4	5	6
41.	रघुनाथ मूलया	नगरीयावास	7-8-89	10-4-89	25-6-90
42.	माहनचन्द	,,	4-10-79	30-3-90	,,
43.	प्रताप मनफूल	मोलाई	10-9-84	26-4-91	24-6-91
44.	गोविन्दा बजरंगलाल	किशोरपुरा	7-11-79	25-4-89	30-10-89
45.	रामसुखा सोनिया	खुर्रा	13-1-89	1-4-89	29-4-81
46.	मौरीलाल किशना	,,	,,	,,	9-8-90
47.	अमरपाल श्योबक्स	,,	,,	,,	26-4-91
48.	मौरीलाल प्रभुलाल	,,	,,	15-4-90	,,
49.	जयचन्द मौरीलाल	,,	,,	,,	,,
50.	अम्बालाल भजनलाल	,,	,,	,,	24-11-90
51.	रामधन बदरी	,,	,,	,,	26-4-91
52.	ग्यारसा हरचन्द्रा	—	—	—	24-1-90
53.	सावलराम बुद्धाराम	खानपुर	19-3-82	19-4-90	21-4-90
54.	रामकोरा श्रीचन्द्र	—	—	6-4-91	6-9-91
55.	रामफूल रामधन	—	—	26-6-91	—
56.	श्याबक्स बुद्धा	टोडाधामा	25-4-79	27-10-90	27-1-90

1	2	3	4	5	6
57.	कजाड धर्मपाल	ढेवा नछलीकला	10-2-83	16-4-90	19-6-91
58.	गंगाराम मंगलराम	माधोपुरा	26-10-78	25-3-89	17-9-90
59.	रामेश्वर मोरीलाल	,,	,,	13-8-89	,,
60.	गेन्दया	पृथ्वीसिहपुरा	17-3-81	24-4-90	26-4-90
61.	हरीदास	,,	,,	,,	30-4-90
62.	रघुनाथा रनजीता	,,	,,	,,	,,
63.	सावरिया रामचन्द्र	,,	,,	,,	26-4-90
64.	केसरलाल भारीलाल	खोखरीया	5-5-78	17-3-89	7-9-90
65.	कमला देवी	चोडीयावास	14-8-78	1-4-89	18-9-90
66.	दुर्गालाल आनन्दीलाल	सबासा	18-8-79	23-3-89	21-9-89
67.	मिठा लाल श्रवण	,,	31-7-80	3-4-89	15-7-89
68.	गोविन्दा रामजीलाल	,,	31-12-81	20-4-91	6-2-92
69.	गंगाराम गणेश	,,	5-10-82	8-4-91	8-4-91
70.	रामचन्द्र धन्ना लाल	,,	24-9-82	6-4-91	6-4-91
71.	नानगा धासी	प्रहलादपुरा	25-3-79	16-4-90	1-2-91
72.	जयनारायण मोरीया	बटलाना	30-2-80	6-4-91	20-4-91

1	2	3	4	5	6
73.	लालचेतस	बटलाना	6-9-88	4-4-90	5-4-90
74.	लक्ष्मण धन्ना	,,	31-7-89	30-4-90	31-10-90
75.	कमला मोरीया	निर्भरना	28-3-81	30-4-90	30-10-90
76.	महादेव हीरा	,,	18-2-82	6-4-91	6-4-91
77.	मानसिंह कल्याणसिंह	होदायली	8-5-80	23-4-91	6-9-91
78	दलेलसिंह	महाराजपुरा	2-9-81	20-4-91	6-2-92
79.	कालू पेमा	,,	6-8-84	15-4-91	15-4-91
80.	गंगाधर लोडया	,,	18-8-84	,,	29-1-92
81.	मंगलया चन्द्रा	,,	12-10-84	29-4-91	15-4-91
82.	कजोड अम्बालाल	देवली	30-12-80	23-4-91	22-8-91
83.	गंगाराम सुखराम	सालीगरामपुरा	10-12-79	10-4-89	12-7-90
84.	रगां मीना	लाखनपुर	7-4-83	24-4-91	28-6-91
85.	रामफूल	,,	,,	27-4-91	7-5-91
86.	ग्यारसा	,,	18-5-84	29-4-91	,,
87.	कृष्णा श्योबक्स	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
88.	लालू मंगलया	लाखनपुर	31-5-85	29-4-91	17-7-91
89.	रामनारायण गेन्दा	,,	18-5-84	,,	,,
90.	कल्याण सोनया	,,	30-7-88	3-3-90	17-9-90
91.	मूल्या रामपाल मीना	राजपुरा	20-3-85	16-4-91	22-4-91
92.	मूलचन्द्र परसा मीना	,,	,,	29-4-91	20-4-91
93.	गोपाल पूनीया मीना	अनूपपुरा	6-8-80	12-4-91	,,
94.	चन्द्रा हनूता मीना	,,	9-4-91	31-5-91	31-5-91
95.	रामचन्द्र श्रवण	,,	6-8-80	12-4-91	20-4-91
96.	जयदेव नोन्दा बैरवा	,,	8-3-84	5-11-88	24-5-89
97.	रामपाल रामदेव	,,	14-7-88	26-3-90	11-6-90
98.	भोरया नानगा	,,	,,	,,	,,
99.	चेतस हरीया पूरीया	,,	6-9-88	,,	20-7-90
100.	छीतर नारायण	,,	,,	,,	11-6-90
101.	जयनाथ सुखदेव	,,	17-4-89	,,	,,
102.	मोरया सोलया	जयसिंहपुरा	30-4-88	14-3-90	7-9-90
103.	पाछू छोटू बैरवा	बाढ़ तातारसिंह	30-3-85	10-4-89	11-8-89

299

1	2	3	4	4	6
104.	रामेश्वर पुराहित	चोडीयाबास	15-7-78	1-4-89	23-1-90
105.	शंकरलाल कल्याण	,,	,,	18-3-89	10-9-90
106.	घासी मूलचन्द रेगर	सालगरामपुरा	3-8-78	20-3-89	24-3-90
107.	भंवरसिह बजरंगसिह	पृथ्वीसिहपुरा	4-10-79	15-2-90	21-2-90
108.	कल्याण सहाय शर्मा	सुन्दरपुर	24-8-78	24-2-89	7-2-90
109.	रामकंवर शर्मा	,,	16-2-78	30-3-90	3-1-91
110.	बनवारीलाल बजरंगलाल	डीडवाना	21-8-78	1-4-89	13-9-89
111.	रामजीलाल विजयनारायण	,,	24-1-80	25-3-89	7-9-89
112.	मूलचन्द ग्यारसा	,,	29-3-88	25-2-90	20-7-90
113.	बल्या जनया रेगर	,,	6-9-88	29-1-90	2-3-90
114.	हरदेव चेता रेगर	,,	,,	15-2-90	17-4-90
115.	लल्लूप्रसाद	चांदसेन	8-12-78	1-4-89	17-10-89
116.	बदरीलाल मोदी	,,	15-12-78	25-3-89	12-10-89
117.	सामलाल मूलचन्द	,,	31-3-79	3-4-89	,,
118.	गोपी रंगा	,,	,,	,,	17-10-89
119.	सोयाराम रामदेव	,,	4-10-79	1-4-89	12-10-89

1	2	3	4	5	6
120.	चोथमल मोरीमल	चांदसेन	17-3-81	16-4-90	2-5-90
121.	नानगराम कामडा	,,	9-12-85	17-2-89	24-5-89
122.	धन्ना रेखा रेगर	,,	5-1-87	15-3.89	,,
123.	ग्रानन्दी लाल	,,	8-9-87	3-4-89	9-5-89
124.	हुक्मा मोरीलाल	टोरडा	25-5-78	10-4-89	15-6-89
125.	रेवडमल गणेश	,,	18-7-78	,,	27-9-89
126.	रामप्रसाद	,,	17-7-78	,,	,,
127.	नारायण	,,	,,	,,	,,
128.	शंकर लाल	,,	4-9-78	,,	,,
129.	कन्हैया लाल	,,	21-9-78	,,	28-7-89
130.	कजोडमल मोरीमल	,,	23-9-78	,,	15-6-89
131.	रामेश्वर नानगा	,,	,,	,,	27-9-89
132.	मथुरालाल	,,	,,	,,	,,
133.	कल्याण नारायण	,,	7-8-79	,,	30-3-90
134.	सोनीराम	टोडागंगा	15-7-78	2-5-89	,,
135.	सुखपाल	,,	,,	,,	10-7-89

1	2	3	4	5	6
136.	मांगीलाल	टोडागंगा	15-7-78	2-5-89	10-7-89
137.	बुद्धा बल्या	–	„	„	30-3-90
138.	लोडिया गोविन्दा	–	„	„	4-9-90
139.	मोरया मूलचन्द	–	„	„	30-3-90
140.	चौथ्या माली	–	„	„	28-7-89
141.	तोथ्या सोनिया माली	–	„	„	„
142.	सीताराम	–	„	„	10-7-89
143.	रामस्वरूप जयनारायण	–	„	„	4-9-90
144.	केदारप्रसाद	–	„	„	10-7-89
145.	बृजमोहन गौड़	–	„	„	17-9-90
146.	लल्लू प्रसाद	–	„	„	28-7-89
147.	अब्दुल कादीर	–	„	„	„
148.	बजरंग लाल	बगड़ी	30-1-81	28-4-90	31-5-90
149.	जयराम गोपाल	„	18-10-82	30-4-90	23-7-90
150.	जनक्या भूरा मीना	„	„	23-4-90	„
151.	रामजीलाल घनश्याम	„	„	26-4-90	26-4-90

1	2	3	4	5	6
152.	गणेश कृष्णा मीना	बगड़ी	18-10-82	23-4-90	23-7-90
153.	हरीजी जनसी	बीलोना	30-12-80	24-2-90	2-3-90
154.	राधेश्याम वैष्णा	„	„	8-3-90	11-4-90
155.	शम्भुदयाल मांगीलाल	„	5-12-85	26-4-90	2-1-91
156.	श्योजी राम तोताराम	„	31-10-87	30-4-90	23-2-91
157.	फूलीया जैया	„	28-10-88	30-4-90	4-9-90
158.	रामरतन सोनिया	„	31-3-89	30-4-90	15-2-91
159.	सोन्या सुमजी	सूरतपुरा	31-12-80	24-4-90	24-9-90
160.	मूरीया पूनिया	„	24-3-81	19-4-90	26-4-90
161.	पॉज्या रामनारायण	„	„	24-4-90	15-1-91
162.	सरदारसिंह	बडेखन	19-5-78	22-3-90	11-4-90
163.	मोरीया रामचन्द्र बैरवा	सूरतपुरा	31-3-89	26-4-90	26-4-90
164.	बसन्ता गोपी	पटीसुलतानपुरा	19-5-78	6-2-90	6-2-90
165.	रंगारतन लाल	कोकरीया	5-7-82	26-4-90	26-4-90
166.	गेंदा कालू बैरवा	डिग्गी	25-6-86	26-10-87	7-5-88
167.	तेरीयाछोटू बैरवा	„	„	„	7-9-88

1	2	3	4	5	6
168.	हजारीलाल मोरीलाल	रामगढ़पंजवाडा	25-9-78	13-3-89	5-4-89
169.	हरदेव मीमा	,,	,,	,,	,,
170.	मोरीलाल	,,	,,	,,	,,
171.	नारायण	,,	,,	23-3-89	,,
172.	पॉन्चा हनुणता	,,	28-9-78	17-4-89	17-9-90
173.	लाल्या गोपाल	,,	,,	,,	5-10-89
174.	लूल्या	,,	,,	,,	16-3-90
175.	कालू काल्या	,,	,,	,,	,,
176.	गोविन्दा नारायण	,,	2-1-79	,,	17-9-90
177.	हरिसिंह	,,	18-1-79	,,	27-5-89
178.	तख्तसिंह	,,	6-4-79	,,	11-8-89
179.	हजारीलाल मंगलराम	,,	,,	,,	17-9-90
180.	मोरीया डालीयामीना	,,	1-2-80	17-4-89	28-8-89
181.	रामचन्द्र कन्हैया	,,	4-2-80	,,	15-11-90
182.	मूल्या कल्याण	,,	,,	16-4-90	5-5-90
183.	नारायण दास कोहली	,,	31-3-79	30-4-90	31-10-90

1	2	3	4	5	6
184.	गोपालसिंह	अरनीयाकला	22-4-78	24-2-89	25-2-89
185.	मूलसिंह	हरनिया कला	11-8-78	20-4-89	30-3-90
186.	घासी बाल्या मीना	निजामपुरा	12-9-78	6-4-89	15-6-89
187.	मांगीलाल बिरदीचन्द	,,	,,	,,	,,
188.	मूल्या हरगोविन्द	,,	21-9-78	6-4-89	15-6-89
189.	नेन्या	नहरीजसवंतपुरा	11-8-78	,,	15-1-90
190.	श्योनारायण	,,	,,	5-4-89	14-12-89
191.	नेन्या	,,	,,	6-4-89	15-1-90
192.	कान्या बीरबल	,,	,,	10-4-79	17-9-90
193.	रामपाल	सलेमपुरा	26-10-78	23-3-89	27-9-89
194.	रामस्वरूप रामचन्द्र	देलाल	29-10-79	15-4-89	21-8-89
195.	घनश्याम मुरालाल	,,	19-12-78	10-4-89	17-10-89
196.	रामकरण नाथुलाल	,,	24-1-80	15-4-89	2-8-89
197.	भगवान सहाय	,,	19-1-87	10-4-89	,,
198.	श्योन्या	,,	10-12-87	28-4-90	31-10-90
199.	मूलचन्द	,,	7-2-89	28-2-90	,,

1	2	3	4	5	6
200.	चिरंजीलाल	अमराबाद	1-9-78	4-4-89	2-8-89
201.	मूलचन्द	,,	26-12-78	24-3-89	24-3-89
202.	सौड्या रामकरण	,,	1-9-78	4-4-89	24-3-90
203.	कैलाश चन्द्र	,,	24-2-79	10-4-89	17-9-90
204.	प्रभूलाल	,,	4-3-80	,,	29-8-89
205.	रामसहाय चेलया	बिडोली	22-7-78	,,	11-8-89
206.	श्योबक्स हरीनारायण	,,	,,	6-4-89	,,
207.	भेरू रूपा	नारायणपुरा	6-3-87	2-4-90	20-7-90
208.	नन्दा मोती	जगनेर	31-10-79	10-4-89	17-7-90
209.	लक्ष्मीनारायण	सलीमपुरा	8-2-80	,,	27-9-89
210.	हाबुडीलाल	,,	,,	,,	,,
211.	हीरालाल	,,	23-7-86	23-3-89	17-9-90
212.	गोपालनारायण	,,	31-10-87	,,	7-9-90
213.	आनन्दीलाल	,,	10-12-87	4-4-89	,,
214.	छुटन पाज्या बैरवा	,,	20-2-88	10-4-89	27-9-89
215.	कल्याण ब्राह्मण	लालसोट	21-9-78	4-1-90	24-3-90

1	2	3	4	5	6
216.	पून्या घाना	लालसोट	21-9-78	11-12-89	22-3-91
217.	शान्ती प्रभात माली	,,	,,	,,	15-2-90
218.	ग्यारसीलाल	,,	23-9-78	4-1-90	12-2-90
219.	रेवडया माली	,,	8-12-78	11-12-89	10-9-90
220.	हरिशंकर	,,	4-10-79	16-1-90	12-9-90
221.	दाताराम	,,	,,	5-4-90	,,
222.	घनश्याम	,,	,,	,,	28-6-91
223.	श्योफूल भूंथा माली	,,	,,	,,	12-9-90
224.	श्यामलाल पुरोहित	,,	,,	4-4-90	,,
225.	लक्ष्मण गंगू	,,	,,	5-4-90	9-8-90
226.	श्योपाल गंगा	,,	,,	28-4-90	12-2-90
227.	कालू मूंडया माली	,,	,,	20-4-90	12-9-90
228.	देवा नन्दा माली	,,	10-10-79	28-4-90	,,
229.	भूरा महादेव माली	,,	10-1-80	24-2-90	20-7-90
230.	धीस्या पून्या	पूतलवास	18-12-85	28-4-89	16-9-89
231.	आनन्दीलाल	,,	29-9-87	,,	,,

1	2	3	4	5	6
232.	मूल्या	डूंगरपुर	14-7-88	28-8-89	28-8-89
233.	पाँच्या पून्या	"	"	"	"
234.	जगदीश रामनिवास छोटू	दयालपुरा	16-9-85	24-3-90	31-3-90
235.	रामलाल बैरवा	"	29-1-87	15-4-89	5-5-89
236.	पून्या चन्दा बैरवा	"	21-1-88	30-3-90	17-1-91
237.	छोटू पून्या बैरवा	"	7-2-89	4-4-90	19-3-91

309

परिशिष्ट--12

अतारांकित प्रश्न संख्या 457 का विवरण

निगम अधिकारियों के कार्यालयों में एस. टी. डी. की सुविधा एवं गत तीन वर्ष में हुए व्यय का विवरण।

क्र. सं.	नाम अधिकारी व पद	टेलीफोन नम्बर	खर्च का विवरण			योग
1	2	3	4			5
			88--89	89-90	90--91	
1.	श्री डी. आर. पुरी. अध्यक्ष	76299	63,960.00	70,086.00	—	1,34,046.00
2.	श्री आई. एस. कावड़िया अध्यक्ष	76299	—	—	56,456.00	56,456.00
3.	श्री राजीव शर्मा, प्रबन्ध निदेशक	64866	24,608.00	—	—	24,608.00
4.	श्री आर. एस. मीणा प्रबन्ध निदेशक	64366	—	35,027.00	—	35,027.00
5.	श्री जी. एस. सन्धु प्रबन्ध निदेशक	64866/521266	—	—	58,012.00	58,012.00
6.	श्री एल. एन. शाह कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	75788/521288	—	—	47,192.00	47,192.00

1	2	3		4		5
7.	श्री पी. आर. अग्रवाल मुख्य लेखाधिकारी	62106/521206	12,622.00	18,052,00	17,073.00	47,747.00
8.	श्री एन. सी. सक्सेना महा लेखाकार (स्टोर)	79697	11,444.00	—	—	11,444.00
9.	श्री वाई. एन. भार्गव श्री एस. बी. भीम कार्य व्यवस्थापक (भण्डार)	79697/520897	—	27,668.00	40,360.00	68,028.00

निगम अधिकारियों के निवास पर दी गई एस. टी. डी. सुविधा पर गत तीन वर्ष में किये गये व्यय का विवरण।

क. सं. नाम अधिकारी व पद	टेलीफोन नम्बर	खर्च का विवरण			योग
1 2	3		4		5
		88—89	89—90	90—91	
1. श्री डी. आर. पुरी, अध्यक्ष	76956	40,681.00	56,032.00	14,468.00	1,11,181.00
2. श्री आई. एस. कावड़िया अध्यक्ष	40144	—	—	24,307.00	24,307.00
3. श्री राजीव शर्मा प्रबन्ध निदेशक	73584	63,496.00	—	—	63,496.00
4. श्री आर. एन. मीणा प्रबन्ध निदेशक	73584/43993	—	23,456.00	—	23,456.00
	41518	—	2,564.00	—	2,564.00
5. श्री जी. एस. सन्धु प्रबन्ध निदेशक	43993	—	—	28,414.00	28,414.00

1	2	3	4			5
6.	श्री बी. बी. सरीन कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	40144	5,228.00	—	—	5,228.00
7.	श्री एस. के. विजय कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	73538	—	12,438.00	—	12,438.00
8.	श्री एल. एन. शाह कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)	852528	—	—	23,786.00	23,786.00
9.	श्री पी. सी. अग्रवाल कार्यकारी निदेशक (याता.)	852224	11,266.00	—	—	11,266.00
10.	श्री योगेशचन्द्र कार्यकारी निदेशक (यातायात)	66871	—	26,594.00	16,166.00	42,760.00
11.	श्री पी. आर. अग्रवाल मुख्य लेखाधिकारी एवं वि. स.	47979	3,329.00	5,562.00	1 541.00	10,432.00
12.	श्री पी. एन. रछोया निदेशक (सतर्कता)	62508	8,075.00	—	—	8,075.00

1	2	3	4			5
13.	श्री विरेन्द्र बरतरिया निदेशक (सतर्कता)	62508	—	12,648.00	—	12,648.00
14.	श्री रामेश्वर सिह निदेशक (सतर्कता)	62508	—	—	15,241.00	15,241.00
15.	श्री एस. एम. लोन्कर महा प्रबन्धक(उत्पादन)	72581	16,879.00	29,910.00	20,878,00	67,667.00
16.	श्री एस. पी. टण्डन महा प्रबन्धक (संचालन)	61595	3,569.00	1,070.00	—	4,639.00

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 459 की सूची

दौसा गंगापुर वाया बामणवास, लालसोट मार्ग पर दिये गये (परिशिष्ट-क)
प्राइवेट बसों के परमिटों की सूची :—

क्र. सं.	वाहन संख्या
1	2
1.	आर जे एल-9761
2.	आर आर जे-5808
3.	आर एस एल-8927
4.	आर आर एम.-9527
5.	आर जे-14/0064
6.	आर एस एल-3981
7.	आर जे एफ-1563
8.	आर एस एम-7705
9.	आर आर एम-8243
10.	आर जे-14/407
11.	आर आर बी-7369
12.	आर एन बी-3329
13.	आर जे-25/पी-0056
14.	आर एन डी-8252
15.	आर जे यू-3468
16-	आर एन डी-4706
17.	आर एस एल-9873
18.	आर जे एल-2690
19.	यू आर जे-4027
20.	आर जे बी-7292
21.	आर जे-14/पी 0077
22.	आर जे-25/पी 0099
23.	आर जे-25/पी-114
24.	आर जे-25/पी-104
25.	आर जे 25/पी-0085
26.	आर जे-25/पी-0096

दौसा गंगापुर वाया लालसोट (दौसा-धौलपुर का बचा भाग)

1.	आर आर एम-4967
2.	आर एस एम-7714
3.	आर आर एम-3948
4.	आर एन ए-5143
5.	आर आर एम-3289
6.	पी एम एल-5740 (पुनः पंजीकृत आर जे-25/पी-0075)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 की सूची

वर्ष–1990

क्र. सं.	नाम न्यायालय	न्यायालय का स्तर	न्यायालय खोलने का स्थान	नाम जिला
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय	ए. डी. जे. स्तर	जयपुर	जयपुर
2.	,, ,,	,,	जोधपुर	जोधपुर
3.	,, ,,	,,	कोटा	कोटा
4.	,, ,,	,,	अजमेर	अजमेर
5.	,, ,,	,,	बीकानेर	बीकानेर
6.	,, ,,	,,	उदयपुर	उदयपुर
7.	अपर जिला न्यायालय	,,	बारां	बारां
8.	विशेष चल न्यायालय (पानी की चोरी रोकने हेतु)	जे. एम. स्तर	कोटा	कोटा

वर्ष–1991

1.	अपर जिला न्यायालय	ए. डी. जे. स्तर	छबड़ा	कोटा
2.	,, ,,	,,	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
3.	,, ,,	,,	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
4.	,, ,,	,,	किशनगढ़	अजमेर
5.	,, ,,	,,	सोजत	पाली
6.	,, ,,	,,	रतनगढ़	चुरू
7.	,, ,,	,,	सांभर	जयपुर
8.	,, ,,	,,	कोटपूतली	जयपुर
9.	,, ,,	,,	चूरू	चुरू

1	2	3	4	5
10.	पारिवारिक न्यायालय	डी.जे. स्तर	कोटा	कोटा
11.	पारिवारिक न्यायालय	डी. जे.	उदयपुर	उदयपुर
12.	न्यायालय साम्प्रदायिक दंगे	ए. सी. जे. एम. स्तर	जयपुर	जयपुर
13.	,, ,,	,,	कोटा	कोटा
14.	पर्यावरण न्यायालय	,,	पाली	पाली

वर्ष 1991 में खोले गये मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की सूची

क्र. सं.	नाम न्यायालय		नाम जिला जहां न्यायालय खोला गया	नाम स्थान जहां न्यायालय खोला गया
1.	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय		अजमेर	1- विजयनगर
2.	,,	,,	बूंदी	2- इन्द्रगढ़ 3- लाखेरी
3.	,,	,,	भीलवाड़ा	4- कोटली
4.	,,	,,	बांसवाड़ा	5- गढ़ी 6- घाटोल
5.	,,	,,	बारां	7- शाहबाद 8- मांगरोल
6.	,,	,,	भरतपुर	9- नगर
7.	,,	,,	चित्तौड़	10- सराफी 11- रावतभाटा
8.	,,	,,	चूरू	12- डूंगरगढ़

1	2	3	4
9.	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	दौसा	13- सिकराय 14- लालसोट
10.	,, ,,	धौलपुर	15- बाड़ी
11.	,, ,,	गंगानगर	16- पीलीबंगा
12.	,, ,,	जयपुर	17- बस्सी 18- दूदू
13.	,, ,,	झुन्झुनू	19- उदयपुरवाटी
14.	,, ,,	नागौर	20- कुचामन सिटी
15.	,, ,,	पाली	21- मारवाड़ जंक्शन
16.	,, ,,	सीकर	22- लक्ष्मणगढ़
17-	,, ,,	सिरोही	23- रेवदर
18.	,, ,,	सवाई माधोपुर	24- बामनवास
19.	,, ,,	टोंक	24- देवली
20.	,, ,,	उदयपुर	26- सराड़ा 27- मावली
21.	,, ,,	सवाई माधोपुर	28- महुवा

(318)

वर्ष 1992 में खोले गये न्यायालयों की सूची :—

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	न्यायालय का स्तर	न्यायालय खोलने का स्थान	नाम जिला
1.	अपर जिला न्यायालय	ए. डी. जे. स्तर	अलवर	अलवर
2.	,, ,,	,,	भरतपुर	भरतपुर
3.	विशिष्ठ न्यायालय (एन. डी. पी. एस. एक्ट के मामलात)	डी. जे. स्तर	जोधपुर	जोधपुर

शुद्धि–पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	7	15	श्री बाबूलाल खण्डा	श्री बाबूलाल खाण्डा
2.	7	22	श्री बाबूलाल खण्डा	श्री बाबूलाल खाण्डा
3.	55	1	(श्री कैलश मेघवाल)	श्री कैलाश मेघवाल
4.	113	फोलियो	अतरांकित	अतारांकित
5.	134	11	ग्रांदि	आदि
6.	218	12	श्री बंसीलाल पटवा	श्री वंशीलाल पटवा

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]